खण्ड-473, अंक-4
मंगलवार, 27 माघ, शक संवत् 1931
(16 फरवरी, 2010 ई0)

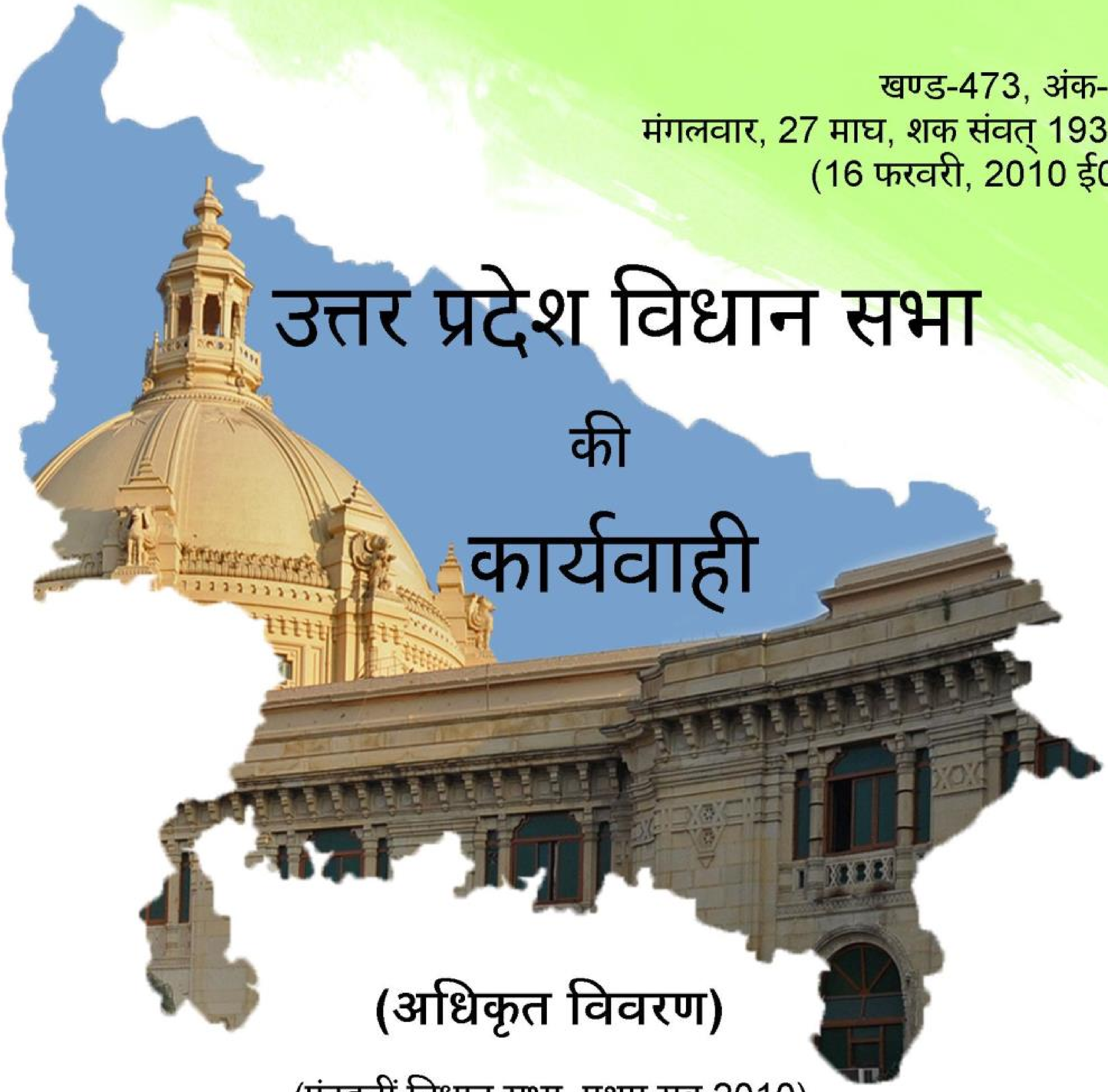

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(पंद्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2010)

खण्ड 473 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2010

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1–6
प्रश्नोत्तर	7–81
दिनांक 15 फरवरी, 2010 के तारांकित प्रश्न सं0 1 के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	82–83
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	83–84
इलाहाबाद नगर में रेलवे क्रासिंगों पर फ्लाई ओवर ब्रिज बनाने के लिए रेल विभाग को समानुपातिक धनराशि अभी तक प्रदान न करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	84
माध्यमिक शिक्षा में नियमों/अधिनियमों के उल्लंघन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	84
ग्राम्य विकास संस्थान, बी0 के0 टी0 लखनऊ में कार्यरत लेखाकार श्री आनन्द कुमार सिंह को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	85
किसान इण्टर कालेज, बभनान, बस्ती में तैनात कर्मचारी का वेतन भुगतान न किये जाने एवं सेवा से वंचित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	86
पिपरमिंट के तेल पर मण्डी शुल्क लगाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	86
जनपद गोण्डा में वर्ष 2007 से 2009 तक तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी द्वारा नरेगा योजना को सही तरीके से संचालित न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	87
उन्नाव जनपद में पुरवा वि0स0 क्षेत्र में आने वाले पुरवा अहमदाबाद मार्ग को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	87–88
जनपद गोण्डा के कटरा वि0स0 क्षेत्र में कतिपय ग्राम मार्गों को पक्की सड़क से जोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	88
जनपद गोण्डा के सादुल्लानगर में विकास खण्ड रेहरा बाजार में ग्राम पंचायत अधिकारी के कृत्यों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	88

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद सीतापुर विकास खण्ड पिसांवा की सड़क का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	89
जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र, बांसी में अधिक विद्युत कटौती किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	89
जनपद सीतापुर के बम्हनावा (रेउसा) विद्युत उपकेन्द्र मिठौली फीडर एवं पोल व तार बदले जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	90
आजमगढ़ पावर कारपोरेशनल विभाग में श्री सुरेन्द्र पाठक को समायोजित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	90
जनपद रायबरेली में धान क्रय करने व उनकी विलिंग कराने में भारी गोल–माल किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	91
आगरा जनपद के फतेहाबाद क्षेत्र में एक मिनी खेल स्टेडियम बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	91
जनपद फतेहपुर के ग्राम सभा सीर ब्लाक भिटौरा का पानी खारा होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	91–92
जनपद फैजाबाद में विद्युत सप्लाई की व्यवस्था हेतु 33/11 के0 वी0 ए0 का सब स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	92
जनपद रायबरेली के दो विद्युत् उपकेन्द्र क्रमशः सरेनी एवं मलके गांव सब स्टेशन को डबल ग्रुपिंग सिस्टम से संचालित कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	92–93
उ0 प्र0 में लागू प्रवेश कर को संशोधित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	93
जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में गोधी में 33 के0 वी0 ए0 विद्युत उपकेन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	94
विधान सभा मेंहनगर, आजमगढ़ के कतिपय मार्गों को ठीक कराने/नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	94
जनपद सुल्तानपुर में बाध (मूंज) उत्पादन के कार्य में लगे निषाद समुदाय के लोगों का बिचौलियों द्वारा शोषण किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	95

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री दिनेश कुमार यादव, ग्राम गौरी, थाना पकड़ी, जिला बलिया को सक्षम अधिकारी से जांच कराकर पुलिस भर्ती प्रक्रिया में शामिल कराने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	95–96
जिला लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत स्थित मीलपुरवा से पूजागांव के मध्य टूटू बाँध को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	96
महिला कल्याण निदेशालय के एक एन0 जी0 ओ0 द्वारा मुख्य परिवीक्षा अधिकारी के कार्यालय को कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	96–97
जनपद फैजाबाद में तैनात जिला परिवीक्षा अधिकारी श्रीमती चन्द्र गौतम के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	97
जनपद बागपत के भूमिहीनों दलितों एवं अति पिछड़ों को आवंटित पट्टे की भूमि दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	97–98
जनपद मुजफ्फरनगर के थाना भवन विधान सभा क्षेत्र में कतिपय मार्गों के नवनिर्माण/ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	98
जनपद सिद्धार्थनगर के सरपूका से पतिला, कमसार से बुढ़उ, कमसार से होते हुए गंजपुर महादेवा की सड़कों का निर्माण बारहवें वित्त से कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	98–99
लोअर आगरा कैनाल से मथुरा को मिलने वाले पानी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	99
जनपद मथुरा के राधाकृष्ण पथ के निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	99
धन स्वीकृति के बावजूद शमशान स्थल की बाउन्ड्री वाल अधूरी छोड़ने हेतु दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	100
जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत कतिपय सड़कों की मरम्मत एवं नवनिर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	100–101
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन कार्यक्रम मुरादाबाद एवं जे0 पी0 नगर में लम्बित शिवशक्ति ग्रामोद्योग संस्थान, मुरादनगर, जनपद गाजियाबाद के अवशेष देयको के भुगतान के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	101

विषय	पृष्ठ-संख्या
आयुर्वेद विभाग में लिपिक वर्ग के प्रमोशन/रिक्त स्थान को भरने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	101–102
बुन्देलखण्ड में स्थापित हो रही निजी ट्युबवेलों को विद्युत कनेक्शन न देने से उत्पन्न पानी की समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	102
जनपद सुल्तानपुर शहर में बढ़ रही चोरी की घटनाओं को रोके जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	102
कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	103
लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के वार्षिक प्रतिवेदन, 2008 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया) ...	103
प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 454 दि0 16 अप्रैल, 2008 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	104
उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन निगम लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 1995-1996 से 2007-2008 तक के वार्षिक प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखे गये)	104
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (कतिपय अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) विधेयक, 2010 (पारित)	104–116
उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) विधेयक, 2010 (पारित)	116–149
उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2010 (पारित)	149–158
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख–सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2010 (पारित) ...	158–161
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	161–162
सत्रावसान के उपरान्त माननीय सदस्यों के अनुत्तरित प्रश्नों का उत्तर शासन द्वारा दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	162
प्रदेश में पंचायत चुनाव समय से कराये जाने हेतु नई तिथियां घोषित किये जाने का परामर्श राज्य निर्वाचन आयोग को दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	162–164
जनपद सिद्धार्थनगर के मुख्यालय पर प्रेस क्लब न बनाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	164

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश में स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी परिषद के निदेशक/सचिव का पद लगभग दो वर्षों से रिक्त रहने एवं स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों व उनके आश्रितों के हितों के प्रभावित होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	164–165
प्रदेश में होने वाली आपराधिक घटनाओं के कारण समाज के नैतिक स्तर में गिरावट आने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न. .	165–166
विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मीपुर, जनपद महराजगंज स्थित कार्यालय में दिनांक 17 जनवरी, 2010 को आपराधिक तत्वों द्वारा आगजनी किये जाने की एफ0आई0आर0 दर्ज न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	167
जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र कटरा बाजार में सेल्हरी मण्डप मार्ग से गौरिया चौधरीपुरवा तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री ननकऊ यादव आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)... ...	168
जनपद गोण्डा के कटरा बाजार में अहियाचेत मार्ग से सुखनीपुरवा होते हुए मोहन टेपरा तक खड़ण्जा से लेपन स्तर तक सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री सबर अली आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)... ...	168
जनपद गोण्डा के कटरा बाजार में दुबहा बाजार नारायणपुर मार्ग से उर्दी गोण्डा तक सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री जान मोहम्मद आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	168
जनपद गोण्डा के कटरा बाजार में सरैया माफी मार्ग से बेसियाचैन तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री पारस चौहान आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	168
जनपद गोण्डा बहराइच मार्ग से मिश्रौलिया कानूनगो तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री रामहेत वर्मा आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ...	169
जनपद गोण्डा के कटरा बाजार में गोण्डा लखनऊ मार्ग कमालपुर होते हुए पहाड़पुर तक 4 किमी0 पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री अनिल सिंह आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	169

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद गोण्डा के कटरा बाजार में गोण्डा लखनऊ मार्ग से नूरपुर तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री शिव नरेश तिवारी आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	169
जनपद गोण्डा के कटरा बाजार में विकास खण्ड हलधरमऊ के पतिसा गांव से भटनैया होते हुए सोनहरा तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री प्रेमनाथ आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)... ...	169
जनपद गोण्डा के कटरा बाजार में सेल्हरी मण्डप खेमपुर मार्ग से जयराम जोत तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री मो0 तुफैल आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	170
जनपद आजमगढ़ के मेहनगर में सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री अरूण पाण्डेय आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	170
जनपद आजमगढ़ के मेहनगर में सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री पंचम राजभर आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	170
श्री राजेश यादव, सदस्य विधान सभा द्वारा थाना सदर बाजार, शाहजहांपुर के इंस्पेक्टर, श्री बेनी सिंह वर्मा व अन्य पुलिस कर्मियों के विरुद्ध दिनांक 13 नवम्बर, 2007 को अभिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	170–172
नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)	172–188
नियम 103 के प्रस्ताव तथा नियम 52 की चर्चाओं को स्थगित किए जाने तथा नियम 51 के वक्तव्य को उत्तरित मानते हुए कार्य–स्थगन की सभी सूचनाओं को सुने जाने का अनुरोध ...	188
नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)	188–198
लखनऊ के शहीद स्मारक स्थल पर महिला कांग्रेस पर बर्बर लाठी चार्ज तथा नेताओं की गिरफ्तारी किए जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	198–199

विषय	पृष्ठ-संख्या
नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	199–209
"यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाए जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रभावी नीति बनाई जाय" विषयक श्री जोखू लाल यादव द्वारा दि0 19 फरवरी, 2009 को नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	209
"यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने हेतु सरकार द्वारा कार्य योजना बनाई जाय" विषयक श्री जोखू लाल यादव द्वारा दि0 19 फरवरी, 2009 को नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)... ...	209–210
"यह सदन प्रस्ताव करता है कि आगरा के फतेहाबाद क्षेत्र में एक पालीटेक्निक की स्थापना की जाय" विषयक डा0 राजेन्द्र सिंह द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत अभिसूचित प्रस्ताव (व्यपगत)	210
"यह सदन प्रस्ताव करता है कि आगरा के फतेहाबाद क्षेत्र के दोनों विकास खण्डों में माडल स्कूलों का निर्माण तुरन्त कराया जाय" विषयक डा0 राजेन्द्र सिंह द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत अभिसूचित प्रस्ताव (व्यपगत)	210
"यह सदन प्रस्ताव करता है कि उत्तर प्रदेश में मांस निर्यात को प्रतिबन्धित करने हेतु पशु वध पर तत्काल रोक लगाई जाय" विषयक श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत अभिसूचित प्रस्ताव पर चर्चा (जारी) ...	210
"यह सदन प्रस्ताव करता है कि आगरा शहर की पेयजल समस्या के समाधान हेतु यमुना नदी की डाउन स्ट्रीम पर बैराज बनाया जाय" विषयक डा0 राजेन्द्र सिंह द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत अभिसूचित प्रस्ताव (व्यपगत)	210
स्नातक उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को बी0 एड0 में प्रवेश हेतु वर्ष 2009–2010 की प्रवेश परीक्षाएं कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 आर0 ए0 उस्मानी द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर एक घण्टे की निर्धारित चर्चा (जारी) ...	210–211

विषय	पृष्ठ-संख्या
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	211–217
जनपद आजमगढ़ की तहसील सगड़ी के विद्यालयों को काली सूची से हटाने एवं बालिकाओं के हित में परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री दुर्गा प्रसाद यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य	217–218
इलाहाबाद स्थित जमुना के पुल से हो रही आत्महत्या को रोकने हेतु ऊँची रेलिंग व जाली लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य	218–219
जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड शुकुल बाजार में नया विद्युत उपकेन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी एवं श्री रामसेवक द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य	219
मिर्जापुर के ग्राम मगरहा स्थित नरोत्तम सिंह पदम सिंह राजकीय महाविद्यालय में स्वीकृत अधूरे पड़े विज्ञान भवन को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर उच्च शिक्षा मंत्री का वक्तव्य	220–221
आजमगढ़ के मेहनगर में स्वीकृत 132 के0 वी0 विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती विद्या चौधरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य	221
बलरामपुर स्थित सादुल्लानगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों को तैनात किए जाने के सम्बन्ध में श्री आरिफ अनवर हाशमी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य	222
प्रतापगढ़ की जिला योजना/नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा किए गये अनुमोदित कार्यों के अनुरूप शासनादेश निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	223

विषय			पृष्ठ-संख्या
सदन संचालन में सहयोग हेतु आभार प्रदर्शन	...		224–232
सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	...	...	233
राष्ट्रगान	...	...	233
नत्थी	...	...	234–236

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पन्द्रहवीं विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 16 फरवरी, 2010 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य–331

1. अंगद यादव, श्री — आजमगढ़
2. अकबर हुसैन, श्री — मुरादाबाद
3. अकीलुर्रहमान खॉं, श्री — मुरादाबाद
4. अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
5. अजय तोमर, डा0 — बागपत
6. अजय सिंह, श्री — जालौन
7. अनन्त मिश्रा, श्री — फर्रुखाबाद
8. अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
9. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
10. अनिल कुमार अहिरवार, श्री — महोबा
11. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
12. अनिल कुमार मौर्य, श्री — मिर्जापुर
13. अनिल कुमार सिंह यादव, श्री — एटा
14. अनिल चौधरी, डा0 — हाथरस (महामायानगर)
15. अनीस अहमद खॉं उर्फ फूलबाबू, श्री — पीलीभीत
16. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
17. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
18. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
19. अब्दुल मन्नान, श्री — हरदोई
20. अब्दुल वारिस खॉं, श्री — मुजफ्फरनगर
21. अब्बास अली जैदी उर्फ रूश्दी मियां, श्री — फैजाबाद
22. अमरमणि त्रिपाठी, श्री — महराजगंज
23. अमरेश कुमार शुक्ल, श्री — बाराबंकी
24. अमेरिका प्रधान, श्री — गाजीपुर
25. अम्बिका चौधरी, श्री — बलिया
26. अम्बिका सिंह, श्री — गोरखपुर
27. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
28. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
29. अरशद खान, श्री — पीलीभीत
30. अरूण कुमार यादव, श्री — आजमगढ़
31. अरूणा तोमर, श्रीमती — कानपुर नगर
32. अलाउद्दीन, श्री — बलरामपुर
33. अलीम हाजी, श्री — बुलन्दशहर
34. अवध पाल सिंह यादव, श्री — एटा
35. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
36. अवधेश वर्मा, श्री — शाहजहांपुर
37. अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दूबे, श्री — महराजगंज
38. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
39. अशोक कुमार दोहरे, श्री — औरैया
40. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
41. अशोक कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
42. अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री — हमीरपुर
43. अशोक सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
44. आदित्य पाण्डेय, श्री — फतेहपुर
45. आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री — इलाहाबाद
46. आर0 ए0 उस्मानी, डा0, — लखीमपुर खीरी
47. आर0 के0 चौधरी, श्री — लखनऊ
48. आर0 के0 शर्मा, पंडित — बरेली
49. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — गोण्डा
50. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
51. आसिफ, श्री — हरदोई
52. इकबाल महमूद, श्री — मुरादाबाद
53. इरफान सोलंकी, श्री — कानपुर नगर
54. ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री — सिद्धार्थनगर
55. उदयमान करवरिया, श्री — इलाहाबाद
56. उदयराज, श्री — उन्नाव
57. उदयलाल मौर्य, श्री — वाराणसी
58. उमेश पाण्डेय, श्री — मऊ

59. ओम प्रकाश सिंह, श्री मिर्जापुर
60. ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री सुल्तानपुर
61. ओमवती देवी, श्रीमती बिजनौर
62. कमलेश चन्द दिवाकर, श्री कानपुर देहात
63. कामेश्वर उपाध्याय, श्री देवरिया
64. कालीचरन राजभर, श्री गाजीपुर
65. काशीराम, श्री रामपुर
66. कुवेर सिंह, श्री एटा
67. कुलदीप सिंह गंगवार, श्री फर्रुखाबाद
68. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
69. कृपा शंकर सिंह, श्री उन्नाव
70. कृष्ण कुमार, श्री बहराइच
71. कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री हरदोई
72. कृष्णराज, श्रीमती लखीमपुर खीरी
73. के0 के0 सचान, डा0 जौनपुर
74. केदारनाथ वर्मा, श्री बलिया
75. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
76. कैलाश साहू, श्री झांसी
77. कौकब हमीद खाँ, श्री बागपत
78. कौशल किशोर, डा0 लखीमपुर खीरी
79. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
80. गिरीश चन्द्र, श्री मुरादाबाद
81. गुटियारी लाल दुबेश, श्री आगरा
82. गुरू प्रसाद मौर्य, श्री इलाहाबाद
83. गुलाम मोहम्मद खान, श्री बहराइच
84. गेंदा लाल चौधरी, श्री हाथरस (महामायानगर)
85. घूराराम, श्री बलिया
86. चन्द्रदेव, श्री आजमगढ़
87. चन्द्र प्रकाश मिश्र "मटियारी", श्री सुल्तानपुर
88. चन्द्रभद्र सिंह, श्री सुल्तानपुर
89. चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री सिद्धार्थनगर
90. छत्रपाल सिंह, श्री बरेली
91. जगदीश नारायण, श्री जौनपुर
92. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
93. जगपाल, श्री सहारनपुर
94. जमीरउल्ला, श्री अलीगढ़
95. जयवीर सिंह, श्री मैनपुरी
96. जयवीर सिंह, ठाकुर अलीगढ़
97. जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह, श्री कुशीनगर
98. जावेद अंसारी एडवोकेट, श्री जौनपुर
99. जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री चन्दौली
100. जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
101. जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री फैजाबाद
102. जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री आगरा
103. जोखू लाल यादव, श्री इलाहाबाद
104. ज्योत्सना श्रीवास्तव, डा0 वाराणसी
105. ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
106. त्रिभुवन दत्त, श्री अम्बेडकरनगर
107. दद्दन मिश्रा, श्री श्रावस्ती
108. दद्दू प्रसाद, श्री चित्रकूट
109. दयाराम, श्री कौशाम्बी
110. दशरथ प्रसाद चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
111. दाउद अहमद, श्री हरदोई
112. दिनेश प्रसाद, श्री चित्रकूट
113. दीनानाथ कुशवाहा, श्री देवरिया
114. दीनानाथ पाण्डेय, श्री वाराणसी
115. दीपक कुमार, श्री उन्नाव
116. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
117. दूधराम, श्री बस्ती
118. धर्मपाल, श्री गाजियाबाद
119. धर्मपाल यादव डी0पी0 यादव, श्री बदायूं
120. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
121. धर्म सिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
122. धर्मी रावत, श्रीमती बाराबंकी
123. धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री बरेली
124. धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री बलरामपुर
125. धीरेन्द्र प्रसाद, श्री शाहजहांपुर
126. धू राम लोधी, चौधरी, श्री हमीरपुर
127. नकुल दूबे, श्री लखनऊ

128. नन्द गोपाल गुप्ता "नन्दी", श्री — इलाहाबाद
129. नन्दिता शुक्ला, श्रीमती — गोण्डा
130. नरेन्द्र सिंह, श्री — सीतापुर
131. नारायण सिंह, श्री — आगरा
132. नितिन अग्रवाल, श्री — हरदोई
133. निर्मल वर्मा, श्री — सीतापुर
134. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री — शाहजहांपुर
135. पंकज कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
136. पशुपति, श्री — गाजीपुर
137. पी0 के0 राय, डा0 — कुशीनगर
138. पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री — बाँदा
139. पूजा पाल, श्रीमती — इलाहाबाद
140. पूरन प्रकाश, श्री — मथुरा
141. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती — कानपुर देहात
142. प्रमोद तिवारी, श्री — प्रतापगढ़
143. प्रमोद सिंह, श्री — देवरिया
144. प्रवीण पटेल, श्री — इलाहाबाद
145. फतेह बहादुर, श्री — महराजगंज
146. फरहत हसन, श्री — ज्योतिबाफूलेनगर
147. फरीद महफूज किदवई, श्री — बाराबंकी
148. फसीहा बशीर चौधरी (गजाला लारी), श्रीमती — देवरिया
149. फागू, श्री — मऊ
150. बलबीर, श्री — मुजफ्फरनगर
151. बलराम सिंह सैनी, श्री — मुरादाबाद
152. बादशाह सिंह, श्री — हमीरपुर
153. बिमलेश सिंह, श्रीमती — अलीगढ़
154. बिरजू राम, श्री — जौनपुर
155. बृजेश सौरभ, श्री — प्रतापगढ़
156. बैजनाथ दूबे, श्री — गोण्डा
157. भगवती प्रसाद सागर, श्री — झांसी
158. भगवान दास, श्री — सन्तकबीरनगर
159. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री — आगरा
160. भगेलू राम, श्री — सुल्तानपुर
161. भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री — इटावा
162. भोला पासवान, श्री — आजमगढ़
163. मंजू, श्रीमती — बलिया
164. मदन भैया उर्फ मदन गोपाल, श्री — बागपत
165. मधुबाला, श्रीमती — संत रविदासनगर (भदोही)
166. मधुसूदन शर्मा, श्री — आगरा
167. मनोज चौधरी, श्री — सहारनपुर
168. ममतेश शाक्य, श्री — एटा
169. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री — रायबरेली
170. महबूब अली, श्री — ज्योतिबाफूलेनगर
171. महिपाल सिंह, श्री — सहारनपुर
172. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री — सीतापुर
173. महेन्द्र सिंह, श्री — अलीगढ़
174. महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री — इटावा
175. महेश चन्द्र, श्री — औरैया
176. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री — बदायूं
177. महेश त्रिवेदी, श्री — कानपुर देहात
178. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री — सिद्धार्थनगर
179. माधव पासवान, श्री — गोरखपुर
180. मिथलेश कटियार, श्रीमती — कानपुर देहात
181. मिथिलेश पाल, श्रीमती — मुजफ्फरनगर
182. मीता गौतम, कु0 — बाराबंकी
183. मुरलीधर, श्री — फतेहपुर
184. मुस्लिम खाँ, श्री — बदायूँ
185. मोहम्मद आजम खां, श्री — रामपुर
186. मोहम्मद इकबाल, श्री — बिजनौर
187. मोहम्मद इरशाद खान, श्री — लखनऊ
188. मोहम्मद गाजी, श्री — बिजनौर
189. मोहम्मद जलील खान, श्री — गोण्डा
190. मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री — सीतापुर
191. मोहम्मद ताबिश खां, श्री — सन्तकबीरनगर
192. मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री — इलाहाबाद
193. यशपाल सिंह, श्री — बिजनौर
194. यशवन्त सिंह, डा0 — मुजफ्फरनगर
195. यसपाल सिंह रावत, श्री — गोरखपुर
196. याकूब हाजी, श्री — मेरठ
197. योगराज सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
198. योगेन्द्र सागर, श्री — बदायूं
199. योगेश वर्मा, श्री — मेरठ
200. रंगनाथ मिश्र, श्री — सन्त रविदासनगर (भदोही)
201. रघुनाथ प्रसाद संखवार, डा0 — कानपुर देहात

202. रघुराज प्रताप सिंह "राजा भइया", कुं0 प्रतापगढ़
203. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
204. रतनलाल अहिरवार, श्री झांसी
205. रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री कुशीनगर
206. रमेश गौतम, श्री गोण्डा
207. रमेश चन्द्र विन्द, डा0 मिर्जापुर
208. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
209. रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री सहारनपुर
210. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
211. राकेश धर त्रिपाठी, डा0 इलाहाबाद
212. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
213. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
214. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
215. राजकुमार सिंह गौतम, डा0 गाजीपुर
216. राजदेव सिंह, श्री जौनपुर
217. राजपाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
218. राजपाल सिंह, श्री गाजियाबाद
219. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
220. राजाराम त्यागी, श्री रायबरेली
221. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
222. राजेन्द्र कुमार, श्री मऊ
223. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री प्रतापगढ़
224. राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
225. राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री गोरखपुर
226. राजेश कुमार, श्री लखीमपुर खीरी
227. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
228. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
229. राधामोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
230. राधे लाल रावत, श्री उन्नाव
231. राधे श्याम गुप्ता, श्री फतेहपुर
232. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
233. राम कुमार तिवारी, पंडित ललितपुर
234. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
235. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
236. राम प्रकाश कुशवाहा, पी0एच0डी0, डा0 कानपुर नगर
237. राम प्रकाश यादव, श्री फिरोजाबाद
238. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
239. राम बिशुन आजाद, श्री गोण्डा
240. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
241. राम शिरोमणि शुक्ल, श्री प्रतापगढ़
242. राम सागर अकेला, श्री श्रावस्ती
243. रामसेवक, श्री सुल्तानपुर
244. राम सेवक सिंह पटेल, श्री बदायूं
245. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
246. रिजवान अहमद खां, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
247. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
248. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
249. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
250. लखीराम नागर, श्री मेरठ
251. लल्लू सिंह, श्री फैजाबाद
252. लालजी यादव, श्री सिद्धार्थनगर
253. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
254. वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
255. वारिस अली, श्री बहराइच
256. वासुदेव सिंह "बाबा", श्री बुलन्दशहर
257. विजय कुमार, श्री गाजीपुर
258. विजय कुमार उर्फ विजय यादव, श्री मुरादाबाद
259. विजय पाल सिंह, श्री बरेली
260. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
261. विद्या चौधरी, श्रीमती आजमगढ़
262. विद्यासागर गुप्त, श्री लखनऊ
263. विनोद कुमार हरित, श्री मेरठ
264. विनोद चतुर्वेदी, श्री जालौन
265. विनोद सिंह, श्री सुल्तानपुर
266. विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री बांदा
267. विशम्भर सिंह यादव, श्री बांदा
268. विश्वनाथ, श्री कुशीनगर
269. वीरेन्द्र सिंह, श्री बरेली
270. बृज सिंह उर्फ बृज कुंवरि, श्रीमती गोण्डा
271. वेदराम भाटी, श्री बुलन्दशहर
272. शब्बीर अहमद, श्री बहराइच
273. शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री बरेली
274. शहनवाज, श्री बिजनौर

275. शारदा प्रसाद, श्री — चन्दौली
276. शाहिद मंजूर, श्री — मेरठ
277. शिव गणेश "लोधी", श्री — रायबरेली
278. शिव प्रसाद यादव, श्री — इटावा
279. शिवबालक पासी, श्री — रायबरेली
280. शीशराम, श्री — बिजनौर
281. शेख नसीरुद्दीन सिद्दीकी, श्री — फिरोजाबाद
282. शेरबहादुर, श्री — अम्बेडकरनगर
283. शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री — जौनपुर
284. श्याम किशोर शुक्ला, श्री — लखनऊ
285. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री — वाराणसी
286. श्याम नरायण यादव, श्री — आजमगढ़
287. श्याम लाल, श्री — बलरामपुर
288. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री — मथुरा
289. श्रीपति आजाद, श्री — महराजगंज
290. श्रीभगवान पाठक, श्री — बलिया
291. संजय कपूर, श्री — रामपुर
292. संजय कुमार त्रिपाठी, श्री — प्रतापगढ़
293. संजीव दरियाबादी "बन्टी", श्री — कानपुर नगर
294. संदीप अग्रवाल, श्री — मुरादाबाद
295. संध्या, कुमारी — मैनपुरी
296. सत्य नारायण जैसल, श्री — सोनभद्र
297. सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री — गौतमबुद्धनगर
298. सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0 — बागपत
299. सदल प्रसाद, श्री — गोरखपुर
300. सनातन पाण्डेय, श्री — बलिया
301. सलिल विश्नोई, श्री — कानपुर नगर
302. सिद्धार्थ शंकर, डा0 — लखनऊ
303. सिनोद कुमार शाक्य, श्री — बदायूँ
304. सिवगतुल्लाह अंसारी, श्री — गाजीपुर
305. सी0 एम0 प्रसाद, श्री — सोनभद्र
306. सीमा द्विवेदी, श्रीमती — जौनपुर
307. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री — फतेहपुर
308. सुखदेव राजभर, श्री — आजमगढ़
309. सुधीर कुमार, श्री — उन्नाव
310. सुन्दर लाल लोधी, श्री — उन्नाव
311. सुन्दर सिंह, श्री — बुलन्दशहर
312. सुभाष, श्री — बलिया
313. सुभाष पाण्डेय, श्री — जौनपुर
314. सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री — आजमगढ़
315. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री — वाराणसी
316. सुरेश कुमार खन्ना, श्री — शाहजहांपुर
317. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री — लखनऊ
318. सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री — लखनऊ
319. सुरेश तिवारी, श्री — देवरिया
320. सुरेश्वर सिंह, श्री — बहराइच
321. सुल्तान बेग, श्री — बरेली
322. सुशील कुमार, श्री — चन्दौली
323. सूरजपाल सिंह ठाकुर, श्री — आगरा
324. सूरज सिंह शाक्य, श्री — एटा
325. सूर्यभान, श्री — मिर्जापुर
326. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती — गाजीपुर
327. सोबरन सिंह, श्री — मैनपुरी
328. हरगोविन्द भार्गव, डा0 — सीतापुर
329. हरिओम, श्री — जालौन
330. हसरत उल्ला, श्री — एटा
331. होराम सिंह, श्री — गौतमबुद्धनगर

नोट :—लोक निर्माण, सिंचाई, आबकारी, आवास तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी) सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में एड्स से हुई मौतें एवं इसके रोकथाम के उपाय

*1–चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में माह जनवरी, 2009 से 15 जनवरी, 2010 के मध्य एड्स से कितनी मौतें हुई है ? क्या सरकार इसकी रोकथाम के लिए कोई कार्य योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री अनन्त मिश्रा)–

प्रदेश में माह जनवरी, 2009 से जनवरी, 2010 के मध्य एड्स से कुल 1039 मौतें हुई हैं।

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन नेशनल एड्स कंट्रोल आर्गनाइजेशन के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम को प्रदेश सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया है। अतः इस हेतु पृथक् से कोई कार्य योजना विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री अवधेश प्रसाद–

माननीय अध्यक्ष जी मेरे जनपद फैजाबाद में.....

श्री अध्यक्ष–

आपको सुनने के लिए चयन कर लिया गया है।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने अपने सवाल में माननीय मंत्री जी से जानना चाहा था कि जनवरी, 2009 से जनवरी, 2010, जो संख्या दी गयी कि 1039 मौतें प्रदेश में हुयी। पहले तो मेरे पास भी जो आंकड़े हैं, इसमें बड़ा विरोधाभास है, मेरे पास 2566 मौतों की प्रदेश में जानकारी है। दोनों में बड़ा फर्क है और मैंने यह भी जानना चाहा था कि इतनी भयंकर बीमारी है, प्रदेश में इससे हजारों की संख्या में मर रहे हैं, इसकी रोकथाम के लिए माननीय मंत्री जी, क्या सरकार कोई विशेष कार्य योजना बनायेगी या बनाने पर विचार कर रही है तो माननीय मंत्री जी ने जवाब दे दिया कि भारत सरकार के द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है और उसी के अन्तर्गत सरकार इस पर कार्य कर रही है और अलग से बनाने का विचार नहीं है। मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि भारत सरकार की जो कार्ययोजना है, वह

पूरे देश के लिए बनी है। कहीं इस बीमारी का, किसी प्रदेश में प्रकोप ज्यादा है और कहीं कम है, तो प्रदेश की परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश सरकार की जो जिम्मेदारी है, तो उस जिम्मेदारी की निर्वहन करते हुए क्या प्रदेश सरकार भारत सरकार से अलग हटते हुए इस पर कोई विशेष कार्य योजना बनाने पर विचार करेगी, एक तो मेरा प्रश्न यह है ? दूसरा प्रश्न मेरा माननीय मंत्री जी से यह है कि जितने भी जिला हेड क्वार्टर हैं, इस गंभीर बीमारी की जांच के लिए, सभी जिला हेड क्वार्टर पर जांच के लिए जो उचित साधन है वह मुहैया कराये गये हैं या नहीं और यदि सभी जिला हेड क्वार्टर पर जांच की यह सुविधा उपलब्ध है, तो प्रदेश में कितने मरीजों को चिन्हित किया गया है ? कितने मरीज आज की तारीख में इस प्रदेश में पीड़ित है ? और एक मेरा अंतिम सवाल और है कि प्रदेश में जो मौतें हुयी इनमें से जिला कारागारों में भी कोई मृत्यु हुयी है, कितनी हुयी है ? अगर वह आंकड़ा हो तो वह भी बता दें क्योंकि जितने भी जिला कारागार है, जहां तक मेरी जानकारी है, वहां पर इसके इलाज की कोई सुविधा नहीं है, कोई दवाई नहीं है। जिला कारागारों में इस रोग से पीड़ित जो लोग है, तो जिला कारागारों में भी कोई मृत्यु हुयी है या नहीं, कितनी हुयी है ?

श्री अनन्त मिश्रा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सम्मानित सदस्य को बताना चाहता हूँ कि एड्स रोग का उपचार अभी सारी दुनिया में नहीं है और इसकी रोकथाम के लिए "प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर" ही है, हमको लोगों को जागरूक करना होता है कि इस बीमारी के कारण क्या है ? और इन सब चीजों से व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। जो प्रदेश के विषय में माननीय सदस्य ने जानना चाहा है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि योजना चाहे भारत सरकार की हो लेकिन ये प्रदेश की सरकार की सक्रियता पर निर्भर करता है कि वो योजना कितने प्रभावी ढंग से उस प्रदेश में लागू होती है। जननी सुरक्षा योजना भी भारत सरकार की योजना है, लेकिन अभी तक जननी सुरक्षा योजना, हमारी सरकार से पहले सवा लाख मरीज उसका लाभ उठाते थे, हमारी सरकार में इस वर्ष 20 लाख लोगों ने उसका लाभ उठाया है। जननी सुरक्षा योजना के बारे में लोग जानने लगे है, योजना वही थी, पैसा भी उतना ही मिलता था, परन्तु प्रभावशाली ढंग से उसको इम्प्लीमेण्ट करना था, वह नहीं हुआ था। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि प्रदेश के सारे जनपदों के जिला व महिला चिकित्सालय में एकीकृत परामर्श केन्द्र व जांच केन्द्र स्थापित है। इसके अतिरिक्त लखनऊ व इलाहाबाद के टी0 बी0 अस्पताल तथा वाराणसी, इलाहाबाद व बरेली के कारागार में जांच केन्द्र स्थापित है। इस प्रदेश में निःशुल्क जांच एवं सलाह हेतु 243 केन्द्र कार्यरत है। प्रदेश के 10 मेडिकल कालेजों में ए0 आर0 टी0 केन्द्र स्थापित हैं, जहां एच0 आई0 वी0 एड्स रोगियों के रक्त की जांच एवं पंजीकरण किया जाता है। जो उसके लिए उपचार और तीव्रता से जो असर होता है उसको ही हम लोग रोक सकते हैं, उसके लिए उपचार व दवायें निःशुल्क उपलब्ध रहती हैं।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी–

माननीय अध्यक्ष जी, यह तो एक ही सवाल का जवाब दिया माननीय मंत्री जी ने, मैंने जानना चाहा था और आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि प्रदेश में कितने रोगी आज की तारीख में हैं ? कितने रोगी चिन्हित किये गये ? जांच सभी जिला केन्द्रों पर है, 243 केन्द्र है तो ऐसे रोगियों की पहचान हो गई होगी प्रदेश में, यह भी जवाब नहीं आया और माननीय मंत्री जी ने यह भी नहीं बताया, माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पुनः आग्रह कर रहा हूँ कि प्रदेश में कितने पीड़ित हैं इस रोग से, उनकी संख्या कितनी है ? और जिला कारागार में भी क्या इस रोग से कुछ रोगियों की मृत्यु हुई ? यह दो अनुपूरक प्रश्न मैंने किये थे, किसी का भी जवाब माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया है। अगर संख्या है, तो बता दें।

श्री अनन्त मिश्रा–

मान्यवर, आई0 टी0 सी0 में चिन्हित मरीजों की संख्या करीब 50 हजार है, इसमें ए0 आर0 टी0 पर जीवित मरीज दस हजार हैं।

डॉ0 पी0 के0 राय–

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि नेशनल एड्स कण्ट्रोल प्रोग्राम भारत सरकार का है, यह बात सही है और आपने खुद भी स्वीकार किया है कि योजना भारत सरकार की है, लेकिन अगर प्रदेश सरकार उसमें रूचि लेगी, प्रदेश सरकार उसमें अपनी तत्परता दिखाएगी तो उसके परिणाम अच्छे आयेंगें। एड्स कण्ट्रोल प्रोग्राम की स्थिति आपके जननी सुरक्षा से कुछ अलग है। एड्स कण्ट्रोल प्रोग्राम में आपने वालेन्ट्री काउन्सिलिंग एण्ड ट्रीटमेण्ट सेण्टर्स स्थापित किये हैं डिस्ट्रिक्ट हेड क्वाटर्स में भी और मेडिकल कालेजेज में भी और माननीय अध्यक्ष जी, क्या वह वालेन्ट्री काउन्सिलिंग एण्ड ट्रीटमेण्ट सेण्टर्स वहां पर पूरी तरह से काम कर रहे हैं या नहीं क्योंकि मेरी जानकारी जो है वह शायद उससे भिन्न है। दूसरा, यह सोशल स्टिगमी है यानी जिसको एड्स हो जा रहा है वह जैसे कालरा या महामारी होती है किसी गांव में उस तरह से उसको तिरस्कृत करने का कार्य समाज कर रहा है। ऐसी स्थिति में अगर कोई एड्स का मरीज उस गम्भीर स्थिति में पहुँचा हुआ है तो क्या आपने अपने बड़े अस्पतालों में चाहे डिवीजनल हास्पिटल्स हों चाहे मेडिकल कालेजेज हों वहां पर क्या कोई आइसोलेशन वार्ड टाईप चीज की कुछ आपने व्यवस्था कर रखी है, ताकि हास्पिटलाइजेशन करके उनका इलाज हो सके और अन्तिम प्रश्न है, मा0 मंत्री जी आप बहुत ऊर्जावान मंत्री है, अन्तिम प्रश्न यह कि समाज इनको स्वीकार करे, सबसे बड़ा जो खतरा है एड्स मरीज के साथ कि वह रोजगार से वंचित हो जाता है, इसलिए समाज में स्वीकार्यता हो, इसके लिए क्या जन प्रतिनिधियों की सहभागिता इन कण्ट्रोलिंग एच0 आई0 वी0 एड्स की दिशा में सरकार कोई विचार करेगी ? यह मेरे छोटे-छोटे प्रश्न हैं।

श्री अनन्त मिश्रा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूँ जो आपने कहा कि आपकी जानकारी भिन्न है, कहीं हद तक यह सही कह रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमने, यह जो कैम्प्स हमारे लगते हैं, महीने में चार बार सी0 एच0 सी0 में क्योंकि ग्रामीण अंचल में सी0 एच0 सी0 है उसमें हमने एड्स कण्ट्रोल प्रोग्राम के व्यापक जन जागरण के लिए कैम्प्स बनाये है जिसमें लोग जाकर परामर्श पाते हैं और उनको एजूकेट किया जाता है। रही बात, यह बात सही है कि आइसोलेशन वार्ड हम लोगों ने नहीं बनाये है उसके पीछे सीधा सा कारण यह है कि यह कोई छुआ–छूत की बीमारी नहीं है कि आदमी जिसके एड्स है अगर उसका हमने हाथ थाम लिया तो हमको भी एड्स हो जायेगा, ऐसा नहीं है। तो इसलिए हम उनको आइसोलेट, उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने आइसोलेशन वार्ड नहीं बनाये, क्योंकि आइसोलेशन वार्ड उसी बीमारी में बनाये जाते है जिसमें बीमारी फैलने की आशंका होती है, इसलिए आइसोलेशन वार्ड नहीं बनाया है।

श्री अध्यक्ष–

हां डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल जी।

श्री अनन्त मिश्रा–

हमको बोल तो लेने दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

अच्छा पहले मा0 मंत्री जी को अपनी बात पूरी कर लेने दें।

डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल–

अध्यक्ष जी, आपने बुलवा लिया है, इसलिए मैं खड़ा हो गया।

श्री अनन्त मिश्रा–

देखिये भाई, दो डाक्टरों का झगड़ा है, मैं क्या करूँ, हम दोनों को जवाब दे देंगें। आप रूक जाइये, हम आपको भी जवाब दे देंगें।

डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल–

आप जलेबी की तरह से घुमाये जा रहे हैं।

श्री अनन्त मिश्रा–

आप हमको घुमाइये, हम आपको घुमाते है।

श्री अध्यक्ष–

मा0 मंत्री आप अपनी बात रखें।

श्री अनन्त मिश्रा–

मान्यवर, तो इसके लिए वल्डर्स एड्स डे पर हमने लखनऊ में प्रयास कर के विद्यालयों की, डिग्री कालेजों की और तमाम समाजसेवी संगठनों की एक रैली यहां पर लखनऊ में निकलवाई थी, जो इतनी बड़ी रैली कभी नहीं निकली। उसमें पेंटिग कम्पटीशन कराया था, यह सारे कम्पटीशन करा कर लोगों को अवेयर

कराया था। उसके बाद चूँकि इलाहाबाद में इसके सबसे ज्यादा मरीज है क्योंकि वहां मध्य प्रदेश से भी आ जाते है, बिहार से भी आ जाते हैं, वहां पर उनकी चेकिंग होती है। जो आपने बताया था वहां पर जेल में व्यवस्था है प्लस मेडिकल कालेजेज में व्यवस्था है। हमने अबकी जहां पर यह ट्रकर्स होते है जिनके माध्यम से यह सबसे ज्यादा बाहर से एड्स आती है, तो हमने ढाबों पर, इसके विषय की जानकारी ढाबों पर भी लगाने का काम किया है। अभी माघ मेला हुआ था मैं स्वयं वहां पर गया था, कार्यक्रम माघ मेले के दौरान किया था और वहां पर इसका प्रापर प्रचार हुआ है ताकि वहां पर जो श्रद्धालु आते है वहां पर एक समूह इनको मिल जाता है एजूकेट करने के लिए, वह हमने किया है।

डॉ0 पी0 के0 राय–

मान्यवर, हमारा जवाब आया नहीं है। मान्यवर, एड्स बीमारी एक केवल एक रोग नहीं है यह एक सामाजिक रोग भी है जैसा माननीय मंत्री जी कह रहे है आइसोलेशन वार्ड, यह बात सही है कि आइसोलेशन की आवश्यकता उनको नहीं है लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे यह निवेदन करूँगा कि इसके ऊपर एक अलग से चर्चा भी होनी चाहिए सदन में और मैं आपसे यह अपेक्षा करता हूँ आपसे गुजारिश करता हूँ कि आपकी पीठ से निर्देश होना चाहिए कि जो यह जागरूकता की बात हो रही है और प्रिवेन्शन इज बेटर दैन क्योर की बात आपने कही है, मेरा यह सुझाव भी है और आपसे करवद्ध प्रार्थना भी है कि यहां सदन में बैठे हुए हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि लोग है इन लोगों का एक अधिवेशन कराइये कि रोल आफ रिप्रेजेनटेटिव इन कंट्रोलिंग एच0 आई0 वी0 एड्स इस टाइप का जब तक एक जागरूकता अभियान नहीं करायेंगे, आइसोलेट तो कर रखा है सामाजिक इसलिए इस प्रश्न का जवाब पूरी तरह से नहीं आया है, इस दिशा में जरूर माननीय मंत्री जी विचार करेंगे।

डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, इस प्रश्नकाल का नियम यह है कि हम लोग प्रश्न लगाते है एक निश्चित विषय, निश्चित विभाग के बारे में लगाते है। माननीय मंत्री जी उसके संदर्भ में जानकारी देते है और उससे सम्बन्धित अनुपूरक प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी देते है। माननीय मंत्री जी इतने उर्जावान है कि एड्स से कूद करके जननी सुरक्षा योजना पर चले गये।

श्री अध्यक्ष–

एक उदाहरण दे दिया तो उसमें कौन सी आपत्ति हो गयी ?

डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, इससे एक प्रश्न खड़ा होता है। आपने कहा कि जननी सुरक्षा योजना बहुत अच्छी चल रही है। अध्यक्ष जी, मैं एक दृष्टांत दे ही दूँ। 2008 में योजना आयोग की रिपोर्ट आई कि वास्तव में जननी सुरक्षा योजना में 5 लाख मरीज कम आये। मैं प्रश्न पर आ रहा हूँ एक हजार उनतालिस मौतें हुई, मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने यह कह दिया कि इसका कोई इलाज

नहीं होता यह जानकारी तो एक नई जानकारी है हम लोगों के लिए क्योंकि हम लोग तो अभी तक यही जानते थे कि एन्टी रेट्रो वायरल थेरैपी चलती है और फर्स्ट लाइन नहीं बल्कि सेकेण्ड लाइन एन्टी रेट्रो वायरल थेरैपी भी चलती है माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि इसका इलाज ही नही है अर्थात उत्तर प्रदेश में कही यह थेरैपी चलती नही होगी। इसकी जांच होने के लिए सी0डी0–4 मशीन का होना जरूरी है तो पहला प्रश्न मेरा यह है कि प्रदेश में किन नगरों में या किन मेडिकल कालेजों में सी0डी0–4 जांच की मशीन नहीं है और आप उसे कब तक उपलब्ध करा देंगे ? और दूसरा प्रश्न, यह जो मरीज मरें हैं इसमें से कितने को सरकार निःशुल्क देना होता है एन्टी रेट्रो वायरल थेरैपी उपलब्ध कर पाई थी और कितने बिना दवा के मर गये ? तो एक प्रश्न यह और आप अवसर देंगे तो एक सवाल और पूछ लूँगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी एक तो किन नगरों में सी0 डी0 4 मशीन की उपलब्धता है और एक यह कि कितना लोग दवा के मरे और कितने बिना दवा के मरे और कितने लोग मरे है ? इसकी अगर सूचना हो तो बता दें।

श्री अनन्त मिश्रा–

मान्यवर, इनकी तो आदत है मीनमेख निकालने की।

श्री अध्यक्ष–

मीनमेख निकालन विद्वता में आता है।

डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, किन जनपदों में किन मेडिकल कालेजों में सी0डी0–4 मशीन है अगर हम सी0डी0–4 मशीन नहीं लगायेंगे, अगर हम उनकी जांच नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

वह तो बताने जा रहे है माननीय मंत्री जी तब तक आप खड़े हो गये। आपको सब जानकारी है आपको तो अनुपूरक करना ही नहीं चाहिए।

श्री अनन्त मिश्रा–

मान्यवर, जो हमारे मेडिकल कालेजेज है, उनमें 10 मेडिकल कालेज में यह सी0डी0–4 मशीन हैं और इसके लिये हमने लिंक सेन्टर्स बनाये हैं जो हमारे जिला चिकित्सालय है। उसकी लिस्ट हमारे पास है आप कहेंगे तो आपको भी उपलब्ध करा देंगे। इन्होंने यह पूछा कि कितने लोग बिना इलाज के मर गये। मैं बताना चाहता हूँ कि यह एक थेरैपी है जो पेसेन्ट को दी जाती है और यह क्योर नहीं है। आप तो डाक्टर है, आप जानते हैं कि यह सिर्फ ट्रीटमेन्ट है और यह बिल्कुल निश्चित रूप से, मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे सम्पर्क में जो भी मरीज एड्स के आये है उनको यथासंभव जो भी मदद हो सकती है, वह दी गयी है।

डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल–

मंत्री जी कह रहे हैं हमारे सम्पर्क में आये हैं।

श्री अध्यक्ष–

हमारे का मतलब सरकार से है आप व्यक्तिगत उनके सम्पर्क में जोड़ रहे है क्या ? वह सरकार है और सरकार के रूप में बोल रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार के सम्पर्क में जो आया है।

(हँसी)

डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि यह जो योजना स्मार्ट कार्ड की चलती है, वह इस प्रदेश में लागू नहीं है। अन्य प्रदेशों में सेक्स वर्कर से यह बीमारी फैल न सके, इसके लिये स्मार्ट कार्ड योजना लागू की जाती है और बंगाल में सोनागाछी योजना लागू की जाती है जिसके नाते सचमुच यह नियंत्रण में आया है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इन दोनों आदर्श योजनाओं को, जिसको विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी मान्यता दी है क्या इसे आप अपने प्रदेश में लागू करने पर विचार करेंगे ?

श्री अनन्त मिश्रा–

मान्यवर, जिस योजना का माननीय सदस्य जी ने जिक्र किया है, उसके संबंध में हम दिखवा लेंगे और उस पर विचार करेंगे।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी को इस बात के लिये बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हमने ऐसी रैली की, जैसी इससे पूर्व कभी नहीं हुयी और प्रचार-प्रसार के लिये जितना भी उद्यम किया जा सकता है उन्होंने सरकार की ओर से इसका उल्लेख किया है। यह भी कहा कि बचाव में ही ज्यादा भलाई है क्योंकि इसके इलाज में बड़ी कठिनाई है और इलाज में पूरी तरह से क्योर होने की बात नही है। जो थेरेपी आपके पास उपलब्ध है, वह थेरेपी आप देते है। डॉ0 पी0के0 राय जी ने भी प्रश्नों के क्रम मे कुछ सुझाव दिये। मुझे सिर्फ यह पूछना है कि प्रदेश की जनता इस गंभीर बीमारी से चिन्तित बहुत है और श्रीमन् सरकार का जितना इसमें अंशदान हो सकता है इसे रोकने में, ठीक करने में, वह सरकार कर रही है ऐसा मंत्री जी ने बताया। लेकिन हमारी सबसे बड़ी चिन्ता है कि मंत्रि परिषद् के लोगों को कैसे बचाया जाय, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रि परिषद् के सदस्यों को एड्स से बचाने के लिये आपने कोई ठोस प्रयास किया है या कोई योजना आपके पास है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय चौधरी साहब, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारे सम्पर्क में जो रहेगा वह स्वस्थ रहेगा आप यदि कही अस्वस्थ हो तो जाइये रहिये। (हँसी)

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न ही उससे पैदा हुआ क्योंकि इन्होंने जो प्रचारित किया है एड्स के कारणों में यह है कि यह ऐसे सम्पर्कों से फैलता है

इसलिये मैंने कहा कि सम्पर्क की बात तो इन्होंने कर दी इनकी सुरक्षा का कोई बन्दोबस्त किया है कि नहीं किया है ?

(हँसी)

मान्यवर, मेरा प्रश्न सीरियस था, लोगों ने हंसकर इसे हल्का कर दिया। अभी डॉ0 पी0के0 राय ने कहा कि इस विधानमंडल के जो लोग है उनके माध्यम से सेमिनार आदि करके जागरूकता फैलाई जानी चाहिये। तो श्रीमन् मंत्रि-परिषद् तो सबसे ऊपर है, इसलिये हमने कहा कि इसकी हिफाजत के लिये कोई ठोस कार्य योजना है कि नहीं। है तो हां और नहीं है तो बता दें, उसके बाद देखा जायेगा ? मान्यवर, मंत्रियों को बचाना बहुत जरूरी है। सामान्य नागरिकों के मुकाबले हमारी सरकार ज्यादा महत्वपूर्ण है।

श्री अवधेश प्रसाद–

मा0 सदस्य को कुछ जानकारी है कि मंत्रि–परिषद् के जो सदस्य हैं, उनके सम्पर्क में कुछ गड़बड़ी है तो हम आपके माध्यम से जानना चाहते है कि इनकी जानकारी के आधार पर क्या सरकार कुछ एक्स्ट्रा व्यवस्था करेगी ?

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, जानकारी हो गई। मा0 चौधरी साहब आप अपना अनुपूरक प्रश्न पूछें।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मा0 अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत गम्भीर विषय है इसमें कोई दो-राय नहीं है और सारा विश्व इससे चिन्तित है। विश्व के अनेक देशों के वैज्ञानिकों द्वारा इसको सिक्योर करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ जैसा कि अभी मा0 मंत्री जी ने कहा कि क्या–क्या प्रयास सम्भव है, क्या–क्या प्रयास किया गया है तो मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि क्या इन प्रयासों का परिणाम अनुकूल है और यदि है तो पिछले दो–तीन वर्षों में क्या इन प्रयोगों से, इन कार्यों से, जन–जागरण से इसके प्रतिशत में कोई कमी आयी है ? अगर आपके पास इसकी सूचना हो तो बता दें।

श्री अनन्त मिश्रा–

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में सारे देश के आँकड़ों को देख लिया जाय तो उत्तर प्रदेश में एड्स की बीमारी न के बराबर है। यह बीमारी सबसे ज्यादा उन प्रदेशों में है जहां एजूकेशन लेबिल बहुत हाई है। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने इस गम्भीर रोग को बहुत ही सीरियसली लिया है, यह हंसी और उपहास का विषय नहीं है, यह किसी को भी हो सकता है। जो नहीं मानेगा तो ऐसा नहीं है कि वह विपक्ष में है तो उसको नहीं होगा, निश्चित रूप से होगा। चौधरी साहब चले गये, मैं तो बताना चाहता हूँ कि यह तो बीमारी है किसी को भी हो सकती है।

चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी–

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा बिल्कुल सीधा–सादा प्रश्न है। चूँकि सदन में इसे हल्के में लिया जा रहा है यह बहुत ही गम्भीर सवाल था और इसकी गम्भीरता को देखते हुए मैंने यह प्रश्न किया था। मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जितने भी कार्य भारत सरकार के और उत्तर प्रदेश सरकार के मिलाकर उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। उन कार्यों को देखते हुए क्या मा0 मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो मरीजों की संख्या और जो मृत्यु दर है उन दोनों में गत वर्षों की तुलना में कितनी कमी आयी है और बढ़ोत्तरी हुई है तो कितनी बढ़ोत्तरी हुई है ?

श्री अध्यक्ष–

इसी के सापेक्ष मा0 चौधरी साहब भी पूछे हैं, कृपया मा0 मंत्री जी बतायें।

श्री अनन्त मिश्रा–

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने बताया कि 50 हजार मरीज हैं और डेथ्स आपको बता दी, प्रतिशत आपके सामने है। मैंने आपको राष्ट्रीय आँकड़े भी बता दिये कि हमारे प्रदेश में सबसे कम है तो निश्चित रूप से इससे साबित होता है कि हमारे प्रोग्राम सही दिशा में चल रहे हैं।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में विशिष्ट बी0 टी0 सी0 शिक्षकों के भुगतान हेतु कार्यवाही

*1–श्री जोखू लाल यादव–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विशिष्ट बी0 टी0 सी0 शिक्षक, जो जनवरी, 2009 के बाद नियुक्त हुए हैं, को अभी तक वेतन का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो उनके वेतन का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा मंत्री (डॉ0 धर्म सिंह सैनी)–

विशिष्ट बी0 टी0 सी0 2008-09 एवं 2009-10 में चयनित एवं प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां जनवरी 2009 से प्रारम्भ की गई हैं।

नियमानुसार विशिष्ट बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति के उपरान्त उनके सभी प्रमाण-पत्रों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाता है उसके उपरान्त ही वेतन भुगतान किया जाता है, परन्तु उक्त नवनियुक्त अध्यापकों के सम्बन्ध में शासन द्वारा किन्ही दो प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के बाद वेतन भुगतान के निर्देश दिये गये हैं। तद्नुसार जनपदों में कार्यवाही गतिमान है।

जिन अभ्यर्थियों के दो प्रमाण-पत्रों का सत्यापन हो चुका है, उनका वेतन भुगतान प्रारम्भ कर दिया गया है, शेष के भुगतान हेतु कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री जोखू लाल यादव–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सीधा सा प्रश्न किया था, मा0 बेसिक शिक्षा मंत्री जी से कि जिन विशिष्ट बी0 टी0 सी0 अभ्यर्थियों की नियुक्ति आपने जनवरी माह, 2009 में किया था और आज हम फरवरी माह, 2010 में बैठे हैं, उनके वेतन का भुगतान कर दिया गया है या नहीं मान्यवर, सीधा–सीधा हमने प्रश्न पूछा है, मान्यवर, लेकिन उसका जवाब इतना गोलमोल करके दिया कि हमको समझ ही नहीं आया कि इन्होंने वेतन भुगतान कर दिया है या नहीं कर दिया। हमारे सवाल का दूसरा हिस्सा है कि यदि आपने नहीं किया है तो उनके वेतन का भुगतान आप कब कर देंगे ? मान्यवर, वे विशिष्ट बी0 टी0 सी0 जिनकी नियुक्ति जनवरी माह, 2009 में की गयी है और हम बैठे है, फरवरी, 2010 इसमें जवाब नहीं आया। अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि उनका भुगतान कब तक करा देंगे ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी–

मा0 अध्यक्ष जी, नियुक्ति के उपरान्त प्रमाण-पत्रों का सत्यापन करवाना अति आवश्यक होता है, चूंकि बहुत से प्रमाण-पत्र फर्जी मिले है और जब प्रमाण-पत्र फर्जी मिले हैं, तो उन्हें वहां से निकालने की कार्यवाही की गयी है। मा0 सदस्य का जो प्रश्न है कि कब तक उनका वेतन दिलवा दिया जायेगा, मैं मा0 सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि यथाशीघ्र उनका वेतन भुगतान करा दिया जायेगा।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

मा0 अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने उत्तर में बताया है कि विशिष्ट बी0 टी0 सी0 के जो शिक्षित अभ्यर्थी है, उनके प्रमाण-पत्रों की जांच करायी जाती है तो मान्यवर, मा0 मंत्री जी से जानना चाहते है कि वर्ष 2008-09, 2009-10 में कितने प्रमाण-पत्र फर्जी पाये गये ? हमारे बांदा जनपद में 2007 में कुछ मामले प्रकाश में आये थे 'डाइट' में मा0 मंत्री जी से निवेदन करना चाहेंगे कि ये बतायें कि जनपद बांदा में 'डाइट' में कुछ फर्जी प्रमाण-पत्र के मामले प्रकाश में आये थे। तो प्रदेश के बता दें और बांदा के बता दें।

श्री अध्यक्ष–

मा0 मंत्री जी जांच में जो प्रमाण-पत्र सत्यापित करा रहे है उसमें कितने मामले आपके संज्ञान में आये है जो फर्जी प्रमाण-पत्र दिये थे।

डॉ0 धर्म सिंह सैनी–

मा0 अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 116 प्रमाण-पत्र फर्जी पाये गये और मा0 सदस्य ने जो पूछा है, बांदा में अब तक दो अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्र फर्जी पाये गये।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मा0 सदस्य ने जो सवाल पूछा और उसको दोहराया भी लेकिन पता नहीं ये सरकार में बैठे मा0 मंत्रियों की समझदारी सीधा सवाल है कि उनका वेतन

कब तक दे दिया जायेगा ? हम आपके माध्यम से मान्यवर, यह जानना चाहते हैं कि जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति शासन स्तर से हुयी है, जिनके प्रमाण-पत्र फर्जी नहीं पाये गये हैं तो उनको वेतन देने में सरकार के सामने क्या कठिनाई है ? नम्बर 2 जो नियुक्तियां हुयी है और फर्जी पाये गये प्रमाण-पत्र तो नियुक्ति जिन अधिकारियों ने किया है उनके खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही इस सरकार ने की है ? मान्यवर, दो ही सवाल हमारे हैं, इनको बता दीजिये।

श्री अध्यक्ष–

एक तो मा0 अवधेश प्रसाद जी प्रश्न के उत्तर में है कि प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के बाद भुगतान का निर्देश दे दिया गया है। दूसरा बतायें मा0 मंत्री जी।

डॉ0 धर्म सिंह सैनी–

मा0 अध्यक्ष जी, अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का तो इसमें कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। जिनके प्रमाण-पत्र फर्जी पाये गये, उनकी नियुक्ति नहीं की गयी है, उन्हें निकाल दिया गया है तो उसमें अधिकारियों का क्या दोष है ?

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

सीधा सवाल मा0 सदस्य ने किया है।

संसदीय कार्य वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)–

सीधा जवाब भी आ गया।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

कहां दिया आप हमेशा टेढ़े रहते हैं सीधा जवाब कहां से आ गया ? माननीय अध्यक्ष जी मेरी जिज्ञासा है, मा0 मंत्री जी सिर्फ इतना बता दें कि प्रमाण-पत्रों की जांच की कोई समय सीमा होती है या नहीं ? अगर समय सीमा के अन्दर जांच करेंगें या अनिश्चित काल में चलता रहेगा ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के हाईस्कूल बोर्ड एवं इण्टरमीडिएट बोर्ड उनके सत्यापन तथा स्नातक व बी0 एड0 के अंकपत्रों का सत्यापन 4 संस्थाओं से कराया जाता है। हमने फिर भी छूट दी है कि जिनका दो प्रमाण-पत्रों का सत्यापन हो जायेगा तो उनको वेतन दे दिया जायेगा। लेकिन मान्यवर, प्रदेश के बाहर के भी बोर्ड व विश्वविद्यालय है उनसे सत्यापन कराने में विलम्ब हो रहा है। जब वहां से सत्यापन हो करके आ जायेगा, हम वेतन का भुगतान कर देंगे।

श्री आरिफ अनवर हाशमी–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में प्रदेश में कुल कितने विशिष्ट बी0 टी0 सी0 के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और यह कब पूरा होगा तथा क्या जुलाई के सत्र से उनको नौकरी पर लगा दिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष–

मा0 सदस्य आप मूल प्रश्न देखिये क्या है, आप एक अलग से सूचना मांग रहे हैं ?

श्री आरिफ अनवर हाशमी–

मान्यवर, यह मूल प्रश्न से जुड़ा हुआ है और प्रशिक्षण से जुड़ा हुआ एक सीधा सा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग तो सब सीधा ही प्रश्न पूछ रहे है कोई टेढ़ा तो है ही नहीं। यह मूल प्रश्न से हट करके है। कितने लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं, कितने लोगों को नौकरी देंगें, यह इसमें कहां आता है ?

श्री सुरेश्वर सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि अब तक कितने बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षितों को जनवरी, 2009 में नौकरी दी गयी है तथा कितने लोगों के प्रमाण-पत्र सत्यापित हो चुके हैं और जो सत्यापित हो चुके हैं उनमें से कितने लोगों को उनकी तनख्वाहें दी जा चुकी हैं ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी–

माननीय अध्यक्ष जी, अब तक 38,936 अभ्यर्थियों का सत्यापन हो चुका है। यह निर्देश दिये जा चुके हैं कि जिनका सत्यापन हो चुका है उनके वेतन का भुगतान किया जाए।

श्री जोखू लाल यादव–

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक अन्तिम अनुपूरक प्रश्न मा0 मंत्री जी से करना चाहता हूँ। मेरी जो जानकारी है अक्टूबर, 09 माह से ले करके अब तक भुगतान की प्रक्रिया जारी है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि अक्टूबर, 09 से पूर्व जनवरी, 2009 से ले करके अक्टूबर, 2009 तक जो अवशेष भुगतान है उसका भुगतान कब तक करा देंगें ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी–

मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जिनका सत्यापन हो चुका है उनको वेतन मिल रहा है।

श्री जोखू लाल यादव–

मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि बरेली जनपद में विशिष्ट बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण में जिनका सत्यापन हो गया है उनको सरकार ने अक्टूबर, 2009 से अब तक का वेतन दिया है जबकि उनकी नियुक्ति जनवरी, 2009 में हुई है, तो जनवरी से लेकर अक्टूबर, 2009 तक के अवशेष वेतन का जो बकाया है, उसका भुगतान कब तक करा देंगे ?

श्री अध्यक्ष--

मा0 मंत्री जी, मा0 सदस्य स्पेसिफिक जिले की बात बता रहे हैं तो इसको आप दिखवा लीजिए।

डॉ0 धर्म सिंह सैनी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 सदस्य तथा सम्पूर्ण सदन को बताना चाहूँगा कि दो माह के अन्दर सभी का भुगतान करवा दूँगा।

प्रदेश में खाद्य पदार्थों के सैंपल की जांच एवं पर्याप्त मात्रा में रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

*2–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री के संज्ञान में है कि नकली दवा व मिलावटी ,खाद्य पदार्थों का व्यापार प्रदेश में धड़ल्ले से हो रहा है ? क्या यह सही है कि सैम्पल जांच के लिए पर्याप्त संख्या में लैब/प्रयोगशालाओं एवं टेक्नीशियन की कमी होने के कारण जांच रिपोर्ट आने में अत्यधिक विलम्ब एवं कालातीत हो जाने के कारण दोषी लोगों को सजा नहीं मिल पा रही है जिससे इसमें लिप्त लोगों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है और न ही उन्हें सजा मिल पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके निराकरण हेतु कोई कार्य योजना बनाने व उसे प्रभावी ढंग से लागू करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा–

जी नहीं।

प्रदेश में खाद्य पदार्थों के विश्लेषण हेतु राज्य स्तर पर राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला, लखनऊ तथा क्षेत्रीय स्तर पर आगरा, वाराणसी, मेरठ एवं गोरखपुर में 04 जन विश्लेषक प्रयोगशालायें स्थापित एवं क्रियाशील हैं। औषधियों के नमूनों का विश्लेषण राज्य स्तरीय प्रयोगशाला, लखनऊ में होता है। इन प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण तथा स्वीकृत किन्तु रिक्त पदों पर जनशक्ति को भरे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

(श्री लाल जी वर्मा द्वारा दूसरे प्रश्न का उत्तर पढ़े जाने पर)

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मंत्री जी क्या पढ़ रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी ने दूसरे प्रश्न का जवाब दे दिया है।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, दूसरे का जवाब आ गया है।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी की सत्र चलाने में रुचि नहीं है इसीलिए उत्तर देने में हिचक हो रही है।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, उसी के बाद दूसरा क्वैश्चन था। मैं पुनः तारांकित प्रश्न 2 का उत्तर पढ़ रहा हूँ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो मंत्री जी को ध्यान दिलाने वाला था क्योंकि मेरे प्रश्न के उत्तर में आया कि जी नहीं उन्होंने पढ़ा जी नहीं तो मैंने सोचा कि मेरे ही विषय में कह रहे हैं। मैने प्रश्न किया कि क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री के संज्ञान में है कि नकली दवा व मिलावटी खाद्य पदार्थों का व्यापार प्रदेश में धड़ल्ले से हो रहा है ? मंत्री जी ने उत्तर दिया कि जी नहीं। यह सारे सदन के संज्ञान में है। अभी-अभी इसी सदन में कई माननीय सदस्यों ने इस विषय को उठाया था कि प्रदेश में घी, तेल व तमाम प्रकार के खाद्य पदार्थों दूध और दवाइयाँ जो अधोमानक है मिलावटी है उनका धड़ल्ले से कारोबार हो रहा है आपने कहा कि जी नही। अगर जी नहीं तो जहां यह व्यापार तेजी से चल रहा है वहीं पर यह समाचार पत्रों में भी प्रकाशित होते हैं कि कितने छापे डाले गए कितने पकड़े गए अगर नहीं हो रहा है तो यह छापे क्यों पड़ रहे है और छापे में लोग पकड़े क्यों जा रहे हैं ?, एक तो मेरा यह कहना है कि यह उत्तर सुसंगत नहीं है कि जी नही मेरा दूसरा अनुपूरक यह है कि आपने कहा कि प्रदेश में खाद्य पदार्थों के विश्लेषण हेतु राज्य स्तर पर राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला व क्षेत्रीय स्तर पर अन्य प्रयोगशालाएं स्थापित एवं क्रियाशील हैं। इन प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण आधुनिकीकरण तथा स्वीकृत किन्तु रिक्त पदों पर जनशक्ति को भरे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। तो यह इतना गम्भीर प्रश्न है जो प्रदेश के तमाम लोगों के जन स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है यह अलग बात है कि लोगों का इतना नैतिक पतन हो चुका है कि पैसा कमाने की होड़ में राष्ट्र से विश्वासघात कर रहे है प्रदेश की जनता से विश्वासघात कर रहे है जनता की असुरक्षा पैदा कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि अभी-अभी मैंने नियम 56 के अन्तर्गत 11 तारीख को एक सूचना दी थी। मेरी सूचना यह थी कि जो आपने यह कहा है कि प्रदेश में प्रयोगशाला है। मेरी सूचना उसमें यह थी कि प्रदेश में जो राज्य स्तरीय प्रयोगशाला है सिर्फ उसमें ही इसका परीक्षण और टेस्टिंग नहीं होती और जिन सेम्पुल्स की जांच यहां नहीं हो पाती वह कोलकाता स्थित सेन्ट्रल लैब में भी भेजे जाते हैं। मैं उसी का सन्दर्भ देकर कह रहा हूँ इसलिये इसको कोट कर रहा हूँ। कि कुछ सेम्पुल्स वहां भेजे गये जिसकी टेस्टिंग यहां संभव नहीं थी वह सेन्ट्रल लैब कोलकाता भेजे गये। दर्जनों सेम्पुल भेजे गये और उस सेन्ट्रल लैब कोलकाता ने इस कारण इन सेम्पुलों को टेस्टिंग करके रिजल्ट देने से मना कर दिया क्योंकि राज्य सरकार ने जो उनका शुल्क होता है, वह अदा नही किया। मान्यवर, मुझे बहुत खेद है, आपने कृपापूर्वक मुझे इस प्रश्न के विषय की गम्भीरता को देखते हुए उठाने की अनुमति दी और जब मैं उसकी ग्राह्यता पर बोल गया तो माननीय मंत्री जी ने उस पर कुछ भी उत्तर देना उचित नहीं समझा और बैठे रहे तो क्या यह मौनं सहमति लक्षणम् ? कि मैंने जो कुछ कहा वह सही है। तो कम से कम हां या ना में उत्तर तो देना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष–

आप अनुपूरक प्रश्न करिये चौधरी साहब।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, मेरा इसको कहने का तात्पर्य यह है कि भविष्य में जो भी माननीय सदस्य अनुपूरक करें उसका उत्तर तो दें या सूचना तो दें।

श्री अध्यक्ष–

पहले इस सन्दर्भ में अनुपूरक कर लें। भविष्य वाला तो बाद की बात है। अभी प्रेजेन्ट वाला तो कर लीजिये।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

तो मैंने जो यह कहा उसका उत्तर भी आ जायेगा कि शुल्क अदा न करने के कारण उन्होंने वापस कर दिया। एक तो यह अनुपूरक हो गया और दूसरा यह हैं कि अभी आपने जिन शहरों जिलों का नाम लिया है कि राज्यस्तरीय लैब वहां हैं, माननीय अध्यक्ष जी जितने भी सेम्पुल्स भरे जा रहे हैं प्रदेश भर में क्योंकि जब सरकार चेतती है तो काफी मात्रा में सेम्पुल्स लेती है, लेकिन उन सेम्पुल्स की संख्या के अनुपात में हमारे प्रदेश में टेस्टिंग लैब नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप अनुपूरक करिये चौधरी साहब।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, उनमें टेक्नीशियन भी नही है। मेरा एक अनुपूरक यह भी है माननीय अध्यक्ष महोदय और हमारा सुझाव भी होता है हम लोगों के अनुपूरक से। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वाराणसी में भी एक जन विश्लेषक लैब है और वहां पर 5-7 दिन पूर्व.....

श्री अध्यक्ष–

आप अनुपूरक करिये चौधरी साहब। आप अनुपूरक कर नहीं रहे हैं। एक-एक प्रश्न में इतना समय लग रहा है। सीधा अनुपूरक करिये।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, बहुत गम्भीर प्रश्न है। खाद्य और औषधि प्रशासन के प्रदेश के विशेष सचिव वहां जांच में गये थे।

श्री अध्यक्ष–

आपने स्टोरी फिर शुरू कर दी है। आप अनुपूरक करिये।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, वहां पर न तो लैब चलता हुआ पाया।

श्री अध्यक्ष–

नहीं नही चौधरी साहब यह नहीं, आप अनुपूरक करिये, क्या जानना चाहते हैं ?

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

अनुपूरक ही कर रहा हूँ। जांच में विशेष सचिव गये थे कि लैब ठीक ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अखबारों में प्रकाशित हुआ कि न तो वहां टैक्नीशियन है, न वहां पर बिजली है। तो क्या यह माननीय मंत्री जी के संज्ञान में है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, एक तो इनका यह है कि विशेष सचिव वहां जांच करने के लिये गये थे क्या वह आपके संज्ञान में है। दो प्रश्न हैं इनके।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, प्रश्न के मूल उत्तर में ही यह कहा गया है कि इन प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण तथा स्वीकृत रिक्त पदों पर जन शक्ति को भरे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। हम उसको और अच्छा बनाने की दिशा में प्रयासरत् है।

(श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, दूसरा मेरा अनुपूरक था कि जिनकी जांच यहां संभव नहीं है वह बाहर भेजे जाते हैं। और वो प्रश्न आया था, उसके संदर्भ में मेरा यह अनुपूरक है कि जो सेम्पुल्स लौट आये थे क्या वह पुनः सेन्ट्रल लैब की शर्तों के हिसाब से भेजा गया है या यहीं पड़ा हुआ है ?

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, कलकत्ता में जो सेन्ट्रल ड्रग लेबोरेटरी कलकत्ता है वहां पर कुछ नमूने जांच के लिए जाते है निश्चित तौर पर जैसा माननीय सदस्य ने जिक्र किया है कि 19 नमूने वहां भेजे गए थे जिसकी जांच नहीं हुई। वापस आ गए। क्योंकि उनका कोई पुराना 8 सालों से बकाया है। अब उसकी जांच कराकर क्योंकि उसका बिना वैरीफिकेशन के भुगतान नहीं हो सकता है तो उसके वैरीफिकेशन की कार्यवाही चल रही है। उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से सीधे-सीधे अनुपूरक करना चाहता हूँ, मान्यवर उत्तर में आया है कि प्रदेश में खाद्य पदार्थों के विश्लेषण हेतु राज्य स्तर पर राजकीय जन विश्लेषण प्रयोगशालाओं की संख्या चार है और औषधियों के नमूनों के लिए राज्य स्तरीय प्रयोगशाला लखनऊ में है।.....

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करिए क्या जानना चाहते है ?

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

मैं प्रश्न कर रहा हूँ कि यह जो चार जन विश्लेषक प्रयोगशालायें स्थित है यह उत्तर प्रदेश में खाद्य पदार्थों के जो नमूने है उनका विश्लेषण करने के लिए काफी नहीं है, तो क्या सरकार अन्य जन विश्लेषक प्रयोगशालायें स्थापित करने का प्रयास करेगी। दूसरा सवाल है पूरे उत्तर प्रदेश में औषधियों का विश्लेषण करने के लिए प्रयोगशाला केवल लखनऊ में है, मैं यह भी आग्रह कर रहा हूँ क्या औषधियों का विश्लेषण करने के लिए लखनऊ के अलावा और भी प्रयोगशालायें स्थापित करने का सरकार प्रयास करेगी ?

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, जो प्रयोगशालायें है पर्याप्त है उसमें जो रिक्त पद है या उसमें नये ढंग से या आधुनिकरण ढंग से अन्य सुविधायें व्यवस्थित कराई जाएगी।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

डॉ0 अजय तोमर–

मान्यवर, अभी चौधरी साहब बनारस के विषय में कह रहे थे बुलन्दशहर और बनारस से मसालों के सैम्पल आए थे उन सैम्पल में नमक का प्रतिशत, उन पैकेटों पर नमक का प्रतिशत न लिखे होने के कारण उन सैम्पल को फेल करने का काम किया गया। क्या इस तरह की अनियमितता करके सैम्पल फेल करके जो परेशान किया जाता है इसके सम्बन्ध में भी क्या कोई व्यवस्था है ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न पूछें। सैम्पल में चेन्जिंग हुई अकारण परेशान किया जा रहा है इसकी सूचना कहां होगी ?

डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल–

अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि चार जन विश्लेषक प्रयोगशालायें स्थापित एवं क्रियाशील है। औषधियों के नमूनों का विश्लेषण राज्य स्तरीय प्रयोगशाला, लखनऊ में होता है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि अगर नमूनों की जांच लखनऊ में होती है तो यह जो चार जन विश्लेषक प्रयोगशालायें है यह अपने यहां क्या करती है ? क्या इनके अन्दर क्षमता है, क्या सुविधायें दी गई है क्या वास्तव में इन प्रयोगशालाओं में होता है ? दूसरी बात इन्होंने अपने उत्तर में कही है कि स्वीकृत रिक्त पदों पर जनशक्ति को भरे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। तो यह स्वीकृत पद ड्रग इन्स्पैक्टर या पुलिस इन्सपैक्टर के हैं यू0 पी0 एस0 सी0 में गए है जो शुरूआती वेतनमान है वह 9 हजार कुछ है और क्वालिफिकेशन जो मांगी जाती है वह एम0 बी0 बी0 एस0 की डिग्री है। आप तो स्वयं जानते है कि नौ हजार के वेतनमान पर एम0 बी0 बी0 एस0 का डाक्टर तो नौकरी करने आएगा नहीं। तो क्या उसमें से आप एम0 बी0 बी0 एस0 की डिग्री का क्लाज जो है उसको हटायेंगे ? अगर एम0 बी0 बी0 एस0 डिग्री का रखना ही है तो क्या उसके अनुरूप वेतनमान को बढ़ायेंगे ? दो प्रश्न हैं।

श्री लालजी वर्मा–

जैसा कि उत्तर में लिखा गया है कि प्रदेश में खाद्य पदार्थों के विश्लेषण हेतु राज्य स्तर पर राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला लखनऊ तथा क्षेत्रीय स्तर पर आगरा, वाराणसी, मेरठ एवं गोरखपुर में चार जन विश्लेषक प्रयोगशालायें स्थापित एवं क्रियाशील है। औषधियों के लिए राज्य स्तरीय प्रयोगशाला केवल लखनऊ में है। मान्यवर, जहां तक पदों से सम्बन्धित जो बात है, इन प्रयोगशालाओं में जो पद है, उसमें है जन विश्लेषक, वरिष्ठ विश्लेषक, कनिष्ठ विश्लेषक, साइंटिफिक

अधिकारी ग्रेड-1, साइंटिफिक अधिकारी ग्रेड-2 और लैब टेक्नीशियन, यह है खाद्य पदार्थों के लिए जो हमारी प्रयोगशालाएं है और औषधि वाली जो प्रयोगशालाएं है, उसमें है राजकीय विश्लेषक, वरिष्ठ विश्लेषक, कनिष्ठ विश्लेषक, साइंटिफिक अधिकारी, साइंटिफिक अधिकारी ग्रेड-2 लैब टेक्नीशियन।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, चाहे दवाओं का सवाल हो, चाहे खाद्य पदार्थों का सवाल हो, बड़े पैमाने पर मिलावट हो रही है, यहां तक कि अस्पतालों में जो मरीजों को खून दिया जाता है, उस खून में भी मिलावट प्रकाश में आई है। तो मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इस मिलावट को रोकने के लिए चाहे खाद्य पदार्थ हों, चाहे दवाएँ हों, क्या सरकार कोई निश्चित तौर से कार्यक्रम बना करके, कोई अभियान चला करके, छापा मार करके इसको रोकने का कोई ठोस कार्यक्रम करेगी ?

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, इसी बात को ध्यान में रखते हुए, एक अलग विभाग बनाया गया कि जिससे और इसमें सक्रियता लाकर इसको पूरी तरह से रोका जा सके।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं जो अनुपूरक करना चाहता हूँ, मैंने यह कहा था कि इसमें देरी हो रही है और इसमें उनको सजा नहीं मिल पा रहा है तो मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, चाहे खाद्य पदार्थ हों या दवा, क्या दवा के सैंपुल्स भरे जाने और लैब में भेज करके उसके परिणाम आने की कोई समय-सीमा निर्धारित है अथवा नहीं ? दूसरा मेरा अनुपूरक यह है, जैसा मैंने कहा कि अंकुश नहीं लग पा रहा है और न ही उन्हें सजा मिल पा रही है तो अंकुश लग रहा है, सजा मिल रही है, इसके विषय में क्या मा0 मंत्री जी सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री लालजी वर्मा–

मा0 सदस्य का जो पहला प्रश्न है, मान्यवर, जल्दी से जल्दी परिणाम आयें और जो हमारी यह प्रयोगशालाएं हैं, यह और अधिक प्रभावी ढंग से कार्यवाही कर पायें, इसके लिए उनका आधुनिकीकरण करने की कार्यवाही की जा रही है और यथाशीघ्र कार्यवाही पूरी करने के उपरान्त उसमें कोई ज्यादा समय.सीमा नहीं लगेगी।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, सैम्पुल्स को भरने और लैब में भेजे जाने के उपरान्त इनके परिणाम की घोषणा, चाहे वह पाजिटिव हों, चाहे निगेटिव हों, कोई समय-सीमा निर्धारित है अथवा नहीं ? मैं इतना जानना चाहता हूँ, धड़ल्ले से होने के कारण और कालातीत हो जाने से जुड़ा हुआ, यह मेरा अनुपूरक है। दूसरा मेरा अनुपूरक है कि अंकुश नही लग पा रहा है और उन्हें सजा नहीं मिल पा रही है, इसलिए इस कारोबार में ऐसे लोग धड़ल्ले से प्रवेश कर रहे है तो उसके विषय में अगर अंकुश लग रहा है,

सरकार द्वारा अंकुश लगाये जाने का प्रयास किया जा रहा है और सजा मिल रही है ? उसके विषय में सदन को अवगत कराइये, प्रदेश की जनता तक यह संवाद जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

मा0 सदस्य पूछ रहे है कि जो सैम्पुल भेजे जाते है, उसके परिणाम आने की कोई समय-सीमा निर्धारित है और दूसरा जो प्रश्न है कि जो आप इस तरह का कार्यक्रम चला रहे हैं, उससे कुछ अंकुश लगा है, कोई लोग चिन्हित किए गए हैं, कोई न कोई दण्ड दिया गया हो, बता दें।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, समय–सीमा के बारे में मैंने पहले ही बताया कि हमारी जो प्रयोगशालाएँ है, उसमें जैसे-जैसे सैम्पुल आते हैं, उसकी क्षमता के अनुसार उसका विश्लेषण होने के बाद उसके परिणाम आ जाते हैं, उसमें और तेज गति से हो, उसके लिए मैंने पहले ही बताया कि उनका और अधिक आधुनिकीकरण किया जा रहा है और लगभग 1 करोड़ 1 लाख 50 हजार के नए उपकरण के लिए टेण्डर की प्रक्रिया हो चुकी है, उनको लगाने का काम कर रहे है कि जिससे वह और अधिक प्रभावशाली हो सकें। मान्यवर, दूसरी बात जहां तक है कि नवसृजित विभाग के गठन दिनांक 30-07-2009 से 31-01-2010 की अवधि में विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों के 7458 नमूने संग्रहीत किये गये, जिनमें से 1456 नमूने अपमिश्रित पाये गये। 2181 वाद दायर किये गये, 195 व्यक्तियों को न्यायालय द्वारा सजा एवं रुपये 670580 का जुर्माना लगाया गया, उक्त अवधि में औषधि निर्माणशालाओं/विक्रय केन्द्रों पर 720 छापे डाले गये, 1867 नमूने एकत्रित किये गये। 620 नमूनों का विश्लेषण किया गया जिसमें से 40 नमूने नकली अधोमानक पाये गये, 20 वाद योजित किये गये, 50 एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी, 47 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

प्रदेश में नकली दवाइयों के निर्माण एवं विक्रय पर रोकथाम की कार्यवाही

*3–श्री मदन चौहान तथा डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नकली दवाईयों पर अंकुश लगाये जाने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनाई गयी है ? यदि हां, तो वह कार्य योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा–

प्रदेश में नकली, अधोमानक तथा मिथ्याछाप औषधियों के निर्माण एवं विक्रय पर रोकथाम के लिए प्रभावी कार्यवाही किये जाने तथा इस सम्बन्ध में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा तत्सम्बन्धी नियमावली, 1945 के क्रियान्वयन हेतु खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग का गठन दिनांक 30.7.09 को किया गया है। विभाग के गठन के पश्चात् खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में कार्यरत सहायक आयुक्त (औषधि) को मण्डलायुक्त के अधीन तथा औषधि निरीक्षक को जिलाधिकारी

के अधीन तैनात कर पुलिस एवं प्रशासन के सहयोग से नकली, अधोमानक एवं मिथ्याछाप औषधियों के अवैध निर्माण और विक्रय को रोकने के कार्य को सक्रिय बनाया गया है।

इस सन्दर्भ में विशेष छापामार अभियान चलाये जाने के निर्देश शासनादेश दिनांक 06-5-2009, 06-9-2009 द्वारा प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तों/जिलाधिकारियों को दिये गये हैं। दिनांक 16--30 नवम्बर, 2009 की अवधि में नवगठित विभाग द्वारा प्रदेश के 8 प्रमुख औषधि व्यवसायिक जनपदों में विशेष अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही की गयी।

नवसृजित विभाग के गठन से लेकर दिनांक 31 जनवरी, 2010 तक की अवधि में कुल 720 छापे डालकर 1,867 नमूने लिये गये, 46 नमूने नकली/अधोमानक पाये गये, 20 वाद पंजीकृत कराये गये एवं 50 मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए 47 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्यामदेव राय चौधरी--

मान्यवर, मेरा प्रश्न सरकार को कठघरे में खड़ा करने का उद्देश्य नहीं है और न माननीय मंत्री जी को कोई असहज स्थिति में डालने का मेरा इरादा है। मैं अनुपूरक सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि अध्यक्ष महोदय, दवायें बनती है, खाद्य पदार्थ होते हैं, दूध होता है उसकी एक समय--सीमा है, उसके बाद उसकी एक्सपायरी डेट के बाद वह उपयोग के लायक नही रह जाता। उदाहरण के लिए मैं यह कह रहा हूँ कि मैंने कल पराग का दूध जो पैकेट में मिलता है उसको कल लाकर फ्रीज में रखा और आज सुबह जब उसको देखा तो वह फट गया। इसीलिए मैंने पूछा कि क्या कोई समयसीमा निर्धारित है ? अगर निर्धारित नहीं होगा तो वह खराब हो जाएगा और उसके परिणाम भी नही निकलेंगे और जो उसके लिए दोषी है उनको सजा भी नही मिल पाएगी।

श्री अध्यक्ष--

इस संदर्भ में इसको शीघ्रातिशीघ्र करने के लिए माननीय मंत्री जी ने बता दिया है। अब डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल जी बताइये।

डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल--

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पास या किसी भी प्रदेश सरकार को दवा की गुणवत्ता नियंत्रण के दो दायित्व होते हैं। एक जहां दवा उत्पादन होता है वहां गुणवत्ता सुनिश्चित करना और दूसरा जब दवा विक्रय के लिए जाती है तो वहाँ यह सुनिश्चित करना कि नकली दवाइयां न आने पाये। माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वह उसके व्यवसायिक जनपदों में जहां दवा बिकने जाती है वहां की आपने जांच करायी, वहां के नमूने लिये, वहां के बाद पंजीकृत किये, धन्यवाद। प्रश्न यह है कि जो इकाईयां यहां उत्पादन करती हैं उनकी दवाइयां पूरे प्रदेश में बिकती होंगी, पूरे देश में जाती होंगी हो सकता है कि देश के बाहर भी जाती हो। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस एफ0 डी0 ए0 के अंतर्गत दवा

उत्पादककर्ता जो इकाईयां है, जो उद्योग धंधे हैं उनमें से कितने में छापे मारे गये, कितने की गुणवत्ता की जांच की गयी, कितने अद्योमानक पाये गये, कितने वाद रखे गये, कितने एफ0 आई0 आर0 दर्ज हुए और कितने जेल भेजे गये, यह पहला सवाल है। अब दूसरा सवाल यह है कि यह सूचना बहुधा नहीं मिल पाती है कि कौन नकली दवायें बेच रहा है इसलिए एक योजना चलायी जाती है रिवार्ड स्कीम की, सूचना देने वाले को बहुत लम्बा ईनाम दिया जाता है, 25 लाख रुपये तक का, यह स्कीम क्या उत्तर प्रदेश में चलायी जा रही है, यदि नहीं तो यह स्कीम भारत सरकार की है, क्या इस प्रदेश में चलायी जाएगी ?

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, पहला जो सवाल है, दिनांक 30.07.2009 से यह नया विभाग गठित हुआ है और जनवरी, 2010 तक 720 छापे मारे गये, एकत्रित नमूने 1867, टेस्ट किये गये नमूने 620, 46 नमूने अद्योमानक या नकली पाये गये और योजित वाद की संख्या 20, दर्ज प्राथमिकी 50, गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या 47, यह मान्यवर है।

डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, मेरा यह पूछना है कि उत्पादक इकाइयों पर कितने छापे मारे गये, कितने अद्योमानक मिले, कितनी जांच हुयी, कितने वाद दर्ज हुए, कितनी एफ0 आई0 आर0 हुयी, मैं उत्पादक इकाइयों के बारे में जानना चाहता हूं ?

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने उत्पादक इकाइयों के बारे जो पहला प्रश्न पूछा है उसी के तहत विशेष अभियान के दौरान निरीक्षण में पायी गयी कमियों हेतु औषधि निर्माणशालाओं और विक्रय संस्थानों के विरुद्ध कार्यवाही के क्रम में अब तक दो निर्माणशाला का लाइसेंस निरस्त किया गया है। तथा 6 को निलम्बित किया गया है, इसी प्रकार 3 औषधि विक्रय संस्थानों के लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है तथा 38 के लाइसेंस को निलंबित किया गया है और जो भारत सरकार की स्कीम है, वह प्रदेश में लागू है।

जनपद बागपत के सभी ब्लाकों में गिरते जल स्तर की रोकथाम के उपाय

*4–डॉ0 अजय तोमर–

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बागपत के सभी छः ब्लाकों में गिरते हुए जल स्तर से निपटने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? उक्त योजना का कार्यान्वयन कब से प्रारम्भ किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु सिंचाई राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री लखीराम नागर)–

जी हां, प्रदेश में गिरते हुए भू–जल स्तर की रोकथाम के उद्देश्य से सरकार द्वारा बहुआयामी रणनीति अपनायी जा रही है। इसके अन्तर्गत विभिन्न विभागों द्वारा अपनी-अपनी योजनाओं के अधीन भूजल संवर्धन हेतु विभिन्न कार्य कराये जाते हैं।

(अ) जनपद बागपत के छः विकास खण्डों में से पांच समस्याग्रस्त (स्ट्रेस्ड) विकास खण्ड यथा अतिदोहित श्रेणी के विकास खण्ड बिनौली, पिलाना, क्रिटिकल श्रेणी के विकास खण्ड छपरौली, खेखड़ा एवं सेमी क्रिटिकल श्रेणी के विकास खण्ड बागपत में वर्षा जल संचयन/भू-जल रिचार्ज की परियोजनाएं तैयार कर जिलाधिकारी को कार्यान्वयन हेतु उपलब्ध करा दी गई है, जिन्हें जनपद स्तरीय तकनीकी समन्वय समिति से अनुमोदित कराकर संबंधित कार्यदायी संस्था का निर्धारण कर नरेगा में उपलब्ध धनराशि से क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

(ब) उक्त के अतिरिक्त सरकार द्वारा विभिन्न रिचार्ज पद्धतियों के माध्यम से अधिक से अधिक वर्षा जल संचयन किए जाने हेतु निम्न व्यवस्थाएं की गयी हैं :-

(1) नगरीय क्षेत्रों की महायोजना/जोनल प्लान में प्राकृतिक जलाशयों/तालाबों का संरक्षण अनिवार्य कर दिया गया है।

(2) नगरीय क्षेत्रों में 20 एकड़ अथवा अधिक क्षेत्रफल की आवासीय योजनाओं के लेआउट प्लान्स में 5 प्रतिशत भूमि पर भू-जल की रिचार्जिंग हेतु तालाब/ जलाशय निर्मित किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

(3) पार्कों में पक्का निर्माण 5 प्रतिशत तक ही सीमित रखने को अनिवार्य कर दिया गया है।

(4) 300 वर्ग मी0 अथवा अधिक क्षेत्रफल में निर्मित होने वाले समस्त प्रकृति के भवनों में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना को अनिवार्य कर दिया गया है।

(5) पूर्व में निर्मित शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों तथा भविष्य में निर्मित होने वाले शासकीय/अर्द्धशासंकीय भवनों में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेटिंग पद्धति स्थापित किये जाने को अनिवार्य कर दिया गया है।

(6) आवास एवं शहरी नियोजन विभाग एवं उ0 प्र0 जल निगम द्वारा शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों पर रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना की जा रही है। भू-गर्भ जल विभाग द्वारा उक्त पद्धति की स्थापना मॉडल के रूप में की जा रही है।

(7) यह भी निर्देश दिये गये हैं कि प्रत्येक जनपद में ऐसे तालाब/जल स्रोत जिन पर अवैध कब्जा/अतिक्रमण हुआ है, उनसे अतिक्रमण हटया जाय। साथ ही प्रत्येक जनपद में अवस्थित तालाबों/पोखरों एवं अन्य पम्परागत जल स्रोतों की सफाई करने के निर्देश दिये गये हैं।

(8) ग्राम्य विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत तालाबों का जीर्णोद्धार/निर्माण बंधी एवं चेकडैम निर्माण का कार्य किया जा रहा है।

(9) ग्राम्य विकास विभाग द्वारा ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत वाटर रिचार्जिंग कार्यों के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी भवनों पर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना की जा रही है।

(10) कृषि विभाग द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बन्धी, इनसीटू (आन फार्म) रेन वाटर हार्वेस्टिंग, परकोलेशन वेल, तालाब एवं रिचार्ज पिट का कार्य किया जा रहा है।

(11) लघु सिंचाई विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत तालाबों का जीर्णोद्धार/निर्माण तथा चेक डैम के निर्माण का कार्य किया जा रहा है।

(12) उ0 प्र0 जल निगम द्वारा ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत चेक डैम का निर्माण किया जा रहा है।

(13) भू-गर्भ जल के प्रबन्धन, संतुलित उपयोग तथा संरक्षण के प्रति जनमानस में जागरुकता लाने हेतु प्रत्येक वर्ष 10 जून को सम्पूर्ण प्रदेश में 'भू-गर्भ जल दिवस' शासकीय दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

पढ़ा हुआ मान लिया गया।

डॉ0 अजय तोमर-

पढ़ा हुआ इसलिये भी मान लिया गया क्योंकि अधिकारी बार-बार बहुत सारा लम्बा जवाब माननीय मंत्री जी के माध्यम से भेजने का काम कर रहे हैं और इनके जवाब में इतने सारे अनुपूरक हैं कि मान्यवर, वे ही पूरे नहीं हो सकते हैं। मान्यवर, इसका सम्बन्ध केवल एक स्पेसिफिक जनपद से है, जनपद बागपत के 6 ब्लाकों का जल स्तर गिरने के सम्बन्ध में है। जनपद बागपत में लगभग .80 से 1.21 मीटर तक प्रतिवर्ष पिछले 5 वर्ष से जल स्तर गिर रहा है। लगभग 5 वर्ष में लगभग 5 मीटर तक जल स्तर आंकड़ों के अनुसार जो पिछले मंगलवार को अतारांकित सं0 12 में दिया गया था। इतना जल स्तर मान्यवर, जनपद बागपत में गिर रहा है। आज तारांकित प्रश्न सं0 4 का जो पहला उत्तर का 'अ' भाग है, इसमें मान्यवर, मंत्री जी ने कहा है कि एक परियोजना बनाकर जिलाधिकारी को दे दी गयी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह परियोजना क्या चीज है कि जो अलग से इस जनपद के लिये बनाकर के जिलाधिकारी को दी गयी है ?

श्री अध्यक्ष-

आप इस प्रश्न में दूसरे प्रश्न का उल्लेख करके उसके उत्तर का जवाब मांगना चाह रहे हैं।

डॉ0 अजय तोमर-

मान्यवर, इसी प्रश्न में है।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा अनुपूरक करिये।

डॉ0 अजय तोमर-

मान्यवर, जिला स्तर पर जो क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध परियोजना है, यह क्या परियोजना है ? एक तो मैं यह जानकारी चाहता हूं, उत्तर का खण्ड 'अ' है मान्यवर, और दूसरा नगरीय क्षेत्र में 20 एकड़ अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल की आवासीय योजनाओं में ले-आउट प्लान में 5 प्रतिशत भूमि पर भूजल की रिचार्ज

हेतु तालाब/जलाशय का निर्माण किये जाने की व्यवस्था की गयी है। अब कितने तालाबों की व्यवस्था जनपद बागपत में की जा चुकी है क्योंकि इसमें योजना नहीं है, 'की गयी है' कहा गया है। इसका मतलब कि हो चुकी है। तीसरा यह है कि पार्कों का पक्का निर्माण 5 प्रतिशत तक ही सीमित रखने की अनिवार्यता कर दी गयी है। किन-किन पार्कों में यह व्यवस्था लागू कर दी गयी है ? पहले तीन प्रश्नों का जवाब आ जाये, फिर अगले प्रश्न।

श्री अध्यक्ष-

यह जितनी इन्होंने व्यवस्था की है जिसके आधार पर गिरते हुये जल स्तर को रोकने का एक प्रयास है क्रम वाइज। अब यदि हर क्रम पर अनुपूरक बनायेंगे तो कैसे चलेगा ? जलाशय और तालाब निर्मित करने की व्यवस्थायें की गयी हैं। माननीय मंत्री जी एक व्यवस्था आपने की है, कुछ निर्मित हुये हैं कि नहीं हुये हैं, यदि जानकारी हो तो बताइये।

श्री लखीराम नागर-

मान्यवर, जनपद बागपत में 2009 में 3 तालाबों का संवर्धन किया गया है। प्रत्येक जल निगम, ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 31-03-2009 तक 55 एवं जनवरी 2010 तक 40 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को पूर्ण कराये जा चुके हैं तथा 28 रूफ रेन वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम प्रगति पर है। जल निगम द्वारा इसी योजना के अन्तर्गत 1080 सोखपिट के लक्ष्य के विपरीत 3-1-2010 तक 580 हैण्ड पम्पों के सोखपिट का निर्माण करा चुके हैं।

डॉ0 अजय तोमर-

माननीय अध्यक्ष जी, एक प्रश्न और है, जो यह निर्मित तालाब है, इनमें कितने तालाबों में पानी भराव की व्यवस्था कराई गई है या केवल तालाब खोद कर उसका निर्माण करा दिया गया है, पानी है या नहीं है ?

श्री अध्यक्ष-

अरे आप भी कुछ घूमेंगे अपने जिले में कि अकेले मंत्री जी ही बता दें। चलिये डॉ0 साहब, सारी बातें आ गयी हैं, सब व्यवस्था भी अच्छी हो गई है। अब मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं।

*5-डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में नकली घी के कारोबार को रोकने हेतु कठोर दण्ड दिये जाने की मांग

*6-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही (अनुपस्थित)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत 6 माह में प्रदेश में नकली घी बनाने के कुल कितने प्रकरण शासन के संज्ञान में आये तथा उसमें क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार नकली घी बनाने में फैलते अवैध करोबार को रोकने हेतु कोई कठोर दण्ड दिये जाने का प्राविधान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

विगत छः माह (माह जुलाई, 2009 से दिसम्बर, 2009 के मध्य) में प्रदेश में घी के संग्रहीत 692 नमूनों में नकली घी के 27 प्रकरण प्रकाश में आये हैं। उक्त प्रकरणों में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में आपराधिक वाद योजित किये गये हैं।

इस अवधि में घी में मिलावट के संदेह पर 11 जनपदों में कुल 43 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

खाद्य सामग्री में मिलावट, जिसमें घी में मिलावट भी सम्मिलित है, के संबंध में आरोपियों को दण्ड दिये जाने की व्यवस्था खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 में प्राविधानित है। यह एक केन्द्रीय अधिनियम है। अधिनियम की धारा 16(1) में साधारण प्रकार की मिलावट व अन्य अपराधों के लिये न्यूनतम 06 माह से लेकर 03 वर्ष तक का कारावास तथा न्यूनतम एक हजार रुपये का जुर्माना लगाये जाने का प्राविधान है एवं धारा 16(1)(ए) में गम्भीर प्रकार की मिलावट के अपराधों के लिये एक वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तथा न्यूनतम पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाये जाने का प्राविधान है। आरोपी के विरुद्ध दण्ड का निर्धारण, मिलावट की गम्भीरता एवं उससे होने वाली क्षति के दुष्परिणाम के आधार पर सक्षम न्यायालय द्वारा किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मान्यता प्राप्त असहायतित विद्यालयों को आर्थिक सहायता दिलाये जाने की मांग

*7–श्री संजय कपूर–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे के उ0 प्र0 मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सरकारी विद्यालयों की तरह आर्थिक सहायता देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी–

जी नहीं।

मान्यता प्राप्त असहायतित विद्यालयों को सरकारी विद्यालयों की तरह आर्थिक सहायता दिये जाने का कोई विनिश्चय वर्तमान में प्रभावी नहीं है।

श्री संजय कपूर–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा और उच्च प्राथमिक शिक्षा का स्तर और प्रदेशों के मुकाबले बहुत कम है। केरल जैसे स्टेट में सौ प्रतिशत शिक्षित हैं, वहीं उत्तर प्रदेश की हालत 30 से लेकर 50 प्रतिशत तक शिक्षित युवक/बच्चे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कुछ प्राथमिक विद्यालयों की तुलना में मान्यता प्राप्त विद्यालय काफी बड़ी तादात में बच्चों को शिक्षा देतो है और प्राथमिक विद्यालय में अगर अच्छी

शिक्षा मिलेगी बच्चों को तभी आगे बढ़ पायेगा उत्तर प्रदेश। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि राजकीय विद्यालयों में जो सहूलियतें दी जा रही हैं वह सहूलियतें जो मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय हैं, उन्हें देंगे। जैसे मिड–डे–मील है, ड्रेस है, किताबें हैं, इसके अतिरिक्त उनको साज–सज्जा का सामान है या इसके अतिरिक्त आप और भी जो सुविधायें उन्हें देते हैं, क्या उन मान्यता प्राप्त विद्यालयों को भी वह सुविधायें देंगे ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी–

माननीय अध्यक्ष जी, मान्यता प्राप्त स्कूलों को आर्थिक सहायता देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता यह मैं पहले ही कह चुका हूं। हां जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि अनुदान पर यह सरकार उन मान्यता प्राप्त, स्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों को लेने का कार्य करती है और उसमें केवल जो शिक्षक या उसमें जो कर्मचारी हैं, उनकी तनख्वाह देने का, उनका वेतन देने का काम करती है।

डॉ0 आर0 ए0 उस्मानी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से दो अनुपूरक प्रश्न करना चाहता हूं, पूरे उत्तर प्रदेश में प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों की भारी कमी है। अभी जो बजट पेश हुआ है उसमें एक जनपद में बहुत कम स्कूल हो रहे हैं, तो छोटे बच्चों को जो पढ़ाई दी जा रही है, वह यही प्राइवेट स्कूलों से दी जा रही है, जिनको सरकार मान्यता देती है, चाहे वह प्राइमरी हों या जूनियर हों।

श्री अध्यक्ष–

आप चाहते क्या हैं ?

डॉ0 आर0 ए0 उस्मानी–

मान्यवर, ऐसे स्कूलों के जो शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारी हैं, उनका जीवन स्तर बहुत निम्न स्तर का है, उनका जीवन यापन भी नहीं हो पा रहा है। मैं सरकार से आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि पिछली सरकार में ग्यारह सौ जूनियर हाई स्कूलों को एडेड की सूची में लिया गया था, क्या यह सरकार उसके आगे का जो एक क्रम बना हुआ है, क्या एक हजार स्कूलों को अनुदान सूची पर लेगी ? अगर अनुदान सूची पर नहीं लेगी तो दूसरा अनुपूरक है माननीय अध्यक्ष जी कि इन विद्यालयों में जो शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारी जो पढ़ा रहे हैं वह दसों वर्षों से पढ़ा रहे हैं तो उनको क्या अनुभव के आधार पर, पिछली सरकार ने विशिष्ट बी0टी0सी0 की ट्रेनिंग दिला कर सरकारी स्कूलों में नौकरी देने का काम किया था, क्या ऐसे शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की परेशानियों को देखते हुए सरकार मानवता के आधार पर, इन्सानियत के आधार पर ऐसे शिक्षकों को अनुभव के आधार पर विशिष्ट बी0टी0सी0 करायेगी। माननीय अध्यक्ष जी दो अनुपूरक हैं, एक अनुपूरक अनुदान सूची पर लेने का है और दूसरा अगर यह न ले सकें सरकार बहुत कमजोर हो गई है, इसके पास पैसा ही नहीं है, तो उसमें पैसा नहीं देना है, उसमें खाली उनको चूंकि वह दसों वर्षों से गरीब जनता की सेवा कर रहे हैं, उनको अनुभव के आधार पर विशिष्ट बी0टी0सी0 करोयगी ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, दो अनुपूरक इनका है वह अनुदान सूची के बारे में तो आपने बहुत स्पष्ट उत्तर दे दिया कि अभी हमारा कोई विनिश्चय नहीं इस तरह का हुआ है न है लेकिन तब भी पूछ रहे हैं कि अनुदान सूची पर लेंगे दूसरा है कि क्या इस विद्यालय के जो अध्यापक शिक्षक या शिक्षणेत्तर कर्मचारी हैं अनुभव के आधार पर कहीं इनको लाभान्वित करेंगे विशिष्ट बी0टी0सी0 में ऐसी कोई योजना है ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य और सदन को बता चुका हूं राइट टू फ्री एजूकेशन के तहत मैं बताना चाहता हूं कि हम प्रत्येक असेवित बस्ती में सरकारी स्कूल खोलने जा रहे हैं दूसरी बात, अनुदान सूची पर लिये जाने की, यह जरूरत नहीं है। जब हम हर असेवित बस्ती में सरकारी स्कूल खोलने जा रहे हैं तो फिर अनुदान पर लिये जाने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है।

डॉ0 आर0 ए0 उस्मानी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहता हूं यह बहुत ही गरीबों, मजलूमों से जुड़ा हुआ मामला है।

श्री अध्यक्ष–

जबरी उनसे कहलवायेंगे, माननीय मंत्री जी कह दिये कि विनिश्चय हो गया कि नहीं लेना है।

डॉ0 आर0 ए0 उस्मानी–

प्राइमरी स्कूल और मान्यता प्राप्त स्कूलों में बहुत ही गरीब, दलितों, अल्पसंख्यकों के बच्चे पढ़ते हैं और उसमें इस तरह का माननीय मंत्री जी का नकारात्मक जवाब आना।

श्री अध्यक्ष–

हम सकारात्मक का दबाव नहीं डाल सकते।

डॉ0 आर0 ए0 उस्मानी–

अध्यक्ष जी, पिछली सरकार ने 1100 स्कूलों को एडेड की सूची पर लिया था। दूसरे अनुपूरक का उत्तर नहीं दिया। मेरा दूसरा अनुपूरक यह था कि जो शिक्षक उसमें पढ़ा रहे हैं क्या ऐसे शिक्षकों को विशिष्ट बी0टी0सी0 की तरह ट्रेनिंग दे करके लाभान्वित करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

क्या ऐसी कोई स्कीम है जो उसमें पढ़ा रहे हैं उनको कोई प्रायरिटी देंगे माननीय मंत्री जी।

डॉ0 धर्म सिंह सैनी–

मान्यवर, पहले ही जो विशिष्ट बी0टी0सी0 में नियुक्तियां की हैं उसमें जो अर्ह थे उन्होंने वहां आवेदन किया था।

श्री अध्यक्ष–

हां, जो अर्हता रखते थे उनको लिया गया है।

श्री राजा राम त्यागी–

माननीय अध्यक्ष जी, कपूर साहब ने सरकारी विद्यालयों की तरह मदद का प्रश्न किया है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो मान्यता प्राप्त ग्रामीण अंचलों में विद्यालय हैं उनको सरकार मान्यता देती है चलाने के लिये बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रमाण–पत्र दिया जाता है उसके बाद भी सरकार भेदभाव क्यों करती है न तो उनको निःशुल्क पुस्तकों की बात आती है न ही मिड डे मील दिया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हमें कि क्या सरकारी स्कूलों की भांति मिड डे मील भी वहां देगी इन मान्यता प्राप्त विद्यालयों में और उनको निःशुल्क पुस्तकों की व्यवस्था करायेगी ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी–

मान्यवर, शर्तों के तहत जो वह आवेदन करते हैं उन्हीं शर्तों के तहत उसे मान्यता दी जाती है और जो पुस्तकें हैं वह सरकारी स्कूलों में देय होती हैं।

श्री अध्यक्ष–

राजा राम जी, उत्तर आ गया कि उनकी शर्तें हैं जो शर्तों को पूर्ण करेगा उस पर विचार किया जाता है, उसको दिया जाता है।

डॉ0 अनिल चौधरी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने प्रश्न के उत्तर में बताया है कि असेवित बस्तियों में इस तरह के विद्यालयों की स्थापना की जायेगी। यह मेरे ही नहीं पूरे सदन के सदस्यों के संज्ञान में होगा कि बहुत सी असेवित बस्तियां ऐसी भी हैं कि आप विद्यालय बनाना चाहते हैं लेकिन वहां फ्री में भूमि उपलब्ध नहीं हो पाती। मैं माननीय मंत्री जी से सीधा प्रश्न करना चाहता हूं कि इस तरह की असेवित बस्तियां जहां भूमि फ्री में उपलब्ध नहीं हो पा रही है पंचायत द्वारा या किसी निकाय के द्वारा वहां पर क्या भूमि खरीद कर नये विद्यालय की स्थापना का कार्य करेंगे ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी–

माननीय अध्यक्ष जी, जहां भूमि उपलब्ध नहीं है वहां चाहे हमें किराये के भवन लेने पड़ें वहां पर असेवित बस्तियों को सेवित करने का कार्य सरकार अवश्य करेगी।

श्री सुरेश्वर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने अभी जिक्र किया है कि प्रदेश में कितनी असेवित बस्तियां हैं उसमें प्राथमिक विद्यालय खोलने का सरकार काम करेगी ? माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में कितनी असेवित बस्तियां हैं ? इस वर्ष जो बजट में प्राविधान किया गया है एक जनपद में मात्र 10 विद्यालय आ रहे हैं उसकी असेवित बस्तियों

में विद्यालय खुल पाना असम्भव नहीं है तो प्रदेश में कितनी असेवित बस्तियां हैं और सरकार कितने विद्यालयों को खोलने पर विचार कर रही है ? कितना भारत सरकार की तरफ से धन दिया गया है उससे खोले जा रहे हैं और कितना उत्तर प्रदेश सरकार अपनी तरफ से धन उपलब्ध कराके खोलने पर विचार करेगी और कब तक असेवित बस्तियों को पूर्ण कर देगी, जितनी असेवित बस्तियां हैं उन पर कब तक विद्यालय खुल जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने पहले ही सारा उल्लेख कर दिया। आप मूल प्रश्न देख लें। अब आप एक अलग सूचना मांगना चाहते हैं कि कितनी असेवित बस्तियां हैं पूरे प्रदेश में, तो इसकी सूचना माननीय मंत्री जी को कहा है ? वह तो एक लक्ष्य बताये हैं। आप तो मूल प्रश्न से हटकर पूछ रहे हैं। आप और कोई अनुपूरक कर लें।

श्री सुरेश्वर सिंह–

माननीय मंत्री जी ने यह नहीं कहा होता तो हम यह प्रश्न न पूछते। आप मेरे प्रश्न का जवाब दिलवा दें। मुझे आपका संरक्षण चाहिये।

श्री अध्यक्ष–

अब जैसे कोई कह दे कि हम प्रदेश की जनता की सुरक्षा चाहते हैं और आप कहें कि कितनी जनता है यह बतावें मंत्री जी, तो कैसे होगा ? वह तो असेवित का एक लक्ष्य बताये हैं कि असेवित बस्तियां जो होंगी अब उसका संख्या बताना तो थोड़ा मुश्किल है। माननीय मंत्री जी, क्या ऐसा कुछ आपके संज्ञान में है ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी–

माननीय अध्यक्ष जी, असेवित बस्तियों की संख्या की सूचना तो मैं उपलब्ध करा दूंगा। परन्तु मैं पहले कह चुका हूं कि राइट टू फ्री एजूकेशन के तहत यह लागू हो चुका है इसके तहत भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों आपस में परामर्श करके शीघ्र ही असेवित बस्तियों को सेवित करने का काम करेगी।

श्री संजय कपूर–

माननीय अध्यक्ष जी, यह बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। माननीय मंत्री जी के जवाब में आया है कि मान्यता प्राप्त असहायता प्राप्त सरकारी विद्यालयों की तरह आर्थिक सहायता दिये जाने का कोई विनिश्चय वर्तमान में प्रभावी नहीं है। क्या माननीय मंत्री जी भविष्य के लिये इस पर विचार करेगें ताकि बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो सके, क्या इस पर कार्यवाही करेंगे ? जो मांगें मैंने रखी हैं और जो मांगें चली आ रही हैं, क्या इस पर कार्यवाही करेंगे ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं पहले ही कह चुका हूं कि आर्थिक सहायता का सरकार की तरफ से कोई प्रश्न नहीं उठता। आर्थिक सहायता का मतलब हम वहां पर भवन नहीं बनवाते जो अनुदान पर लिये जाते हैं। आर्थिक सहायता का मतलब

आप भवन बनवाना चाहते हैं। हम भवन नहीं बनवाते उनकी शर्तें होती हैं। अनुदान पर लेने का मकसद केवल उन शिक्षकों और कर्मचारियों की तनख्वाह देने से संबंधित है। इसलिये आर्थिक सहायता देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, यह मैं पहले ही कह चुका हूं।

श्री संजय कपूर–

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत ज्यादा बच्चे इन विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं यह बच्चों के भविष्य से जुड़ा प्रश्न है। सरकार यदि इसके लिये जागरूक नहीं होगी तो यकीनन बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जायेगा तो क्या आगे इस पर विचार करेंगे, इस पर मंत्री जी का जवाब आ जाये ?

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी ने पहले ही कह दिया अब आप कितनी बार उनसे कहलवायेंगे। पूरा स्पष्ट उत्तर माननीय मंत्री जी पहले ही दे दिये हैं।

श्री संजय कपूर–

मान्यवर, सरकारी विद्यालयों के मुकाबले बच्चे प्राइवेट विद्यालयों में ज्यादा शिक्षा ग्रहण करते हैं और यकीनन उनमें शिक्षा का स्तर भी काफी अच्छा है। उनकी फाइनेन्शियल पोजीशन ठीक नहीं होती वह चाहते हैं कि वह बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। आप उत्तर दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष–

अब स्पष्ट उत्तर आ गया है कि हम कोई अनुदान नहीं देंगे, कोई सुविधा भी नहीं देंगे। मिड–डे–मील के संदर्भ में बता दिये कि कोई यदि मानक पूरा करेगा और आवेदन देगा, तो उस पर विचार करेगे। अब इतने उत्तर के बाद भी आप लोग संतुष्ट नहीं होते हैं।

ठीक है प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

अतारांकित प्रश्न

सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट व बीड़ी पीने पर प्रतिबन्धित कानून का पालन कराये जाने की मांग

1- श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट व बीड़ी पीने पर प्रतिबन्ध हेतु केन्द्र सरकार द्वारा कानून बनाया गया है ? यदि हां, तो इस कानून का कड़ाई से पालन कराने के लिये सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त मिश्र–

जी हां।

जी हां।

नोट–तारांकित प्रश्न संख्या–7 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

सिगरेट और तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिबन्ध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 16–05–2005 द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश को सक्षम प्राधिकारी घोषित किया गया है। कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 24–01–2005 द्वारा उक्त अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किये जाने हेतु राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की अध्यक्षता में तथा जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में "एन्टी टोबैको सेल" का गठन किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के सेवानिवृत्ति पश्चात अर्जित अवकाश का नकदीकरण दिलाये जाने की मांग

2–डॉ0 अजय तोमर–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में सेवारत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय राज्य कर्मचारियों के समान अवशेष अर्जित अवकाश का नकदीकरण दिये जाने की कोई कार्य योजना सरकार बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री रंगनाथ मिश्र)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवायें राज्य कर्मचारियों के समान नहीं है।

प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को पदोन्नति दिलाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

3–डॉ0 अजय तोमर–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में अर्ह शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को शिक्षक पद पर पदोन्नति के प्राविधान की कोई कार्य योजना सरकार बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को चिकित्सीय सहायता दिलाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

4–डॉ0 अजय तोमर–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में अर्ह शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के समान चिकित्सीय

सहायता प्रदान करने की कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र–

जी नहीं।

शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवायें राज्य कर्मचारियों के समान नहीं हैं।

प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को वेतनमान/प्रोन्नति वेतनमान दिये जाने के विचाराधीन प्रकरण

5–डॉ0 अजय तोमर–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में सेवारत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के समान चयन वेतनमान/प्रोन्नति वेतनमान दिये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र–

प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में डार्क श्रेणी में वर्गीकृत किये जाने की नीति एवं इसके भू–गर्भ जल रिचार्ज की योजना के सम्बन्ध में जानकारी

6–डॉ0 अजय तोमर–

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में डार्क ग्रे व व्हाइट तथा सामान्य विकास खण्डों की अलग–अलग संख्या क्या है ? इनके चयन/घोषित करने की क्या नीति है ? क्या सरकार डार्क घोषित/चयनित विकास खण्डों में सिंचाई व पेयजल की समस्या के निदान हेतु कोई कार्य योजना बनोयगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लखीराम नागर–

जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित भू–जल आकलन समिति 1997 के निर्धारित मापदण्डों/संस्तुतियों के अन्तर्गत विकास खण्डों को डार्क श्रेणी आदि में वर्गीकृत किये जाने की प्रक्रिया को परिवर्तित कर विकास खण्डों को अब भू–जल उपलब्धता/विकास दर व भू–जल स्तर में गिरावट के आधार पर अतिदोहित, क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल एवं सेफ श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

भू–जल उपलब्धता आकलन के अनुसार केन्द्रीय भू–जल परिषद् द्वारा प्रदेश में अतिदोहित श्रेणी में 37 विकास खण्ड, क्रिटिकल श्रेणी में 13 विकास खण्ड एवं सेमी क्रिटिकल श्रेणी में 88 विकास खण्ड वर्गीकृत किये गये हैं।

प्रदेश के 40 जनपदों में गिरते हुये भू–गर्भ जल स्तर के दृष्टिगत अति संवेदनशील 138 विकास खण्डों में वर्षा जल संचयन/भू–गर्भ जल रिचार्ज की कार्य योजना तैयार कर सभी 40 जिलों के जिलाधिकारियों को प्रेषित कर दी गई

है। प्रदेश के 40 जनपदों के सभी 138 अतिसंवेदनशील ब्लाकों में भू–जल संरक्षण हेतु नये तालाबों का निर्माण, पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार, चेकडैम का निर्माण, मेंड़ बन्धी द्वारा वर्षा जल संचयन आदि कार्य योजना में सम्मिलित है।

उक्त के अतिरिक्त प्रदेश में गिरते हुये भू–जल स्तर की रोकथाम के उद्देश्य से सरकार द्वारा बहुआयामी रणनीत अपनाई जा रही है। इसके अन्तर्गत विभिन्न विभागों द्वारा अपनी–अपनी योजनाओं के अधीन भू–जल संवर्द्धन हेतु विभिन्न कार्य कराये जाते हैं।

सरकार द्वारा विभिन्न रिचार्ज पद्धतियों के माध्यम से अधिक से अधिक वर्षा जल संचयन किये जाने हेतु निम्न व्यवस्थायें की गयी हैं–

(1) नगरीय क्षेत्रों की महायोजना/जोनल प्लान में प्राकृतिक जलाशयों/तालाबों का संरक्षण अनिवार्य कर दिया गया है।

(2) नगरीय क्षेत्रों में 20 एकड़ अथवा अधिक क्षेत्रफल की आवासीय योजनाओं के लेआउट प्लान्स में 5 प्रतिशत भूमि पर भू–जल की रिचार्जिंग हेतु तालाब/जलाशय निर्मित किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

(3) पार्कों में पक्का निर्माण 5 प्रतिशत तक ही सीमित रखने को अनिवार्य कर दिया गया है।

(4) 300 वर्ग मी0 अथवा अधिक क्षेत्रफल में निर्मित होने वाले समस्त प्रकृति के भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना को अनिवार्य कर दिया गया है।

(5) पूर्व में निर्मित शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों तथा भविष्य में निर्मित होने वाले शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों पर रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति स्थापित किये जाने को अनिवार्य कर दिया गया है।

(6) आवास एवं शहरी नियोजन विभाग एवं उ0 प्र0 जल निगम द्वारा शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों पर रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना की जा रही है। भू–गर्भ जल विभाग द्वारा उक्त पद्धति की स्थापना मॉडल के रूप में की जा रही है।

(7) यह भी निर्देश दिये गये हैं कि प्रत्येक जनपद में ऐसे तालाब/जल स्रोत जिन पर अवैध कब्जा/अतिक्रमण हुआ है, उनसे अतिक्रमण हटाया जाय। साथ ही प्रत्येक जनपद में अवस्थित तालाबों/पोखरों एवं अन्य परम्परागत जल स्रोतों की सफाई करने के निर्देश दिये गये हैं।

(8) ग्राम्य विकास विभाग की विभिन्न योजाओं के अन्तर्गत तालाबों का जीर्णोद्धार/निर्माण बंधी एवं चेकडैम निर्माण का कार्य किया जा रहा है।

(9) ग्राम्य विकास विभाग द्वारा ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत वाटर रिचार्जिंग कार्यों के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी भवनों पर रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना की जा रही है।

(10) कृषि विभाग द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बन्धी, इनसीटू (आन फार्म) रेन वाटर हार्वेस्टिंग, परकोलेशन वेल, तालाब एवं रिचार्ज पिट का कार्य किया जा रहा है।

(11) लघु सिंचाई विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत तालाबों का जीर्णोद्धार/निर्माण तथा चेकडैम के निर्माण का कार्य किया जा रहा है।

(12) उ0 प्र0 जल निगम द्वारा ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत चेक डैम का निर्माण किया जा रहा है।

(13) भू-गर्भ जल के प्रबन्धन, संतुलित उपयोग तथा संरक्षण के प्रति जनमानस में जागरुकता लाने हेतु प्रत्येक वर्ष 10 जून को सम्पूर्ण प्रदेश में 'भू-गर्भ जल दिवस' शासकीय दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मिड-डे-मील योजना की गुणवत्ता में सुधार हेतु टास्क फोर्स का गठन

7-डॉ0 अजय तोमर-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में छात्रों को दिये जाने वाले मिड-डे-मील की गुणवत्ता में अनेकों बार कमी पाई जाती है ? यदि हां, तो सरकार उक्त समस्या के निराकरण हेतु कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

मिड-डे-मील की गुणवत्ता में कभी-कभी कुछ कमियां पाई जाती हैं।

योजना से आच्छादित विद्यालयों के निरीक्षण हेतु ब्लाक, जनपद एवं राज्य स्तर से टास्क फोर्स का गठन किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के निगम व सार्वजनिक उपक्रम एवं इनके लेखे समय से प्रस्तुत करने सम्बन्धी जानकारी

8-डॉ0 अजय तोमर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने व कौन-कौन से निगम व सार्वजनिक उपक्रम कार्यरत हैं ? इनमें से कौन-कौन से निगम व सार्वजनिक उपक्रम ऐसे हैं जिन्होंने पिछले दो वर्षों से अपने लेखे समय से तैयार नहीं किये हैं ?

सुश्री मायावती-

प्रदेश में सार्वजनिक उद्यम विभाग के अधीन 42 निगम/उपक्रम कार्यरत हैं।

(सूची संलग्न-1†)

22 निगम/उपक्रम ऐसे हैं जिनके लेखे 2 वर्ष एवं अधिक समय से लम्बित हैं।

(सूची संलग्न-2†)

---

†देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ . . . . . पर।

लखनऊ व बाराबंकी में विशिष्ट बी0 टी0 सी0 में फर्जी दस्तावेजों के सहारे नौकरी पाने सम्बन्धी शिकायती-पत्र पर जांच

9-श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राकेश कुमार चौधरी म0 नं0 523, शेखूपुरा कालोनी विकास नगर, लखनऊ का जनपद बाराबंकी में शिक्षा माफियाओं द्वारा शिक्षा विभाग में विशिष्ट बी0 टी0 सी0 2007 में फर्जी दस्तावेजों के सहारे नौकरी किये जाने विषयक शिकायती-पत्र जो मा0 लालजी यादव, स0वि0स0 द्वारा अग्रसारित था, दिनांकित 16-12-2009 आपको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

जी हां। जांच सम्प्रति प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के कतिपय राजकीय डिग्री कालेज में अध्यापकों के रिक्त पदों पर तैनाती की मांग

10-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय डिग्री कालेज, मंगरौरा एवं ढिढुयी, प्रतापगढ़ में किन-किन विषयों के अध्यापकों के पद रिक्त हैं ? क्या इसके कारण उन विषयों का पठन-पाठन बाधित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार रिक्त अध्यापकों के पदों पर नियुक्तियां करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

उच्च शिक्षा मंत्री (डॉ0 राकेश धर त्रिपाठी)-

राजकीय महाविद्यालय मंगरौरा, प्रतापगढ़ में प्रवक्ता भू-गर्भ विज्ञान, सांख्यिकी, शिक्षा शास्त्र व शारीरिक शिक्षा तथा राजकीय महाविद्यालय ढिढुई, प्रतापगढ़ में प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र का पद रिक्त है।

जी हां।

जी हां।

प्रवक्ता के रिक्त पदों पर लोक सेवा से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर तैनाती की जा सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग

11-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के ग्रामीण अंचलों के गम्भीर रोगियों को जिला अस्पताल

पहुंचाने हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है और वाहन का संचालन 1–1–2009 से अब तक प्रत्येक सी0एन0सी0 पर क्या पाया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त मिश्र–

जी हां।

प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के ग्रामीण अंचलों के गम्भीर रोगियों को जिला अस्पताल पहुंचाने हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एम्बुलेंस की व्यवस्था उपलब्ध है। जिनका विवरण निम्नवत् है–

सा0 स्वा0 केन्द्र	एम्बुलेन्स
पट्टी	यू0 पी0 32 ए0 एन0–1727।
अमरगढ़	यू0 पी0 32 ए0 एन0–1721।
कोहडौर	यू0 पी0 32 टी0–5032।

दिनांक 01–01–2009 से अब तक रोगी अथवा उनके तीमारदारों द्वारा एम्बुलेंस की मांग न किये जाने के कारण वाहन का संचालन शून्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा आयोजित परीक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु अपेक्षित संशोधन

12–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0 पी0 बोर्ड के छात्र हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं में सी0 बी0 एस0 ई0 तथा आई0 सी0 एस0 ई0 के छात्रों की तुलना में कम प्रतिशत अंक पाते हैं जिसके कारण उनकी मेरिट प्रभावित होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या के निदान हेतु यू0 पी0 बोर्ड की परीक्षा प्रणाली में कोई सुधार करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र–

जी हां।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा आयोजित परीक्षा व्यवस्था में सुधार के संबंध में निर्गत शासनादेश दिनांक 29 जून, 2009 के क्रम में परिषद् के विनियमों में अपेक्षित संशोधन कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उनमें मानक के अनुसार रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

13–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में वर्तमान में कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं ? इन केन्द्रों पर प्रत्येक

में कितने-कितने पद स्वीकृत हैं ? क्या मानक के अनुसार सभी पद भरे हुए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त मिश्रा–

जनपद प्रतापगढ़ में वर्तमान में 21 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं।

उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर निम्नवत् पद स्वीकृत हैं–

1–सामु0 स्वा0 केन्द्र अमरगढ़–	13 पद
2–सामु0 स्वा0 केन्द्र पट्टी–	23 पद
3–सामु0 स्वा0 केन्द्र मानापुर–	18 पद
4–सामु0 स्वा0 केन्द्र ढिबुई–	18 पद
5–सामु0 स्वा0 केन्द्र नारायणपुर–	18 पद
6–सामु0 स्वा0 केन्द्र पृथ्वीगंज–	17 पद
7–सामु0 स्वा0 केन्द्र गोहडौर–	19 पद
8–सामु0 स्वा0 केन्द्र मदाह–	19 पद
9–सामु0 स्वा0 केन्द्र बेलखरनाथधाम–	19 पद
10–सामु0 स्वा0 केन्द्र गौरा–	13 पद
11–सामु0 स्वा0 केन्द्र कहला–	19 पद
12–सामु0 स्वा0 केन्द्र रानीगंज–	17 पद
13–सामु0 स्वा0 केन्द्र संडवा चन्द्रिका–	13 पद
14–सामु0 स्वा0 केन्द्र लालगंज–	13 पद
15–सामु0 स्वा0 केन्द्र सांगीपुर–	18 पद
16–सामु0 स्वा0 केन्द्र संग्रामगढ़–	16 पद
17–सामु0 स्वा0 केन्द्र कालाकाकर–	19 पद
18–सामु0 स्वा0 केन्द्र कुण्डा–	18 पद
19–सामु0 स्वा0 केन्द्र बाघराय–	18 पद
20–सामु0 स्वा0 केन्द्र मान्धाता–	18 पद
21–सामु0 स्वा0 केन्द्र गजराही–	23 पद

जी नहीं।

चिकित्सकों की कमी के कारण।

जनपद प्रतापगढ़ के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा गत शैक्षिक सत्रों में प्रधानाध्यापकों सहा0 अध्यापकों का समायोजन/स्थानान्तरण

14–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा गत शैक्षिक सत्र, 2008-09 व 2009-2010 में

समायोजन/स्थानान्तरण नीति के अनुसार कुल कितने सहायक अध्यापकों/प्रधानाध्यापकों का समायोजन/स्थानान्तरण किया गया है ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी–

जनपद प्रतापगढ़ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा शैक्षिक सत्र 2008-09 व 2009-2010 में समायोजन/स्थानान्तरण नीति के अनुसार कुल 23 प्रधानाध्यापकों एवं 74 सहायक अध्यापकों का समायोजन/स्थानान्तरण किया गया है।

श्री संजय कुमार गौतम द्वारा छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर केन्द्र पर काउन्सिलिंग में दी गई मेरिट के सम्बन्ध में जानकारी

15–श्री आरिफ अनवर हाशमी–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डॉ0 बी0 आर0 अम्बेडकर यूनीवर्सिटी, आगरा द्वारा ज्वाइंट इन्ट्रेंस एक्जाम बी0 एड0-2008 में श्री संजय कुमार गौतम अनुक्रमांक 5991807 जिनकी स्टेट रैंक 118112 है को 20 दिसम्बर, 2009 में काउन्सिलिंग हेतु छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा बुलाया गया था, परन्तु इनको कालेज आवंटित न करते हुए इनसे कम मेरिट वाले लोगों को काफी संख्या में कालेजों का आवंटन कर दिया गया है ? क्या सरकार इनसे कम मेरिट के लोगों को दिये गये लाभ की जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 राकेशधर त्रिपाठी–

जी हां, श्री संजय कुमार गौतम द्वारा छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर केन्द्र पर दिनांक 20 दिसम्बर, 2009 को आयोजित काउन्सिलिंग में प्रतिभाग किया गया। श्री गौतम द्वारा काउन्सिलिंग में जिन महाविद्यालयों का विकल्प दिया गया, उसके लिए मेरिट अधिक वांछित थी, जबकि उनकी मेरिट कम थी। कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों द्वारा कम मेरिट की सीमा में आने वाले महाविद्यालयों का विकल्प दिया गया, जिससे उन्हें कम मेरिट वाले महाविद्यालय आवंटित हुए।

जी नहीं, उपरोक्तानुसार स्थिति स्पष्ट है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रामपुर के जिला अस्पताल के पुराने भवन के स्थान पर नये भवन का निर्माण

16–श्री काशी राम–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद रामपुर में जिला अस्पताल का पुराना भवन तोड़ कर नये भवन का निर्माण किया जा रहा है ? यदि हां, तो उसमें कुछ सामान जैसे सोफा सेट, जनरेटर, पुराना सरिया, गाटर, पुराना फाटक व अन्य सामान बिना समाचार-पत्र में प्रकाशित किये एवं बिना सूचना के नीलामी की गई ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त मिश्रा–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नही उठता।

समाचार-पत्रों में वृहद प्रचार प्रसार के पश्चात निष्प्रयोज्य वस्तुओं की नीलामी नियमानुसार की गयी है।

जनपद प्रतापगढ़ के जिला अस्पताल में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की मांग

17–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद प्रतापगढ़ स्थित जिला अस्पताल में सीटी स्कैन की सुविधा न्यूरो सर्जन की तैनाती, फेस इन्जरी, सर्जन, बेंटिलेटर आपरेटर की तैनाती तथा अन्य सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला अस्पताल प्रतापगढ़ में स्थापित चिकित्सा इकाईयों एवं इनमें उपलब्ध विशेषज्ञता व चिकित्सा उपचार की सुविधा के दृष्टिगत संप्रति सी0 टी0 स्कैन मशीन की स्थापना तथा न्यूरो सर्जन, फेस इन्जरी, सर्जन एवं बेंटिलेटर आपरेटर की तैनाती का औचित्य नहीं है।

जनपद प्रतापगढ़ के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के स्थानान्तरण की नीति

18–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में लिपिकीय संवर्ग के कितने कर्मचारी कार्यरत हैं और वे कर्मचारी वहां पर कितने-कितने वर्षों से तैनात हैं ? क्या शासन की स्थानान्तरण नीति के तहत उक्त कर्मचारियों को अन्यत्र स्थानान्तरित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी–

जी हां।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, अतरसण्ड, प्रतापगढ़ में 04 तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रतापगढ़ में 05 लिपिक उर्दू अनुवादक सहित कार्यरत हैं।

कार्यालय का नाम	पदनाम	कार्यरत कर्मचारी	वर्तमान में तैनाती की तिथि
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, अतरसण्ड, प्रतापगढ़	प्रधान लिपिक	श्री अरूण कुमार	08-08-2007
	आशुलिपिक	–	
	लेखा लिपिक	श्री राम बहाल	09-06-2006
	कनिष्ठ लिपिक	श्री अरूण कुमार	20-07-2002
	कनिष्ठ लिपिक	श्री शेफात हुसैन	01-10-2008
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रतापगढ़	वरिष्ठ लिपिक	श्री सुनील कुमार सिंह	31-10-2009
	वरिष्ठ लिपिक	श्री अजय कुमार शर्मा	26-06-2008
	वरिष्ठ लिपिक	श्री विनय कुमार पाण्डेय	28-12-2005
	शिविर सहायक	श्री हरजीवन लाल	06-02-2008
	उर्दू अनुवादक, सह वरिष्ठ	श्री नियाज अहमद	14-03-1995

आगामी सत्र हेतु स्थानान्तरण नीति जारी होने पर उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के कतिपय ब्लाकों में पर्याप्त मात्रा में हैण्ड पम्प लगवाये जाने की मांग

19–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक आसपुर, देवसरा, पट्टी, मंगरौरा, बाबा बेलखरनाथ धाम में स्थित प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पर्याप्त मात्रा में हैण्डपम्प न होने के कारण विद्यार्थियों को पानी पीने की असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्राथमिक विद्यालयों में पर्याप्त मात्रा में हैण्ड पम्प लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी–

जी हां।

सम्बन्धित चारों विकास खण्डों के प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में एक-एक हैण्डपम्प स्थापित है, परन्तु उक्त विकास खण्डों के 24 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हैण्डपम्प नहीं हैं।

विद्यालयों में हैण्डपम्प स्थापना का कार्य ग्राम्य विकास विभाग द्वारा किया जाता है। शासनादेश संख्या 223/79-5-2008-194/2008, दिनांक 01-02-2008 के

द्वारा हैण्डपम्प विहीन विद्यालयों में हैण्डपम्प लगाये जाने हेतु ग्राम्य विकास विभाग को निर्देश दिये गये हैं।

सम्बन्धित विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल खोले जाने की मांग

20–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल किन किन जनपदों में खोला जाना प्रस्तावित है ? क्या जनपद प्रतापगढ़ में भी उक्त अस्पताल खोले जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त मिश्रा–

वर्तमान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रणाधीन प्रदेश के किसी जनपद में सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल खोला जाना प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सम्प्रति उपलब्ध वित्तीय संसाधन तथा आवश्यकताओं को देखते हुए जनपद स्तर पर सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल स्थापित करना विचारणीय नहीं है।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में महिला डिग्री कालेज खोले जाने की मांग

21–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पट्टी मुख्यालय पर महिला डिग्री कालेज खोलने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 राकेशधर त्रिपाठी–

जी नहीं।

ऐसे जनपद जहां राजकीय महाविद्यालय स्थापित नहीं हैं वहां राजकीय महाविद्यालय स्थापित करने की वर्तमान में शासन की नीति है। जनपद प्रतापगढ़ में 04 राजकीय महाविद्यालय, 07 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय तथा 34 अनानुदानित/स्ववित्त पोषित महाविद्यालय पूर्व से ही संचालित हैं।

जनपद बरेली की तहसील बहेड़ी में प्राथमिक तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के भवन स्वीकृत करने का मानक

22–श्री छत्रपाल सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली ज़िले की बहेड़ी तहसील में सत्र, 2008-09 तथा 2009-10 में शासन द्वारा प्राथमिक तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के भवन स्वीकृत करने का क्या मानक है ? क्या यह सही है

कि बहेड़ी ब्लाक की ग्राम सभा भोजपुर जोगीठेर का मजरा पिपरिया कनक तथा दमखोदा ब्लाक की ग्राम सभा खमरिया गोपा डाड़ी का मजरा हरहरपुर मानकों के अनुरूप होने के बावजूद अभी तक विद्यालय विहीन है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषीजनों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उक्त विद्यालय के भवनों का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी–

शासन द्वारा नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले जाने हेतु 300 की आबादी एवं 01 किमी0 की दूरी तथा नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु 800 की आबादी तथा 02 किमी0 की दूरी का मानक निर्धारित है। जिसके अनुसार नवीन खोले गये विद्यालयों के भवन निर्माण की स्वीकृति दी जाती है।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि–

विकास क्षेत्र बहेड़ी की ग्राम सभा भोजपुर जोगीठेर का मजरा पियरिया कनक नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु मानक पूर्ण करता है परन्तु वर्ष 2009-10 में भारत सरकार के निर्देशानुसार नवीन प्राथमिक विद्यालय उन्हीं असेवित बस्तियों में खोले जाने थे, जहां पूर्व में ई0 जी0 एस0 केन्द्र संचालित रहे हों।

ग्राम सभा भोजपुर जोगीठेर का मजरा पियरिया कनक में पूर्व में कोई ई0जी0एस0 केन्द्र संचालित न होने के कारण वर्ष 2009-10 में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना नहीं की जा सकी।

विकास क्षेत्र दमखोदा की ग्राम सभा खमरिया गोपाडांडी का मजरा हरहरपुर नवीन विद्यालय खोलने हेतु मानक की पूर्ति नहीं करता है।

प्रश्न नहीं उठता।

असेवित बस्तियों में नवीन विद्यालयों की स्थापना मानकों के पूर्ण होने तथा भारत सरकार की स्वीकृति के आधार पर की जाती है।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

23–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कितने पद महिला/पुरुष डाक्टरों के सृजित हैं और कितने वर्तमान समय में कार्यरत हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों पर डाक्टरों की तैनाती करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त मिश्रा–

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 18 चिकित्साधिकारी के पद सृजित हैं।

उपरोक्त सभी 18 पदों पर चिकित्साधिकारी तैनात हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र बहेड़ी में गन्ना उत्पादक स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कोषाध्यक्ष के पद पर तहसीलदार बहेड़ी को नामित करने की जांच की मांग

24--श्री छत्रपाल सिंह--

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली जिले के विधान सभा क्षेत्र बहेड़ी में गन्ना उत्पादक स्नातकोत्तर महाविद्यालय 1973-74 से सहकारी गन्ना विकास समिति बहेड़ी द्वारा संचालित है ? क्या जिलाधिकारी बरेली नें कोषाध्यक्ष पद पर तहसीलदार बहेड़ी को नामित कर दिया है जो महाविद्यालय के संविधान का उल्लंघन है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर कालेज संविधान के अनुरूप गन्ना किसानों के प्रतिनिधियों में से कोषाध्यक्ष नामित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 राकेशधर त्रिपाठी--

जी नहीं, गन्ना उत्पादक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बहेड़ी, बरेली में 1973--74 से सहकारी गन्ना विकास समिति, बहेड़ी की सहभागिता है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

गन्ना उत्पादक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बहेड़ी, बरेली के कोषाध्यक्ष द्वारा दिनांक 09-4-2009 को त्याग-पत्र दिये जाने के कारण महाविद्यालय का लेखा सम्बन्धी कार्य बाधित होने के दृष्टिगत महाविद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठक दिनांक 04-11-2009 के प्रस्ताव संख्या-7 द्वारा सर्वसम्मति से नियमित चुनाव होने तक कोषाध्यक्ष के कार्यों के संचालन हेतु साधारण सभा के पदेन तथा मनोनीत सदस्य तहसीलदार, बहेड़ी को अधिकृत किया गया।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के उच्चीकृत एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर रेडियोलाजिस्ट की तैनाती की मांग

25--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पट्टी विधान सभा, प्रतापगढ़ में कितने-कितने उच्चीकृत एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं ? इनमें से कितने स्वास्थ्य केन्द्रों पर अल्ट्रासाउण्ड मशीनें हैं ? क्या उन सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर रेडियोलाजिस्ट की तैनाती की गयी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों पर रेडियोलाजिस्ट की तैनाती करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त मिश्रा--

जी हां।

पट्टी विधान सभा क्षेत्र जनपद प्रतापगढ़ में 08 उच्चीकृत एवं 09 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं।

01 स्वास्थ्य केन्द्र पर अल्ट्रासाउण्ड मशीन है।

जी नहीं।

रेडियोलाजिस्ट की अनुपलब्धता के कारण सभी केन्द्रों पर तैनाती किया जाना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ में गत वर्ष फ्री बोरिंग में लक्ष्य के सापेक्ष लाभान्वित कृषकों की संख्या

26–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में लघु एवं सीमान्त कृषकों को वर्ष 2009-2010 में फ्री बोरिंग की सुविधा दी जा रही है ? यदि हां, तो वर्तमान वर्ष में सरकार द्वारा जनपद प्रतापगढ़ का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था एवं लक्ष्य के सापेक्ष अब तक कितने कृषक लाभान्वित हैं ?

श्री लखीराम नागर–

जी हां।

चालू वित्तीय वर्ष में जनपद प्रतापगढ़ का निःशुल्क बोरिंग का लक्ष्य 867 निर्धारित किया गया था एवं लक्ष्य के सापेक्ष माह जनवरी, 2010 तक 867 कृषकों को लाभान्वित किया गया है।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के समस्त विद्यालयों में शौचालय की व्यवस्था

27–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा पट्टी, प्रतापगढ़ के सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र तथा छात्राओं के लिये पृथक-पृथक शौचालय की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी व्यवस्था करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी–

जी नहीं।

सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 223/79-5-2008-194/2008 दिनांक 01-2-2008 द्वारा पंचायती राज विभाग को शौचालय विहीन विद्यालयों में शौचालय निर्माण कराने के निर्देश दिये गये हैं। तद्नुसार कार्यवाही हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा विद्यालयों की सूची जिला पंचायत राज अधिकारी, प्रतापगढ़ को उपलब्ध करायी जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ में अनौपचारिक शिक्षा के सभी अनुदेशकों को समायोजित कराये जाने की मांग

28–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा वर्ष 2001 में बन्द होने के कारण जनपद प्रतापगढ़ में सरकार ने बेरोजगार हुए

सभी अनुदेशकों को दूसरे स्थानों पर समायोजित कर दिया है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

दिनांक 31 मार्च, 2001 में समाप्त अनौपचारिक शिक्षा योजना में तैनात सभी अनुदेशक नियत मानदेय पर थे, अतः उनके समायोजन का प्रश्न नहीं है।

जनपद प्रतापगढ़ के प्राइमरी विद्यालय रामचन्द्र पट्टी के निर्माण में अनियमितता की जांच की मांग

29–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिषदीय विद्यालयों के भवनों की मरम्मत, रंगाई, पुताई तथा भवनों के निर्माण हेतु शासन द्वारा गठित टास्क फोर्स के सदस्यों द्वारा जनपद भ्रमण में निरीक्षण एवं जांच हेतु प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 2008-79-5-2007, दिनांक 26 जून, 2007 द्वारा समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया था ? यदि हां, तो क्या जनपद प्रतापगढ़ के प्राइमरी विद्यालय रामचन्द्र पट्टी के निर्माण में अनियमितता की जांच मे उक्त शासनादेश के अनुसार बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी–

जी हां।

प्राथमिक विद्यालय रामचन्द्र पट्टी में कक्षा कक्ष का निर्माण कार्य श्री श्रीराम सरोज, सहायक अध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय, सैफाबाद, विकास खण्ड पट्टी द्वारा कराया गया था, जिसकी जांच तथा मूल्यांकन कराया गया। मूल्यांकन में उक्त निर्माण कार्य में रु0 30,765.00 की धनराशि का दुरुपयोग पाया गया है। उक्त धनराशि की वसूली हेतु सम्बन्धित दोषी अध्यापक को नोटिस निर्गत की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

शाहजहांपुर नगर के मो0 ककरा में जूनियर हाई स्कूल के अपूर्ण भवन को पूर्ण कराये जाने की मांग

30–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर नगर में पिछले दो वर्षों मे कितने नये जूनियर (बेसिक) हाई स्कूलों के भवन पूर्ण होकर उनमें पढ़ाई प्रारम्भ हो चुकी है ? क्या मो0 ककरा के नवनिर्मित जूनियर हाई स्कूल का भवन अपूर्ण है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भवन पूर्ण कराकर इसमें शिक्षण कार्य प्रारम्भ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी–

पिछले दो वर्षों (वित्तीय वर्ष 2007-08 तथा 2008-09) में जूनियर हाई स्कूल हेतु कोई नवीन भवन स्वीकृत नहीं हुआ है।

जी हां।

अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध होने पर विद्यालय भवन यथाशीघ्र पूर्ण करा दिया जायेगा।

तथापि उक्त भवन में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कराकर शिक्षण कार्य कराया जा रहा है।

यथाशीघ्र।

प्रदेश में नये जू0 हा0 स्कूलों को अनुदान सूची में लिए जाने की मांग

31–श्री विश्वनाथ–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान सरकार स्थाई और असहायिक मान्यता प्राप्त "अ" श्रेणी के जूनियर हाई स्कूलों को अनुदान सूची में लेने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी–

जी नहीं।

सम्प्रति नये जू0हा0 स्कूलों को अनुदान सूची पर लिए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में महिला अस्पताल स्थापित कराये जाने की मांग

32–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पट्टी मुख्यालय पर महिला अस्पताल स्थापित किये जाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त मिश्रा–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक बाबा बेलखरनाथ धाम के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हैण्ड पम्प लगाये जाने की मांग

33–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक बाबा बेलखरनाथ धाम में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पर्याप्त मात्रा में हैण्ड पम्प न होने के कारण विद्यार्थियों को पानी पीने की असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्राथमिक विद्यालयों में हैण्डपम्प लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी–

जी हां।

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक बेलखरनाथ धाम में स्थित 05 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हैण्डपम्प नहीं हैं।

विद्यालयों में हैण्डपम्प स्थापना का कार्य ग्राम्य विकास विभाग द्वारा किया जाता है। शासनादेश संख्या 223/79-5-2008-194/2008, दिनांक 01-2-2008 के द्वारा हैण्डपम्प विहीन विद्यालयों में हैण्डपम्प लगाये जाने हेतु ग्राम्य विकास विभाग को निर्देश दिये गये हैं।

सम्बन्धित विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के पं0 दीन दयाल उपाध्याय राजकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हिन्दी प्रवक्ता की नियुक्ति की मांग

34–श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखनऊ के अन्तर्गत मध्य विधान सभा क्षेत्र में स्थित पं0 दीन दयाल उपाध्याय राजकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हिन्दी की अध्यापिका की सेवानिवृत्ति के पश्चात् अध्यापन कार्य में व्यवधान हो रहा है ? यदि हां, तो शिक्षण कार्य सुचारु रूप से जारी रखने हेतु हिन्दी विषय की अध्यापिका की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 राकेशधर त्रिपाठी–

जी नहीं। प्रश्नगत महाविद्यालय में प्रवक्ता हिन्दी की तैनाती की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के पं0 दीन दयाल उपाध्याय राजकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में भौतिक विज्ञान प्रवक्ताओं की तैनाती की मांग

35–श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र स्थित पं0 दीन दयाल उपाध्याय राजकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में विगत दो वर्ष से बी0एंस0सी0 कक्षाओं में भौतिक विज्ञान पढ़ाने के लिए कोई शिक्षक नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार शिक्षण कार्य सुचारु रूप से चलाये जाने हेतु भौतिक विज्ञान की अध्यापिका की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 राकेशधर त्रिपाठी–

जी हां।

जी हां।

उ0प्र0 लोक सेवा आयोग से नव चयनित भौतिक विज्ञान प्रवक्ताओं में से उक्त महाविद्यालय में यथाशीघ्र तैनाती कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के समस्त सरकारी अस्पतालों में औषधियों की कमी दूर करने की मांग

36–श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित सिविल, बलरामपुर डफरिन, अवन्तीबाई लोहिया अस्पताल सहित राजधानी के अन्य बाल महिला चिकित्सालों में दवाओं की कमी के दृष्टिगत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त मिश्र–

प्रश्नगत चिकित्सालयों में औषधियों की कोई कमी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाये जाने की मांग

37–डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाये जाने के सन्दर्भ में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 राकेशधर त्रिपाठी–

प्रकरण शासन के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मानक के अनुसार शिक्षकों की तैनाती की मांग

38–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कितने उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, जहां मानक के अनुसार शिक्षकों की कमी है ? क्या सरकार उक्त विद्यालयों में मानक के अनुरूप शिक्षकों को तैनात करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी–

जनपद प्रतापगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों के कुल 187 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मानक के अनुसार शिक्षकों की कमी है।

जी हां।

संवर्ग में पदोन्नति हेतु योग्यताधारी अभ्यर्थियों/शिक्षकों की उपलब्धता होने पर मानक के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पद स्थापन की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के इस्लामिया इण्टर कालेज में पुरस्कार से सम्मानित प्रवक्ता को प्रोत्साहन स्वरूप मिलने वाली वेतन वृद्धि के सम्बन्ध में जानकारी

39–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 31-12-09 तक जनपद शाहजहांपुर के इस्लामिया इण्टर कालेज में राज्य/राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित कितने ऐसे प्रवक्ता/अध्यापक हैं जिनको मिलने वाली एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि (पर्सनल पे) को पंचम/षष्ठम् वेतन आयोग के अनुसार पुनरीक्षित नहीं किया गया है ? क्या सरकार उक्त प्रवक्ताओं तथा अध्यापकों को पंचम/षष्ठम् वेतन आयोग के अनुसार मिलने वाली अतिरिक्त वेतनवृद्धि (पर्सनल पे) को पुनरीक्षित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्रा–

एक प्रवक्ता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार से सम्मानित अध्यापकों/प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापकों को अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में उनकी अगली वेतनवृद्धि के बराबर की धनराशि वैयक्तिक वेतन (पर्सनल) में स्वीकृत किए जाने की व्यवस्था है जो उन्हें भविष्य में भी पूर्ण सेवाकाल में मिलता रहेगा।

जनपद गोण्डा की कतिपय क्षेत्र पंचायतों में कस्तूरबा विद्यालयों के भवन निर्माण में गुणवत्ता की जांच

40–श्री राम बिशुन आजाद–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा की क्षेत्र पंचायत मनकापुर, छपिया, वजीरगंज, नवाबगंज में मा0 कस्तूरबा विद्यालय के भवनों का निर्माण पैक्सपेड कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदारी प्रथा से कराया जा रहा है, जिसकी गुणवत्ता मानक के अनुसार नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार निर्माण कार्य की गुणवत्ता की तकनीकी सेल गठित करके जांच करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी–

जनपद गोण्डा के क्षेत्र पंचायत छपिया में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्वीकृत नहीं हैं। क्षेत्र पंचायत मनकापुर, वजीरगंज, नवाबगंज में स्वीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भवनों का निर्माण कार्यदायी संस्था पैक्सपेड द्वारा कराया जा रहा है।

विद्यालयों के भवन निर्माण के मानक एवं गुणवत्ता की जांच हेतु जिलाधिकारी गोण्डा द्वारा तीन सदस्यीय तकनीकी समिति गठित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी एवं आसपुर देवसरा के राजकीय महिला इण्टर कालेजों में मानक के अनुसार विद्यार्थियों की बैठने की व्यवस्था कराने सम्बन्धी जानकारी

41–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी एवं आसपुर देवसरा के राजकीय महिला इण्टर कालेजों में सत्र, 2008-09 एवं 2009-10 में कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 एवं कक्षा 12 में कितने-कितने सेक्शन हैं तथा एक-एक में कितने-कितने बच्चों के बैठने की व्यवस्था है ? क्या सभी कक्षों में बच्चों के बैठने की मानक के अनुसार व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार नये सेक्शन खोलने एवं कक्ष निर्माण की अनुमति प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र–

श्री राम अजोर चौरसिया राजकीय बालिका इण्टर कालेज पट्टी, प्रतापगढ़ में वर्षवार एवं कक्षावार छात्र संख्या एवं बैठने की व्यवस्था निम्नवत् है–

कक्षा	सेक्शन	2008-09	2009-10
09	01	45	40
10	01	85	63
11	01	09	15
12	01	26	09

श्री चन्द्र भूषण शाह जी महाराज राजकीय बालिका इण्टर कालेज, आसपुर देवसरा, प्रतापगढ़ में वर्षवार एवं कक्षावार छात्र संख्या एवं बैठने की व्यवस्था निम्नवत् है–

कक्षा	सेक्शन	2008-09	2009-10
09	01	110	70
10	01	94	95
11	01	38	15
12	01	78	57

जी हां।

(इस शैक्षिक सत्र में)

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के प्रत्येक ब्लाकों के विद्यालयों में चहार दीवारी बनवाने की मांग

42–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के प्रत्येक ब्लाकों में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की चहार दीवारी

बनवाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो उनका निर्माण कार्य कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार से चहारदीवारी निर्माण हेतु स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण।

जनपद प्रतापगढ़ के राम औतार चौरसिया, राजकीय कन्या इण्टर कालेज पट्टी एवं आसपुर देवसरा में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

43–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राम औतार चौरसिया, राजकीय कन्या इण्टर कालेज पट्टी एवं आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़ में कुल कितनी शिक्षिकाओं के पद स्वीकृत हैं और उसके सापेक्ष कितनी शिक्षिकायें कार्यरत है ? सरकार द्वारा रिक्त पदों पर नियुक्तियां कब तक कर दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्रा–

1–राम अजोर चौरसिया राजकीय कन्या इण्टर कालेज, पट्टी, प्रतापगढ़ में प्रवक्ता वेतनक्रम के 09 तथा स्नातक व वेतनक्रम के 10 पद स्वीकृत हैं जिसके सापेक्ष प्रवक्ता वेतनक्रम में 02 तथा स्नातक वेतनक्रम में 04 शिक्षिकायें कार्यरत हैं।

2–राजकीय कन्या इण्टर कालेज, आसपुर देवसरा, प्रतापगढ़ में प्रवक्ता वेतनक्रम के 09 पद तथा स्नातक वेतनक्रम के 07 पद स्वीकृत हैं जिसके सापेक्ष प्रवक्ता वेतनक्रम में 01 तथा स्नातक वेतनक्रम में 04 शिक्षिकायें कार्यरत हैं।

प्रवक्ता वेतनक्रम के रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही गतिमान है। स्नातक वेतनक्रम के पदों पर मा0 उच्च न्यायालय, उत्तरांचल के आदेश के कारण नियुक्तियां अवरूद्ध हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ में प्राथमिक विद्यालयों के भवनों के निर्माण का लक्ष्य एवं इसे पूर्ण कराये जाने की मांग

44–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में जनपद प्रतापगढ़ में कितने प्राइमरी स्कूलों के भवनों के निर्माण का लक्ष्य था एवं उसमें से कितने भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है तथा शेष अधूरे भवनों का निर्माण कार्य कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी–

जनपद प्रतापगढ़ में वर्ष 2008-09 में 43 प्राथमिक विद्यालय के भवनों के निर्माण का लक्ष्य था, जिनमें से 41 प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कार्य पूर्ण हो

चुका है। 02 विद्यालयों का निर्माण भूमि विवाद के कारण पूर्ण नहीं हुआ है जिसे शीघ्र पूर्ण कराने की कार्यवाही गतिमान है।

वर्ष 2009-10 में 31 प्राथमिक विद्यालय भवनों के निर्माण का लक्ष्य है, जो निर्माणाधीन हैं जिसे शीघ्र पूर्ण कराने की कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक पट्टी के उच्च प्राथमिक विद्यालय, सारडीह के भवन निर्माण में दोषी प्रधानाध्यापक के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

45--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक पट्टी के उच्च प्राथमिक विद्यालय, सारडीह के मुख्य भवन एवं अतिरिक्त कक्ष के निर्माण के दोषी प्रधानाध्यापक के विरुद्ध थाना आसपुर देवसरा में धारा 409 के अन्तर्गत दर्ज एफ0 आई0 आर0 पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी--

जी हां।

दर्ज एफ0 आई0 आर0 पर त्वरित कार्यवाही हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा पुलिस अधीक्षक से अनुरोध किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में दोहरी शिक्षा प्रणाली समाप्त करने की मांग

46 -श्री जोखू लाल यादव--

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दोहरी शिक्षा प्रणाली (यू0पी0 बोर्ड/सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0) को समाप्त करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र--

प्रदेश में दोहरी शिक्षा प्रणाली लागू नहीं है क्योंकि प्रदेश सरकार द्वारा केवल माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों को मान्यता प्रदान की जाती है। सी0 बी0 एस0 ई0/आई0 सी0 एस0 ई0 केन्द्रीय बोर्ड हैं, जिन पर प्रदेश सरकार का नियंत्रण न होकर वास्तविक नियंत्रण नई दिल्ली स्थित उक्त बोर्डों का है। इस प्रकार प्रदेश भर में एक ही शिक्षा प्रणाली लागू है।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्तवत्।

जनपद गोण्डा के ग्रामीण अंचलों के स्वास्थ्य केन्द्रों पर एम्बुलेंस की व्यवस्था कराये जाने की मांग

47--श्री आरिफ अनवर हाशमी--

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे जनपद गोण्डा के ग्रामीण अंचलों के गम्भीर रोगियों को जिला अस्पताल तक पहुंचाने हेतु सामुदायिक

स्वास्थ्य केन्द्रों पर एम्बुलेंस की उपलब्धता है ? यदि नहीं, तो उक्त केन्द्रों पर एम्बुलेंस की व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त मिश्रा–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के कतिपय स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने सम्बन्धी जानकारी

48–डॉ0 अजय तोमर–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे जनपद बागपत के ग्राम ग्वाली खेड़ा व फज्जलापुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि हां, तो इनमें चिकित्सकों व अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति/तैनाती कब तक कर दी जाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा–

जी नहीं।

जनपद बागपत के ग्राम ग्वाली खेड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं फज्जलापुर में उपकेन्द्र स्वीकृत है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर के सरकारी अस्पतालों में एण्टी रैबीज इंजेक्शन उपलब्ध कराये जाने की मांग

49–श्री आरिफ अनवर हाशमी–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलरामपुर तथा गोण्डा में विगत छः माह में सरकारी अस्पतालों में एण्टी रैबीज इंजेक्शन की भारी कमी के कारण जनता को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद बलरामपुर के सरकारी अस्पतालों में एण्टी रैबीज इंजेक्शन उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त मिश्रा–

जी नहीं।

जनपद बलरामपुर में मांग के अनुरूप एन्टी रैबीज वैक्सीन उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में के0 जी0 इण्टर कालेज, हींग मण्डी में पद के अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्तियों की जांच

50–सूरज सिंह शाक्य–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि के0 जी0 इण्टर कालेज, हींग की मण्डी, आगरा में पद के अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्तियों, सम्बन्धी

श्री अजय भाटिया, गोला का डगरा, अछनेरा, आगरा का शिकायती–पत्र दिनांक 3-11-2009 एवं 6-12-09 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र–

जी हां।

जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा द्वारा जांच की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में नान टीचिंग स्टाफ को छठे वेतनमान के अनुरूप पेंशन का भुगतान करने की मांग

51–सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में अवकाश प्राप्त "नान टीचिंग स्टाफ" को पेंशन का भुगतान छठें वेतनमान के अनुरूप किया है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 राकेशधर त्रिपाठी–

जी हां।

(महाविद्यालय से प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त)

दिनांक 18-12-2009 से।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में वेतन समिति की संस्तुतियों के अनुसार सेवानिवृत्त अध्यापकों के पेंशन निर्धारण की कार्यवाही

52–श्री मदन चौहान–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 2006 में सेवानिवृत्त अध्यापकों की पेंशन निर्धारण की प्रक्रिया अथवा शासनादेश क्या है ? क्या गोरखपुर में उक्त का अनुपालन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र–

वेतन समिति उ0 प्र0, 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की पेंशन व राशिकरण की दरों के पुनरीक्षण विषयक शासनादेश सं0सा0-3-1508/दस-2008-308-97, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 एवं शासनादेश सं0 815/15-8-2009-3010/2009, दिनांक 26 मई, 2009 जारी किया गया है जिसके अनुसार वर्ष 2006 में सेवानिवृत्त अध्यापकों के पेंशन निर्धारण की कार्यवाही की जाती है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सी0 टी0 संवर्ग मृत हो जाने के पश्चात् रिक्त पदों पर प्रबन्धतंत्र द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति

53–श्री मदन चौहान–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से कक्षा 8 तक कृषि, काष्ठ कला, कताई, बुनाई, सिलाई व कला विषय के अध्यापकों की नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है ? क्या प्रबन्धक इन विषयों के अध्यापकों की सेवानिवृत्ति के पश्चात् उन पदों को मृत घोषित कर सकता है ? यदि नहीं तो क्या यह सही है कि महात्मा गांधी इण्टर कालेज, गोरखपुर में काष्ठ कला विषय के अध्यापक के एक मात्र पद से 2007-2008 में सेवानिवृत्ति के बाद प्रबन्धक द्वारा उक्त पद को मृत घोषित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये उक्त रिक्त पद पर नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र–

प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त व मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सी0 टी0 संवर्ग मृत हो जाने के उपरान्त कृषि, काष्ठकला, कताई, बुनाई, सिलाई व कला विषय के स्नातक वेतनक्रम में रिक्त पदों पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उ0 प्र0 इलाहाबाद द्वारा रिक्ति के अधियाचन के आधार पर चयन की कार्यवाही की जाती है। तदुपरान्त रिक्त पदों पर प्रबन्धतंत्र द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाती है।

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

54–श्री आरिफ अनवर हाशमी–

[उसरे शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न सं0–62 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बलरामपुर व गोण्डा के अस्पतालों के भवन मरम्मत व रंगाई पुताई पर विगत वर्षों में व्यय धनराशि का विवरण

55–श्री आरिफ अनवर हाशमी–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर तथा गोण्डा के अस्पतालों के भवन मरम्मत, रंगाई, पुताई के मद में विगत दो वर्षों में कुल कितना धन आवंटित हुआ तथा प्रत्येक प्रा0 स्वा0 केन्द्र एवं सामुदायिक स्वा0 केन्द्रों हेतु कितना-कितना धन भेजा गया ? क्या सरकार कराये गये कार्यों का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त मिश्रा–

जनपद बलरामपुर के अस्पतालों हेतु भवन मरम्मत एवं रंगाई, पुताई के लिए विगत दो वर्षों में कुल धनराशि रु0 77,69,098 तथा गोण्डा के अस्पतालों हेतु कुल धनराशि रु0 88,26,563 आवंटित की गई।

जनपद बलरामपुर के सामु0 स्वा0 केन्द्रों एवं प्रा0 स्वा0 केन्द्रों हेतु वित्तीय वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में आवंटित धनराशि का विवरण निम्नवत् है :–

जनपद–बलरामपुर

वर्ष	चिकित्सालय	आवंटित धनराशि (रु0)
2007–08	सा0 स्वा0 केन्द्र, तुलसीपुर	656485
	सा0 स्वा0 केन्द्र, उतरौली	393644
	सा0 स्वा0 केन्द्र, पचपेड़वा	60674
	प्रा0 स्वा0 केन्द्र, भगवानपुर	66285
	प्रा0 स्वा0 केन्द्र, बलरामपुर	97692
	प्रा0 स्वा0 केन्द्र, सरायखास	45359
	प्रा0 स्वा0 केन्द्र, मानापुर बहेरिया	62581
	प्रा0 स्वा0 केन्द्र, नचौरा	55021
	प्रा0 स्वा0 केन्द्र, गिरधरिया	62971
2008–09	सा0 स्वा0 केन्द्र, शिपपुरा	1665156
	सा0 स्वा0 केन्द्र, तुलसीपुर	1227673
	सा0 स्वा0 केन्द्र, पचपेड़वा	1368443
	प्रा0 स्वा0 केन्द्र, श्रीदंतगंज	1173846
	प्रा0 स्वा0 केन्द्र, रेहरा बाजार	893268

जनपद–गोण्डा

वित्तीय वर्ष 2007–08 में जनपद गोण्डा के प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु उपरोक्त मद में कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई।

वित्तीय वर्ष 2008–09 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु आवंटित धनराशि विवरण निम्नवत् है–

वर्ष	चिकित्सालय का नाम	आवंटित धनराशि (रु0)
2008–09	सा0 स्वा0 केन्द्र, नवाबगंज	1216000
	प्रा0 स्वा0 केन्द्र, इमलिया मिश्र	103746
	प्रा0 स्वा0 केन्द्र, रागी	102998
	प्रा0 स्वा0 केन्द्र, त्योरासी	102756
	प्रा0 स्वा0 केन्द्र, डुमरियाडीह	102383

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उपर्युक्त जनपदों में कराये गये कार्यों का विवरण निम्नवत् है–

जनपद–बलरामपुर

वर्ष	चिकित्सालय का नाम	कार्य का विवरण
1	2	3
2007–08	सा0 स्वा0 केन्द्र, तुलसीपुर	मुख्य भवन आवासों की रंगाई–पुताई मरम्मत
	सा0 स्वा0 केन्द्र, उतरौली	मुख्य भवन आवासों की रंगाई–पुताई मरम्मत
	सा0 स्वा0 केन्द्र, पचपेड़वा	मुख्य भवन आवासों की रंगाई–पुताई मरम्मत
	प्रा0 स्वा0 केन्द्र, भगवानपुर	मुख्य भवन आवासों की रंगाई–पुताई मरम्मत
	प्रा0 स्वा0 केन्द्र, बलरामपुर	मुख्य भवन आवासों की रंगाई–पुताई मरम्मत
	प्रा0 स्वा0 केन्द्र, सरायखास	मुख्य भवन आवासों की रंगाई–पुताई मरम्मत
	प्रा0 स्वा0 केन्द्र, मानापुर बहेरिया	मुख्य भवन आवासों की रंगाई–पुताई मरम्मत
	प्रा0 स्वा0 केन्द्र, नचौरा	मुख्य भवन आवासों की रंगाई–पुताई मरम्मत
	प्रा0 स्वा0 केन्द्र, गिरधरिया	मुख्य भवन आवासों की रंगाई–पुताई मरम्मत
2008–09	सा0 स्वा0 केन्द्र, शिपपुरा	मुख्य भवन आवासों की रंगाई–पुताई मरम्मत
	सा0 स्वा0 केन्द्र, तुलसीपुर	मुख्य भवन आवासों की रंगाई–पुताई मरम्मत, वाउण्ड्रीवाल का निर्माण
	सा0 स्वा0 केन्द्र, पचपेड़वा	मुख्य भवन आवासों की रंगाई–पुताई मरम्मत, वाउण्ड्रीवाल का निर्माण
	प्रा0 स्वा0 केन्द्र, श्रीदंतगंज	मुख्य भवन आवासों की रंगाई–पुताई मरम्मत, वाउण्ड्रीवाल का निर्माण .
	प्रा0 स्वा0 केन्द्र, रेहरा बाजार	मुख्य भवन आवासों की रंगाई–पुताई मरम्मत, वाउण्ड्रीवाल का निर्माण

जनपद–गोण्डा

1	2	3
2007–08	जिला पुरुष चिकित्सालय	भवन मरम्मत एवं रंगाई–पुताई
	जिला महिला चिकित्सालय	भवन मरम्मत एवं रंगाई–पुताई
2008–09	जिला पुरुष चिकित्सालय	भवन मरम्मत एवं रंगाई–पुताई
	जिला महिला चिकित्सालय	भवन मरम्मत एवं रंगाई–पुताई
	टी0 बी0 क्लीनिक	मरम्मत
	सा0 स्वा0 केन्द्र, नवाबगंज	मरम्मत
	प्रा0 स्वा0 केन्द्र, इमलिया मिश्र	मरम्मत
	प्रा0 स्वा0 केन्द्र, रागी	मरम्मत
	प्रा0 स्वा0 केन्द्र, त्योरासी	मरम्मत
	प्रा0 स्वा0 केन्द्र, डुमरियाडीह	मरम्मत

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के गोविन्द बल्लभ पन्त पी0 पी0 कालेज, प्रतापगंज में श्री विजय कुमार उपाध्याय की अनियमित नियुक्ति की जांच

56–श्री आरिफ अनवर हाशमी–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोविन्द बल्लभ पन्त पी0 पी0 कालेज, प्रतापगंज, जनपद जौनपुर में श्री विजय कुमार उपाध्याय की सैन्य विज्ञान प्रवक्ता पद पर तथा श्री विनोद कुमार उपाध्याय की स्टेनो पद पर की गई नियम विरुद्ध नियुक्ति संबंधी उच्च शिक्षा निदेशक, उ0 प्र0 का पत्र सं0 2304/डिग्री/अर्थ, दिनांक 11–10–2004 जो अनु सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6 उ0 प्र0 शासन को सम्बोधित था प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो लगभग 5 वर्ष बीत जाने के उपरान्त भी उक्त पत्र पर अब तक कार्यवाही न करने का क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक , यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 राकेश धर त्रिपाठी–

जी हां।

कार्यवाही की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के जूनियर/बेसिक विद्यालयों के सहा0 अध्यापकों की सेवाकाल में मृत्योपरान्त उनके आश्रितों को सेवायोजित कर समस्त देयों का भुगतान कराने की नीति

57–श्री सुखलाल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जूनियर/बेसिक विद्यालयों में तैनात सहायक अध्यापकों की सेवाकाल में मृत्योपरान्त उनके आश्रितों को समस्त देयों का भुगतान तथा उन्हें सेवायोजित किये जाने की विभाग की कोई नीति है ? क्या यह सही है कि जनपद उन्नाव के विकास खण्ड हिलौली के ग्राम बछौरा स्थित जूनियर बेसिक विद्यालय के सहायक अध्यापक स्व0 राकेश कुमार की मृत्यु सेवाकाल में ही दिनांक 23–2–2006 को हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या मृतक के पुत्र श्री दुर्गेश कुमार को उनके समस्त देयों के भुगतान एवं नियुक्ति का लाभ दे दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी–

जी हां।

जी हां।

मृतक के पुत्र श्री दुर्गेश कुमार की नियुक्ति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उन्नाव के आदेश दिनांक 8–2–2010 द्वारा कर दी गई है तथा मृतक की पत्नी श्रीमती शिवदेवी को अवशेष देयों का भुगतान पूर्व में ही कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर विश्वविद्यालय के मानदेय शिक्षकों के विनियमितीकरण की नीति निर्धारण सम्बन्धी जानकारी

58–डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में वर्ष 2004 से कार्यरत मानदेय शिक्षकों के विनियमितीकरण के सन्दर्भ में शासन ने कोई नीति निर्धारित की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 राकेशधर त्रिपाठी–

जी नहीं।

प्रश्नगत विश्वविद्यालय के कार्यरत मानदेय शिक्षकों के प्रकरण में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हुआ है। ऐसे शिक्षकों के पदों पर बैक डोर इन्ट्री को मान्यता देना उचित नहीं है।

59–चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी–

[उसरे शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न सं0–63 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

प्रदेश के निजी बी0 एड0 कालेजों में समस्त सीटों को काउन्सिलिंग के माध्यम से भरे जाने की व्यवस्था

60–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के निजी बी0 एड0 कालेजों में एन0आर0आई0 एवं प्रबन्ध कोटे की व्यवस्था सरकार द्वारा अनुमन्य है ? यदि हां, तो क्या वह वर्तमान में भी लागू है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 राकेशधर त्रिपाठी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

बी0 एड0 पाठ्यक्रम सत्र 2007–08 में बड़ी संख्या में एन0आर0आई0 कोटे की सीटें रिक्त रहने के कारण मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में शासनादेश संख्या 115/सत्तर–2–2008–16(49)/2004 टी0सी0, दिनांक 09 जनवरी, 2009 के द्वारा एन0आर0आई0 सहित समस्त रिक्त सीटों को काउन्सिलिंग के माध्यम से भरे जाने के आदेश दिये गये।

सत्र 2008–09 के लिये भी शासनादेश संख्या 1572/सत्तर–2–2009–3(58)/79 टी0सी0, दिनांक 14 मई, 2009 द्वारा समस्त सीटों को काउन्सिलिंग के माध्यम से भरे जाने के आदेश दिये गये हैं।

प्रदेश के जिला चिकित्सालयों में कार्यरत ब्लड बैंक की संख्या

61–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कितने जिला चिकित्सालयों में ब्लड बैंक कार्य कर रहे हैं, क्या जनपद प्रतापगढ़ के चिकित्सालयों में स्थापित ब्लड बैंक कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त मिश्रा–

प्रदेश के 53 राजकीय चिकित्सालयों में ब्लड बैंक क्रियाशील हैं। जनपद प्रतापगढ़ के जिला चिकित्सालय में ब्लड बैंक स्थापित एवं क्रियाशील है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मानक के अनुसार चिकित्सकों की तैनाती

62–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पट्टी विधान सभा क्षेत्र जनपद प्रतापगढ़ के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मानक के अनुसार चिकित्सक तैनात हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त मिश्रा–

जी नहीं।

प्रदेश के पी0एम0एच0एस0 संवर्ग में कुल 5511 चिकित्साधिकारियों के पद रिक्त होने के कारण सभी जिलों में रिक्तियां हैं। रिक्त पदों का अधियाचन उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग को भेजा गया है जिसके सापेक्ष आयोग द्वारा चयन की कार्यवाही की जा रही है। आयोग से चयन/संस्तुतियां प्राप्त होने/प्रोन्नति के उपरान्त चिकित्सकों के रिक्त पदों को यथा उपलब्धता भरा जायेगा।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के चिकित्सालयों पर अल्ट्रासाउण्ड मशीनें तथा रेडियोलाजिस्ट की तैनाती की मांग

63–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पट्टी विधान सभा क्षेत्र जनपद प्रतापगढ़ में कितने–कितने उच्चीकृत एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं इनमें से कितने स्वास्थ्य केन्द्रों पर अल्ट्रासाउण्ड मशीनें तथा रेडियोलाजिस्ट की तैनाती की गई है ? यदि नहीं तो उक्त चिकित्सालयों पर अल्ट्रासाउण्ड मशीनें तथा रेडियोलाजिस्ट की तैनाती की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त मिश्रा–

पट्टी विधान सभा क्षेत्र जनपद प्रतापगढ़ में 08 उच्चीकृत एवं 09 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। 01 स्वास्थ्य केन्द्र पर अल्ट्रासाउण्ड मशीन है परन्तु रेडियोलाजिस्ट की तैनाती नहीं है।

अल्ट्रासाउण्ड मशीनों एवं रेडियोलाजिस्ट की अनुपलब्धता के कारण तैनाती संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के लघु एवं सीमान्त कृषकों को फ्री बोरिंग की सुविधा

64–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में लघु एवं सीमान्त कृषकों को वर्ष 2009–10 में फ्री बोरिंग की सुविधा दी जा रही है ? यदि हां, तो उक्त वर्षों में सरकार द्वारा जनपद प्रतापगढ़ का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया एवं लक्ष्य के सापेक्ष अब तक कितने कृषक लाभान्वित हुये हैं ?

श्री लखीराम नागर–

जी हां।

चालू वित्तीय वर्ष में जनपद प्रतापगढ़ का निःशुल्क बोरिंग का लक्ष्य 867 निर्धारित किया गया था एवं लक्ष्य के सापेक्ष माह जनवरी, 2010 तक 867 कृषकों को लाभान्वित किया गया है।

65–डॉ0 अनिल चौधरी–

[तृतीय गुरुवार के अतारांकित प्रश्न सं0 58 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के छात्रसंघों के गठन की नीति

66–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्रसंघों के गठन हेतु सरकार कोई नीति बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह क्या है और उसे कब तक लागू कर दी जायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

डॉ0 राकेशधर त्रिपाठी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्र संघों के चुनाव के सम्बन्ध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित है। समिति की संस्तुतियों पर विचार कर यथावश्यक निर्णय लिया जायेगा।

प्रदेश में हाईस्कूल स्तर की परीक्षा में ग्रेडिंग/क्रेडिट प्रणाली लागू किये जाने सम्बन्धी जानकारी

67–श्री मदन चौहान–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार द्वारा कोई माध्यमिक शिक्षा नीति बनाई गई है ? यदि हां, तो समान शिक्षा प्रणाली व ड्राप आउट नीति ग्रेड़िंग लागू कर दी गई है ? यदि हां, तो वह किन मानकों पर आधारित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र–

प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार एवं शैक्षिक स्तरोन्नयन हेतु परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार हेतु निर्गत शासनादेश संख्या 1718/15–7–09–1(252)/2008, दिनांक 29–6–2009 के अनुक्रम में विनियम में अपेक्षित संशोधन किये गये हैं।

माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं में ड्राप आउट कम करने के दृष्टिकोण से शासनादेश संख्या 48/15–7–10–1(6)/2010, दिनांक 27–01–2010 द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद् की हाईस्कूल स्तर की परीक्षा में ग्रेडिंग/क्रेडिट प्रणाली लागू कर दी गयी है।

हाईस्कूल परीक्षा के प्रयोगात्मक विषयों के मूल्यांकन हेतु 05 प्वाइंट ग्रेडिंग प्रणाली तथा सैद्धान्तिक विषयों में 09 प्वाइंट ग्रेडिंग प्रणाली की व्यवस्था लागू की गयी है। इसके अतिरिक्त हाईस्कूल परीक्षा में 06 में से किन्हीं पांच विषयों में सफल परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किये जाने के साथ ही दो विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों को जुलाई माह में किसी एक विषय में कम्पार्टमेन्ट/इम्प्रूवमेन्ट परीक्षा दिये जाने की सुविधा प्रदान की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में प्राचार्य एवं प्रवक्ता के पदों का विवरण एवं रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

68–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) विद्यमान हैं एवं इस संस्थान में कुल प्राचार्य सहित उप प्राचार्य व वरिष्ठ प्रवक्ताओं के पद स्वीकृत हैं ? यदि हां, तो स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार द्वारा इन्हें भरने की कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी–

जनपद प्रतापगढ़ में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान विद्यमान है। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, प्रतापगढ़ में प्राचार्य का 01, उप प्राचार्य का 01 तथा वरिष्ठ प्रवक्ता के 06 पद स्वीकृत हैं।

वर्तमान में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, प्रतापगढ़ में उप प्राचार्य का 01 तथा वरिष्ठ प्रवक्ता के 06 पद रिक्त हैं।

रिक्त पदों को भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता एवं स्टाफ की नियुक्ति की जानकारी

69–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी स्थित राजकीय महाविद्यालयों में सभी विषयों में प्रवक्ता तथा कार्यालय स्टाफ की नियुक्ति नहीं की गई है जिससे विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन विषयों के लिये प्रवक्ता सहित कार्यालय स्टाफ की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 राकेशधर त्रिपाठी–

जी नहीं। राजकीय महाविद्यालय मंगरौरा, प्रतापगढ़ में मात्र प्रवक्ता–भू–गर्भ विज्ञान, सांख्यिकी, शिक्षा शास्त्र, शारीरिक शिक्षा तथा कनिष्ठ लिपिक का एक–एक पद रिक्त है। इसी प्रकार राजकीय महाविद्यालय ढिढुयी प्रतापगढ़ में भी मात्र प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र का एक पद रिक्त है।

राजकीय महाविद्यालय ढिढुयी, प्रतापगढ़ में कार्यालय स्टाफ के सभी पद भरे हुये हैं।

जी हां।

प्रवक्ता के रिक्त पदों पर लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर तैनाती की जा सकेगी।

राजकीय महाविद्यालय मंगरौरा, प्रतापगढ़ में कनिष्ठ लिपिक का एक पद रिक्त होने से कार्य प्रभावित नहीं हो रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में शिक्षकों के अभाव में बन्द पड़े प्राथमिक विद्यालयों को चालू कराये जाने की मांग

70–श्रीमती कृष्णा राज–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के अभाव में बन्द पड़े हैं ? क्या सरकार शिक्षकों के अभाव में बन्द पड़े विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती कर शिक्षण कार्य चालू करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जी हां।

संवर्ग मे योग्यताधारी अध्यापकों/अभ्यर्थियों की उपलब्धता पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के थाना मदनापुर के ग्राम करनपुर पट्टी की प्राथमिक पाठशाला पर हुये अवैध कब्जे को हटाये जाने की मांग

71–श्रीमती कृष्णा राज–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद शाहजहांपुर के ग्राम करनपुर पड़री, थाना मदनापुर में प्राथमिक पाठशाला के नाम दर्ज गाटा संख्या 341/0.12, 342/0.105 व 343/0.065 पर अवैध कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो अवैध कब्जे को कब तक हटवा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी–

जी हां।

कब्जा हटवाने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी में शिक्षकों के अभाव में बन्द पड़े विद्यालयों को चालू कराये जाने की मांग

72–श्रीमती कृष्णा राज–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत लगभग 38 प्रा0 विद्यालय एवं लगभग 38 जू0 विद्यालय शिक्षकों के अभाव में बन्द पड़े हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार शिक्षकों के अभाव में बन्द पड़े उक्त विद्यालयों में समयबद्ध सीमा के अन्तर्गत शिक्षकों की नियुक्ति करके शिक्षण कार्य प्रारम्भ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी–

जी हां।

बन्द विद्यालयों में शीघ्र ही शिक्षण कार्य हेतु शिक्षकों की व्यवस्था, नवीन नियुक्तियां एवं पदोन्नति द्वारा की जा रही है।

उक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के रानी लक्ष्मीबाई राजकीय संयुक्त चिकित्सालय राजाजीपुरम् में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

73–श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ स्थित रानी लक्ष्मीबाई राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, राजाजीपुरम् में चिकित्सकों के अनेक पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो उनकी नियुक्तियां कब तक हो जायेंगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अनन्त मिश्रा–

जी हां।

प्रदेश के पी0एम0एच0एस0 संवर्ग में कुल 5511 चिकित्साधिकारियों के पद रिक्त होने के कारण सभी जिलों में रिक्तियां हैं। रिक्त पदों का अधियाचन शासनादेश दिनांक 25–08–09 द्वारा लोक सेवा अयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भेजा गया है जिसके सापेक्ष आयोग द्वारा चयन की कार्यवाही की जा रही है। आयोग से चयन/संस्तुतियां प्राप्त होने तथा प्रोन्नति के उपरान्त चिकित्सकों के रिक्त पदों को यथा उपलब्धता भरा जायेगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद महामाया नगर में नवीन प्राथमिक विद्यालय की स्वीकृति

74–डॉ0 अनिल चौधरी–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महामायानगर में वर्ष 2008–09 में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 100 असेवित बस्तियों के सापेक्ष पात्र 22 स्थलों पर नवीन प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण हेतु स्वीकृति दी गई है ? क्या सरकार समस्त असेवित बस्तियों में नवीन प्राथमिक विद्यालय स्थापित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी–

वर्ष 2008–09 में भारत सरकार से जनपद महामायानगर हेतु 22 नवीन प्राथमिक विद्यालय की ही स्वीकृति प्राप्त हुई थी।

चरणबद्ध रूप में असेवित बस्तियों में नवीन प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये जा रहे हैं। जनपद महामायानगर हेतु वर्ष 2009–10 में भारत सरकार से 16 नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने की स्वीकृति प्राप्त हुई थी जो ऐसी असेवित बस्तियों में खोले जा चुके हैं जहां पूर्व से ई0जी0एस0 केन्द्र संचालित थे।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं प्रशिक्षण संस्थान कार्यालयों में विद्यालयों से सम्बद्ध कर्मचारियों को उनके नियुक्ति स्थान पर तैनाती किये जाने की मांग

75–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कार्यालयों में बेसिक शिक्षा परिषद् के भिन्न–भिन्न संवर्ग के कर्मचारी सम्बद्ध हैं ? क्या इस सम्बद्धता के कारण विद्यालयों के कार्यालय का कार्य बाधित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों को उनके नियुक्ति स्थान पर तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी–

जी हां।

जी हां।

सम्बद्धता समाप्त करने के आदेश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यरत कर्मियों के स्थानान्तरण की मांग

76–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पांच वर्ष या उससे अधिक समय से कार्यरत कर्मियों को स्थानान्तरण नीति के तहत स्थानान्तरित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी–

जी नहीं।

वर्तमान समय में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 04 लिपिकों का कार्यकाल 05 वर्ष से कम है। एक कर्मी जो उर्दू अनुवादक के पद पर 05 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं, इसका स्थानान्तरण नहीं होता है।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के बनकर तैयार विद्यालय भवनों पर शिक्षकों की तैनाती व कक्षायें संचालित कराये जाने की मांग

77–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पट्टी जनपद प्रतापगढ़ में ऐसे कितने जूनियर हाईस्कूल हैं, जिनके भवन वर्षों से बनकर तैयार हैं परन्तु उनमें अध्यापकों के अभाव में कक्षायें संचालित नहीं हो पा रही हैं ? यदि हां तो क्या उक्त जूनियर हाईस्कूलों में कक्षायें संचालित करने की कोई कार्य योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी–

ऐसा कोई जूनियर हाईस्कूल नहीं है, जहां कक्षाएं संचालित नहीं हैं, जहां कक्षाएं संचालित न हों। जिन स्कूलों का भवन तैयार हो चुका है वहां पर शिक्षकों की तैनाती कर कक्षाएं संचालित की जा चुकी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के चिकित्सालयों में एनेस्थिस्ट की नियुक्ति करने की मांग

78–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पट्टी जनपद प्रतापगढ़ के चिकित्सालयों में एनेस्थिस्ट के कितने पद रिक्त हैं, यदि हां, तो रिक्त पदों पर एनेस्थिस्ट की नियुक्ति की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त मिश्रा–

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के चिकित्सालयों में एनेस्थिस्ट के 06 पद रिक्त हैं। लोक सेवा आयोग से संस्तुति प्राप्त होने पर नियमानुसार नियुक्तियां की जायेंगी।

प्रश्न नहीं उठता।

उच्च शिक्षण संस्थाओं द्वारा छात्रों से मनमानी फीस वसूलने पर रोक लगाये जाने की मांग

79–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उच्च शिक्षण संस्थाओं द्वारा छात्रों की फीस निर्धारण करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई नीति या मानक निर्धारित किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार संस्थाओं के द्वारा मनमानी फीस वसूलने पर रोक लगायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जनपद प्रतापगढ़ में शासनादेशों का पालन नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

डॉ0 राकेशधर त्रिपाठी–

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सवित्त मान्यता प्राप्त माध्यमिक बालक व बालिका विद्यालय

80–श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 14–10–1986 के पूर्व शासन से मान्यता हेतु अनुमोदित एवं दिनांक 14–10–86 के पश्चात् माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा धारा 7(क) सवित्त मान्यता प्राप्त 24 माध्यमिक विद्यालयों के

प्रकरण शासन स्तर पर अनुदान सूची पर लिये जाने हेतु विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त 24 विद्यालयों की अनुदान सूची पर लिये जाने हेतु कब तक शासनादेश निर्गत किया जायेगा ? उक्त विद्यालयों में से कितने बालक एवं कितने बालिका विद्यालय हैं ? क्या बालिका विद्यालयों को उक्त विद्यालयों से पृथक वरीयता सूची में रखा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र–

जी हां।

प्रकरण नीति विषयक है और शासन के विचाराधीन है।

सवित्त मान्यता प्राप्त 24 विद्यालयों में 20 बालक एवं 04 बालिका विद्यालय हैं। विद्यालयों को पृथक से वरीयता सूची में रखे जाने का कोई अलग से प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में आई0जी0टी0 बाम्बे योग्यताधारी अभ्यर्थी को विशिष्ट बी0टी0सी0 के चयन में शामिल करने की मांग

81–चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विशिष्ट बी0टी0सी0 के चयन में बी0एड0, सी0पी0एड0, बी0पी0एड0 आदि योग्यताधारी अभ्यर्थियों को पात्र माना जाता है ? यदि हां तो क्या सरकार आई0जी0टी0 बाम्बे योग्यताधारी अभ्यर्थी को विशिष्ट बी0टी0सी0 के चयन में शामिल करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी–

जी हां।

शासनादेश दिनांक 14–11–2008 में विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2008 के चयन हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होगी तथा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों तथा राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा संचालित महाविद्यालयों/प्रशिक्षण विद्यालयों से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमन्य संस्थागत बी0एड0 उत्तीर्ण अभ्यर्थी अथवा प्रदेश में संचालित महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, प्रशिक्षण महाविद्यालयों से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त एल0टी0/बी0पी0एड0/डी0पी0एड0/सी0पी0एड0 संस्थागत प्रशिक्षण उत्तीर्ण अभ्यर्थी, जो अन्य समस्त अर्हताएं पूर्ण करते हो, ही अर्ह होंगे।

जी नहीं।

शासनादेश दिनांक 14–11–2008 में विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2008 के चयन हेतु न्यूनतम शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हता निर्धारित है। विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2008 की चयन प्रक्रिया अन्तिम चरण में है। ऐसी स्थिति में इस चयन प्रक्रिया में आई0जी0टी0 बॉम्बे अर्हता को सम्मिलित किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है।

82–चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी–

[उसरे शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न सं0–64 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद जालौन के जिला अस्पताल उरई में फिजीशियन एवं हृदय रोग विशेषज्ञ के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

83–श्री विनोद चतुर्वेदी–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अस्पताल, उरई जनपद जालौन में फिजीशियन एवं हृदय रोग विशेषज्ञ के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जिला चिकित्सालय में रिक्त पदों पर फिजीशियन एवं हृदय रोग विशेषज्ञ की तैनाती पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त मिश्रा–

जी हां।

विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा गया है। लोक सेवा आयोग से चिकित्सकों के चयन की संस्तुति प्राप्त होने पर नियमानुसार रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के गोपीराम पालीवाल इण्टर कालेज के श्री गोविन्द प्रसाद को विकलांग कोटे में आरक्षण दिये जाने की मांग

84–श्री पूरन प्रकाश–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0 18–1–2008 (1) का–2/2008, दिनांक 3 फरवरी, 2008 के द्वारा समस्त विभागों में विकलांगों को पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित किया गया है ? यदि हां, तो क्या गोपीराम पालीवाल इण्टर कालेज, अलीगढ़ में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी गोविन्द प्रसाद की विकलांग आरक्षण कोटे के अन्तर्गत तृतीय श्रेणी में पदोन्नति की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र–

कार्मिक विभाग से निर्गत अधिसूचना दिनांक 03 फरवरी, 2008 राजकीय कर्मचारियों के लिये प्रभावी है। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में उक्त अधिसूचना प्रभावी नहीं है।

गोपीराम पालीवाल इण्टर कालेज, अलीगढ़ एक अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय है। अतएव विकालांग आरक्षण कोटे में पदोन्नति सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बागपत के राजकीय कन्या इण्टर कालेज, तुगाना में शिक्षकों की नियुक्ति विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

85–डॉ0 अजय तोमर–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र कम्प्यूटर संख्या : सी–10211953, पत्र संख्या सी0एम0/वि0को0/एम0 211953/2009, जो राजकीय कन्या इण्टर कालेज, तुगाना, जनपद बागपत में शिक्षकों की नियुक्ति के

सम्बन्ध में है तथा जो मुख्य मंत्री कार्यालय से दिनांक 16-11-2009 को प्रमुख सचिव/सचिव, माध्यमिक शिक्षा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र–

जी हां।

प्रवक्ता वेतनक्रम में रिक्त पदों को भरने हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है। आयोग से चयनित सूची प्राप्त होने पर रिक्त पदों को भरा जा सकेगा। स्नातक वेतनक्रम के रिक्त पदों पर मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड के आदेश के कारण भर्ती की कार्यवाही अवरुद्ध है। मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड के आदेश के अनुपालन में याचीगणों के प्रत्यावेदन राज्य परामर्शदात्री समिति द्वारा निस्तारित करने के उपरान्त भरा जा सकेगा।

लिपिक वर्ग में 02 पद (01 वरिष्ठ लिपिक तथा 01 कनिष्ठ लिपिक) तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 07 पद स्वीकृत हैं जिसके सापेक्ष वरिष्ठ लिपिक में 01, कनिष्ठ लिपिक में 01 तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 02 पद भरे हुए हैं। चतुर्थ श्रेणी के शेष रिक्त पदों को जिला विद्यालय निरीक्षक, बागपत के स्तर से प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त स्थानान्तरण /समायोजन से शीघ्र संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा भर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ के प्रा0 पा0 सुरानी के सेवानिवृत्त अध्यापक स्व0 गिरवर सिंह के समस्त देयों का भुगतान उनके आश्रितों को कराने का प्रकरण

86–डॉ अजय तोमर–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र कम्प्यूटर संख्या : सी–10210765 पत्र संख्या सी0एम0/वि0को0/एम0 210765/2009, जो स्व0 गिरवर सिंह, सेवानिवृत्त अध्यापक, प्रा0 पा0 सुरानी, ब्लाक दौराला, जनपद मेरठ की आश्रित पत्नी श्रीमती भगवती देवी को उनके समस्त देयों का भुगतान करने एवं पारिवारिक पेंशन के सम्बन्ध में है उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी–

जी हां।

कार्यालय अवशेष देयों के भुगतान हेतु वांछित प्रमाण-पत्र संबंधित प्राध्यापक के आश्रितों द्वारा उपलब्ध न कराये जाने के कारण नियमानुसार उनके अवशेष देयों का भुगतान किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। उक्त के अतिरिक्त उनके आश्रितों को नियमानुसार पारिवारिक पेंशन देय नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज में अनुदानित मदरसों के प्राथमिक स्तर के छात्रों को मध्याह्न भोजन योजना का लाभ दिये जाने सम्बन्धी जानकारी

87–श्री अमरमणि त्रिपाठी–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज के अन्तर्गत मध्याह्न भोजन योजना का लाभ मान्यता/अनुदानित मदरसों के प्राथमिक स्तर के छात्रों तक सीमित है या इसका लाभ मदरसों के फौकानियां (जूनियर) स्तर के छात्रों को भी दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी–

जी हां।

सम्प्रति प्राथमिक स्तर के अनुदानित मदरसें योजना से आच्छादित है। जूनियर स्तर के अनुदानित मदरसों के संबंध में आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महाराजगंज की तहसील नौतनवां के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण

88–श्री अमरमणि त्रिपाठी–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज की तहसील-नौतनवां के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लक्ष्मीपुर (एकमा) का निर्माणाधीन भवन कब तक बनकर जनता के सेवार्थ खोला जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त मिश्रा–

जनपद महराजगंज की तहसील–नौतनवां के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लक्ष्मीपुर (एकमा) का भवन निर्माण दिनांक 31-12-2010 तक तैयार कराकर जनता के सेवार्थ हस्तान्तरित कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महाराजगंज की तहसील नौतनवां के विद्यालयों में विद्युतीकरण के कार्य का कथित प्रकरण

89–श्री अमरमणि त्रिपाठी–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज की तहसील-नौतनवां अन्तर्गत प्राथमिक/जूनियर विद्यालयों में विद्युतीकरण एवं वायरिंग का कार्य अभी तक अपूर्ण है ? यदि हां, तो इन विद्यालयों में विद्युतीकरण एवं वायरिंग का कार्य कब तक पूरा किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

90–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में बेसिक शिक्षा परिषद् के विद्यालयों में कुल कितने अध्यापकों के पद रिक्त हैं एवं कितने विद्यालयों में केवल शिक्षा मित्र कार्य कर रहे हैं ? क्या सरकार शिक्षा मित्रों के माध्यम से चल रहे विद्यालयों में नियमित अध्यापकों की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी–

विधान सभा क्षेत्र पट्टी के परिषदीय विद्यालयों में मानक के अनुसार कुल 267 शिक्षकों के पद रिक्त हैं, परन्तु उक्त विधान सभा क्षेत्र में कोई भी ऐसा विद्यालय नहीं है जहां केवल शिक्षा मित्र कार्यरत हों। सभी विद्यालयों में परिषदीय शिक्षक तैनात हैं।

जी हां।

संवर्ग में योग्यताधारी अभ्यर्थियों/शिक्षकों की उपलब्धता पर मानक के अनुसार शिक्षकों के रिक्त पदों पर पदस्थापन की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद मण्डल के जिला अस्पतालों में कतिपय रिक्त पदों पर टेक्नीशियनों की नियुक्ति की मांग

91–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या इलाहाबाद मण्डल के प्रत्येक जनपद में जिला अस्पतालों, प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्रों, सा0 स्वा0 केन्द्रो में पैथालाजिस्ट, लैब टैक्नीशियन, फार्मासिस्टों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार रिक्त पदों पर नियुक्तियां करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त मिश्रा–

जी हां।

जी हां।

लोक सेवा आयोग से संस्तुतियां प्राप्त होने पर नियमानुसार पैथालाजिस्ट की नियुक्ति की जायेगी तथा प्रशिक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर लैब टेक्नीशियन व फार्मासिस्टों के पदों को नियमानुसार भरा जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के कतिपय राजकीय इण्टर कालेज में प्रधानाचार्य व प्रवक्ता के रिक्त पदों के भरे जाने की मांग

92–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के राजकीय इण्टर कालेज पट्टी एवं आसपुर देवसरा में प्रधानाचार्य व प्रवक्ता के

कितने पद रिक्त हैं ? इन रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र–

जी हां,

राजकीय बालिका इंटर कालेज पट्टी में प्रधानाचार्या के 01 तथा प्रवक्ता (महिला शाखा) के 07 पद, राजकीय बालिका इंटर कालेज आसपुर देवसरा में प्रधानाचार्या के 01 तथा प्रवक्ता (महिला शाखा) के 08 पद रिक्त हैं।

[पट्टी एवं आसपुर देवसरा में राजकीय इण्टर कालेज (बालक) नहीं हैं।]

प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या (बालक/बालिका) के पद उ0प्र0 शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा समूह-ख (उच्चतर) संवर्ग के हैं। समूह-ख (उच्चतर) में अधिकारियों की कमी के कारण अधिक संख्या में पद रिक्त चल रहे हैं। प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या के सीधी भर्ती/पदोन्नति कोटे के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु अधियाचन उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है। आयोग से चयनित अधिकारी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों पर तैनाती किया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रवक्ता वेतनक्रम के रिक्त पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है। आयोग से चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने पर इन रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में बालिकाओं हेतु आवासीय विद्यालय खोलने की मांग

93–श्रीमती कृष्णा राज–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में विकास खण्ड पसगंवा मोहम्मदी एवं मितौली के अन्तर्गत बालिकाओं की शिक्षा हेतु कोई आवासीय विद्यालय नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार बालिकाओं की शिक्षा हेतु आवासीय विद्यालय खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र–

जी हां, कोई आवासीय विद्यालय नहीं है।

ऐसी कोई योजना सम्प्रति विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के पण्डित राम प्रसाद बिस्मिल संयुक्त चिकित्सालय में एम0 आर0 आई0 मशीन उपलब्ध कराये जाने की मांग

94–श्री राजेश यादव–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर स्थित पण्डित राम प्रसाद बिस्मिल संयुक्त चिकित्सालय में एम0 आर0 आई मशीन कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त मिश्रा–

जी नहीं।

चिकित्सक विशेषज्ञों की कमी के दृष्टिगत एम0आर0आई0 मशीन उपलब्ध कराने का औचित्य नहीं है।

प्रदेश में चिकित्सकों के यूनिट्स में प्रशिक्षण दिये जाने की अवधि से सम्बन्धित महामहिम राज्यपाल के पत्र पर एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 द्वारा की गयी कार्यवाही

95–श्री चौ0 रवीन्द्र प्रताप–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2009 के 1लें मंगल के अतारांकित प्रश्न संख्या-21 के उत्तर के संदर्भ में क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत विषय पर महामहिम राज्यपाल के आदेश संख्या-ई-2586 जी0एस0 दिनांक 18-6-96 द्वारा निर्णीत आदेश निदेशक, एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 एवं प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को कब तक प्राप्त हुआ है तथा उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त मिश्रा–

कार्यपालक कुलसचिव, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि महामहिम राज्यपाल के आदेश संख्या-ई-2586 जी0एस0, दिनांक 18.06.96 की प्रति संस्थान में प्राप्त हुई है, तथा महामहिम श्री राज्यपाल एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के अनुपालन में नियमानुसार प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र डॉ0 अनिल कुमार श्रीवास्तव को निर्गत किया जा चुका है। कार्यालय अभिलेखों के अनुसार वर्ष 1996 का अनुभागीय पत्र रजिस्टर उपलब्ध न हो पाने के कारण संदर्भित महामहिम राज्यपाल के आदेश सम्बन्धी पत्र दिनांक 8.06.96 के प्राप्त होने अथवा न होने की स्थिति स्पष्ट नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र महमूदाबाद के ग्राम नहरवल में कस्तूरबा गांधी विद्यालय के निर्माण में धांधली विषयक प्राप्त शिकायती पत्र पर कार्यवाही

96–श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र महमूदाबाद के अन्तर्गत ग्राम नहरवल थाना रामपुर मथुरा में कस्तूरबा गांधी विद्यालय का भवन निर्माण निर्माणाधीन एजेन्सी/ठेकेदारों द्वारा निम्न स्तर का कराये जाने व मानक व गुणवत्ता के विपरीत कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 12–11–09 उन्हें प्राप्त हुआ है ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि उक्त भवन निर्माण में मानक से कम नींव भरी गई है तथा 150 बोरी सीमेंट बेंची गई जिसमें क्रेता दिनेश आदि का चालान भी हुआ है, जिसका मु0अ0सं0–213/09 धारा 41/411 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत दर्ज हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी ठेकेदार व कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का प्रकरण की टी0ए0सी0 जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में गिरते हुए भूजल स्तर को रोकने की व्यवस्थायें

97–श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में गिरते हुए भूजल स्तर को रोकने के लिये सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनाई जा रही हैं ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लखीराम नागर–

प्रदेश में गिरते हुए भूजल स्तर की रोकथाम के उद्देश्य से सरकार द्वारा बहुआयामी रणनीति अपनायी जा रही है। इसके अन्तर्गत विभिन्न विभागों द्वारा अपनी-अपनी योजनाओं के अधीन भूजल संवर्धन हेतु विभिन्न कार्य कराये जाते हैं। सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में विभिन्न रिचार्ज पद्धतियों के माध्यम से अधिक से अधिक वर्षा जल संचयन/भूजल संवर्धन किये जाने हेतु निम्न व्यवस्थायें की गयी हैं :–

(1) नगरीय क्षेत्रों की महायोजना/जोनल प्लान में प्राकृतिक जलाशयों/तालाबों का संरक्षण अनिवार्य कर दिया गया है।

(2) नगरीय क्षेत्रों में 20 एकड़ अथवा अधिक क्षेत्रफल की आवासीय योजनाओं के ले आउट प्लान्स में 5 प्रतिशत भूमि पर भूजल की रिचार्जिंग हेतु तालाब/जलाशय निर्मित किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

(3) पार्कों में पक्का निर्माण 5 प्रतिशत तक ही सीमित रखने को अनिवार्य कर दिया गया है।

(4) 300 वर्ग मी0 अथवा अधिक क्षेत्रफल में निर्मित होने वाले समस्त प्रकृति के भवनों में रुफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना को अनिवार्य कर दिया गया है।

(5) पूर्व में निर्मित शासकीय/ अर्द्धशासकीय भवनों तथा भविष्य में निर्मित होने वाले शासकीय /अर्द्धशासकीय भवनों में रुफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति स्थापित किये जाने को अनिवार्य कर दिया गया है।

(6) आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों पर रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना की जा रही है। भू–गर्भ जल विभाग द्वारा पद्धति की स्थापना माडल के रूप में की जा रही है।

(7) यह भी निर्देश दिये गये हैं कि प्रत्येक जनपद में ऐसे तालाब जल स्रोत जिन पर अवैध कब्जा/अतिक्रमण हुआ है, उनसे अतिक्रमण हटाया जाय। साथ ही प्रत्येक जनपद में अवस्थित तालाबों/पोखरों एवं अन्य परम्परागत जल स्रोतों की सफाई करने के निर्देश दिये गये हैं।

(8) भू–गर्भ जल के प्रबन्धन, संतुलित उपयोग तथा संरक्षण के प्रति जनमानस में जागरुकता लाने हेतु प्रत्येक वर्ष 10 जून को सम्पूर्ण प्रदेश में 'भूगर्भ' दिवस जल शासकीय दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

दिनांक 15 फरवरी, 2010 के तारांकित प्रश्न संख्या 1 के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, सम्पूर्ण विपक्ष ने नियम 311 की एक सूचना दी है, कृपया उसे ले लें।

श्री अध्यक्ष–

हां, ठीक है।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके संज्ञान में है कि कल एक तारांकित प्रश्न संख्या 1 के संदर्भ में, जो आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित था, उसका अनुपूरक करते हुये मैंने यह जानना चाहा था कि क्या केन्द्र से कोई सूचना सरकार को प्राप्त हुयी और हुयी तो उसके बाद आपने क्या कार्यवाही की। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा था और कोई सूचना प्राप्त होने का तो प्रकरण उन्होंने अलग कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने पहले से ही पुलिस को वहां सक्रिय कर दिया है और आज के सभी समाचार-पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मा0 अध्यक्ष महोदय, मा0 सदस्य ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर कल अनुपूरक प्रश्न किया था। मान्यवर, आपने कल उसका उत्तर भी दिलाया और जितना सम्भव हो सका हमने उत्तर देने का काम किया। बार-बार यह समाचार-पत्र का जिक्र करके और इसके प्रकाशन की बात करके वहां के बारे में उल्लेख करना सुरक्षा की दृष्टि से भी उचित नहीं है और मान्यवर, किसी भी चैनल या अखबार को भी हमारी सुरक्षा के बारे में अगर इस तरह बातें आती हैं तो निश्चित रूप से उस पर और चर्चा करना उचित नहीं होगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस प्रकार की बातें न आयें।

श्री अध्यक्ष–

मा0 चौधरी साहब, अगर आप प्रश्नों के सन्दर्भ में कोई व्यवस्था उठाना चाहते हैं तो उसमें आप यह पूछ सकते हैं कि आपको उत्तर स्पष्ट नहीं मिला या उत्तर भ्रामक हो गया या प्रश्न के विपरीत हो गया यह चीजें तो आप पूछ सकते हैं। आप दूसरी स्टोरी बना रहे हैं, मा0 मंत्री जी ने जवाब दिया कि नहीं मिला और आज अखबार में छप गया कि भारत सरकार ने कहा है, यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, मैं अनुरोध करता हूं कि आप प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के अध्याय 11 के नियम 63 को देखने की कृपा करें। मैं उस विशेषाधिकार के तहत यह आपको मौखिक सूचना दे रहा हूं कि मा0 मंत्री जी ने कहा कि मैंने पहले से ही अपने पुलिस तन्त्र को एलर्ट कर दिया है। माननीया मुख्यमंत्री जी ने कल अपने प्रेस कान्फ्रेन्स में यह कहा है कि केन्द्र से सूचना मिलने के बाद ही हमने एलर्ट किया है और संज्ञान में लिया है। मान्यवर, यह दोनों बातें बिल्कुल विपरीत हैं।

श्री अध्यक्ष–

चलिये, आप नियमों में उठाइये।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

इसलिए जब मा0 मंत्री जी अनुपूरक का उत्तर दें तो वह उत्तर सत्य परक होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और सुसंगत होना चाहिए और यह कहीं से भी सुसंगत नहीं है, तथ्यपरक नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसके लिए नियमों में व्यवस्था है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

इसलिये मैं नियम 63 के अन्तर्गत विशेषाधिकार की अवहेलना तथा अवमानना की सूचना दे रहा हूं लिखित रूप में मैं आपको बाद में दे दूंगा।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 16 फरवरी, 2010 को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 42 सूचनायें प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयीं :–

क्र0सं0	मा0 सदस्य का नाम
1	श्री अनुग्रह नारायण सिंह
2	श्री विश्वनाथ
3	श्री अरुण कुमार यादव
4	श्री सर्वेश कुमार सिंह 'सीपू'
5	श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा
6	श्री राम बिशुन आजाद
7	श्री उदय राज यादव
8	श्री बैजनाथ दुबे
9	श्री आरिफ अनवर हाशमी
10	श्री अनूप कुमार गुप्ता
11	श्री लालजी यादव
12	श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू
13	श्री दुर्गा प्रसाद यादव
14	श्री राजाराम त्यागी
15	डॉ0 राजेन्द्र सिंह
16	श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भईया
17	श्री लल्लू सिंह
18	श्री अशोक कुमार सिंह
19	श्री संजीव दरियाबादी
20	श्री संजय कपूर
21	श्रीमती विद्या चौधरी
22	श्री अनूप सण्डा
23	श्री धर्मेन्द्र कुमार कश्यप
24	श्री राजेश कुमार गौतम
25	श्री चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी
26	श्रीमती विमलेश
27	डॉ0 अजय तोमर
28	श्री अब्दुल वारिस खां
29	श्री माता प्रसाद पाण्डेय
30	श्री पूरन प्रकाश
31	श्री प्रदीप माथुर
32	श्री चौधरी धूराम लोधी
33	श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा
34	श्री मदन भईया उर्फ मदन गोपाल
35	श्री राधेश्याम जायसवाल
36	श्री विनोद चतुर्वेदी
37	श्री ओम प्रकाश सिंह ओ0 पी0 सिंह

माननीय सदस्यों के नाम जिनकी सूचनायें अस्वीकार की गईं :-- (रिपीट)

1. श्री अवधेश प्रसाद 2–जावेद अंसारी 3–श्री जोखू लाल यादव 4–श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला 5–श्री सुरेश कुमार खन्ना

(स्वीकृत सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

इलाहाबाद नगर में रेलवे क्रासिंगों पर फ्लाई ओवर ब्रिज बनाने के लिये रेल विभाग को समानुपातिक धनराशि अभी तक प्रदान न करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

[उत्तर प्रदेश शासन द्वारा इलाहाबाद नगर में रेलवे क्रासिंगों पर फ्लाई ओवर ब्रिज बनाने के लिये रेल विभाग को समानुपातिक धनराशि न प्रदान करने के कारण भारी असंतोष एवं अव्यवस्था व्याप्त है। नगर क्षेत्र में 6 रेलवे स्टेशन यथा इलाहाबाद जंक्शन, प्रयाग स्टेशन, दारागंज, रामबाग तथा नैनी एवं सुबेदारगंज है। चारों तरफ रेलवे लाइनें जाती हैं, ये रेलवे लाइनें सड़कों को रामबाग में लाउदर रोड, आई0ई0आर0टी0 इलाहाबाद के सामने प्रयाग स्टेशन रोड, पूरा गड़रिया में चैथम लाइन से शिवकुटी रोड तथा गल्ला बाजार में चैथम लाइन्स रोड को काटती है। नगर की अधिकांश आबादी इन्हीं रेलवे क्रासिंगों से प्रतिदिन गुजरती है यातायात व्यवधान तथा समय की अधिक बर्बादी के साथ ही साथ दुर्घटना भी होती रहती है। रेल विभाग ने 2008-09 में उक्त रेलवे क्रासिंगों पर फ्लाई ओवर पुल बनाने के लिये उत्तर प्रदेश शासन को भेजा है किन्तु यहां पर वह ठण्डे बस्ते में डाल दिया गया है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर अविलम्ब फ्लाई ओवर पुलों के निर्माण हेतु समानुपातिक धनराशि प्रदान करने एवं निर्माण करने की मांग करता हूं]

माध्यमिक शिक्षा में नियमों/अधिनियमों के उल्लंघन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विश्वनाथ–

[मान्यवर, आपको अवगत कराना है कि जनपद कुशीनगर में माध्यमिक शिक्षा में प्रबंध समिति के गठन में शिक्षा अधिनियम में वर्णित विनियम 105 के अन्तर्गत माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को प्रबंध समिति के सदस्य और पदाधिकारी के रूप में स्थापित किये जाने की क्रिया अरसे से जारी है। विद्यालय में विभाग और नियमों के उल्लंघन से बड़े पैमाने पर समस्यायें पैदा हुईं। इस प्रकरण को लेकर काफी चिन्ता और गम्भीर वातावरण हर जगह से सृजित हुआ हैं।

अतः इस लोक महत्व के विधिक और जनहित के प्रश्न पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के नियमों का पालन कराये जाने की मांग करता हूं।]

[ ]–यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ग्राम्य विकास संस्थान, बी0 के0 टी0, लखनऊ में कार्यरत लेखाकार श्री आनन्द कुमार सिंह को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अरुण कुमार यादव–

[मैं माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से इस सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि श्री आनन्द कुमार सिंह उम्र 36 वर्ष निवास शासकीय आवास 2/85 विभाग, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बी0 के0 टी0 लखनऊ में मौलिक रूप से सहा0 लेखाकार के पद पर माह अप्रैल 1998 से अनवरत सेवारत शासकीय दायित्वों का निष्ठा एवं लगन के साथ निर्वहन करते हुए अपनी सेवा को नियमित किये जाने हेतु (दिनांक 03-12-04, 07-11-05, 09-05-06, 09-05-2006) हेतु विभाग में कई प्रत्यावेदन दिये। ओवर ऐज होने की स्थिति में नियमितीकरण हेतु माननीय उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 4948 (एस0/एस0)/06 योजित किया। मा0 उच्च न्यायालय ने दिनांक 26-05-2006 को नियमितीकरण किये जाने के तिथि तक बगैर सेवा बाधित किये हुए रखे जाने के आदेश पारित किये थे।

परन्तु विभाग द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत कर शासन प्रशासन को भ्रमित एवं गुमराह किया जाता रहा है। मा0 उच्च न्यायालय ने दिनांक 28.08.2008 को विभाग को गलत तथ्य व शपथ प्रत्र प्रस्तुत किये जाने पर विभाग के संयुक्त निदेशक व उप निदेशक को व्यक्तिगत रूप से पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी किया।

उक्त के क्रम में श्रीमती सुनीता सिंह पत्नी श्री आनन्द कुमार सिंह के पत्र पर मा0 ग्राम्य विकास मंत्री, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ पत्रांक 114/वी0 आई0 पी0/मंत्री/ग्रा0वि0/10 दिनांक 21-01-2010 द्वारा वर्णित तथ्यों का परीक्षण कराकर प्रार्थी का बकाया वेतन का शीघ्र भुगतान कराये तथा विलम्ब के लिए दोषी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने का आदेश दिया गया है। इसके बावजूद श्री आनन्द कुमार सिंह को माह 2006 से वेतन आदि का भुगतान नहीं किया गया है। वेतन भुगतान न होने से आनन्द कुमार सिंह के बच्चे शिक्षा दीक्षा से वंचित हो गये हैं। आर्थिक कठिनाई के कारण परिवार का भरण-पोषण कर पाने में असमर्थ हो गया है।

अतः मैं सदन से मांग करता हूं कि श्री आनन्द कुमार सिंह को सवेतन बहाल किये जाने के निर्देश सरकार को देने का कष्ट करें।]

[ ]–यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किसान इण्टर कालेज बभनान, बस्ती में तैनात कर्मचारी का वेतन भुगतान न किये जाने एवं सेवा से वंचित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सर्वेश कुमार सिंह "सीपू"–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, श्री राम कुमार पुत्र स्व0 पच्चा निवासी ग्राम पिंजरावां पोस्ट बहलोलपुर, जनपद हरदोई की नियुक्ति 31 जनवरी, 1991 को सहायक लिपिक के पद पर किसान इण्टर कालेज बभनान, बस्ती में की गई थी और अनुसूचित जाति कोटे के तहत नियुक्त श्री राम कुमार को वेतन भी दिसम्बर, 93 तक नियमित रूप से दिया गया। उसके बाद लगातार यह सेवारत रहे। बीच-बीच में अवकाश भी प्रबन्धक द्वारा स्वीकृत किया गया। हस्ताक्षर पंजिका पर लगातार हस्ताक्षर भी होता रहा। परन्तु वर्ष 1994 (जनवरी, 1994) से अब तक का वेतन भुगतान नहीं किया गया और बीच में ही सेवा से पृथक करने की कार्यवाही भी मौखिक रूप से की गयी। इस तरह से अनुसूचित जाति के कर्मचारी का शोषण हो रहा है। नियमों को नजरंदाज करते हुए सेवा से वंचित करने की साजिश हो रही है। इसमें जिला विद्यालय निरीक्षक बस्ती की भूमिका संदिग्ध है। क्यों कि वर्तमान समय में हस्ताक्षर पंजिका से नाम भी हटा दिया गया है। क्योंकि उक्त सहायक लिपिक द्वारा अपने परिस्थितियों से शासन को अवगत कराया। अगर किसी प्रकार की कोई शिकायत है तो लिखित रूप से उसकी जानकारी उक्त सहायक लिपिक से मांगी जा सकती थी। उक्त छोटे कर्मचारी के साथ कोई घटना होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी जिला विद्यालय निरीक्षक बस्ती व कार्यालय के संबंधित कर्मचारियों की होगी। यह गम्भीर विषय है एवं लोक महत्व का है।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए पीड़ित कर्मचारी को न्याय दिलाये जाने एवं सेवा में लिये जाने की मांग करता हूं।]

पिपरमिंट के तेल पर मण्डी शुल्क लगाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)–

[महोदय, मैं आपके माध्यम से अति लोक महत्व के प्रश्न की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सम्पूर्ण प्रदेश के किसान पिपिरमेन्ट के तेल का उत्पादन भारी मात्रा में करते हैं जिससे प्रदेश को काफी राजस्व की प्राप्ति होती है कुछ दिन पूर्व तेल पर 2.5% मण्डी शुल्क लगा दिया गया, तेल गन्ने के तरह कच्चा उत्पादन है तेल से फ्लेग, सोल्ड, दाना पर मण्डी टैक्स ही देय है, मेन्था आयल पर जो मण्डी टैक्स लगाया गया है मेन्था आयल का उत्पादन इससे घट जायेगा और प्रदेश को राजस्व की हानि होगी। सम्पूर्ण देश का किसान आहत और परेशान है व आन्दोलित है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त किसानों पर टैक्स को माफ करने की मांग करता हूं तथा सरकार का ध्यान आकृष्ट किये जाने की मांग करता हूं।]

[ ]–यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद गोण्डा में वर्ष 2007 से 2009 तक तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी द्वारा नरेगा योजना को सही तरीके से संचालित न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम विशुन आजाद–

[मान्यवर, आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि प्रदेश में मनरेगा के अन्तर्गत गरीबों को रोजगार दिये जाने हेतु सरकार द्वारा योजना को लागू किया गया परन्तु अधिकारियों की लापरवाही से गरीबों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। जनपद गोण्डा में वर्ष 2007–08, 2008–09, 2009–10 में तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी गोण्डा द्वारा मनरेगा योजना को सही तरीके से संचालित न करके अपने तरीके से योजना को जनपद में संचालित किया है। इनकी सांठ–गांठ से शासकीय धन का भारी पैमाने पर दुरुपयोग किया गया है। जाब कार्ड धारकों को एवं महिलाओं को 100–100 दिन का रोजगार नहीं दिया गया है। तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी गोण्डा द्वारा जाब कार्ड धारकों के श्रमिकों हेतु फावड़ा, तसला, गैंती, शिकायत पेटिका, आलमारी, फर्नीचर, खिलौना, दवा, टेण्ट आदि सामग्री बिना निविदा कराये अपने चहेतों से बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर क्रय कर ग्राम पंचायतों में अपना दबाव बनाकर आपूर्ति कराया गया है। इनके द्वारा कुछ ग्राम पंचायतों को मनरेगा के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि दिया गया है, जबकि ग्राम पंचायतों की मांग के आधार पर क्षेत्र पंचायतों के रिवाल्विंग फण्ड से धन आवंटित किया जाता है। जबकि जाब कार्ड के अनुसार ही ग्राम पंचायतों के खातों में धनराशि दिया जाता है। परन्तु इनके द्वारा मनमाने तरीके से धन का दुरुपयोग किया गया और अपने तरीके से योजना को संचालित किया।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए उच्च स्तरीय जांच एवं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

उन्नाव जनपद में पुरवा वि0स0 क्षेत्र में आने वाले पुरवा अहमदाबाद मार्ग को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री उदय राज यादव–

[महोदय, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र पुरवा, जनपद उन्नाव के अन्तर्गत पुरवा से अहमदाबाद ग्रान्ट मार्ग का निर्माण कार्य वर्ष 2005–06 में समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हुआ था। मार्ग का निर्माण भी प्रारम्भ हो गया था। मार्ग निर्माण में जो लागत आनी थी वह धन भी शासन द्वारा प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग उन्नाव को दे दिया था। धन विभाग द्वारा किसी अन्य मद में खर्च कर दिये जाने के कारण जिन लोगों के नाम अनुबन्ध था, भुगतान न मिलने के कारण मार्ग का निर्माण पूर्ण नहीं किया गया जिसके कारण आज भी मार्ग अधूरा पड़ा हुआ है और क्षेत्र की जनता को आवागमन में अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

[ ]–यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय को सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये शीघ्र उक्त मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु आवश्यक निर्देश दिये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद गोण्डा के कटरा वि0 स0 क्षेत्र में कतिपय ग्राम मार्गों को पक्की सड़क से जोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बैजनाथ दुबे–

[मान्यवर, आपके माध्यम से मा0 सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के कुछ राजस्व ग्राम जिनकी आबादी 1000 से अधिक है तथा इन गांवों में अनुसूचित जाति की आबादी भी 30 प्रतिशत से अधिक है। परन्तु पक्की सड़क से नहीं जुड़े हैं जिसके कारण इन गांवों के लोगों का अपना उत्पाद बेचने एवं आवागमन की सुविधा न होने से अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उक्त ग्रामों का नाम क्रमशः निम्न है विकास खण्ड कटरा बाजार में उर्दी गोण्डा, गौरिया, झौंहना पश्चिमी, मोहन टपरा, झाला, बखरिया, जेठपुरवा एवं विकास खण्ड हलधरमऊ में ग्राम भटनइया, भरसड़ा नूरपुर, बंजरिया ग्राम सड़क से जुड़े नहीं हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये शीघ्र कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद गोण्डा के सादुल्लानगर में विकास खण्ड रेहरा बाजार में ग्राम पंचायत अधिकारी के कृत्यों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री आरिफ अनवर हाशमी–

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा सादुल्लानगर, जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड रेहरा बाजार में ग्राम पंचायत अधिकारी पद पर एक व्यक्ति लगभग 10 वर्षों से तैनात है जो इसी विकास खण्ड का मूल निवासी है। तथा इनका सगा भाई ए0 डी0 ओ0 के पद पर तैनात है वह भी इसी विकास खण्ड में तैनात है। ग्राम पंचायत अधिकारी के जिम्मे लगभग 10 ग्राम पंचायतें विकास के लिये हैं। सरकार द्वारा भेजे गये विकास के कार्यों में सरकारी धन से किन गांव में कौन सा कार्य हो रहा है एक व्यक्ति इस ग्राम पंचायतों का किस प्रकार निर्वहन कर रहा है। उक्त व्यक्ति ने सरकारी धन का बड़े पैमाने पर प्रधानों से मिलकर घोटाला किया है जिसकी उच्च स्तरीय जांच कराया जाना जनहित में होगा। जांच कार्य में बाधा न आये इसलिये उक्त दोनों व्यक्तियों को जनपद के बाहर स्थानान्तरित किया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए शीघ्र प्रभावी कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद सीतापुर विकास खण्ड पिसांवा की सड़क का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अनूप कुमार गुप्ता–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, जनपद सीतापुर विकास खण्ड पिसांवा अन्तर्गत काली पाकड़ से अमरिता तक जिसकी लम्बाई 6 किमी0 है, करीब दस वर्ष से उक्त मार्ग पर पत्थर पड़ा है। परन्तु उस सड़क का डामरीकरण न होने के कारण स्थानीय लोगों को आने–जाने में काफी असुविधा हो रही है। यह मार्ग बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है, जनहित में तत्काल उक्त मार्ग का निर्माण कराया जाना आवश्यक है। यह मार्ग पिछड़े हुये क्षेत्र में है और किसानों को अपनी फसलें लेकर आने–जाने में बहुत असुविधा होती है। यह बहुत ही गम्भीर और लोक महत्व का विषय है।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुये सरकार का ध्यान आकृष्ट किये जाने एवं उक्त मार्ग का डामरीकरण तक निर्माण कार्य कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र बांसी में अधिक विद्युत कटौती किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री लालजी यादव–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, आदर्श व्यापार मण्डल बांसी जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा 20–6–09 को विद्युत कटौती से संबंधित प्रकरण को लेकर बांसी नगर पालिका में धरना दिया गया था। जिसमें बड़े पैमाने पर व्यापार मण्डल के लोग व आम जनता के लोग धरने में रोडवेज चौराहे पर सम्मिलित हुये। जिसमें स्थानीय प्रशासन द्वारा जबरदस्त लाठीचार्ज किया गया और फर्जी एफ0आई0आर0 कुछ लोगों के विरुद्ध दर्ज कराया गया। पूर्व से उक्त धरने की सूचना दिनांक 18–6–09 में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली बांसी को लिखित रूप से व्यापार मण्डल द्वारा दिया गया था। निर्दोष लोगों के विरुद्ध मुकदमें पंजीकृत किये जाने के कारण स्थानीय लोगों में भारी रोष व्याप्त है। यह बहुत ही गम्भीर एवं लोक महत्व का विषय है।

अतः इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये निर्दोष लोगों के विरुद्ध फर्जी एफ0आई0आर0 वापस लिये जाने की मांग करता हूं।]

[ ]–यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद सीतापुर के बम्हनावा (रेउसा) विद्युत उपकेन्द्र मिठौली फीडर एवं पोल व तार बदले जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जनपद सीतापुर के बम्हनावा (रेउसा) विद्युत उप केन्द्र का मिठौली फीडर पूरी तरह जर्जर है। गत वर्ष आयी आंधी में कई विद्युत पोल टूट गये थे जो टूटे पड़े हैं और विद्युत तार सड़क के किनारे लगे वन विभाग के पेड़ों से बांध दिये गये हैं। आये दिन तार टूटने से दुर्घटनायें होती रहती हैं। स्वयं विद्युत कर्मचारी भी दुर्घटना के शिकार होते हैं। उक्त फीडर को मरम्मत का स्टीमेट (40 विद्युत पोल) दिनांक 19–11–09, पत्रांक 6211 अधि0 अभियन्ता सीतापुर के यहां से मण्डलीय विद्युत अधिकारी के पास भेजा गया है। जो स्वीकृत हेतु लम्बित है। उक्त फीडर के सैकड़ों गांव की विद्युत आपूर्ति महीनों तक बाधित रहती है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुये सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने एवं शीघ्र प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु उक्त विद्युत लाइन को तत्काल ठीक कराये जाने की मांग करता हूं।]

आजमगढ़ पावर कारपोरेशन विभाग में श्री सुरेन्द्र पाठक को समायोजित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

[महोदय, आपके माध्यम से जनहित की सूचना पर सदन का ध्यान दिलाते हुये अवगत कराना चाहता हूं अभ्यर्थी श्री सुरेन्द्र पाठक, पठखौली, आजमगढ़ से अधिशासी अभियन्ता पावर कारपोरेशन 400 के0बी0 सब स्टेशन द्वारा वर्ष 1997 व पूर्व वर्षों में विभाग द्वारा नौकरी में परिवार के एक व्यक्ति का समायोजन करने के लिये आवेदन–पत्र अभ्यर्थियों से मांगा गया है। पुनः समायोजन हेतु वर्ष 2002 में अधिकारियों द्वारा अभ्यर्थी से आवेदन मांगा गया। वर्ष 2003 में दिनांक 29–5–03 को आवेदन–पत्र अस्वीकृत कर दिया गया अन्य छः लोगों का भी अस्वीकृत कर दिया गया दिनांक 17–12–2003 को मा0 उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की जिसके सापेक्ष में नौकरी देने के पक्ष में दिनांक 8–7–2008 को उच्च न्यायालय, लखनऊ द्वारा निर्णय हुआ। सी0एम0डी0 द्वारा दिनांक 24–7–2008 को प्रकरण पर आख्या मांगी गयी पुनः 17–11–2008 को समायोजन हेतु आवेदन–पत्र लाभार्थियों से मांगा गया। समस्त प्रकरण मा0 ऊर्जा के संज्ञान में आने के बाद दिनांक 16–9–2009 को उच्च न्यायालय के परिपालन में नौकरी में समायोजन हेतु प्रबन्ध निदेशक पूर्वांचल को निर्देशित किया गया।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर अभी तक इस प्रकरण पर सी0एम0डी0 द्वारा निर्णय न लिये जाने से सभी लाभार्थियों में निराशा उत्पन्न हो रही है तथा प्रकरण लम्बित पड़ा हुआ है। समायोजन हेतु शीघ्र निर्णय लिये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकर्षित किये जाने की मांग करता हूं।]

[ ]–यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद रायबरेली में धान क्रय करने व उनकी बिलिंग कराने में भारी गोलमाल किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजा राम त्यागी--

[मैं सदन का ध्यान रायबरेली जनपद की धान क्रय करने वाली विभिन्न एजेन्सियों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। जनपद रायबरेली में धान क्रय करने व उनकी बिलिंग कराने में भारी गोलमाल किया जाता है। उक्त जनपद में विशेषकर महराजगंज तहसील में फर्जी राइस मिलें हैं अर्थात् कागज पर तो चल रही है किन्तु स्थल पर उनका नामोनिशान नहीं है साथ ही एक ही राइस मिल के नाम फर्जी बिलिंग भी दिखाई जा रही है, फर्जी बिलिंग दिखाकर अधिकारी और मिल मालिकों के मध्य से भारी गोलमाल एवं भ्रष्टाचार किया जा रहा है।

अतः इस लोकमहत्व एवं जनहित के सुनिश्चित विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुये उक्त प्रकरण की जांच सी0आई0डी0/आर्थिक अनुसंधान शाखा से कराकर किये जा रहे भ्रष्टाचार को रोके जाने हेतु सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।]

आगरा जनपद के फतेहाबाद क्षेत्र में एक मिनी खेल स्टेडियम बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डॉ0 राजेन्द्र सिंह--

[महोदय, आगरा जनपद के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में खेलों को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार की मंशा के अनुरूप एक मिनी स्टेडियम की बेहद जरूरत है ताकि ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का एक साधन मिल सके इसके लिये विकास खण्ड शमसाबाद में कोलाराकलां ग्राम के पास एक जगह भी उपलब्ध है।

सरकार से इस विषय में तुरन्त यथोचित कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद फतेहपुर के ग्राम सभा सीर ब्लाक भिटौरा का पानी खारा होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया--

[महोदय, ग्राम सभा सीर ब्लाक भिटौरा, जनपद फतेहपुर में पीने का पानी अत्यन्त खारा है जिससे वहां की जनता पेट के मरीज हो गये हैं। पीने का पानी दूसरे गांवों से लाना पड़ता है। महामारी की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। ग्रामीण जनता को पीने का पानी उपलब्ध न होने से आक्रोश भी उत्पन्न हो रहा है। स्थिति दिन प्रतिदिन भयावह होती जा रही है। पड़ोस के गांव मवई जो कि ग्राम सभा सीर से लगभग 2.0 किमी0 दूर स्थित है, से ग्रामीणों को पीने हेतु पानी की व्यवस्था की जाये। ग्रामीणों के खराब होते स्वास्थ्य को देखते हुये यह नितान्त आवश्यक है। इस संबंध में कई बार ग्रामीणों द्वारा मांग भी की गयी है परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद फैजाबाद में विद्युत सप्लाई की व्यवस्था हेतु 33/11 के0वी0एस0 का सब स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री लल्लू सिंह–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जनपद फैजाबाद अन्तर्गत विद्युत सप्लाई की समस्या के निदान हेतु पूरा बाजार में निर्मित कराये जा रहे 33/11 के0वी0ए0 का सब स्टेशन का निर्माण कार्य पूर्ण कराकर विद्युत अपूर्ति न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

जनपद फैजाबाद में विद्युत आपूर्ति की समस्या के निदान हेतु पूरा बाजार में 33/11 के0वी0 विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कराया जा रहा है जिसका निर्माण भवन तथा चहारदीवारी का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है परन्तु कई वर्षों शासन एवं प्रशासन की उदासीनता के कारण ही इसका सम्पूर्ण कार्य पूर्ण कराकर चालू नहीं कराया जा रहा है ज़िसके कारण इस क्षेत्र के निवासियों को विद्युत आपूर्ति की समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है ज़िससे जनमानस में आक्रोश व्याप्त है शासन एवं सरकार की छवि भी धूमिल हो रही है। जनहित में पूरा बाजार के इस विद्युत सब स्टेशन की कमियों को पूर्ण कराकर विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से चालू कराया जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये पूरा बाजार जनपद फैजाबाद के नवनिर्मित विद्युत सब स्टेशन को चालू कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद रायबरेली के दो विद्युत उपकेन्द्र क्रमशः सरेनी एवं मलके गांव सब स्टेशन को डबल ग्रुपिंग सिस्टम से संचालित कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अशोक कुमार सिंह–

[मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी में स्थापित 33/11 के0वी0ए के दो बिजली घरों क्रमशः विद्युत उपकेन्द्र सरेनी एवं विद्युत उपकेन्द्र मल्केगांव को पोषक लाइन, डलमऊ से पूरी बिजली आपूर्ति न हो पाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में आकृष्ट कराना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र सरेनी मे 33/11 के0वी0ए0 के दो विद्युत उपकेन्द्र क्रमशः सरेनी एवं मल्के गांव में स्थापित हैं। उनको बिजली आपूर्ति डलमऊ से पोषक लाइन बनाकर की जाती है, जो 132 के0वी0ए0 की पोषक लाइन से सप्लाई की जाती है। जब किसानों को बिजली की सख्त आवश्यकता होती है, तब दोनों विद्युत

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उपकेन्द्र चलने पर ओवर लोड हो जाता है ओर दोनों पावर हाउस ठीक से चल नहीं पाते हैं तथा दोनों पावर हाउस ट्रिप हो जाते हैं। बार-बार ट्रिप होने के कारण क्षेत्र के किसानों को आवश्यकता के मुताबिक बिजली नहीं मिल पाती है, जिससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। उक्त समस्या के निराकरण के लिये एक अलग से नई पोषक लाइन बनाये जाने की आवश्यकता है। जब तक एक अलग से नई पोषक लाइन न बना दी जाय, तब तक दोनों विद्युत उपकेन्द्र क्रमशः सरेनी एवं मल्केगांव को "डबल ग्रुपिंग सिस्टम" से चलाने की कार्यवाही की जाय, तो किसानों की समस्या का कुछ हद तक निराकरण हो सकता है। इसके अलावा क्षेत्र में एक अलग से पोषक लाइन बनाये जाने की नितान्त आवश्यकता है। अलग से पोषक लाइन बन जाने से दोनों विद्युत उपकेन्द्र क्रमशः सरेनी एवं मल्केगांव अलग-अलग चल सकेंगे और क्षेत्र के किसानों को पर्याप्त बिजली मिल सकेगी।

अतः मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार से कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

उ0 प्र0 में लागू प्रवेश कर को संशोधित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री संजीव दरियाबादी-

[मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान वर्तमान में उ0 प्र0 में लागू "प्रवेश कर" की ओर दिलाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में माल पर प्रवेश कर अधिनियम सर्वप्रथम 01 नवम्बर, 1999 से प्रदेश में लागू हुआ। इसमें वर्ष 2008 में संशोधन किया गया और फिर वर्ष 2009 में पुनः संशोधन के साथ वर्तमान में लागू है। इसी बीच नियमावली भी 22 दिसम्बर, 1999 जारी की गयी, जो बीच-बीच में संशोधन के साथ और वर्तमान में अपने नये रूप में लागू है। मा0 न्यायालय में इस कानून को आयल कारपोरेशन आफ इण्डिया लि0 ने चैलेन्ज किया और 27 जनवरी, 2004 को इसे संविधान की धारा 301 के विपरीत पाकर अल्ट्रा वायर्स घोषित किया गया। वर्तमान स्थिति यह है कि प्रारम्भ में सरकार को आशा से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ किन्तु बाद में कर संग्रह लड़खड़ा गया, इससे यह निष्कर्ष निकालना उचित हो कि यद्यपि यह कर प्रणाली भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश में सबसे अन्त में लागू की गयी, किन्तु इसे लागू करने में अत्यन्त हड़बड़ी, अनावश्यक कठोरता, और अव्यवहारिकता का परिचय दिया गया है। प्रवेश कर अधिनियम, 2007 में बहुत सी त्रुटियां, विषमतायें और बाधायें हैं, जिसे दूर किया जाना अति आवश्यक है। मौजूदा त्रुटियों के कारण उद्योग और व्यापार पर बुरा असर पड़ रहा है।

अतः मैं इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर के गोधी में 33 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री संजय कपूर–

[मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद रामपुर तहसील बिलासपुर के 33 के0वी0 गोधी उपकेन्द्र की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। यहां पर 20–25 गांवों में विद्युत आपूर्ति लगभग 15 किमी0 दूर अशोक नगर से की जा रही है, जिस वजह से विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से नहीं मिल पाती है। यह क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है, लेकिन विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से न मिलने के कारण कृषकों को काफी असुविधा हो रही है। गोधी में 33 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र बनवाये जाने की मांग काफी लम्बे समय से की जा रही है। इस विद्युत उपकेन्द्र का प्रस्ताव भी शासन में आ चुका है। विद्युत उपकेन्द्र न होने की वजह से क्षेत्र की जनता में काफी रोष व्याप्त है। जनहित में कृषकों की असुविधा को ध्यान में रखते हुये जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर के ग्राम गोधी में 33 के0वी0 का विद्युत उपकेन्द्र अविलम्ब बनवाया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्वपूर्ण एवं अविलम्बनीय प्रश्न को सदन में उठाये जाने की अनुज्ञा प्रदान करें।]

विधान सभा मेंहनगर आजमगढ़ के कतिपय मार्गों को ठीक कराने/नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती विद्या चौधरी–

[महोदय, निवेदन है कि विधान सभा मेंहनगर आजमगढ़ के अन्तर्गत निम्नलिखित सड़कों का निर्माण कार्य होना अति आवश्यक है। सड़क न बनने से जनता को आने जाने में काफी कठिनाई हो रही है। जनता में काफी आक्रोश है।

(1) मेंहनगर खरिहानी मार्ग गौतम नगर से शम्भूनगर तक लेपन कार्य वि0ख0 मेंहनगर, (2) ग्राम खरगपुर पिच से अनु0 बस्ती तक लेपन कार्य वि0ख0 मेंहनगर, (3) आजमगढ़ जौनपुर मार्ग ठेकमा से नर्वे ग्राम पंचायत तक राजबहा पटरी लेपन कार्य वि0ख0 मार्टिनगंज, (4) सुरहन अनु0 बस्ती से सुरहन राजभर बस्ती तक लेपन कार्य वि0ख0 मार्टिनगंज, (5) पल्थी शाहगंज मार्ग से समसपुर हेते हुये डीह कैथौली पिच रोड तक लेपन कार्य वि0ख0 फूलपुर, (6) फुलेस अनु0 बस्ती से बाजार तक लेपन कार्य वि0ख0 मार्टिनगंज।

अतः आप से निवेदन है कि निम्नलिखित सड़कों को लोकहित के महत्व को ध्यान में रखते हुये अविलम्ब निर्माण कार्य के लिये धन स्वीकृत कराने का कष्ट करें।

शासन का ध्यान आकृष्ट करें।]

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद सुल्तानपुर में बांध (मूंज) उत्पादन के कार्य में लगे निषाद समुदाय के लोगों का बिचौलियों द्वारा शोषण किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अनूप सण्डा–

[सुल्तानपुर जिले में लगभग पचास हजार निषाद समुदाय के लोग बांध (मूंज) का उत्पादन कर, उसे बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। बांध बनाना एक अत्यन्त कष्टप्रद कार्य है, जिसमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हाथों की उंगलियां कट जाती है। परन्तु कड़ी मेहनत के बावजूद निषाद समुदाय के इन कारीगरों को अपनी मेहनत का समुचित मूल्य नहीं मिल पाता है। इन अनपढ़ और भोले–भाले लोगों को बिचौलियों के शोषण का शिकार होना पड़ता है। क्योंकि सरकार द्वारा इनके उचित विपणन के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है। पिछले कई वर्षों से नगर के आस–पास बांध मण्डी की स्थापना की घोषणा हो रही है परन्तु यह भी अब तक व्यवहारिक रूप नहीं ले पाई है।

यह बांध बनाने वाले लोग प्रायः नदियों के किनारे निवास करते हैं जहां न ठीक से सड़कें बनी हैं न ही शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है। यह आवश्यक है कि निषाद बस्तियों को पक्की सड़कों के माध्यम से जोड़ा जाये। इन बस्तियों में पर्याप्त मात्रा में इण्डिया मार्का–II हैण्डपम्प स्थापित किये जाएं व बाध बनाने वाले लोगों के उत्पादों को उचित दरों पर बेचने की सरकार व्यवस्था सुनिश्चित करे।

अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रकरण पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने तथा वक्तव्य दिलाये जाने की मांग करता हूं।]

श्री दिनेश कुमार यादव, ग्राम गौरी, थाना पकड़ी, जिला बलिया को सक्षम अधिकारी से जांच कराकर पुलिस भर्ती प्रक्रिया में शामिल कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री धर्मेन्द्र कुमार कश्यप–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं, मान्यवर, श्री दिनेश कुमार यादव पुत्र श्री चन्द्र देव यादव ग्राम गौरी, थाना पकड़ी जिला बलिया के निवासी हैं। इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण हैं और स्नातक के छात्र हैं। उ0 प्र0 पुलिस में कांस्टेबिल की भर्ती हो रही है यह जनपद बलरामपुर पुलिस लाइन में शारीरिक मापन हेतु दिनांक 8–12–09 को इनकी नाप हुई जिसका रोल नम्बर 15012228 है। मापन में लम्बाई 168.3 सेमी0 पायी गयी किन्तु सीने की नाप में जानबूझ करके कमी दिखाकर इसको भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। पुनः 29–1–2010 को दुबारा मापन के लिये जब यह पुलिस लाइन गया तो इस बार सीने की नाप ठीक मानकर लम्बाई कम होने की बात कही गयी और जबरदस्ती भर्ती प्रक्रिया से इसे बाहर कर दिया गया। उच्च अधिकारियों को इस तथ्यों से अवगत कराने के बाद भी दिनेश कुमार यादव को डांट कर वहां से भगा दिया गया, मात्र यादव होने के कारण इसे अपमानित किया गया। यह बहुत ही गम्भीर है।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतः इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुये किसी सक्षम अधिकारी से जांच कराकर इन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल किये जाने एवं न्याय दिलाये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट किये जाने की मांग करता हूं।]

जिला लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत स्थित मीलपुरवा से पूजागांव के मध्य टूटे बांध को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेश कुमार–

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरे जिला लखीमपुर खीरी में स्थित शारदा नदी का बांध मील पुरवा से पूजा गांव के मध्य में टूट जाने से क्षेत्रीय जनता की खड़ी हजारों एकड़ में खड़ी पूरी फसल बरबाद हो गयी है उसके टूटने से ग्राम श्रीनगर बरौला, तेधुआ, हजरतपुर, गंगाभेड़, पिपरा मेलवला, राजापुर बलवापुर, बिरहान, कालीपुरवा सैदापुर इत्यादि सैकड़ों गांव पूरी तरह से बरबाद हो गये हैं। उनके घर पूरी तरह से बरबाद हो गये हैं। सरकार द्वारा काफी राहत सामग्री उपलब्ध करायी गयी है। परन्तु अभी काफी लोगों को कोई सहायता नहीं मिल सकी है। कच्चा बांध होने के कारण आये दिन लोगों को बाढ़ के पानी से भारी क्षति होती है। कई करोड़ रुपये की क्षति हो चुकी है। वहां पर पक्का बांध न बनने से क्षेत्रीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये मांग करता हूं कि उक्त नदी पर वहां पर पक्का बांध बनवा दिया जाये तथा बंधे के किनारे दीवाल बना दिया जाये या टेपर में बोल्डर लगा दिया जाये जिससे वह बांध न टूटे एवं हो रही राजस्व क्षति को रोका जा सके।]

महिला कल्याण निदेशालय के एक एन0जी0ओ0 द्वारा मुख्य परिवीक्षा अधिकारी के कार्यालय में कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी–

[महोदय, मैं सदन के माध्यम से आपके संज्ञान में एक लोकमहत्व के अविलम्बनीय प्रश्न की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। महिला कल्याण विभाग में निदेशालय/शासन द्वारा वर्ष टिकरा हाउस 23 कैण्ट रोड लखनऊ में एक एन0जी0ओ0 द्वारा मुख्य परिवीक्षा अधिकारी के कार्यालय में कब्जा कर लिया गया है। इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा सदन को भी गुमराह किया गया है कि उक्त भवन समाज कल्याण विभाग के स्वामित्व में हैं जबकि जिस कक्ष में एन0जी0ओ0 द्वारा अवैध रूप से विगत कई वर्षों से कब्जा किया है उसमें फर्नीचर भी महिला कल्याण विभाग द्वारा दिया गया है तथा बिजली का बिल भी विभाग द्वारा ही अदा किया जा रहा है। लेकिन विभाग का कथन असत्य है कि एन0जी0ओ0 द्वारा कब्जा किया गया है। जबकि विभाग द्वारा ही एन0जी0ओ0 को भवन में बैठने की अनुमति दी गयी है। वर्ष 2005 से निदेशक महिला कल्याण द्वारा एन0जी0ओ0 के अध्यक्ष को खाली कराये जाने हेतु पत्र लिखे गये हैं उसके पश्चात् भी एन0जी0ओ0 अध्यक्ष

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

द्वारा भवन को खाली नहीं किया गया है क्योंकि निदेशालय स्तर पर बैठक कुछ लिपिक उसका गलत सूचना देकर बचाव कर रहे हैं तथा सदन को भी गुमराह कर रहे हैं। सरकारी भवन पर एन0जी0ओ0 द्वारा कब्जा कर लेना और इतनी लम्बी अवधि तक खाली न कराया जाना इस विभाग की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह है अभी तक विभाग ने पुलिस विभाग को खाली कराये जाने हेतु कोई भी पत्र नहीं लिखा है इससे स्पष्ट है कि विभाग स्वयं खाली कराये जाने के पक्ष में नहीं है अन्यथा पुलिस द्वारा उसे खाली कराया जा सकता है। सरकार को इस मामले को गम्भीरता से लेकर खाली कराये जाने हेतु कार्यवाही करनी चाहिये।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त मामले में सरकार को अपने स्तर से निर्देशत करने का कष्ट करे।

जनपद फैजाबाद में तैनात जिला परिवीक्षा अधिकारी श्रीमती चन्द्रा गौतम के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती विमलेश–

[महोदय, मैं सदन के माध्यम से आपके संज्ञान में एक लोकमहत्व के अविलम्बनीय प्रश्न की तरफ ध्यान दिलाना चाहती हूं। महिला कल्याण विभाग में जनपद फैजाबाद में तैनात जिला प्रोवेशन अधिकारी/उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी के पद पर तैनात श्रीमती चन्द्र गौतम काफी लम्बे अरसे से तैनात हैं इनका स्थानान्तरण जनपद आगरा किया गया था। जहां पर इन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया इस कारण इन्हें निलम्बित भी किया गया था। लेकिन कुछ दिनों पश्चात् ही इन्हें बहाल कर दिया गया। उसके बाद इन्हें पुनः जनपद फैजाबाद में स्थानान्तरित कर दिया गया। यहां यह भी उल्लेख करना है कि इन्हें जनपद फैजाबाद में बार–बार तैनात करने के क्या कारण हैं कई बार इनका स्थानान्तरण फैजाबाद से अन्य जनपदों में किया गया। लेकिन कुछ समय पश्चात् इन्हें फैजाबाद जनपद में तैनात कर दिया गया। जबकि इनके कार्यालय में तमाम वित्तीय अनियमिततओं के मामले प्रकाश में आये हैं उसके बाद भी उनके विरुद्ध कोई भी कार्यवाही शासन/निदेशालय स्तर से नहीं की गयी है। जनपद फैजाबाद में रहकर यह अपने किये गये गलत कार्यों के साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास कर रही हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त मामले में इनका स्थानान्तरण कर किसी वरिष्ठ अधिकारी से जांच करायी जाय।]

जनपद बागपत के भूमिहीनों, दलितों एवं अति पिछड़ों को आवंटित पट्टे की भूमि दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डॉ0 अजय तोमर–

[जनपद बागपत के भूमिहीन दलितों, अति पिछड़ों को सन् 1975–76 में ग्राम अकबर ठसका खादर, कोताना खादर, शबका खादर, ककोर खादर, बदरखा खादर व छपरौली खादर में बन्दोबस्ती के आधार पर श्रेणी–2 में सिरदरी के पट्टे आवंटित कर दिये गये थे। जिसे बाद में शासन ने उक्त भूमि को उपजाऊ मानते हुये सन् 1983 में अरांक्रमणीय भूमिधरी के अधिकार में आदेश कर दिये गये थे एवं बाद में वर्ष 1997 मे इन्हें श्रेणी (1) क के अन्तर्गत संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में दर्ज

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करने के आदेश पारित कर दिये थे अब वर्तमान में उक्त लगभग 500 आवंटित परिवारों की भूमि को जिला प्रशासन द्वारा 132 की आरक्षित भूमि में होने का राजस्व अभिलेखों में दर्ज कर दिया गया है। जनपद में 500 दलित व अति पिछड़े परिवार बदहाली व भुखमरी के कगार पर पहुंच जायेंगे गरीब आन्दोलित हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुये शासन से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद मुजफ्फरनगर के थाना भवन विधान सभा क्षेत्र में कतिपय मार्गों के नव निर्माण/ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अब्दुल वारिस खां–

[जनपद मुजफ्फरनगर के थानाभवन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले लोक निर्माण विभाग के निम्नलिखित मार्गों का नवनिर्माण व पुनः निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

1–बिडौली–गंगोह मार्ग का अवशेष पांच किमी0 मार्ग (मेरठ करनाल राजमार्ग की ओर) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य।

2–झिनझांना–ऊन–थानाभवन मार्ग का शेष निर्माण कार्य जो कि झिनझांना कस्बे में गाड़ी वाला चौराहा से टेलीफोन एक्सचेंज तक का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण।

3–कस्बा थानाभवन में किसान इण्टर कालेज से प्रारम्भ होकर टंकी रोड से होते हुये, लाला लाजपत राय इण्टर कालेज व कन्या इण्टर कालेज तक के मार्ग का नवनिर्माण कार्य।

उपरोक्त सभी निर्माण कार्य को वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर, कराया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः उपरोक्त अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुये शासन से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद सिद्धार्थनगर के सरपूका से पतिला कमसार से बुढ़ऊ कमसार से होते हुये गंजपुर महादेवा की सड़कों का निर्माण बारहवें वित्त से कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

[मेरे निर्वाचन क्षेत्र इटवा, जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत सरपूका से पतिला, कमसार से बुढ़ऊ कमसार होते हुये गंजपुर महादेवा व बहुत सी सड़कों का निर्माण 12वें वित्त से होना था। इसी तरह बहुत से चिकित्सालयों का भी निर्माण का धन आवंटित हो गया था परन्तु लोक निर्माण विभाग इकाई इटवा द्वारा धन प्राप्त करने के बाद भी अभी तक कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है। उल्लेखनीय है कि यह धनराशि वित्तीय वर्ष 2004–2005, 2005–2006, 2006–2007 में आवंटित किया गया था।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतएव कार्य के विलम्ब होने से लोगों में असन्तोष है, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि लोक निर्माण विभाग इकाई इटवा को शीघ्र कार्य कराये जाने तथा दोषी अधिकारियों को दण्डित करें।]

लोअर आगरा कैनाल से मथुरा को मिलने वाले पानी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री पूरन प्रकाश–

[जनपद मथुरा के गोवर्धन सुरक्षित विधान सभा क्षेत्र में किसानों की सिंचाई का एक मात्र साधन लोअर आगरा कैनाल मथुरा है चूंकि गोवर्धन क्षेत्र में पूरे ग्रामीण एरिया में जमीन के नीचे खारा पानी है मेरे क्षेत्र में किसानों को सिंचाई का पानी एक मात्र साधन लोअर आगरा कैनाल मथुरा है किसानों को सिंचाई हेतु पानी की आपूर्ति मात्र इसी से होती है चूंकि इस लोअर आगरा कैनाल मथुरा का समस्त स्टाफ अधिशासी अभियन्ता एवं अन्य अधीक्षण अभियन्ता सभी आगरा में रहते हैं। वहीं से संचालन होता है ऐसी स्थिति में सिंचाई का पानी किसानों को उसकी फसल के समय नहीं मिल पाता है साथ ही अक्सर आगरा में बैठे अधिकारियों की अनदेखी पर नहरों व राजवाहों का टूटना बना रहता है।

अतः इस लोअर आगरा कैनाल मथुरा का संचालन आगरा से हटाकर मथुरा में स्थित अपर आगरा कैनाल मथुरा सुनिश्चित कराने के लिये सदन में चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद मथुरा के राधाकृष्ण पथ के निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री प्रदीप माथुर–

महोदय, मथुरा–वृन्दावन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का धार्मिक पर्यटक स्थल है। यहां पर राधाकृष्ण पथ पर्यटकों द्वारा उपयोग किया जाता है। पथ के अत्यंत दुष्कर स्थिति में होने के कारण पर्यटकों को काफी असुविधा एवं राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के मन में जो छवि उभर कर आती है वह प्रदेश सरकार के लिये उत्तम नहीं है। धार्मिक पर्यटन से उत्तर प्रदेश राज्य को काफी आय होती है। और जहां से आय हो रही है वहां पर कम से कम मार्गों को संरक्षित करना सरकार का दायित्व है।

यही नहीं मथुरा के धार्मिक स्थानों का एक सर्किट बनाया जाये तथा उसमें वही सभी मूलभूत सुविधायें यथा परिवहन (वायु एवं भूतल) अवस्थान तथा चिकित्सा एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध हों।

उपरोक्त अति महत्वपूर्ण बिन्दु को सरकार के संज्ञान में लाते हुये पथ निर्माण के लिये मांग करता हूं।]

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

धन स्वीकृति के बावजूद शमशान स्थल की बाउण्ड्री वाल अधूरी छोड़ने हेतु दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*चौधरी धूराम लोधी–

[आदरणीय अध्यक्ष जी, लखनऊ शहर स्थित फैजुल्लागंज वार्ड में सीतापुर रोड ताड़ीखाना चौराहे से लगभग आधा किलोमीटर दूर डिगुरिया मार्ग पर श्मशान है जिसके आसपास प्रियदर्शिनी कालोनी, भरत नगर, अग्रसेननगर, नायकनगर की बस्ती है और प्रीतीनगर, डिगुरिया आदि की तमाम जनता इसी मार्ग से होकर निकलती है। इसमें लगभग प्रतिदिन एक–दो मृतक शरीरों का दाह संस्कार किया जाता है। इस श्मशान की बाउण्ड्रीवाल के लिये धन स्वीकृत किया गया परन्तु ठेकेदार द्वारा सड़क मार्ग की तरफ केवल नीव भराई गयी है दीवाल नहीं बनायी गयी है जिससे जलती हुई लाशें देखकर स्कूली बच्चे भयभीत हो रहे हैं, वहां से गुजरने वाली जनता पर कुप्रभाव पड़ रहा है। ठेकेदार द्वारा घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर बाउण्ड्रीवाल बनाने के बावजूद सड़क की तरफ दीवाल न बनाने से क्षेत्रीय जनता में काफी रोष है।

अंतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुये उक्त अपूर्ण बाउण्ड्रीवाल को बनाये जाने तथा घटिया सामग्री के इस्तेमाल करने और धन स्वीकृति के बावजूद निर्माण कार्य अधूरा छोड़ने के लिये दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

जनपद गाज़ीपुर के अन्तर्गत कतिपय सड़कों की मरम्मत एवं नव निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा–

महोदय, आपके संज्ञान में लाना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत निम्नलिखित मार्गों की दशा अत्यन्त जर्जर है जिससे जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है एवं यहां पर आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। मैंने इस सम्बन्ध में दिनांक 15–06–09 को अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0 वि0 गाजीपुर को लिखा भी था कि इन मार्गों की मरम्मत करा दी जाये परन्तु अब तक उसकी मरम्मत नहीं हुई है यह सभी मार्ग प्रान्तीय खण्ड के अन्तर्गत आते हैं। अतः सम्बन्धित को जनहित में निम्नलिखित मार्गों के अनुरक्षण/मरम्मत का आदेश देने का कष्ट करें :–

1–आलमपुर पट्टी भंवरी मार्ग से फदनपुर मनारपुर भवरी लम्बाई 6 किमी0।

2–पारा कासिमाबाद मार्ग से अरखापुर डिहवा ल0 लगभग 7 किमी0।

3–जंगीपुर हंसराजपुर सम्पर्क मार्ग से मिट्ठापारा ल0 2 किमी0।

4–शेखपुर चट्टी से रूहीपुर होते हुये जरगो पलिया तक ल0 4.5 किमी0।

5–गाजीपुर घाट से जमनिया सम्पर्क मार्ग ल0 1 किमी0।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

6–गाजीपुर एन0 एच0 से लकिया पट्टी से इन्द्रा के दरवाजे तक ल0 लगभग 3 किमी0।

7–अन्धऊ बाईपास से बिकापुर होते हुये मिलापुर तक ल0 लगभग 3 किमी0।

8–आरीपुर चट्टी से लावा होते हुये मानपुर तक ल0 लगभग 4 किमी0।

9–खौरी चट्टी से श्रवणडीह सम्पर्क मार्ग ल0 लगभग 2.5 किमी0।

10–गाजीपुर मऊ एन0एच0 मार्ग से गुलाल सराय ल0 लगभग 1.5 किमी0।

11–बिरनो थाना से दुल्लहपुर सम्पर्क मार्ग से बधुपुर से मलेठी चौबे होते हुये बोगनापरजी चट्टी तक ल0 लगभग 10 किमी0।

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन कार्यक्रम, मुरादाबाद एवं जे0पी0 नगर में लम्बित शिवशक्ति ग्रामोद्योग संस्थान, मुरादाबाद जनपद गाजियाबाद के अवशेष देयकों के भुगतान के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल–

[महोदय, शिव शक्ति ग्रामोद्योग संस्थान, मुरादनगर गाजियाबाद एक प्रतिष्ठित एवं अनुभवी स्वयंसेवी समूह है, जो प्रायः सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों में बढ़-चढ़ कर भागीदारी करता है। इस संस्था के साथ राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन कार्यक्रम, जनपद मुरादाबाद एवं ज्योतिबा फूले नगर के मुख्य विकास अधिकारियों में क्रमशः संख्या 301 दिनांक 27-11-2006 एवं संख्या 298 दिनांक 28-11-2006 द्वारा अनुबंध निष्पादित किये गये थे। जिसके सापेक्ष संस्था ने निष्ठापूर्वक अपने कार्यों का सम्पादन कर समय-समय पर मिशन को रिपोर्ट देकर बकाया धनराशि की मांग की, परन्तु जनपद मुरादाबाद ने रु0 4,77,600 तथा जे0 पी0 नगर ने रु0 4,11,000 अर्थात् कुल धनराशि 8,88,600 का भुगतान संस्था को अभी तक नहीं किया जिसके कारण संस्था को अपार आर्थिक क्षति व साख को बट्टा लग रहा है तथा संस्था द्वारा बतौर उधार ली गयी धनराशि को वापस देने में कठिनाई हो रही है। संस्था थम-हार कर न्यायालय की शरण में जा सकती है जिससे शासन की छवि धूमिल होगी।

अतः उक्त प्रकरण में निदेशक, राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन को एक माह में दोनों जनपदों से पूरी रिपोर्ट मंगा कर, परीक्षण करके संस्था को भुगतान कर, न्याय प्रदान हेतु सदन निर्देशित करने की कृपा करें।]

आयुर्वेद विभाग में लिपिक वर्ग के प्रमोशन/रिक्त स्थान को भरने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राधेश्याम जायसवाल–

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर आयुर्वेद विभाग पूरे उत्तर प्रदेश में मशहूर विभाग है इसके रख रखाव हेतु भारत सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

परन्तु उक्त विभाग में तैनात कनिष्ठ लिपिक जो मा0 न्यायालय से आदेश लेकर फिक्स वेतन पा रहे हैं और बीस -बीस वर्षों से तैनात हैं उन्हें समायोजित नहीं किया जा रहा है कोई वित्तीय भार भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्हें वेतनमान तो दिया ही जा रहा है विभाग में रिक्त पद भी हैं और वरिष्ठ लिपिकों के पद रिक्त हैं उससे भी वेतन निकल सकता है लिपिकों का प्रमोशन भी काफी दिनों से नहीं हो रहा है। विभाग में बड़े बाबू मात्र 5 हैं सारे रिटायर हो चुके हैं वेतनमान पा रहे लिपिकों को तत्काल समायोजित किया जाये। जिससे विभाग में कार्य सुचारु रूप से चल सके। प्रमोशन लिपिकों का किया जाये। यह गम्भीर विषय है और लोक महत्व का है तत्काल इस पर चर्चा कराया जाये।

अतः इस गम्भीर विषय पर तत्काल चर्चा कराने एवं वेतनमान पा रहे लिपिकों का समायोजन किये जाने की मांग करता हूं । यहां यह भी कहना ठीक होगा कि शासन द्वारा बार-बार कहा गया है कि विभाग में सरप्लस स्टाफ हो तो उसका समायोजन हो परन्तु उस पर अमल नहीं किया जाता है।]

बुन्देलखण्ड में स्थापित हो रहे निजी ट्यूबवेलों को विद्युत् कनेक्शन न देने से उत्पन्न पानी की समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विनोद चतुर्वेदी–

[बुन्देलखण्ड में विषम भौगोलिक स्थिति के कारण कृषि कार्य करना कठिन कार्य है। सिंचाई के साधनों का अभाव होने के कारण यह स्थिति और भी विस्फोटक हो जाती है। सिंचाई की समस्या के समाधान हेतु कुछ सरकारी ट्यूबवेल लगाये गये हैं, किन्तु लोगों ने अपनी निजी ट्यूबवेल लगवाने हेतु भी आवेदन किया और वांछित धनराशि जमा करके रसीदें भी प्राप्त कर ली है किन्तु कई-कई वर्ष बीत जाने के उपरांत भी लोगों को ट्यूबवेल का न तो कनेक्शन मिल पाता है और न ही उनको कोई सामग्री ही उपलब्ध करायी जाती है ऐसी स्थिति में लोगों के सामने गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गयी है। एक तरफ तो वे अपनी धनराशि जमा करके रसीद कटवा चुके हैं और दूसरी तरफ उनको विद्युत् का कनेक्शन भी समय से न मिलने के कारण कृषि भी नहीं हो पा रहा है-ऐसे में लोगों में चिन्ता तथा आक्रोश व्याप्त है और व आन्दोलित है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद सुल्तानपुर शहर में बढ़ रही चोरी की घटनाओं को रोके जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह)–

[महोदय, जनपद सुल्तानपुर में कई माह से चोरी की घटनायें बढ़ गई हैं। लगभग हर दूसरे दिन शहर में एक चोरी हो रही है। जिसको लेकर जनता में रोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर मैं सरकार का सदन में ध्यानाकर्षण करता हूं।]

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 15 फरवरी, 2010 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 16 फरवरी, 2010 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :–

1–दिनांक 16 फरवरी, 2010 को विधेयकों पर विचार एवं उनके पारण की मदें नियम 300 की सूचनाओं के उपरान्त ली जायं।

2–दिनांक 16 फरवरी, 2010 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :–

फरवरी, 2010

16 मंगलवार 1–निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण (आधा–आधा घण्टा)।

(क) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (कतिपय अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) विधेयक, 2010

(ख) उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) विधेयक, 2010

(ग) उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2010

(घ) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2010

दिनांक 16 फरवरी, 2010 का शेष कार्यक्रम यथावत् रहेगा।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो मा0 संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के वार्षिक प्रतिवेदन, 2008 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)†

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के वार्षिक प्रतिवेदन, 2008 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 12 की उपधारा (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापे नहीं गये।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग 2 की अधिसूचना संख्या 454, दि0 16 अप्रैल, 2008††

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–454, दिनांक 16 अप्रैल, 2008 को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 24 की उपधारा (5) के अधीन विलंब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन निगम लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 1995-1996 से 2007-2008 तक के वार्षिक प्रतिवेदन†

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन निगम लिमिटेड की वित्तीय वर्ष 1995-96 से वर्ष 2007-08 तक की वार्षिक प्रतिवेदन कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (ए) की उपधारा (2) के अधीन विलंब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (कतिपय अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) विधेयक, 2010

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (कतिपय अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) विधेयक, 2010 पर विचार किया जाय।

*डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल–

महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (कतिपय अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) विधेयक, 2010 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अंदर सदन में प्रस्तुत करें।

(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।)

अध्यक्ष महोदय, सैद्धान्तिक आधार पर किसी की भी इससे असहमति नहीं हो सकती कि सरकारी संपत्तियों पर जहां कहीं भी अवैधानिक रूप से कब्जे हों उन्हें हटाया जाय। यह एक बहुत स्पष्ट विषय है और सभी लोगों को इसमें एक

---

†छापे नहीं गये।

††छापी नहीं गयी।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सामूहिक सहमति बनानी चाहिए, लेकिन अवैधानिक कब्जों को वैधानिक तरीके से हटाया जाना चाहिए, अवैधानिक तरीकों से नहीं हटाया जाना चाहिए। कोई एक नागरिक अवैधानिक कार्य करे वह तो फिर भी क्षम्य होगा, लेकिन इतनी बड़ी सदन में विधेयक लाकर, प्रस्तुत करके, उसकी धाराओं को बना करके एक अवैधानिक निर्णय लेकर के अवैधानिक कृत्य को वैधानिकता का स्वरूप प्रदान करें यह वस्तुतः क्षम्य नहीं होना चाहिए। हमारे लोकतंत्र में भारत के संविधान में शक्तियों के पृथक्कीकरण का प्राविधान है। यहां विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। यह प्राविधान इसी लिए किया गया है कि सत्ता के अहंकार में कहीं विधायिका और कार्यपालिका आपस में गठजोड़ करके ऐसे कृत्य न करने लगे, जो भारत के संविधान में नागरिकों को मूल अधिकार दिये गये हैं, उसकी पूरी तरह अवहेलना हो जाये। ऐसे कृत्य हुये हैं, उन्हें सदन में कहने की जरूरत नहीं। ताकत, शक्ति, सत्ता का दुरुपयोग और इसलिये एक अधिकार जो हर नागरिक को इस देश के मौलिक रूप से मिला है, वह है न्यायिक विचार का अधिकार। यदि कोई सरकार, सरकार का कोई अंग या कोई अधिकारी किसी एक कृत्य को ऐसा करता है जो किसी नागरिक को लगता है कि यह नियमों के अनुरूप नहीं है। प्राविधान संविधान के अनुरूप नहीं बनाये गये हैं या जो नियम बनाये गये हैं उनका अतिक्रमण करके कार्यवाही की जा रही है, तो हर नागरिक को अधिकार होता है कि मा0 न्यायालय के पास जाये, अपील करे और उनसे अपने प्रति उक्त की प्राप्ति करे। यह एक मौलिक अधिकार हैं, जो इस देश के संविधान ने इस देश के हर नागरिक को दिया है और जहां तक हम लोग जानते हैं कि यथासंभव कोई भी ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए, जो इस न्यायिक उपचार के मौलिक अधिकार की अवहेलना करता हो। यह उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि अधिनियम, 1972 है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा संशोधन हुआ था, 2007 में, लेकिन मूल अधिनियम, 1972 का ही है, और यह जो आज 2010 का संशोधन जो हम लोग ले करके आये हैं, इस 1972 के अधिनियम में अध्यक्ष महोदय, अपील का प्रावधान है। धारा-5 या धारा-7 के अधीन किन्हीं सार्वजनिक भू-गृहादि के संबंध में विहित प्राधिकारियों के प्रत्येक आदेश की अपील, अपील अधिकारी की होगी जो उस जिले का जिसमें वह सार्वजनिक भू-गृहादि हो, जिला न्यायाधीश अथवा न्यायिक अधिकारी होगा। इसके बाद उसके अपने अलग प्राविधान हैं कि कितना दिन अपील के लिए, क्या निर्णय इत्यादि-इत्यादि। अर्थात् 1972 में कम से कम इस मर्यादा का पालन किया गया कि अगर किसी का इविक्सन किया जाता है तो उसको नोटिस दी जाती है, एक महीने की नोटिस दी जाती है और उसको लगता है कि उसको सही तरीके से नहीं चुना गया तो वह मा0 न्यायालय में जा करके अपील कर सकता है और उस अपील में

मा0 न्यायालय को उस आदेश को स्टे करने का भी अधिकार है और साथ में यदि क्वैश करना हो तो अंतिम निर्णय भी उसे करने का अधिकार है। यह जो अधिनियम अध्यक्ष महोदय, आज हम लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ है तो आप गौर करें कि अपील का अधिकार नागरिकों के हाथ से छीन लिया गया है। जो पहले 30 दिनों का समय मिलता था कि हम 30 दिन में इसका जवाब दें अब वह 30 दिन का समय घटा करके 15 दिन कर दिया है। मान लीजिए समय घटा, कोई बात नहीं लेकिन यदि हम उस निर्णय से सहमत नहीं है और मा0 न्यायालय में जाकर इसका पारितोष पाना चाहते हैं तो यह अधिकार हमसे छीना गया है। यह अधिकार एक दल ने छीना। सत्ता छीनती है, सत्ता कल बदल सकती है वह भी आदेश का पालन करके, वह श्री इसी प्रकार की बेदखली अन्यायिक तरीके से करती रहेगी। इसलिए मेरी पहली आपत्ति अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को ले करके यह है, मैं आग्रह करुंगा मा0 आवास मंत्री जी से जिन्होंने यह विधेयक प्रस्तुत किया है। यह जो अपील का अधिकार है उस पर हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि इस अपील के अधिकार का दुरुपयोग नागरिक कर सकें, अधिकारी ही उनसे मिल जाते हैं। (मोबाइल की घंटी की आवाज आने पर सत्तापक्ष की तरफ से आग्रह किया गया कि डॉ0 साहब आप अपना मोबाइल बंद कर लें) नहीं, हमारे पास मोबाइल नहीं है, अगल-बगल तो बहुत कुछ है। बहुत बार ऐसा होता है, ऐसी छूट दे दी जाती है, ऐसे लूप-होल्स बना दिये जाते हैं कि लोग उन लूप-होल्स का फायदा ले करके न्यायालय में चले जाते हैं। बावजूद इसके कि यह अधिकार अपील का छीन लेना अध्यक्ष महोदय, उचित नहीं होगा। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करुंगा कि फोन की आवाज इतनी ध्यान से सुन ले रहे हैं तो कम से कम इस प्रदेश के 19 करोड़ नागरिकों की यह अपील के अधिकार की आवाज।

(मोबाइल की घंटी की आवाज आने पर)

श्री अध्यक्ष–

सिन्हा साहब, यह आवाज कहां से आ रही है ?

(इसी बीच डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल ने अपना मोबाइल बंद किया व श्रीमती सीमा द्विवेदी को दे दिया)

डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल–

दूसरी चीज अध्यक्ष महोदय, जो मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, इस कार्यवाही के माध्यम से कि यह जो हमने सूची बनायी है जिन लोगों की, उसमें एक राजनीतिक संगठन है जो मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक बात है। लेकिन जो

राजनीतिक संगठनों के अग्रिम संगठन है, उनमें मान्यता प्राप्त राजनीतिक संगठनों को भी जोड़ दिया गया है। गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक संगठनों के बारे में तो यह चलता है। लेकिन मान्यता प्राप्त राजनीतिक संगठनों के अग्रणी संगठनों को अगर हम इस प्रकार बेदखल करते हैं तो वस्तुतः इस देश की सम्पूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था, इस देश के अन्दर विचारधारा के प्रसरण और जो एक संगठन का अधिकार है कि वह अपनी विचारधारा को समाज में अपने विभिन्न संगठनों के माध्यम से पहुंचाना, आप उस अधिकार का सोची-समझी रणनीति के तहत हनन करते हैं। दूसरी आपत्ति मेरी यह है कि राजनीतिक दल का अमान्यता प्राप्त आप करिये, लेकिन मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अग्रणी संगठनों के प्रति हमें पुनर्विचार करना चाहिए। तीसरी चीज, अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक तो पारित होगा क्योंकि संख्या है। मेरा एक आग्रह है कि इसके पहले इसे लागू किया जाए माननीय सदस्यों को यह जानकारी दी जाए कि लखनऊ के अंदर राज्य सम्पत्ति विभाग की कहां-कहां कितनी सम्पत्तियां हैं और किन-किन संगठनों को, किन-किन गैर सामाजिक संगठनों को, किन ट्रस्टों को, किन व्यक्तियों को आवंटित की गयी है जिससे कि आप बेदखली की कार्यवाही पारदर्शिता के सिद्धान्त के अनुकूल कर सकें ?

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मैं डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल से जो कहा है। उसको दोहराऊंगा नहीं लेकिन इस कानून के बनने से फिर हमं टकराहट की तरफ बढ़ जायेंगे। पिछली बार राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के सम्बन्ध में मैंने इस बात को कहा था। इस कानून के परिपालन में आपने सेक्सन-5 में कहा है कि न्यायालय की कोई अधिकारिता नहीं होगी। हमारे संविधान के अनुच्छेद 32 में या अनुच्छेद 22 से 26 तक हमें किसी परेशानी के लिए अधिकृत करता है कि हम न्यायालय में राहत पा सकें। मान्यवर, जब यह वहां जाएगा तो आप किस आधार पर इस कानून को लागू कर सकेंगे। मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि जब दलबदल विधेयक बना था तो उसमें विधान सभा अध्यक्षों को पूरी शक्ति दी गई थी कि उनके फैसले के बाद न्यायालय इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा लेकिन उच्चतम न्यायालय की सात जजों की बेंच ने इसको अवैध माना और कहा कि हमें विधान मण्डल या पार्लियामेंट के द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करने का अधिकार है और उसके चलते आप देखें कि क्या हो रहा है जब कभी दल बदल के सम्बन्ध में अध्यक्षों का निर्णय होता है तो स्वाभाविक रूप से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है। जब आप कानून बनाएंगे और यह कोर्ट में जाएगा तो कानून का कोई मतलब नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रह जाएगा और यह क्वैश हो जाएगा। मेरा आग्रह है कि इसको प्रवर समिति को भेज दिया जाय और सरकार सारी परिस्थितियों की समीक्षा करके और जिन कारणों से आप बनाए हैं इसमें अग्रवाल साहब बोल चुके हैं मुझे ज्यादा नहीं कहना मैं इतना कहना चाहता हूं कि हम इस कानून से न्यायपालिका और विधायिका के बीच टकराहट न बढ़ाएं इसको आप फिर से देख लें इसमें क्या कर सकते हैं क्योंकि आपका अधिकार संविधान से ऊपर नहीं जाएगा अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 32 हमें अधिकार देता है हम कोर्ट में जाएंगे आपका यह कानून छोटे न्यायालयों, मुंसिफ न्यायालयों से बचा देता है लेकिन हाई कोर्ट से कहां बचेगा। इस धारा को रखने का कोई फायदा नहीं है। सरकार इस पर पुनर्विचार करे और फिर से सुविचारित ढंग से इस विधेयक को सदन में लाए।

*श्री अमरमणि त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी इसके उद्देश्य और कारण में लिखा हुआ है सार्वजनिक भू-गृहादि जो राज्य सम्पत्ति विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। यहां पर तमाम ऐसे संगठन जैसे कि कह लें किसान यूनियन एक संगठन है। जिसका बहुत बड़ा व्यापक असर सभी क्षेत्रों में है। उसका कोई राजनीतिक व्यक्ति इस सदन का सदस्य होकर नहीं आया है। इसी तरह और तमाम ऐसे संगठन हैं जिनके पास कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है फिर भी उनको दारुलशफा के ए0, बी0, सी0 ब्लाक या अन्य जगहों पर जहां राज्य सम्पत्ति विभाग की भूमि अथवा भवन हैं उसमें उनको जगह मिली हुई है जिसका वजह से वह अपना कार्य पूरी सुगमता से संचालित करते हैं तमाम ऐसे गैर सरकारी संगठन अथवा पार्टियां हैं जो रिकग्नाइज नहीं हैं लेकिन वह अपने छोटे-मोटे कार्य, या तमाम छोटे-मोटे दल बने हुए है जिनका कार्य यहां से चलता रहता है वह बेदखल हो जाएंगे तो कहां जाएंगे। कई छोटे-मोटे संगठन जो जातियों को लेकर बने हुए हैं वह यहां से अपने संगठन का संचालन करते हैं उन पर इस तरह की कृपा विगत सरकारें करती रही हैं उनको कार्यालय मिला हुआ है जहां से वह संगठन का संचालन करते रहते हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, राधा मोहन दास अग्रवाल ने स्वयं इस विधेयक का स्वागत भी किया था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, एक मिनट मुझे भी सुन लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

अब मंत्री जी को बुला लिया है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

एक मिनट में कोई आसमान नहीं फट जएगा।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, माननीय राधामोहन दास अग्रवाल जी ने स्वयं इस विधेयक का और इस विधेयक की मूल भावना का उन्होंने स्वागत किया।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, एक मिनट। एक मिनट में कोई आसमान नहीं फट पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष–

किसलिये जिद करते हैं चौधरी साहब। यह सब गलत परम्पराएं हैं माननीय मंत्री जी को मैंने बुला लिया, वो खड़े हो गये। संशोधन पर माननीय सदस्यगण अपनी बात कह चुके हैं।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, आपने मुझे पुकार लिया। उसके बाद यह औचित्य नहीं बनता।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, मैं एक मिनट से अधिक समय नहीं लूंगा।

श्री अध्यक्ष–

चौधरी साहब आप इतना अनुरोध कर लेते हैं। एक मिनट में पता नहीं कौन सी बात रख लेंगे। मंत्री जी अब चौधरी साहब इतना अनुरोध कर रहे हैं तो एक मिनट का समय इनको दे दें।

*श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, मैं आपको आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, इस विधेयक पर माननीय अग्रवाल साहब ने जो अपने विचार रखे हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उससे मैं अपने को सम्बद्ध करते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इस सदन की कार्यवाही हो और चाहे जो भी विधेयक हो उसमें प्राविधान यह है कि जो हमारा भारत का संविधान हैं उसमें नागरिकों के मूलाधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, उसका अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। चाहे किसी भी प्रदेश की विधान सभा हो, वह ऐसा कोई विधेयक नहीं बना सकती, ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त मूलाधिकार हैं उसका अतिक्रमण करता हो। तो जैसा कि अभी लोगों ने विस्तार से कहा है कि यह जो अपील करने का अधिकार छीन लिया गया वह निश्चित रूप से हमारे अधिकार का हनन है और माननीय अध्यक्ष जी, एक और भी अधिकार है, नैसर्गिक न्याय। तो नैसर्गिक न्याय यह कहता है कि हमारे विरुद्ध कोई कार्यवाही करने से पहले कम से कम हमको सुनने का, हमको अपना पक्ष रखने का एक अवसर जरूर मिलना चाहिए। मान्यवर, उस अवसर से भी वंचित किया जा रहा है इसलिये मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसको एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अंदर सदन में प्रस्तुत करे तब उसके बाद इसको पारित किया जाय।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, माननीय डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने मूलतः इसका स्वागत किया अपने विचारों से। लेकिन अब विपक्ष में रहने के कारण मान्यवर, कुछ बातें कहनी थीं। मान्यवर, यह महत्वपूर्ण है और सभी सदस्यों के हित में है और जैसा विधेयक के द्वारा ही उसमें स्पष्ट है कि राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन आवासों को ही इसमें लाया गया है। मान्यवर, आप जानते हैं, पूरा सदन जानता है कि हम विधायक चुन कर आते हैं और कोई दूसरा अधीनस्थ न्यायालय से स्टे ले ले, हमें आवास न मिल पाए, हम बाहर-बाहर घूमते रहें। तो अनधिकृत रूप से जो लोग काबिज हैं ऐसे आवासों को बेदखली के लिये यह विधेयक लाया गया है। जहां तक न्यायालय की अधिकारिता से तात्पर्य है, यह अधीनस्थ न्यायालय से है। और जहां माननीय पाण्डेय जी ने कहा अनुच्छेद-226 और 32 यह तो बने ही रहेंगे और उसमें अधिकारिता पर किसी तरीके से इसमें अंकुश नहीं लगाया गया है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के अधिकारिता में जो स्टे बेदखली का है, उसमें जो एक नोटिस देने की व्यवस्था थी उसमें समय भी लगता था और उसको सरल बनाने के लिये यह विधेयक लाया गया है। मान्यवर, पूरे प्रदेश के सभी माननीय सदस्य सहमत होंगे कि अनधिकृत रूप से काबिज होकर कोई रहे और हम मंत्री हैं, हमें मंत्री के रूप में आवास मिला है, हम कल न छोड़ें मंत्री न रहने के बाद हम कल न छोड़ें इसको कोई उचित नहीं करार कर सकता। तो इस तरह से जो आवास हैं, उनके बेदखली के लिये एक सरल प्रक्रिया बनाई गई है और मैं समझता

हूं कि इसमें किसी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया गया है बल्कि जो जोर जबरदस्ती करके दूसरे के जो मौलिक अधिकार का हनन करते हैं उससे छुटकारा दिलाने के लिये यह विधेयक लाया गया है। जहां तक माननीय अमरमणि जी ने कहा संगठन तो जो अधिकृत रूप से जिसको एलॉट है उसके लिये यह नहीं है। जो अनधिकृत रूप से काजिब हैं उनके लिये यह लाया गया है, बहुत उचित है मान्यवर और इसमें कोई अनुचित नहीं है। मेरी राय से इसको सर्वसम्मति से पास करना चाहिए इसलिये मैं चाहूंगा कि डा0. राधा मोहन दास अग्रवाल जी अपना संशोधन का जो इनका प्रस्ताव है उसको वापस लेने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

आप संशोधन प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल–

अपील करने का अधिकार दें, तो मैं वापस लूंगा।

श्री अध्यक्ष–

वापस नहीं ले रहे हैं। मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (कतिपय अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) विधेयक, 2010 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय तो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (कतिपय अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) विधेयक, 2010 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से खण्ड 11 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (कतिपय अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली), विधेयक, 2010

लखनऊ स्थित और राज्य सम्पत्ति विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी भू-गृहादि से गैर सरकारी संगठनों राजनैतिक दलों, सोसाइटियों, न्यासों, व्यवसाय संघों, कर्मचारी संघों तथा राजनैतिक दलों की इकाइयों या अग्रणी संगठनों के

अप्राधिकृत अध्यासियों या गैर सरकारी व्यक्तियों की बेदखली करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए।

विधेयक

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (कतिपय अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 2010 कहा जाएगा।

परिभाषाएं

2–जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,–

(क) "कर्मचारी संघ या व्यक्तियों के किसी निकाय" का तात्पर्य किसी कर्मचारी संघ या व्यक्तियों के किसी निकाय चाहे, नियमित हो या न हो, से है ;

(ख) "राज्य सम्पत्ति अधिकारी" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य सम्पत्ति विभाग के प्रभारी अधिकारी से है ;

(ग) "लखनऊ" का तात्पर्य लखनऊ विकास प्राधिकरण की अधिकारिता के भीतर के क्षेत्र से है ;

(घ) "गैर सरकारी संगठन" का तात्पर्य, ऐसे किसी संगठन चाहे नियमित या पंजीकृत हो या न हो, से है ;

(ङ) "गैर सरकारी व्यक्ति" का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति से है जो सरकारी सेवक न हो या किसी सोसाइटी, न्यास या व्यक्तियों के किसी निकाय, चाहे नियमित हो या न हो, का पदधारक या प्रतिनिधि न हो ;

(च) "इकाई या अग्रणी अथवा अन्य संगठन" का तात्पर्य किसी राजनैतिक दल, चाहे मान्यता प्राप्त हो या न हो, के किसी इकाई या किसी अग्रणी अथवा किसी अन्य संगठन से है ;

(छ) "राजनैतिक दल" का तात्पर्य ऐसे किसी दल से है जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त न हो ;

(ज) "सार्वजनिक भू-गृहादि" का तात्पर्य ऐसे भू-गृहादि से है जो लखनऊ और उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य सम्पत्ति विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन राज्य सरकार का हो या पट्टे पर लिया गया हो या उसके द्वारा या उसकी ओर से अधिग्रहीत किया गया हो ;

(झ) "किराया" का तात्पर्य किसी सार्वजनिक भू-गृहादि के सम्बन्ध में उक्त भू-गृहादि के प्राधिकृत अध्यासन के लिए निश्चित अन्तरालों में देय प्रतिफल से है, और उसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं–

(एक) भू-गृहादि में अध्यासन करने के सम्बन्ध में पानी या किसी अन्य सेवा के लिए अथवा किसी अन्य सम्भरित वस्तु के लिए कोई परिव्यय,

(दो) भू-गृहादि के सम्बन्ध में संदेय कोई कर (चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये) ;

(ञ) "सोसाइटी" का तात्पर्य सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत किसी सोसाइटी से है ;

(ट) "व्यवसाय संघ" का तात्पर्य व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 के अधीन पंजीकृत किसी व्यापार संघ से है ;

(ठ) "न्यास" का तात्पर्य भारतीय न्यास अधिनियम, 1988 के अधीन पंजीकृत किसी न्यास से है ;

(ड) "अनधिकृत अध्यासन" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अनधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 से यथा परिभाषित अनधिकृत अध्यासन से है।

अनधिकृत अध्यासी की बेदखली

3–यदि किसी गैर सरकारी संगठन, राजनैतिक दल, सोसाइटी, न्यास, व्यवसाय संघ, कर्मचारी संघ या व्यक्तियों के किसी निकाय, इकाई या अग्रणी अथवा अन्य संगठन और गैर सरकारी व्यक्ति, जिसके उपयोगार्थ लखनऊ में उत्तर प्रदेश के राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा आवास उपलब्ध कराया गया हो, के पास आवंटन अवधि या उस हैसियत से जिस हैसियत से ऐसे आवास का अधिभोग करने की अनुमति दी गयी थी। की समाप्ति के पश्चात् किसी आवास का अध्यासन हो तो राज्य सरकार या

इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, लिखित नोटिस द्वारा ऐसे व्यक्ति से उक्त आवास 15 दिन के अन्तर्गत रिक्त करने की अपेक्षा कर सकता है, और यदि ऐसा व्यक्ति उक्त अवधि के अन्तर्गत उक्त आवास को रिक्त करने में विफल रहता है तो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी उक्त आवास का कब्जा प्राप्त कर सकता है और इस प्रयोजनार्थ ऐसे बल का उपयोग कर सकता है जैसा कि परिस्थितिवश आवश्यक हो।

सार्वजनिक भू–गृहादि के सम्बन्ध में किराया या क्षतियों की वसूली

4–(1) जहां किसी गैर सरकारी संगठन, राजनैतिक दल सोसाइटी, न्यास, व्यवसाय संघ, कर्मचारी संघ या व्यक्तियों के किसी निकाय, इकाई या अग्रणी अथवा अन्य संगठन और गैर सरकारी व्यक्ति के पस किसी सार्वजनिक भू-गृहादि के सम्बन्ध में संदेय तीन माह का किराया बकाया हो वहां इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, नोटिस द्वारा, सम्बन्धित अध्यासी से नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि के अन्तर्गत ऐसे बकाये का भुगतान करने की अपेक्षा कर सकता है और यदि सम्बन्धित अध्यासी ऐसे बकाये का भुगतान करने में विफल रहता है तो सम्बन्धित परिसर को अनाधिकृत अध्यासन समझा जायेगा।

(2) जहां किसी गैर सरकारी संगठन, राजनैतिक दल, सोसाइटी, न्यास, व्यवसाय संघ या कर्मचारी संघ या व्यक्तियों के किसी निकाय, इकाई या अग्रणी अथवा अन्य संगठन, गैर सरकारी व्यक्ति के पास किसी सार्वजनिक भू-गृहादि का अनाधिकृत अध्यासन हो या किसी समय रहा हो वहां राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, नोटिस द्वारा अनधिकृत अध्यासी से ऐसी क्षतियों का भुगतान करने की अपेक्षा कर सकता है जिस निमित्त उसे नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उत्तरदायी पाया गया हो।

आदेशों की अन्तिमता

5–इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबन्धित के सिवाय इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार यां किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा और उस पर किसी मूल वाद, आवेदन-पत्र या निष्पादन कार्यवाही में आपत्ति नहीं की जायेगी और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति में अनुश्रवण में की गयी या की जाने वाली किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई भी आदेश नहीं दिया जायेगा।

अपराध और शस्ति

6–(1) यदि कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन किन्हीं सार्वजनिक भू-गृहादि से बेदखल किया गया हों, उन भू-गृहादि पर फिर से अध्यासन, ऐसे अध्यासन के लिए बिना किसी प्राधिकार के कर ले, तो वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष की हो सकती है, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकता है अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) कोई मजिस्ट्रेट, जो उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को सिद्ध दोष ठहराये, उस व्यक्ति को सरसरी तौर से बेदखल करने का आदेश दे सकता है और किसी अन्य कार्यवाही पर, जो उसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन की जा सकती हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वह व्यक्ति इस प्रकार बेदखल किये जाने का भागी होगा।

वारिसों तथा विधिक प्रतिनिधियों के दायित्व

7–किसी व्यक्ति द्वारा राज्य सरकार को देय धनराशि, चाहे वह बकाया किराये या क्षतिपूर्ति के रूप में हो, का भुगतान उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् उनके वारिसों या विधिक प्रतिनिधियों द्वारा किया जायेगा, किन्तु उनका दायित्व मृतक की परिसम्पत्तियों जो उनको प्राप्त हुई हो और जिनका यथा विधि निस्तारण न किया गया हो, के परिणाम तक ही सीमित होगा।

भू–राजस्व के बकाया के रूप में किराये आदि की वसूली

8–यदि कोई व्यक्ति धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन देय बकाया किराया या उपधारा (2) के अधीन देय क्षति की धनराशि उससे सम्बन्धित नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर, यदि कोई हो, भुगतान करने से इनकार करे या भुगतान न करे तो राज्य सम्पत्ति अधिकारी कलेक्टर को देय धनराशि के बारे में एक प्रमाण-पत्र जारी कर सकेगा जो भू-राजस्व के बकाया के रूप में उसकी वसूली के लिए कार्यवाही करेगा।

अधिकारिता का वर्जन

9–किसी न्यायालय को किसी ऐसे व्यक्ति की बेदखली के सम्बन्ध में जिसका किसी सार्वजनिक भू-गृहादि पर अप्राधिकृत अध्यासन है, या किराया अथवा क्षतिपूर्ति की वसूली के सम्बन्ध में, किसी वाद या कार्यवाही को ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी।

सद्भावना से किये गये कार्य का संरक्षण

10–राज्य सरकार के विरुद्ध ऐसी किसी भी बात के सम्बन्ध में जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम अथवा दिये गये किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावना से की गयी हो या किये जाने के लिए आशयित हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

नियम बनाने की शक्ति

11–(1) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये प्रत्येक नियम को, उसके बनाये जाने के यथा शीघ्र बाद, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह कुल तीस दिन की अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र, दो सत्र या उससे अधिक लगातार सत्रों का हो सकता है, रखा जायेगा और यदि उपर्युक्त अवधि में दोनों सदन उक्त नियम में कोई उपान्तर करने के लिए सहमत हों या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हों कि नियम न बनाया जाए तो इसके पश्चात् उक्त नियम यथास्थिति ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी या निष्प्रभावी हो जायेगा किन्तु ऐसे उपान्तर या निष्प्रभावीकरण का उक्त नियम के अधीन पहले से कृत किसी कार्य की विधि मान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-11 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (कतिपय अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) विधेयक, 2010 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (कतिपय अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) विधेयक, 2010 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन विधेयक, 2010)

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) विधेयक, 2010 पर विचार किया जाय।

*डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) विधेयक, 2010 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिए जाएंगे)

मान्यवर, मैं इस अधिनियम के सूत्रों को पढ़ रहा था और सैद्धान्तिक आधार पर किसी को भी इस उद्देश्य से सहमति हो सकती है। उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। आवास एवं प्रयोजनों के लिए अधिक से अधिक उपजाऊ भूमि का प्रयोग करना हितकर नहीं है। इससे अन्त्योगत्वा अनाज का उत्पादन प्रभावित होगा। आवश्यक है कि भूमि प्रयोग में और पूंजी लागत में मितव्ययी होकर आवास की समस्या का समाधान किया जाए। सामूहिक आवास विकास की व्यवस्था का विस्तार किया जाए। मान्यवर, यह इसका उद्देश्य है। सरकार अगर इस बात को लेकर चिन्तित है तो सरकार का पहला प्रयास यह होना चाहिए कि वह यह जानने की कोशिश करे कि कृषि योग्य भूमि सबसे अधिक कृषियेत्तर कार्यों के लिए किसने प्रयोग किया और फिर यह निर्णय ले यह स्पष्ट अभिमत जाहिर करे कि कृषि योग्य भूमि को किन्हीं भी कारणों से कृषियेत्तर कार्यों के प्रयोग में नहीं किया जायेगा। अगर आप प्रदेश का इतिहास पलट कर देखिए तो यह कृषि योग्य भूमि सबसे ज्यादा प्राधिकरणों ने ली होगी। कौड़ी के मोल ली होगी और जो भू व्यवसायी है उनको भी कौड़ी से दो कोड़ी करके बेची होगी ओर उन्होंने उससे अरबों कमाये होंगे। आवास विकास परिषद् भी ऐसे ही जमीनों का अतिक्रमण कर रही है प्रदेश के अन्दर विकास योजना के नाम पर, जो लोग विकास के नाम पर प्रदेश के अन्दर उद्योग लाते हैं उनको जमीन की जरूरत हो दो सौ एकड़ की उनको जमीन दे देती होगी 10 हजार एकड़, हम लोग जानते हैं इस बात को, कि एक उद्योग लगाने, एक इण्डस्ट्री लगाने, एक इकाई खड़ा करने के नाम पर उतनी ही जमीन दी जानी चाहिए जितनी जमीन उस कार्य के लिए उचित हो, मैं जानता हूं कि अभी माननीय मंत्री जी खड़े होंगे तो किसी एक योजना का जिक्र करेंगे, तो मैं यह भी जानना चाहूंगा कि 2007 से जब से यह सरकार आई है अगर कृषकों की भूमि न ली जाए, इतनी चिन्तित है तो कम से कम यह बताये कि इस 2007 में जितने भी योजना प्रकल्प यहां लागू किए गए उनमें कितने कृषकों की भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि माननीय न्यायालय ने किसी संस्था को कोई हाउसिंग काम्पलैक्स बनाने से, भले ही वह किसी एक्सप्रेस वे का रहा हो रोक दिया इसलिये यह भी आवश्यक है कि आप सबसे बड़े, आप से मतलब आप वहां बैठे हैं तो आप, कोई और होगा तो वह, जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं लोग हैं वह जो कृषियेत्तर भूमि का प्रयोग सबसे अधिक अधिग्रहण में करते हैं अगर उसके लिए प्राविधान निश्चित तरह से लाया होता कि किन-किन शर्तों पर ही कृषि भूमि कृषियेत्तर भूमि के रूप में कन्वर्ट की जाएगी। किस प्रकार से जिन किसानों की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जमीन ली जाएगी वह किस तरह से आर्थिक रूप से विपन्न होकर सड़कों पर न आएं और नक्सलवादी आन्दोलनों के एजेन्ट न बन जाएं उनके आर्थिक स्वावलम्बन की चिन्ता की जाएगी। उसके बाद ही अधिग्रहण होगा अगर ऐसा कोई प्राविधान लाए होते तो बड़ी खुशी होती। लेकिन यह प्राविधान तो वह जो बिल्डिगें खड़ी करते हैं, वह कैसे इसका बटवारा कर सकें, कैसे अपार्टमेंट बना सकें, कैसे जनता को उसको दे सकें, इन सारी चीजों के लिए है। मैं सरकार से यही आग्रह करुंगा कि यह जो सरकारी अधिग्रहण की प्रक्रिया है, इसके बारे में पहले सरकार को अपना अभिमत ऐसे ही किसी विधेयक के माध्यम से जारी करना चाहिए। उसके बाद भी इस पर ऐसा नियंत्रण होना चाहिए कि हम किस प्रकार से उन्हें यह कहें कि वह कम से कम जमीन में अधिक से अधिक मकानात बना करके कृषक नागरिकों का कम से कम नुकसान कर सकें। इस दृष्टि से हम लोगों की आपत्ति है और इसीलिए हम लोगों ने मांग की है कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाए।

*श्री अमर मणि त्रिपाठी–

मान्यवर, किसी न्यायालय में अपील न की जा सके, इसमें भी प्रस्तर-33 पर आप जायें तो इसमें लिखा है कि इस अधिनियम के आरम्भ होने से 2 वर्ष की अवधि के बाद कोई आदेश नहीं किया जायेगा। धारा-2 में लिखा है कि इसके अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जा सकती कि ऐसी कोई कठिनाई नहीं थी, उसे दूर किया जाना अपेक्षित नहीं था। मान्यवर, इसमें भी आपने कोशिश की है कि न्यायपालिका में यह विवाद न जाए और यह जो कानून बन रहा है इसी के अन्तर्गत यह हल हो जाए। मान्यवर, इसके पूर्व मा0 डॉ0 साहब ने रखा कि उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है, आवास प्रयोजन के लिए अधिक से अधिक उपजाऊ जमीन का प्रयोग करना हितकर नहीं है, जिससे अन्ततोगत्वा अनाज का उत्पादन प्रभावित होगा। यह आवश्यक है कि भूमि के प्रयोग में पूंजी और लागत के मितव्ययी होकर आवास की समस्या का हल खोजा जाए। मान्यवर, हम लोग भी तो यही चाह रहे हैं, जिस दिन से सदन शुरू हुआ है, उस दिन से हम लोग लगातार कह रहे हैं कि यमना एक्सप्रेस वे में 800 गांव उजाड़े जा रह हैं, गंगा एक्सप्रेस वे में लाखों-लाख एकड़ कृषि योग्य भूमि ली जा रही है। ऐसी भूमि को बचाने का प्रयास अगर सरकार करे, हमने व्यक्तिगत रूप में भी अपने क्षेत्र में इन्टीग्रेटेड चेक पोस्ट के लिए 200 एकड़ भूमि, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, उसको अधिगृहीत करने के लिए भी तमाम प्रकार से प्रयास किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि किसानों के हित में ऐसा कानून आए जिससे किसानों की भूमि को कौड़ियों के भाव अधिग्रहीत न किया जए, उनके सम्मान और इज्जत की रक्षा की जाए। मान्यवर, पूर्व में आपने देखा, गाजियाबाद में भी रिलायन्स पावर नहीं लग पाया, टाटा नैनो परियाजना विफल हो गई, किसानों के प्रतिरोध के कारण। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में भी वह स्थिति न पैदा हो और किसानों की कृषि योग्य भूमि न ली जाए अतः मैं भी इस पक्ष का हूं कि इसे एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए जो अपना प्रतिवेदन एक माह में दे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, अभी मा0 अग्रवाल जी ने उद्देश्यों से अपनी सहमति जताई। मान्यवर उनकी विद्वता के बारे में आपने सुबह कह ही दिया था कि काफी विद्वान हैं, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता, मीन-मेष की बात तो आपने बता ही दिया था कि मीन-मेष निकलना भी विद्वता है। अब हमारे ऊपर आरोप लग रहा था कि मीन-मेष हम निकाल रहे हैं, पता नहीं कि आप निकाल रहे है। कि हम निकाल रहे है। इसमें तो सहर्ष पूरे सदन को स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए। आपने कहा, भूमि के बारे में कि भूमि न ली जाए, भूमि ली जाए, कम से कम ली जाए, उद्देश्य में सारी बात स्पष्ट हो गई। पूरा विश्व वर्टिकल जा रहा है, कम से कम भूमि ली जाए, अगर इसके लिए हम कदम उठा रहे हैं, उसमें भी आपका संशोधन आ रहा है, उसे रोका नहीं जा सकता है, मैं नहीं रोक रहा हूं लेकिन जो संशोधन आपने दिया, मैं तो कहूंगा कि उसका कोई तुक नहीं है। मान्यवर, इस अधिनियम में स्वामित्व के अधिकारों एवं प्रमोटर के दायित्व की बात की गई है। भूमि लेना, न लेना, इसका क्या मतलब है, मान्यवर, अग्रवाल साहब को मैं बता दूं कि यह आरनशिप जो ऐक्ट है, यह 1975 में बना था, मान्यवर, इसमें प्रमोटर के अधिकार डिफाइन्ड नहीं थे। जैसे अपार्टमेण्ट का पंजीकरण अनिवार्य नहीं था। कामन एरिया के रखरखाव की कोई व्यवस्था नहीं थी और न ही दण्ड का प्राविधान था। यह लगभग 34 साल पुराना है। यह उस समय का है जब फ्लेट कम बनते थे, अब फ्लेट ज्यादा बनने लगे, अब आवश्यकता ज्यादा हो गयी। इसलिए मान्यवर, यह एक्ट लाया जा रहा है जिसमें जो कमियां पुराने वाले ऐक्ट में थी उसको दुरुस्त कर लिया जायें। मान्यवर, कहने को तो बहुत लंबी बात है लेकिन मैं माननीय अग्रवाल जी से माननीय त्रिपाठी जी से यह बताना चाहूंगा कि अगर आपको याद नहीं तो मैं आपको स्मरण करा दूं कि इलाहाबाद में लीलाकुंज अपार्टमेंट ने अवैध निर्माण करा लिया, उसको माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश देकर गिरवा दिया। यह उसमें अंकुश लगाने के लिए यह विधेयक लाया गया। मान्यवर, जो पुराना ऐक्ट हें उसमें यह है कि जो प्रमोटर द्वारा किया जाता था, नक्शों में बताया कुछ और जाता था, दिखाया कुछ और जाता था, मौके पर कुछ और होता था। मान्यवर, नए विधेयक में यह सारी कमियां दूर की जा रही हैं। मान्यवर, पहले कुछ और था, अब 4 या 4 से अधिक यूनिट में यह ऐक्ट लागू होगा। माल और मल्टीप्लेक्स में यह लागू नहीं होगा। आपने नहीं पढ़ा तो मैं बता दूं। जब कोई बिल्डर बनाएगा तो उसमें निर्माण की विशिष्टियां, निर्माण पूरा होने की तिथि, निर्माण पूरा न होने के विलम्ब के लिए प्रमोटर अथवा क्रेता द्वारा भुगतान न किये जाने की स्थिति में दण्ड के संबंध में लिखित घोषणा करने का प्रावधान है। अभी तक यह है कि दिखा कुछ दिया, बना कुछ लिया, अंदर–अंदर कुछ तोड़ रहें हैं, बाहर कुछ कर रहे हैं। यह सारा अंकुश लगाने के लिए है। अब तो इनको खुश होना चाहिए। पहले जो भी फ्लेट बनते थे, जो भी मल्टीस्टोरी बिल्डिंग बनती थी उसमें अग्निशमन की व्यवस्था नहीं थी। इसमें अग्निशमन, भूकम्परोधी की व्यवस्था की गयी है, वास्तुकला डिजाइन इन सभी का एन0 ओ0 सी0 लेकर ही अनुमति दी जाएगी और एन0 ओ0

सी0 लेकर के एसोसिएशन को देना होगा। एसोसियेशन जो उसमें रह रहे हैं उनका एसोसियेशन होगा, उसको देना होगा। पूर्णतया प्रमाण पत्र लेना इसके लिए अनिवार्य कर दिया गया है और सेल डीड के बाद ही कब्जा दिया जाएगा। आप इसकी विशिष्टियां भी तो देखिए। इसके तो सर्वसम्मति से पास कर देना चाहिए। हमें अफसोस है कि आप इतने विद्वान होते हुए भी अपनी विद्वता का दूसरी जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। आप हर बात में मुझसे सहमत रहते हैं, लेकिन अंदर से सहमत रहते हैं बाहर से कुछ और बोलते हैं। इसलिए मान्यवर, 33 प्रतिशत अपार्टमेंट यदि बिक जाते हैं तो कामन एरिया, फेसिलिटी के रखरखाव के लिए रेजीडेंसियल वेलफेयर ऐसासिएशन बनाया जाना अनिवार्य कर दिया है और जब तक यह एसोसिएशन नहीं बन जाता है तक तक उसके अनुरक्षण का काम प्रमोटर ही करेगा। इसके अलावा यदि दो वर्षों में कोई डिफेक्ट आता है, कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आता है, बिल्डिंग क्रेक हो गयी, कोई दूसरी कमी आ गयी तो उसको ठीक कराने की जिम्मेदारी प्रमोटर की होगी, अभी तो कोई जिम्मेदारी प्रमोटर की है ही नही। बनाकर चला गया, कल क्या होगा, दो दिन में क्या होगा, दो महीने बाद क्या होगा, कोई केजुअल्टी हो जाएगी, उसमें मान्यवर, मनमानी रोकने के लिए दण्ड का भी प्राविधान है। यदि यह सभी बातों का पालन प्रमोटर नहीं करते हैं तो कम से कम तीन वर्ष की और अधिक से अधिक 6 वर्ष की सजा या फिर 5 लाख रुपया जुर्माना अथवा दोनों का प्राविधान किया गया है। क्या इससे पहले कोई अंकुश था। अंकुश नहीं लगाना चाहिए, खुला छोड़ देना चाहिए ? अगर हम अंकुश लगा रहे हैं तो भी आपको एतराज है, अगर अंकुश नहीं लगाते हैं तो कहते हैं कि इन लोगों से मिलीभगत है। अरे अग्रवाल साहब, त्रिपाठी जी, इसका स्वागत कीजिए। खरीदार यदि कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके लिए भी दण्ड है, 50 हजार रुपये का फाइन या लगातार उल्लंघन करता है तो एक हजार रुपया प्रतिदिन उसको अतिरिक्त देना होगा। मान्यवर, कुछ खास विशिष्टियां हैं जो सराहना के योग्य है, इसलिए मैं आपके माध्यम से इनसे अनुरोध करुंगा कि अपर संशोधन का प्रस्ताव वापस ले लें। अरे, अच्छे काम को तो अच्छा कहें और इसको पास होने दें।

डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, बड़ी पुरानी कहावत है कि 'हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और' तो दिखा रहे हैं तो आपत्तियां तो रहेंगी, आप मतदान करायें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) विधेयक, 2010 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) विधेयक, 2010 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से खण्ड 34 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) विधेयक, 2010

साझा क्षेत्र में अविभाजित हित के किसी भवन में व्यक्तिगत अपार्टमेन्ट के स्वामित्व और ऐसे अपार्टमेन्ट से जुड़ी सुविधाओं के लिये तथा ऐसे अपार्टमेन्ट और हित को हस्तान्तरणीय और अन्तरणीय बनाने और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है–

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) अधिनियम, 2010 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार उत्तर प्रदेश के सम्पूर्ण राज्य में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

लागू होना

2–इस अधिनियम के उपबन्ध, शापिंग माल्स एवं मल्टीप्लेक्स को छोड़कर, किसी भवन में चार या उससे अधिक अपार्टमेन्ट वाले सभी भवनों, जो अपार्टमेन्ट के रूप में निर्मित या परिवर्तित किये गये हों, और अपार्टमेन्ट से संलग्न भूमि, चाहे वह फ्री होल्ड हो या पट्टे पर धृत हो, पर लागू होंगे।

परिभाषाएं

3–जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,–

(क) "आवंटी" का तात्पर्य किसी अपार्टमेन्ट के सम्बन्ध में ऐसे व्यक्ति से है, जिसे प्रोमोटर द्वारा ऐसे अपार्टमेन्ट को आवंटित, विक्रय या अन्यथा अन्तरित किया गया हो;

(ख) "अपार्टमेन्ट" का तात्पर्य आवासिक या शासकीय प्रयोजनों के लिये या किसी वृत्ति के चलाने के लिये या कोई उपजीविका, व्यापार या कारोबार (शापिंग माल्स एवं मल्टीप्लेक्स को छोड़कर) चलाने के उपयोग के लिये या इस प्रकार के किसी अन्य यथाविहित उपयोग के लिये किसी भवन में किसी सम्पत्ति के ऐसे भाग से है, जो किसी प्रकार से स्वतंत्र उपयोग के लिये आशयित हो, जिसमें एक

या उससे अधिक फर्शों पर स्थित सम्बद्ध जगह भी है और साथ में साझा मार्ग, सड़क या ऐसे मार्ग या सड़क तक जाने वाले सामान्य क्षेत्र पर सीधा निकास हो और उसमें कोई ऐसा गैराज या कक्ष (चाहे वह उस भवन से, जिसमें ऐसा अपार्टमेन्ट स्थित है, लगा हुआ हो अथवा न हो) भी सम्मिलित है, जिसे प्रोमोटर द्वारा, यथास्थिति, ऐसे अपार्टमेन्ट के स्वामी के उपयोग, गाड़ी खड़ी करने के लिये या ऐसे अपार्टमेन्ट मे नियोजित किसी घरेलू सहायक के आवास के लिये प्रदान किया गया हो;

(ग) "अपार्टमेन्ट संख्या" का तात्पर्य ऐसी संख्या, अक्षर या उनके समुच्चय से है जो किसी अपार्टमेन्ट को अभिहित करते हों;

(घ) "अपार्टमेन्ट स्वामी" का तात्पर्य किसी अपार्टमेन्ट के स्वामित्व वाले व्यक्ति या व्यक्तियों से है और ऐसे अपार्टमेन्ट से अनुलग्न साझा क्षेत्रों में अविक्रीत अपार्टमेन्टों और अविभाजित हित और सुविधाओं, जो अपार्टमेन्ट के विलेख में विनिर्दिष्ट प्रतिशत में हों, की दशा में, प्रोमोटर ओर उसके नाम निर्देशिती से है, और उसके अन्तर्गत ऐसी भूमि का पट्टेदार, जहां ऐसी भूमि का पट्टा तीस वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिये हो, भी सम्मिलित है जिस पर ऐसे अपार्टमेन्ट वाले भवन का निर्माण किया गया हो;

(ङ) "अपार्टमेन्ट स्वामियों के संघ" का तात्पर्य अपार्टमेन्ट के अन्दर ऐसे सभी स्वामियों से है जो उपविधियों के अनुसार एक समूह के रूप में कार्यशील हों;

(च) "बोर्ड" का तात्पर्य अपार्टमेन्ट स्वामियों के किसी संघ के प्रबन्धक बोर्ड से है जो उपविधियों के अंधीन संघ के सदस्यों द्वारा निर्वाचित हों;

(छ) "भवन" का तात्पर्य किसी भूमि पर निर्मित चार या उससे अधिक अपार्टमेन्ट वाले किसी भवन से या किसी खण्ड के रूप में अभिहित किसी क्षेत्र में दो या उससे अधिक भवनों से है, जिसमें से प्रत्येक में दो या उससे अधिक अपार्टमेन्ट हों तथा उक्त प्रकार के सभी भवनों में कुल मिलाकर चार या उससे अधिक अपार्टमेन्ट हों :

परन्तु यह कि किसी पंक्ति में निर्मित स्वतंत्र मकान, जिसका स्वतंत्र प्रवेश एवं निकास मार्ग हो, चाहे वह अन्य स्वतंत्र मकानों से लगा हो अथवा न हो, भवन के अन्तर्गत नहीं आयेगा।

(ज) "उपविधियों" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाई गई उपविधियों से है;

(झ) "साझा क्षेत्रों और सुविधाओं" का तात्पर्य–

(एक) भूमि, जिस पर भवन स्थित हो और भूमि तथा भवन के सभी सुखाचार, अधिकार और उपांग से है;

(दो) भवन की नींव, स्तम्भों, गर्डरों, धरनों, आलम्बों, मुख्य दीवालों, छतों, हालों, गलियारों, लाबियों, सीढ़ियों, सोपानों, और प्रवेश तथा निकास द्वारों से है;

(तीन) तहखानों, अधःकोष्ठों, प्रांगणों, पार्कों, उद्यानों, सामुदायिक केन्द्रों और साझा उपयोग के गाड़ी खड़ी करने के स्थान से है;

(चार) सम्पत्ति के प्रबन्ध के लिये सेवायोजित प्रतिहारों या व्यक्तियों के वास के लिये परिसर से है;

(पांच) केन्द्रीय सेवायें जैसे ऊर्जा, प्रकाश, गैस, गर्म और ठंडा पानी, तापन, प्रशीतन, वातानुकूलन, भस्मीकरण और सीवर व्यवस्था से है;

(छः) एलीवेटरों, टैंकों, पम्पों, मोटरों, पंखों, केबिल पाइप लाइन (टी0वी0, गैस, विद्युत आदि) वर्षा जल संचयन प्रणाली, कम्प्रेसरों, नालियों ओर साधारणतः सामान्य उपयोग के लिये विद्यमान सभी साधित्र तथा संस्थापन से है;

(सात) ऐसी अन्य सामुदायिक और वाणिज्यिक सुविधाओं से है, जो उपविधियों द्वारा विनिर्दिष्ट की जायं; और

(आठ) सम्पत्ति के ऐसे सभी अन्य भाग जो उसके अस्तित्व, अनुरक्षण तथा सुरक्षा के लिये आवश्यक या सुविधाजनक हों या साधारणतः सामान्य उपयोग में हो।

(ञ) "साझा व्यय" का तात्पर्य–

(एक) साझा क्षेत्रों और सुविधाओं और उपयोगिताओं, उपस्करों और मशीनरी प्रशासन, अनुरक्षण, मरम्मत या प्रतिस्थापन के व्ययों तथा अपार्टमेन्ट स्वामियों के संघ द्वारा अपार्टमेन्ट के स्वामियों के प्रति निर्धारित सभी अन्य धनराशियों से है;

(दो) इस अधिनियम के उपबन्धों द्वारा या उपविधियों द्वारा या अपार्टमेन्ट स्वामियों के संघ द्वारा सहमत साझा व्ययों के रूप में घोषित व्ययों से है।

(ट) "साझा लाभ" का तात्पर्य साझा क्षेत्रों और सुविधाओं से समस्त आय, किराया, लाभ तथा राजस्व के उस अतिशेष से है, जो सामान्य व्यय की कटौती के पश्चात् बचे;

(ठ) "सक्षम प्राधिकारी" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन अधिसूचना में यथाविहित क्षेत्रों के लिये सक्षम अधिकारी के कृत्यों के निष्पादन के लिये राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या प्राधिकारी से है;

(ड) "घोषणा" का तात्पर्य धारा 12 में निर्दिष्ट घोषणा से है;

(ढ) "अपार्टमेन्ट विलेख" का तात्पर्य धारा 14 में निर्दिष्ट अपार्टमेन्ट विलेख से है;

(ण) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है;

(त) "स्वतंत्र क्षेत्रों" का तात्पर्य ऐसे क्षेत्रों से है, जिन्हें अपार्टमेन्टों के सामूहिक प्रयोग के लिये सामान्य क्षेत्रों के रूप में घोषित किया गया है, परन्तु सम्मिलित न किया गया हो और जिसका अन्य अपार्टमेन्ट स्वामियों के हस्तक्षेप के बिना प्रोमोटर द्वारा विक्रय किया जा सके;

(थ) "संयुक्त कुटुम्ब" का तात्पर्य किसी हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब से है, और अन्य व्यक्तियों के मामलों में, किसी ऐसे समूह या इकाई से हे, जिसके सदस्य कब्जा या निवास में रूढ़ि द्वारा संयुक्त हों;

(द) "स्थानीय प्राधिकरण" का तात्पर्य सम्पत्ति स्थल पर अधिकारिता रखने वाले उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 के अधीन स्थापित विकास प्राधिकरण या उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 के अधीन स्थापित नियंत्रक प्राधिकारी या उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 के अधीन स्थापित विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण या उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, अधिनियम, 1965 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् या उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, अधिनियम, 1976 के अधीन स्थापित औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण या उत्तर प्रदेश सहकारी आवास समिति अधिनियम, 1965 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ या उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 के अधीन गठित नगर निगम या उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 के अधीन स्थापित नगर पालिका से है;

(ध) "सीमित साझा क्षेत्रों और सुविधाओं" का तात्पर्य उन सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं से है, जिन्हें अन्य अपार्टमेन्टों को अपवर्जित करके किसी अपार्टमेन्ट या किन्हीं अपार्टमेन्टों के उपयोग के लिये आरक्षित किसी अपार्टमेन्ट के आवंटन, विक्रय या अन्य अन्तरण के पूर्व प्रोमोटर द्वारा लिखित रूप में अभिहित किया जाय;

(न) "प्रबन्धक" का तात्पर्य उपविधियों के अधीन नियुक्त अपार्टमेन्ट स्वामियों के किसी संघ के प्रबन्धक से है;

(प) "व्यक्ति" के अन्तर्गत कोई फर्म या संयुक्त परिवार सम्मिलित है और उसके अन्तर्गत सामूहिक आवास सहकारी समिति भी है;

(फ) "विहित" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित से है;

(ब) "प्रोमोटर" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति, कम्पनी, फर्म, संघ या सहकारी समिति से है, जिसके या जिनके द्वारा भवन का निर्माण किया गया हो;

(भ) "सम्पत्ति" का तात्पर्य भूमि, भवन उस पर किये गये सभी सुधारों और संरचनाओं और उससे संबंधित सभी सुखाचारों, अधिकारों और उपांगों और निजी सम्पत्ति की उन सभी वस्तुओं से है जो उससे संबंधित प्रयोग के लिये आशयित हो, जिन्हें इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन दिया गया हो या जो दिये जाने के लिये आशयित हों।

अध्याय–दो

प्रमोटरों के कर्तव्य एवं दायित्व

प्रमोटर का सामान्य दायित्व

4–(1) कोई प्रमोटर जो किसी अपार्टमेन्ट का विक्रय करना चाहता है, इच्छुक क्रेता या सक्षम प्राधिकारी के समक्ष निम्नलिखित का पूर्ण और सत्य प्रकटन करेगा–

(क) उस भूमि और भवन के अधिकार और हक जिसमें अपार्टमेन्टों का निर्माण किया गया हो या निर्माण किया जाना प्रस्तावित हो;

(ख) ऐसी भूमि या भवन पर सभी विल्लंगम, यदि कोई हों, और ऐसी भूमि या भवन में या किसी व्यक्ति का अधिकार, हक, हित या दावा;

(ग) उस सम्पूर्ण भवन के, जिसका ऐसा अपार्टमेन्ट एक भाग है, स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित या उसके समक्ष अनुमोदन के लिये प्रस्तुत नक्शे और विनिर्देश;

(घ) अनुमोदित खाका–नक्शा और भवन मानचित्र के अनुसार समस्त साझा क्षेत्रों और सुविधाओं का विवरण;

(ङ) प्रदान किये गये या प्रदान किये जाने के लिये प्रस्तावित फिक्सचरों, फिटिंग और प्रसुविधाओं की प्रकृति;

(च) संकर्म के अभिकल्प और विनिर्देश, भवन के निर्माण में प्रयोग किये गये या प्रयोग किये जाने के लिये प्रस्तावित सामग्री के विवरण के साथ संघ को उपलब्ध कराये जाने के लिये संरचनात्मक और वास्तु रेखाचित्र, नक्शे, दमकल विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र, विद्युत् की वाह्य एवं आन्तरिक सेवायोजना, मल निकासी, जल निकासी एवं पेय जलापूर्ति प्रणाली आदि के विवरण;

(छ) सभी निर्गम, जिसमें भू–किराया, नगर पालिका या अन्य स्थानीय कर, जल एवं विद्युत् प्रभार, राजस्व निर्धारण, अनुरक्षण एवं अन्य प्रभार, किसी बन्धक पर ब्याज, या ऐसी भूमि, भवन और अपार्टमेन्ट के सम्बन्ध में अन्य विल्लंगम आदि, यदि कोई हों, सम्मिलित है;

(ज) ऐसी अन्य सूचना और दस्तावेज जैसी विहित की जाय।

(2) प्रत्येक प्रोमोटर

(क) अपरिहार्य घटना और क्रेता को भेजी गयी सूचना के अधीन रहते हुये, लिखित रूप में ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट करेगा कि कब तक अपार्टमेन्ट का निर्माण पूरा कर लिया जायेगा;

(ख) भवन के पूर्ण होने में विलम्ब के लिये शास्ति और क्रेता द्वारा किस्त का भुगतान न करने की स्थिति में शास्ति की घोषणा करेगा;

(ग) आवंटन के निरस्तीकरण या प्रत्याहरण की शर्तों और किन्ही शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में किसी रूप में प्रतिकर की सीमा की घोषणा करेगा;

(घ) इस धारा में निर्दिष्ट दस्तावेजों की सत्य प्रतियों की फोटो प्रति के प्रभार के भुगतान किये जाने पर, इच्छुक क्रेता द्वारा मांग किये जाने पर देगा।

(3) जहां किसी प्रोमोटर द्वारा किसी भवन या अपार्टमेन्ट का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है वहां विहित स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी द्वारा योजना के अनुमोदन की सूचना के आधार पर जल संस्थान या उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 या स्थानीय प्राधिकरण अस्थायी रूप से क्रमशः जल और विद्युत आपूर्ति करेंगे :

परन्तु यह कि जल संस्थान या उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 या स्थानीय प्राधिकरण विहित स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी की किसी सूचना पर, यथास्थिति, जल और विद्युत की आपूर्ति विच्छेदित कर सकता है, यदि प्रोमोटर नियमों में अनुमन्य विचलन के सिवाय अनुमोदित योजना के विरुद्ध भवन के निर्माण की कार्यवाही करता है :

परन्तु यह और कि जल संस्थान या उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा आशयित विच्छेदन के लिये पहले कारण बताओ नोटिस और सुनवाई का अवसर दिये बिना और उसके कारणों को भी लिखित रूप में अभिलिखित किये बिना यथास्थिति, जल या विद्युत का ऐसा विच्छेदन नहीं किया जायेगा।

(4) विहित स्वीकृतिकर्ता प्राधिकरण द्वारा यथास्वीकृत इस धारा में विनिर्दिष्ट योजनाओं, विनिर्देशों और अन्य विशिष्टियों को इच्छुक विक्रेता को प्रकट कर दिये जाने और विक्रय का लिखित करार हो जाने और संबंधित निबन्धक प्राधिकारी के कार्यालय से रजिस्ट्रीकृत हो जाने के पश्चात् प्रामोटर, स्वामी या स्वामियों द्वारा यथा अपेक्षित ऐसी लघु परिवर्धन या परिवर्तन कर सकते हैं, या प्राधिकृत वास्तुविद या अभियन्ता द्वारा घोषणा करने और स्वामी को सूचना देने के पश्चात् सम्यक् रूप से संस्तुत और सत्यापित स्थापत्य और संरचनात्मक कारणों से यथावश्यक ऐसे लघु परिवर्तन या बदलाव कर सकते हैं :

परन्तु यह प्रोमोटर योजनाओं, विनिर्देशों और अन्य विवरणों में इच्छुक क्रेता, परियोजना वास्तुविद, परियोजना अभियन्ता की पूर्व सहमति और विहित संस्वीकृति प्राधिकारी की अपेक्षित अनुज्ञा के बिना कोई परिवर्तन नहीं करेगा और किसी भी दशा में वह ऐसे परिवर्तन नहीं करेगा जो भवन उपविधियों में अनुज्ञेय नहीं है।

(5) भवन सम्बन्धी उपविधियों के अनुसार कोई अपार्टमेन्ट प्रोमोटर द्वारा किसी व्यक्ति को सम्बन्धित विहित स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी से पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही अन्तरित किया जा सकता है। प्रोमोटर द्वारा विहित प्राधिकारी से पूर्णता प्रमाण–पत्र विक्रय करार के दिनांक से दो माह की अवधि के भीतर प्राप्त कर लिया जायेगा परन्तु यदि नियत समयसीमा के भीतर निर्माण कार्य पूरा नहीं कर लिया जाता है जो विहित प्राधिकारी की अनुमति से एक वर्ष के विस्तारण की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है :

परन्तु यह और कि यदि प्रोमोटर द्वारा सभी पूर्ण प्रमाण–पत्र और अन्य अपेक्षित दस्तावेजों के साथ आवेदन–पत्र प्रस्तुत किये जाने के तीन माह के भीत विहित स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी द्वारा पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जाता है तो उसे तीन माह की समाप्ति के पश्चात् जारी किया समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण–इस उप धारा के प्रयोजनार्थ पूर्णता का तात्पर्य, यथास्थिति किसी भवन के सम्पूर्ण निर्माण कार्य की पूर्णता या ऐसे भवन के किसी स्वतंत्र ब्लाक की पूर्णता से है।

(6) उपधारा (5) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने और अपार्टमेन्ट्स का भौतिक कब्जा आवंटियों को सौंपने के पश्चात् प्रोमोटर का यह दायित्व होगा कि वह साझा क्षेत्रों का कब्जा एवं सुविधायें तथा साथ में योजनाओं एवं दस्तावेजों की मूल प्रतियों को धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन गठित और रजिस्ट्रीकृत अपार्टमेन्ट स्वामी संघ को सौंप दें :

परन्तु यह कि इस शर्त के अधीन रहते हुये कि प्रोमोटर शेष अपार्टमेन्ट्स के विक्रय और अन्तरण के लिये उत्तरदायी होगा, इस उपधारा की अधीन साझा क्षेत्रों का भौतिक कब्जा और सुविधाएं सौंपने का कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के दिनांक से या अपार्टमेन्ट्स का पचहत्तर प्रतिशत भाग आवंटियों को सौंपे जाने के दिनांक से, जो भी पहले हो, एक वर्ष के भीतर पूरा कर लिया जायेगा।

(7) प्रोमोटर साझा क्षेत्रों और सुविधाओं का अनुरक्षण तब तक करेगा जब तक धारा 16 की उपधारा (2) में दी गयी शर्तों के अनुसार संघ का गठन नहीं कर दिया जाता है तथा प्रोमोटर को समानुपातिक अनुरक्षण शुल्क जैसा कि घोषणा में विनिर्दिष्ट है, अपार्टमेन्ट स्वामियों पर लगाने का हक होगा।

(8) प्रोमोटर सभी अपार्टमेन्ट को सौंपने के पश्चात्, स्वयं द्वारा निर्मित भवन में निर्माण एवं संरचना संबंधी सभी दोषों के लिये दो वर्षों तक उत्तरदायी होगा और वह अपनी लागत से ऐसे दोषों को दूर करायेगा, ऐसा न करने पर वह ऐसे दोषों से हुई हानि के लिये प्रतिकर का दायी होगा।

(9) प्रोमोटर सभी स्थानीय करों, जिसके अन्तर्गत गृह कर, जल कर, सीवर कर भी है, का तब तक भुगतान करेगा जब तक कि अपार्टमेन्ट स्वामी के पक्ष में उपपट्टा निष्पादित न कर दिया जाय।

अध्याय–तीन

अपार्टमेन्ट स्वामियों के अधिकार एवं बाध्यतायें

अपार्टमेन्ट स्वामियों के अधिकार

5–(1) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे कोई अपार्टमेन्ट इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन आवंटित, विक्रय या अन्यथा अन्तरित किया जाता है, को इस प्रकार आवंटित, बेचे गये या अन्यथा अन्तरित अपार्टमेन्ट के अनन्य स्वामित्व और कब्जे का हक होगा।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी अपार्टमेन्ट के अनन्य स्वामित्व और कब्जे का हकदार हो जाता है, साझा क्षेत्रों और सुविधाओं में अविभाजित हित के ऐसे प्रतिशत का हकदार होगा जैसा अपार्टमेन्ट के विलेख में विनिर्दिष्ट किया जाय और प्रतिशतता की संगणना भवन के सभी अपार्टमेन्टों के कुल क्षेत्रफल के संबंध में अपार्टमेन्ट के क्षेत्रफल को आधार के रूप में लेकर की जायेगी।

(3) (क) साझा क्षेत्रों और सुविधाओं में प्रत्येक अपार्टमेन्ट स्वामी के अविभाजित हित का प्रतिशत स्थायी प्रकृति का होगा और उसे समस्त अपार्टमेन्ट स्वामियों की लिखित सहमति और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

(ख) साझा क्षेत्र और सुविधाओं में अविभाजित हित के प्रतिशत को उस अपार्टमेन्ट से पृथक् नहीं किया जायेगा। जिससे वह अनुलग्न हो और उसे अपार्टमेन्ट के साथ हस्तान्तरित या विलंगमित किया गया समझा जायेगा, भले ही ऐसा हित हस्तान्तरण पत्र या अन्य लिखित में अभिव्यक्त रूप से उल्लिखित न हो।

(4) साझा क्षेत्रों और सुविधाओं का विक्रय नहीं किया जायेगा और वे अविभाजित रहेंगे और कोई अपार्टमेन्ट स्वामी या कोई अन्य व्यक्ति उसके विभाजन या किस भाग के खण्ड के लिये कोई कार्रवाई नहीं करेगा और इसके विरुद्ध कोई प्रसंविदा शून्य होगी।

(5) प्रत्येक अपार्टमेन्ट स्वामी उन प्रयोजनों के अनुसार जिनके लिये वे आशयित हो, अन्य अपार्टमेन्ट स्वामियों के विधिसम्मत अधिकारों में बाधा डाले या अतिक्रमण किये बिना साझा क्षेत्रों और सुविधाओं का उपयोग कर सकता है।

(6) साझा क्षेत्रों और सुविधाओं के अनुरक्षण, मरम्मत, संशोधन और प्रतिस्थापन और उसमें किसी परिवर्धन या सुधार करने से संबंधित आवश्यक कार्य, इस अधिनियम के उपबन्धों और उपविधियों के अनुसार ही किया जायेगा।

(7) प्रत्येक अपार्टमेन्ट में साझा क्षेत्रों या उसकी सुविधाओं में अनुरक्षण, मरम्मत या प्रतिस्थापन, या उससे पहुंच, या साझा क्षेत्रों और सुविधाओं को क्षति से बचाने के लिये उसमें या किसी अन्य अपार्टमेन्ट या अपार्टमेन्टों में आवश्यक आपातिक मरम्मत करने के लिये युक्तियुक्त समय के दौरान समय-समय पर पहुंचने का अप्रतिसंहरणीय अधिकार अपार्टमेन्ट स्वामियों के संघ को होगा, जिसका प्रयोग बोर्ड या प्रबन्धक द्वारा किया जायेगा।

अपार्टमेन्ट स्वामियों की बाध्यताएं

6–(1) प्रत्येक अपार्टमेन्ट स्वामी, अपार्टमेन्ट के विलेख में दिये गये उपविधियों और प्रसंविदाओं, शर्तों और निर्बन्धनों का कड़ाई से अनुपालन करेगा और उनमें से किसी के अनुपालन की विफलता अपार्टमेन्ट स्वामियों के संघ की ओर से प्रबन्धक या बोर्ड द्वारा, या किसी उपयुक्त मामले में किसी व्यथित अपार्टमेन्ट स्वामी द्वारा, क्षतियों के लिये या व्यादेशात्मक अनुतोष या दोनों के लिये, देय धनराशि की वसूली की कार्यवाही का अधिकार होगा।

(2) कोई अपार्टमेंन्ट स्वामी अन्य सभी अपार्टमेन्ट स्वामियों की प्रथमतः सहमति प्राप्त किये बिना कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जो सम्पत्ति की सुस्थिरता और सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो या उसके मूल्य को कम नहीं करेगा या किसी सुखाचार या दायित्व को हासिल नहीं करेगा या किसी सारवान संरचना में परिवर्धन नहीं करेगा या किसी अतिरिक्त भूगेह या तहखाना के लिये खुदाई नहीं करेगा या बाह्य अनिवार्य आकृति में कोई परिवर्तन नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण–इस धारा में अपार्टमेन्ट स्वामियों के लिये संदर्भ का अभिप्राय किसी भवन के संबंध में किसी ब्लाक, पाकेट या अन्य अभिहित क्षेत्र में ऐसे ब्लाक, पाकेट या अन्य अभिहित क्षेत्र में संबंधित भवन में अपार्टमेन्ट स्वामियों से है।

अध्याय–चार

अपार्टमेन्टों का स्वामित्व हस्तान्तरणीयता और अन्तरणीयता

अपार्टमेन्ट हस्तान्तरणीय और अन्तरणीय होगा

7–प्रत्येक अपार्टमेन्ट और ऐसे अपार्टमेन्ट से जुड़े साझा क्षेत्रों और सुविधाओं में अविभाजित हित सहित, समस्त प्रयोजनों के लिये तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अर्थान्तरगत हस्तान्तरणीय और अन्तरणीय स्थावर सम्पत्ति होगी, और तद्नुसार कोई अपार्टमेन्ट स्वामी ऐसे अर्पामेन्ट से अनुलग्न साझा क्षेत्रों और सुविधाओं में अविभाजित हित के प्रतिशत को विक्रय, बन्धक, पट्टा, दान, विनिमय स्वरूप या किसी अन्य रूप, जो भी हो, उसी रीति से, उसी सीमा तक और उन्हीं अधिकारों, विशेषाधिकारों, बाध्यताओं, दायित्वों, जांचों, विधिक कार्यवाहियों, उपचारों और शास्ति, जब्ती या दण्ड के अधीन जैसा किसी अन्य स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण और उत्तराधिकार के लिये लागू विधियों के अधीन हो, उक्त की वसीयत कर सकता है :

परन्तु जहां किसी अपार्टमेन्ट का आवंटन, विक्रय या अन्य अन्तरण किसी सामूहिक आवास सहकारी समिति या संघ द्वारा उसके किसी सदस्य के पक्ष में किया गया हो वहां ऐसे अपार्टमेन्ट की अन्तरणीयता और अन्य सभी मामले उस विधि द्वारा विनियमित

किये जायेंगे जो ऐसे सामूहिक आवास सहकारी समिति या संघ, जो साझा क्षेत्रों और सुविधाओं को अनुरक्षित करता हो, के लिये लागू विक्रय मूल्य के किसी मामले में अधिकतम 2 प्रतिशत की दर से किन्तु 01 प्रतिशत से अन्यून दर से अन्तरण शुल्क उपबन्धित कर सकती है। अन्तरण शुल्क हस्तान्तरण के मामले में उदग्रहणीय नहीं होगा।

अपार्टमेन्ट का स्वामित्व शर्तों के अधीन होगा

8–जहां किसी अपार्टमेन्ट का कोई आवंटन, विक्रय या अन्तरण भुगतान या आंशिक भुगतान के किसी वचन के अनुसरण में या उसके प्रति फलस्वरूप चाहे इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व या उसके पश्चात् किया गया हो, वहां यथास्थिति, आवंटिती, या अन्तरिती उस अपार्टमेन्ट के स्वामित्व और कब्जा के लिये या ऐसे अपार्टमेन्ट से अनुलग्न साझा क्षेत्रों और सुविधाओं में अविभाजित हित की प्रतिशतता के लिये तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ब्याज का पूर्ण भुगतान यदि कोई देय हो, सहित उसके प्रतिफल स्वरूप न कर दिया गया हो, और जहां ऐसे आवंटन या अन्तरण के अनुसरण में ऐसे अपार्टमेन्ट या उसके किसी भाग का कब्जा किसी ऐसे आवंटिती या अन्तरिती को दिया गया हो, वहां जब तक प्रतिफल का पूर्ण भुगतान नहीं कर दिया जाता है, तब तक उन्हीं निबंधन और शर्तों पर उसके कब्जे में बना रहेगा जिन पर उसे ऐसे अपार्टमेन्ट या उसके भाग का कब्जा दिलाया गया था। कोई छुपा प्रभार नहीं रहेगा। विक्रय संबंधी सभी प्रतिफल या तो विक्रय के करार के समय या इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार क्रय को लिखित रूप में अन्तिम रूप देते समय निश्चित कर लिया जायेगा।

पुनः प्रविष्टि का अधिकार

9–(1) जहां कोई भूमि किसी व्यक्ति (जिसे आगे इस धारा में पट्टाकर्ता कहा गया है) द्वारा पट्टे पर दूसरे व्यक्ति (जिसे आगे इस धारा में पट्टेदार कहा गया है, जिस पद में ऐसा व्यक्ति सम्मिलित होगा जिसके पक्ष में ऐसे भूमि का उप–पट्टा स्वीकृत किया गया हो) को दी गयी हो, और ऐसी भूमि पर किसी भवन का निर्माण, पट्टेदार या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या उसके माध्यम से दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा, किया गया हो, वहां ऐसा पट्टेदार भूमि के संबंध में उतने उप–पट्टों को स्वीकृत करेगा जितना ऐसे भवन में अपार्टमेन्ट हों और वह प्रत्येक अपार्टमेन्ट स्वामी के पक्ष में ऐसे भूमि के संबंध में उप–पट्टे का पृथक् विलेख उसे ऐसे भवन में अपार्टमेन्ट का कब्जा सौंपे जाने के पूर्व निष्पादित करेगा। पट्टाकर्ता इस बात के लिये कर्त्तव्यबद्ध होगा कि वह पट्टेदार को नक्शा और अन्य विधिक दस्तावेज प्रदान कर दे :

परन्तु किसी भूमि के मामले में कोई उप–पट्टा, उसी निबंधन और शर्तों, जिन पर भूमि के संबंध में पट्टा, पट्टाकर्ता द्वारा स्वीकृत किया गया हो, के सिवाय स्वीकृत नहीं किया जायेगा और कोई अतिरिक्त निबंधन और शर्तें पट्टेदार द्वारा, पट्टाकर्ता के पूर्व अनुमोदन के सिवाय, अधिरोपित नहीं की जायेगी।

(2) जहां पट्टेदार को यह संदेह करने का कोई कारण हो कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट उप–पट्टे के निबंधन और शर्तों को भंग किया गया है वहां वह स्वयं उस भूमि का निरीक्षण कर सकता है जिस पर संबंधित अपार्टमेन्ट सहित भवन का निर्माण किया गया हो, या एक या अधिक व्यक्तियों को ऐसी भूमि का निरीक्षण करने और ऐसी रिपोर्ट तैयार करने के लिये प्राधिकृत कर सकता है कि ऐसी भूमि के संबंध में किसी उप–पट्टे की निबन्धन एवं शर्तों को भंग तो नहीं किया गया है, और यदि ऐसा हो तो ऐसे भंग की प्रकृति ओर सीमा क्या है, और इस प्रयोजन के लिये पट्टेदार या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के लिये यह विधिसम्मत होगा कि वह उस भूमि में प्रवेश करे ओर उसमें रहे जिसके संबंध में ऐसा भंग किया गया हो या किये जाने का संदेह हो।

(3) जहां पट्टेदार या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति उपधारा (1) में निर्दिष्ट भूमि का निरीक्षण करता है वहां वह ऐसे निरीक्षण के अपने निष्कर्मों (जिसकी सत्यप्रति ऐसे अपार्टमेन्ट स्वामी को प्रदान की जायेगी जिसके द्वारा स्वामित्व प्राप्त अपार्टमेन्ट से अनुलग्न भूमि के सम्बन्ध में उप–पट्टे के निबन्धन और शर्तों को इस प्रकार से भंग किया गया हो जिसे आगे व्यतिक्रमी अपार्टमेन्ट स्वामी कहा गया है) को लिखित रूप में अभिलिखित करेगा और जहां ऐसे निष्कर्ष यह इंगित करते हैं कि ऐसी भूमि के सम्बन्ध मं उप–पट्टे के निबन्धन और शर्तों को किसी प्रकार सं भंग किया गया है, वहां लिखित नोटिस द्वारा पट्टेदार ऐसी भूमि के सम्बन्ध में उप–पट्टे के निबन्धन और शर्तों को किसी प्रकार भंग करने से विरत रहने के लिये व्यतिक्रमी अपार्टमेन्ट स्वामी से अपेक्षा कर सकता है या उसके बदले में यथाविहित प्रशमन फीस के ऐसे मानकों के अनुसार नोटिस में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी प्रशमन फीस के भुगतान करने की अपेक्षा कर सकता है।

(4) ऐसा व्यतिक्रमी अपार्टमेन्ट स्वामी जो उपधारा (3) के अधीन पट्टेदार द्वारा उसे तामील करायी गयी किसी नोटिस से व्यथित हो, ऐसी नोटिस के तामील होने के तीस दिन के भीतर अधिकारिता वाले जिला न्यायाधीश के न्यायालय में (जिसे आगे जिला न्यायालय कहा गया है), पट्टेदार या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के निष्कर्ष को चुनौती देकर या नोटिस में यथा विनिर्दिष्ट प्रशमन फीस को विवादित बताकर अपील कर सकता है और जिला न्यायालय, पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के पश्चात उन निष्कर्षों की पुष्टि कर सकता है, उन्हें परिवर्तित कर सकता है या उलट सकता है या प्रशमन फीस की धनराशि की पुष्टि कर सकता है, उसमें कटौती कर सकता है, या वृद्धि कर सकता है या नोटिस को अपास्त कर सकता है।

(5) जहां कसी भूमि के सम्बन्ध में किसी उप–पट्टे के किसी निबन्धन और शर्तों का भंग होने पर कोई प्रशमन फीस संदेय हो जाती है तो व्यतिक्रमी अपार्टमेन्ट का स्वामी ऐसे भंग का दोषी माना जायेगा और उसके भुगतान के व्यतिक्रम में व्यतिक्रमी अपार्टमेन्ट के स्वामी से भू–राजस्व के बकाये के रूप में प्रशमन फीस की धनराशि को वसूल करना पट्टेदार के लिये विधिपूर्ण होगा।

(6) जहां किसी प्रशमन फीस का भुगतान उपधारा (3) के अधीन तामील की गयी नोटिस के अनुसरण में या जिला न्यायालय या अपील पर उच्चतर न्यायालय के विनिश्चय के अनुसार किया जाता है, वहां भूमि, जिसके सम्बन्ध में ऐसी प्रशमन फीस का भुगतान वसूल कर लिया गया हो, के सम्बन्ध में उप–पट्टे के निबन्धन और शर्तों के भंग के लिये पट्टेदार द्वारा कोई अग्रतर कार्यवाही नहीं की जोयगी।

(7) यदि व्यतिक्रमी अपार्टमेन्ट का स्वामी भूमि के सम्बन्ध में उप–पट्टे के निबन्धन और शर्तों को छोड़ देता है या उन्हें भंग करने से बचने में असफल रहता है, या यथास्थिति उसके स्थान पर प्रशमन फीस का भुगतान–

(एक) उपधारा (3) के अधीन पट्टेदार द्वारा जारी नोटिस के अनुसार; या

(दो) जहां भूमि के सम्बन्ध में किसी उप–पट्टे की निबन्धन और शर्तों के किसी प्रकार भंग होने के संबंध में पट्टेदार या भूमि का निरीक्षण करने के लिये प्राधिकृत किसी व्यक्ति का निष्कर्ष या पट्टेदार द्वारा जारी की गयी नोटिस में विनिर्दिष्ट प्रशमन फीस की धनराशि, जैसी भी

स्थिति हो, जिला न्यायालय या ऐसे उच्चतर न्यायालय के विनिश्चय के अनुसर अपील का जिला न्यायालय द्वारा या अग्रतर अपील पर किसी उच्चतर न्यायालय द्वारा परिवर्तित की गयी हो, नहीं करता है या उसमें असफल रहता है तो,–

पट्टेदार निम्नलिखित का हकदार होगा,–

(क) जहां उपधारा (3) के अधीन नोटिस के तामील के दिनांक से साठ दिन के अन्दर उपधारा (4) के अधीन कोई अपील न की गयी हो; या

(ख) जहां उपधारा (4) के अधीन कोई अपील न की गयी हो जिला न्यायालय द्वारा, या जहां किसी उच्चतर न्यायालय में अपील की गयी हो, उक्त उच्चतर न्यायालय द्वारा,

अपील के अन्तिम निस्तारण के साठ दिन के अन्दर व्यतिक्रमी अपार्टमेन्ट के स्वामी द्वारा स्वामित्व प्राप्त अपार्टमेन्ट से संलग्न भूमि में पट्टेदार के अविभाजित हित के सम्बन्ध में पुनर्प्रविष्ट के अधिकार का प्रयोग करने के लिये और जहां ऐसी पुनर्प्रविष्ट के अधिकार का प्रयोग, व्यतिक्रमी अपार्टमेन्ट के स्वामी के अपने अपार्टमेन्ट से बेदखली के सिवाय, नहीं किया जा सकता है, ऐसे पुनर्प्रविष्ट के अधिकार में सम्बन्धित अपार्टमेन्ट से व्यतिक्रमी के स्वामी को बेदखल करने का अधिकार सम्मिलित होगा :

परन्तु कोई ऐसी बेदखली तब तक नहीं की जायेगी जब तक व्यतिक्रमी अपार्टमेन्ट के स्वामी को पट्टेदार द्वारा ऐसी बेदखली के लिये प्रतिकर, जैसा विहित प्रतिकर मानकों के अनुसार अवधारित किया जाय, के रूप में ऐसी धनराशि का भुगतान न कर दिया गया हो।

(8) उपधारा (4) के अधीन की गयी कोई अपील तब तक स्वीकार नहीं की जायेगी जब तक किसी अनुमोदित बैंक के किसी शाखा में जिला न्यायालय द्वारा खोले जाने वाले बचत बैंक खाता में जिला न्यायालय के नामे व्यतिक्रमी अपार्टमेन्ट के स्वामी पर तामील की गयी नोटिस में विनिर्दिष्ट प्रशमन फीस का पच्चीस प्रतिशत जमा न कर दिया गया हो :

परन्तु जिला न्यायालय, पर्याप्त कारण दर्शाये जाने पर ऐसी जमा धनराशि में छूट दे सकता है, या कटौती कर सकता है, और ऐसी जमा पर प्रोद्भूत ब्याज उस व्यतिक्रमी अपार्टमेन्ट के स्वामी के नामे डाला जाना सुनिश्चित करेगा जिसके द्वारा ऐसी धनराशि जमा की गयी हो :

परन्तु यह और कि ऐसी जमा धनराशि उस पर देय ब्याज सहित, ऐसी अपील में विनिश्चय के अनुसार जिला न्यायालय द्वारा, या जहां कोई अग्रतर अपील की गयी हो, उक्त अग्रतर अपील में विनिश्चय के अनुसार वितरित की जायेगी।

(9) व्यतिक्रमी अपार्टमेन्ट का स्वामी, जो अपार्टमेन्ट से बेदखली के लिये उपधारा (7) के परन्तुक के अधीन उसे प्रतिकर के रूप में संदत्त किये जाने के लिये प्रस्तावित धनराशि से व्यथित हो, ऐसे प्रस्ताव के दिनांक से तीस दिन के भीतर जिला न्यायालय में अपील कर सकता है और जिला न्यायालय, पक्षकारों को सुने जाने के लिये युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात प्रतिकर की धनराशि को बनाये रख सकता है, उसमें वृद्धि कर सकता है या कटौती कर सकता है।

(10) उपधारा (7) के अधीन अपार्टमेन्ट से व्यतिक्रमी अपार्टमेन्ट के स्वामी की बेदखली पर, पट्टेदार, जिसके द्वारा ऐसी बेदखली की गयी हो, किसी अन्य व्यक्ति को, ऐसे निबन्धन और शर्तों पर जैसा वह उपयुक्त समझें, संबंधित अपार्टमेन्ट का नया आवंटन कर सकता है।

(11) जहां कोई पट्टेदार उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (7) के उपबन्धों के अनुसार कोई कार्यवाही करने से लोप करता है या उसमें असफल रहता है वहां पट्टाकर्ता, प्रथमतः, यथास्थिति, उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (7) के अधीन व्यतिक्रमी अपार्टमेन्ट के स्वामी के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये लिखित नोटिस के द्वारा ऐसी नोटिस के तामील के दिनांक से नब्बे दिन के अवधि के भीतर अपेक्षा कर सकता है, और ऐसी अवधि के भीतर पट्टेदार के ऐसा करने में लोप करने या असफल रहने की स्थिति में स्वयं पट्टाकर्ता उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (7) यथा अन्तर्विष्ट कार्यवाही कर सकता है, और उपधारा (4) से उपधारा (6) और उपधारा (8) से उपधारा (10) के उपबन्ध, यथाशक्य, उसके द्वारा की गयी किसी कार्यवाही के लिये लागू होंगे मानो ऐसी कार्यवाही पट्टेदार द्वारा की गयी हो।

(12) संदेहों के निराकरण के लिये एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि किसी अपार्टमेन्ट में उसके स्वामी द्वारा किसी कार्य को उस भूमि के संबंध में जिस पर ऐसे अपार्टमेन्ट से अन्तर्विष्ट भवन का निर्माण किया गया हो, उपपट्टे की शर्तों का भंग तब तक नहीं माना जायेगा जब तक कि कार्य धारा 6 की उपधारा (2) द्वारा निषिद्ध न कर दिया गया हो।

अपार्टमेन्ट के स्वामियों से अपार्टमेन्ट का क्रय या उन्हें पट्टे पर लेने वाले व्यक्ति द्वारा बचनबद्धता का निष्पादन

10—सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 (अधिनियम संख्या 4 सन् 1882) में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी किसी अपार्टमेन्ट के स्वामी से दान, विनिमय, क्रय या अन्यथा द्वारा किसी अपार्टमेन्ट को अर्जित करने वाला या अपार्टमेन्ट के स्वामी से तीस वर्षों या उससे अधिक की अवधि के लिये किसी अपार्टमेन्ट को पट्टे पर लेने वाला कोई व्यक्ति,—

(क) उक्त अपार्टमेन्ट के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन होगा, और

(ख) किसी लिखत को ऐसे प्रपत्र में, ऐसे रूप में, और ऐसी अवधि के भीतर निष्पदित और पंजीकृत करेगा जैसा प्रसंविदाओं, शर्तों और निर्बन्धनों, जिनके अध्यधीन ऐसे अपार्टमेन्ट का स्वामित्व पूर्वोक्त के स्वामी द्वारा प्राप्त किया जाता है, का अनुपालन करने के लिये बचन देते हुये विहित किया जाय।

अपार्टमेन्टों के विरुद्ध विल्लंगम

11—(1) प्रत्येक अपार्टमेन्ट का स्वामी लिखत निष्पादित करके और उसे निबंधक प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत कराकर अपने द्वारा स्वामित्व प्राप्त अपार्टमेन्ट और ऐसे अपार्टमेन्ट से अनुलग्न सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं में अविभाज्य हित के प्रतिशत, उसी रूप में और उसी सीमा तक जैसा कि व्यक्तिगत स्वामित्व के अध्यधीन किसी अन्य पृथक सम्पत्ति के पार्सल के संबंध में सृजित किया जाय, के ही विरुद्ध कोई विल्लंगम सृजित कर सकता है।

परन्तु जहां कोई ऐसा विल्लंगम सृजित किया जाता है वहां अपार्टमेन्ट, जिसके सम्बन्ध में ऐसा विल्लंगम सृजित किया गया हो, का विभाजन या उप विभाजन नहीं किया जायेगा।

(2) दो या अधिक अपार्टमेन्टों पर प्रभावी होने वाली किसी भार या किसी विल्लंगम के प्रभावी होने की दशा में पृथक—पृथक अपार्टमेन्टों के स्वामी, प्रत्येक अपार्टमेन्ट के लिये मानी जा सकने वाली प्रभावी आंशिक या आनुपातिक धनराशि के भुगतान पर भार या विल्लंगम से ऐसे अपार्टमेन्टों से अनुलग्न साझा क्षेत्रों और सुविधाओं में अपने अपार्टमेन्टों और अविभाजित हित के प्रतिशत को हटा सकते हैं और इस प्रकार भुगतान करने पर अपार्टमेन्ट और अनुलग्न साझा क्षेत्रों और सुविधाओं में अविभाजित हित का प्रतिशत इस प्रकार हटाये गये भार या विल्लंगम से मुक्त होगा :

परन्तु इस प्रकार का आंशिक भुगतान किसी अन्य अपार्टमेन्ट और ऐसे अपार्टमेन्ट से अनुलग्न साझा क्षेत्रों और सुविधाओं में अविभाजित हित के प्रतिशत के विरुद्ध इस प्रकार असंदत्त धनराशि के संबंध में अधिकारों को परिवर्तित करने की कार्यवाही करने से कोई भार या कोई विल्लंगम रखने वाले व्यक्ति को नहीं रोकेगा।

अध्याय–पांच

भवन की घोषणा और अपार्टमेन्ट का विलेख

घोषणा की विषय वस्तु

12–(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् निर्मित किसी भवन के संबंध में घोषणा को सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में ऐसे प्रपत्र में ऐसी अवधि के भीतर और इस प्रकार जैसा निर्धारित किया जाय, प्रस्तुत किया जायेगा और जिसमें निम्नलिखित का पूरा और सत्य विवरण होगा, अर्थात्–

(क) उस भूमि का विवरण जिस पर भवन और सुधार हैं अथवा होने वाले हैं और क्या भूमि फ्री–होल्ड है अथवा पट्टे पर है;

(ख) भवन का विवरण जिसमें तलों और बेसमेन्टों की संख्या, अपार्टमेन्टों की संख्या और मुख्य सामग्री जिससे वह निर्मित है अथवा निर्माण की जायेगी;

(ग) प्रत्येक अपार्टमेन्ट की संख्या और इसकी स्थिति का विवरण, अनुमानित क्षेत्रफल, कमरों की संख्या और समीप का साझा क्षेत्र जिससे यहां तक पहुंचा जा सके और कोई अन्य विवरण जो इसके ठीक–ठीक पहचान के लिये आवश्यक हो;

(घ) साझा क्षेत्रों और सुविधाओं का विवरण;

(ङ) साझा क्षेत्रों और सुविधाओं, यदि कोई हो, का यह बताते हुये विवरण कि किस अपार्टमेन्ट के लिये उनका प्रयोग आरक्षित है;

(च) सभी प्रयोजनों के लिये, जिनमें मतदान भी सम्मिलित है, सम्पत्ति और प्रत्येक अपार्टमेन्ट का मूल्य और प्रत्येक अपार्टमेन्ट और उसके स्वामी से संबंधित साझा क्षेत्रों और सुविधाओं में अविभाजित हित का प्रतिशत;

(छ) अपार्टमेन्ट की सम्पत्ति पर विल्लंगमों का, यदि कोई, विवरण और घोषणा के दिनांक को उसके अविभाजित हित;

(ज) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जायं।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट घोषणा को ऐसी परिस्थितियों के अधीन और ऐसी रीति से संशोधित किया जा सकता है जैसी विहित की जाय।

अपार्टमेन्ट विलेख का पंजीकरण

13–कोई भी प्रोमोटर या अपार्टमेन्ट स्वामी इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात निर्मित किसी अपार्टमेन्ट के कब्जे को समुचित अन्तरण विलेख निष्पादित किये बिना और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के उपबन्धों के अधीन उसे पंजीकृत कराये बिना अन्तरित या सुपुर्द नहीं करेगा और प्रोमोटर या अपार्टमेन्ट स्वामी के लिये यह अनिवार्य होगा कि वह अधिनियम की धारा 12 के अधीन की गयी घोषणा की सत्यप्रतिलिपि ऐसे अन्तरण विलेख के साथ संलग्न करे।

अध्याय–छः

अपार्टमेन्ट स्वामियों का संघ और ऐसे संघ के क्रियाकलापों के पंजीकरण के लिये उपविधियां

अपार्टमेन्ट स्वामियों का संघ और उनसे संबंधित उप विधियां

14–(1) अपार्टमेन्टों और उनसे संबंधित सम्पत्ति और साझा क्षेत्रों और सुविधाओं के प्रबन्ध से संबंधित क्रिया–कलापों के प्रशासन के लिये अपार्टमेन्ट स्वामियों का एक संघ होगा :

परन्तु यह कि जहां किसी क्षेत्र को भवनों के निर्माण के लिये चिन्हित कर दिया गया है, चाहे ऐसा क्षेत्र ब्लाक या पाकेट या किसी अन्य नाम से पुकरा जाय, ऐसे चिन्हित क्षेत्र में अपार्टमेन्ट स्वामियों का एक ही संघ होगा।

(2) प्रोमोटर और अपार्टमेन्ट स्वामियों का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संघ बनायें। प्रोमोटर ऐसी संख्या में अपार्टमेन्ट्स जितनी संघ बनाने के लिये आवश्यक हो या अपार्टमेन्ट्स का 30 प्रतिशत जो भी अधिक हो उसके द्वारा बिक्री, अन्तरण या कर्जा देने के माध्यम से स्वामियों को सौंप दिये जाने के तत्काल बाद संघ का पंजीकरण करायेगा, बशर्ते कि भवन, सभी अवसंरचना संबंधी सेवाओं के साथ पूर्ण कर दिया गया हो और स्थानीय प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया गया हो।

(3) संभावित अपार्टमेन्ट स्वामी के पक्ष में अपार्टमेन्ट विलेख के निष्पादन के आशयित दिनांक को किसी भवन अपार्टमेन्ट स्वामियों का संघ न बनाये जाने की स्थिति में सम्भावित अपार्टमेन्ट स्वामी के लिये यह बाध्यकारी होगा कि वह ऐसे संघ के बनाये जाने से संबंधित लिखित सूचना की प्राप्ति के चार सप्ताह की अवधि के भीतर संघ का सदस्य बन जाय।

(4) जहां अर्पामेन्ट स्वामियों का कोई संघ अपार्टमेन्ट के अन्तरण के आशयित दिनांक को विद्यमान हो, वहां संभावित अपार्टमेन्ट स्वामी के लिये यह बाध्यकारी होगा कि वह अपने पक्ष में अपार्टमेन्ट विलेख के निष्पादित किये जाने के पूर्व ऐसे संघ का सदस्य बन जाय।

(5) उपर्युक्त उपधारा (2) के अधीन अपार्टमेन्ट स्वामियों का संघ बन जाने पर सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं के संबंध में अपार्टमेन्ट का कार्यकलाप प्रबन्धतंत्र प्रोमोटर से उक्त संघ को अन्तरित किया गया समझा जायेगा जो उसके पश्चात् उनका रख–रखाव करेगा :

परन्तु यह कि जब तक अपार्टमेन्ट्स का विक्रय या अन्तरण नहीं कर दिया तब तक प्रोमोटर सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं के रख–रखाव की लागत का आनुपातिक रूप से वहन करेगा।

(6) सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा आदर्श उपविधि बना सकती है, जिसके अनुसार उपधारा (1) में निर्दिष्ट सम्पत्ति का प्रशासन अपार्टमेन्ट स्वामियों के संघ के द्वारा किया जायेगा और संघ अपनी पहली बैठक में इस प्रकार बनायी गयी आदर्श उपविधि के अनुसार अपनी उपविधि बनायेगा और अपनी उपविधि बनाते समय अपार्टमेन्ट स्वामियों का संघ उपर्युक्त आदर्श उपविधि में, सिवाय सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के, न तो कोई विचलन न भिन्नता, न बढ़ोत्तरी या लोप करेगा।

(7) उपधारा (6) के अधीन बनायी गयी आदर्श उपविधि में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित की व्यवस्था होगी अर्थात-

(क) वह रीति जिसमें अपार्टमेन्ट स्वामियों का संघ बनाया जाय;

(ख) अपार्टमेन्ट स्वामियों के संघ के सदस्यों द्वारा अपार्टमेन्ट स्वामियों में से प्रबन्धन बोर्ड का निर्वाचन;

(ग) बोर्ड का गठन करने वाले अपार्टमेन्ट स्वामियों की संख्या, बोर्ड की संरचना और बोर्ड के एक तिहाई सदस्य प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त होंगे;

(घ) बोर्ड की शक्तियां और कर्तव्य;

(ङ) बोर्ड के सदस्यों का मानदेय यदि कोई हो;

(च) बोर्ड के सदस्यो को पद से हटाने का ढंग;

(छ) प्रबन्धक की सेवाओं को लेने के लिये बोर्ड की शक्तियां;

(ज) ऐसे प्रबन्धक की बोर्ड की शक्तियों और कर्तव्यों का प्रत्यायोजन;

(झ) अपार्टमेन्ट स्वामियों के संघ की बैठक बुलाने की रीति और ऐसे अपार्टमेन्ट स्वामियों के संघ के सदस्यों की संख्या;

(ञ) अपार्टमेन्ट स्वामियों में से उनके संघ के अध्यक्ष का निर्वाचन, जो बोर्ड की और अपार्टमेन्ट स्वामियों के संघ की बैठकों की अध्यक्षता करेगा;

(ट) अपार्टमेन्ट स्वामियों में से उनके संघ के सचिव का निर्वाचन, जो बोर्ड का पदेन सदस्य होगा और दो पृथक कार्यवृत्त पुस्तिकाओं को रखेगा जिनमें से एक अपार्टमेन्ट स्वामियों के संघ के लिये और दूसरी बोर्ड के लिये होगी, प्रत्येक पुस्तक के पृष्ठों को अनवरत रूप से संख्यांकित किया जायेगा और अपार्टमेन्ट स्वामियों के संघ के अध्यक्ष द्वारा अधिप्रमाणित किया जायेगा और वह, यथास्थिति, अपार्टमेन्ट स्वामियों के संघ या बोर्ड द्वारा स्वीकृत संकल्पों को उनकी अपनी-अपनी कार्यवृत्त पुस्तिका में अभिलिखित करेगा;

(ठ) अपार्टमेन्ट स्वामियों में से एक कोषाध्यक्ष का निर्वाचन जो अपार्टमेन्ट स्वामियों के संघ के साथ–साथ बोर्ड के वित्तीय अभिलेख भी रखेगा;

(ड) साझा क्षेत्रों और सुविधाओं का अनुरक्षण, मरम्मत और प्रतिस्थापन और उनके लिये भुगतान;

(ढ) अपार्टमेन्ट स्वामियों या अपार्टमेन्ट के किसी अन्य अध्यासी से सम्मिलित व्ययों के अंश को संग्रह करने की रीति;

(ण) साझा क्षेत्रों और सुविधाओं के अनुरक्षण, मरम्मत और प्रतिस्थापन के लिये नियोजित व्यक्तियों का त्याग–पत्र और हटाया जाना;

(त) अपार्टमेन्टों के प्रयोग और अनुरक्षण और साझा क्षेत्रों और सुविधाओं के प्रयोग के संबंध में निबन्धन जो विभिन्न अपार्टमेन्ट स्वामियों द्वारा प्रत्येक अपार्टमेन्ट और साझा क्षेत्रों और सुविधाओं के प्रयोग में अनुचित हस्तक्षेप को रोकने के लिये आवश्यक हों;

(थ) सम्पत्ति के उचित या बेहतर प्रशासन के लिये उपविधि में व्यवस्था किये जाने के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित कोई विषय;

(द) ऐसे अन्य विषय जिनकी उपविधियों में व्यवस्था किये जाने की अपेक्षा हो या व्यवस्था की जा सकती हो;

(8) उपधारा (6) के अधीन बनायी गई उपविधि में ऐसे उपबन्ध भी हो सकते हैं जो इस अधिनियम से असंगत न हों;

(क) भवन के कतिपय क्षेत्रों को वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिये रहने देने के संबंध में बोर्ड की सामर्थ्य के संबंध में, और इस प्रकार रखे गये क्षेत्रों का पट्टा स्वीकृत करना और ऐसे आगम को भवन, साक्षा क्षेत्रों और सुविधाओं के अनुरक्षण में सम्मिलित व्ययों को कम करने के लिये प्रयोग करना और यह कोई अतिशेष ऐसे व्ययों को पूरा करने के बाद बचें तो उसे अपार्टमेन्ट स्वामियों में आय के रूप में वितरित करना;

(ख) अपार्टमेन्ट स्वामियों के संघ और बोर्ड के लेखों की परीक्षा और सम्पत्ति के प्रशासन के संबंध में;

(ग) अपार्टमेन्ट स्वामियों के संघ की वार्षिक सामान्य बैठकों और विशेष सामान्य बैठकों को बुलाने और संचालित करने से संबंधित वह समय जब और वह रीति जिसमें बैठक होगी, को विनिर्दिष्ट करने के संबंध में;

(घ) उस समय को और उस नीति को जब और जिसमें अपार्टमेन्ट स्वामियों के संबंध के क्रिया–कलापों से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी, विनिर्दिष्ट करना;

(ङ) वह रीति विनिर्दिष्ट करना जिसमें अपार्टमेन्ट स्वामियों के संघ द्वारा प्राप्त आय व उपगत व्यय का निपटारा या यथास्थिति लेखा रखा जायेगा।

बीमा

15–(1) बोर्ड या प्रबन्धक को ऐसे निबन्धनों के अधीन और ऐसी धनराशि के लिये जैसा अनुरोध किया जाय या अपेक्षा की जाय अग्नि या अन्य खतरों से हानि या क्षति के विरुद्ध बीमा प्राप्त करने का प्राधिकार होगा–

(क) यदि किसी बन्धकदार, द्वारा जो किसी अपार्टमेन्ट को आच्छादित करने वाला प्रथम बन्धक रखता हो, ऐसा करने का अनुरोध किया जाय, और

(ख) यदि उपविधियों द्वारा या अपार्टमेन्ट स्वामियों की बहुसंख्या द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाय।

(2) उपविधियों में विनिर्दिष्ट प्रतिशत में प्रत्येक अपार्टमेन्ट स्वामी के लिये ऐसे बोर्ड या प्रबन्धक के नाम से ट्रस्टी के रूप में सम्पत्ति पर ऐसा बीमा आच्छादन लिखा जायेगा।

(3) प्रत्येक ऐसे बीमा के संबंध में देय किस्त सम्मिलित व्ययों में आयेगी।

(4) उपधारा (1) से (3) तक के उपबन्ध प्रत्येक अपार्टमेन्ट स्वामी के अपने निजी अपार्टमेन्ट को अपने लाभ के लिये बीमाकृत कराने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगे।

विनाश या क्षति की स्थिति में सम्पत्ति का व्ययन

16–यदि किसी सम्पत्ति या उसके भाग के क्षतिग्रस्त या विनाश के दिनांक से साठ (60) दिन के भीतर या ऐसे अग्रतर समय के भीतर जिसे सक्षम प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों पर विचार करते हुये अनुमति दे, अपार्टमेन्ट स्वामियों का संघ ऐसी सम्पत्ति की मरम्मत कराने, पुनःविनिर्माण या पुनःनिर्माण के लिये विनिश्चय न करें तो और उस अवस्था में,–

(क) सम्पत्ति के बारे में यह समझा जायेगा कि वह अपार्टमेन्ट स्वामियों के साझा स्वामित्व में है,

(ख) साझा स्वामित्व वाली सम्पत्ति में प्रत्येक अपार्टमेन्ट स्वामी का, जो अविभाजित हित होगा, वह अविभाजित हित का ऐसा प्रतिशत होगा जो साझा क्षेत्रों और सुविधाओं में ऐसे स्वामी के स्वामित्व में पहले से हो,

(ग) किसी भी अपार्टमेन्ट को प्रभावित करने वाले कोई विल्लंगम विद्यमान प्राथमिकता के अनुसार सम्पत्ति में अपार्टमेन्ट स्वामी के अविभाजित हित के प्रतिशत में अंतरित समझे जायेंगे,

(घ) किसी अपार्टमेन्ट स्वामी के वाद पर सम्पत्ति के संबंध में विभाजन की कार्यवाही की जा सकेगी और उस दशा में सम्पत्ति की बीमा के शुद्ध आगम सहित, यदि कोई हो, विक्रय के शुद्ध आगम को एक निधि समझा जायेगा तथा उसे, अपार्टमेन्ट स्वामियों के समस्त संबंधित अंशों का उस सीमा तक जो इस प्रयोजन के लिये पर्याप्त हो, तथा सम्पत्ति में प्रत्येक अपार्टमेन्ट स्वामी के स्वामित्व में उसके अविभाजित हित पर समस्त भारों का, पहले भुगतान करने के पश्चात समस्त अपार्टमेन्ट स्वामियों में उसी प्रतिशत के अनुसार विभाजित किया जायेगा जो सम्पत्ति में प्रत्येक स्वामी के स्वामित्व के अविभाजित हित के प्रतिशत के बराबर हो।

कार्यवाही

17–(1) किसी अपार्टमेन्ट स्वामी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना दो या अधिक अपार्टमेन्ट स्वामियों की ओर से साझा क्षेत्रों और सुविधाओं से अथवा एक से अधिक अपार्टमेन्टों से संबंधित किसी वाद हेतुक के संबंध में जैसे उनके अपने–अपने हित प्रतीत हों, बोर्ड या प्रबन्धक द्वारा, दोनों में से किसी भी दशा में बोर्ड के विवेकानुसार वाद लाया जा सकेगा तथा विधिक कार्यवाहियां की जा सकेंगी।

(2) साझा क्षेत्रों और सुविधाओं या एक से अधिक अपार्टमेन्टों से सम्बद्ध किसी कार्यवाही में, दो या अधिक अपार्टमेन्ट स्वामियों पर आदेशिका की तामील उस व्यक्ति पर की जा सकेगी जिसे आदेशिका की तामील प्राप्त करने के लिये उपविधियों में पदाभिहित किया गया हो।

अध्याय–सात

सम्मिलित लाभ, सम्मिलित व्यय और अन्य मामले

सम्मिलित लाभ, व्यय और अन्य मामले

18–(1) साझा क्षेत्रों और सुविधाओं में अपार्टमेन्ट स्वामियों के हित के प्रतिशत के अनुसार उनके बीच सम्पत्ति का सम्मिलित लाभ बांटा जायेगा और सम्मिलित व्यय भारित किया जायेगा।

(2) जब अपार्टमेन्ट स्वामी अपने स्वामित्व में रखे गये अपार्टमेन्ट का अधिभोग नहीं कर रहा हो तो ऐसे अपार्टमेन्ट के संबंध में सम्मिलित व्यय के भुगतान करने का दायित्व अपार्टमेन्ट स्वामी और अपार्टमेन्ट को अधिभोग में रखने वाले व्यक्ति का संयुक्त रूप से और पृथक–पृथक दायित्व होगा।

19–कोई भी अपार्टमेन्ट स्वामी किसी भी साझा क्षेत्र और सुविधाओं के उपभोग के उपयोग के अधित्यजन के अथवा अपने अपार्टमेन्ट के परित्याग के आधार पर सम्मिलित व्ययों के प्रति अभिदान के दायित्व से स्वयं को मुक्त नहीं कर सकता।

अपार्टमेन्ट स्वामी को साझा क्षेत्र और सुविधाओं के उपयोग के अधित्यजन के आधार पर अभिदाय के दायित्व से छूट नहीं

20–(1) अपार्टमेन्ट स्वामियों के संघ द्वारा निर्धारित सभी धनराशियां जो किसी अपार्टमेन्ट के लिये प्रभारित सम्मिलित व्यय के अंश के रूप में असंदत्त हैं, ऐसे अपार्टमेन्ट पर सभी अन्य प्रभारों से पहले भारित होंगी, निम्नलिखित को छोड़ते हुये–

अपार्टमेन्ट पर भारित किये जाने वाले सम्मिलित व्यय

(एक) अपार्टमेन्ट पर सरकारी और नगरपालिका करों के भुगतान, यदि कोई हों, का प्रभार, और

(दो) अपार्टमेन्ट के प्रथम बन्धक पर असंदत्त सभी धनराशियां।

(2) अपार्टमेन्ट स्वामियों का संघ 12 माह से अधिक अवधि के लिये असंदत्त पड़ी हुई और जो किसी अपार्टमेन्ट के संबंध में संदेय साझा व्ययों के निमित्त देय हो, धनराशि की वसूली के अनुरोध के साथ सक्षम प्राधिकारी से सम्पर्क कर सकता है और सक्षम प्राधिकारी समाधान हो जाने पर, उस अपार्टमेन्ट के स्वामी से भू–राजस्व के बकाये के रूप में इसकी वसूली के लिये समुचित कार्यवाही करेगा।

पृथक निर्धारण

21–(1) स्थानीय प्राधिकरणों से संबंधित किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी प्रत्येक अपार्टमेन्ट और साझा क्षेत्र और सुविधाओं में इसके अविभाजित हित का प्रतिशत, ऐसे अपार्टमेन्ट के संबंध में, इस विधि के अधीन भूमि और भवन पर कर निर्धारण के प्रयोजन से पृथक सम्पत्ति मानी जायेगी और तदनुसार इसका निर्धारण किया जायगा और कर लगाया जायेगा, और इस प्रयोजन के लिये स्थानीय प्राधिकरण इस धारा के उपबन्धों को लागू करने के लिये उपयुक्त विनियम बनायेंगे।

(2) ऐसा कर लगाये जाने के प्रयोजन से उपधारा (1) में निर्दिष्ट न भवन, न सम्पत्ति और न ही साझा क्षेत्र और सुविधाओं को पृथक सम्पत्ति माना जायेगा।

बोर्ड को आवश्यक सेवा आपूर्ति की कटौती करने, रोकने, कम करने या घटाने का अधिकार

22–(1) यदि कोई अपार्टमेन्ट स्वामी–

(क) धारा 6 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबन्ध का जानबूझकर उल्लंघन करता है या स्पष्ट रूप से उल्लंघन करने की धमकी देता है; या

(ख) ऐसे सम्मिलित व्ययों, जो इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा 6 माह से अधिक के लिये संदेय हों, का भुगतान करने में विफल रहता है;

तो सम्बोधित अपार्टमेन्ट स्वामियों के संघ का सामान्य निकाय ऐसे अपार्टमेन्ट स्वामी को कम से कम सात दिन की नोटिस देने के पश्चात किसी अपार्टमेन्ट स्वामी द्वारा उपभोग की जा रही अनिवार्य आपूर्ति अथवा सेवाओं की कटौती करने, रोक रखने या किसी रूप में उसमें कमी करने अथवा घटाने का संकल्प पारित कर सकता है :

परन्तु ऐसा संघ/स्वामी ऊपर संदर्भित संकल्प को अग्रसर करने में तब तक कोई कार्यवाही नहीं करेंगे जब तक कि कोई प्रमाणित प्रति सक्षम प्राधिकारी और संबंधित अपार्टमेन्ट स्वामी के रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीडपोस्ट से प्रेषित नहीं कर दी जाती है और इसके प्रेषण के दिनांक से एक माह का समय व्यतीत नहीं हो जाता है और इसकी प्रति भवन के किसी सहजदृष्य स्थान पर प्रदर्शित नहीं कर दी जाती है।

स्पष्टीकरण–प्रमाणित किया जाता है कि इस उपधारा के अधीन कार्यवाही करने की शक्ति से इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उपलब्ध अपार्टमेन्ट स्वामियों के संघ के अन्य अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(2) यदि कोई अपार्टमेन्ट स्वामी उपधारा (1) के अधीन कृत किसी कार्यवाही से क्षुब्ध हो तो संकल्प की प्रति प्राप्त होने के दिनांक से 15 दिन की अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी को अपील कर सकता है और सक्षम प्राधिकारी पक्षकारों को पर्याप्त अवसर प्रदान करने के पश्चात अत्यन्त शीघ्रतापूर्वक ऐसा आदेश जैसा वह उचित समझे, पारित करेगा।

असंदत्त सामान्य व्ययों के लिये विक्रेता आदि के संयुक्त और पृथक दायित्व

23–(1) किसी अपार्टमेन्ट के विक्रय, वसीयत या अन्य अंतरण पर, उस अपार्टमेन्ट का, यथास्थिति, क्रेता या अनुदान ग्रहीता या वसीयतदार या अंतरिती ऐसे विक्रय, वसीयत या अन्य अंतरण के समय तक सम्मिलित व्ययों में से विक्रेता या अंतरिती के अंश के लिये, उसके प्रति समस्त असंदत्त निर्धारणों के लिये विक्रेता या अंतरिती के साथ संयुक्त और पृथक् रूप से दायी होगा किन्तु इससे क्रेता, अनुदानग्रहीता, वसीयतदार या उसके अंतरिती द्वारा उसके लिये संदत्त की गयी धनराशि को विक्रेता या अंतरिती से वसूल करने के क्रेता अनुदानग्रहीता, वसीयतदार या अंतरिती के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी क्रेता, अनुदानग्रहीता, वसीयतदार या अन्तरिती बोर्ड या प्रबन्धक से ऐसा विवरण पाने का हकदार होगा, जिसमें यथास्थिति, विक्रेता या अन्तरिती के संबंध में असंदत्त निर्धारण की धनराशि दी हुई हो और ऐसे अपार्टमेन्ट के संबंध में सम्मिलित व्ययों के किसी ऐसे असंदत्त अंश के लिये जो विवरण में दी गयी धनराशि से अधिक हो व ऐसे विक्रय, वसीयत या अन्य अन्तरण के पूर्व प्रोदभूत हो, न तो क्रेता, अनुदानग्रहीता, वसीयतदार या अन्तरिती दायी होंगा और न किसी भार के अधीन होगा।

अध्याय–आठ

प्रकीर्ण

अधिनियम अपार्टमेन्ट स्वामियों किरायेदार इत्यादि पर आबद्धकारी होगा

24–(1) सभी अपार्टमेन्ट स्वामी, स्वामियों के किरायेदार, स्वामियों और किरायेदारों के कर्मचारी अथवा अन्य कोई व्यक्ति, जो सम्पत्ति अथवा उसके भाग को, जिस पर यह अधिनियम लागू हो, किसी भी रूप में उपभोग करे, इस अधिनियम के उपबन्धों और इसके अधीन बनाये गये उपविधियों और नियमावली के अधीन होंगे :

परन्तु इस उपधारा में दी हुई किसी बात के आवंटी अथवा अन्य किसी व्यक्ति के अधिकार, हक अथवा उसके हित जो साझा क्षेत्र में इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक या उससे पूर्व प्रमोटर से उपलब्ध थे, प्रभावित नहीं होंगे।

(2) इस अधिनियम और उपविधियों के आधार पर अपार्टमेन्ट स्वामियों के संघ द्वारा लिये गये विधिसम्मत समस्त करारों, निर्णयों और विनिश्चयों को समस्त अपार्टमेन्ट स्वामियों पर बाध्यकारी माना जायेगा।

अपराध

25–(1) यदि कोई प्रोमोटर–

(क) किसी भवन से संलग्न किसी भूमि का विक्रय या अन्यथा के माध्यम से अंतरण करता है और ऐसी भूमि को विहित अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित योजना में साझा क्षेत्रों और सुविधाओं यथा पार्क, खुला स्थान, पगडंडी, संचरण क्षेत्र इत्यादि के रूप में मूल रूप में दर्शाया गया हो, या

(ख) शमनीय सीमाओं से परे विहित अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित योजना के उल्लंघन में अवैध रूप से निर्माण करता है, तो वह दोषसिद्ध हो जाने पर कारावास की सजा, जो न्यूनतम तीन वर्ष तथा अधिकतम छः वर्ष तक की हो सकती है अथवा ऐसे जुर्माने से जो तीन लाख रुपये से कम न हो और जो पांच लाख रुपये तक हो सकता है अथवा दोनों से दण्डित होगा।

स्पष्टीकरण–उपर्युक्त दण्ड से प्रोमोटर अनुमोदित योजना के अनुसार साझा क्षेत्रों और सुविधाओं की प्रास्थिति को बहाल करने के अपने दायित्व के भार से मुक्त नहीं होगा।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुये भी किसी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अथवा किसी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिये यह विधिसम्मत होगा, कि इस अधिनियम के अधीन दोष सिद्ध किसी व्यक्ति के लिये कारावास की सजा अथवा जुर्माना अथवा दोनों के लिये ही जैसा कि इस अधिनियम की संगत धारा में प्रावधान है उक्त संहिता की धारा 29 के अधीन आदेश पारित करने के अधिकारों का प्रयोग करें।

(3) यदि अध्याय 3 के उपबन्धों के अधीन किसी अपार्टमेन्ट का स्वामी निम्नलिखित का उल्लंघन करता है–

(क) धारा 5 या 6 के उपबन्ध, अथवा

(ख) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन बनाये गये किसी उपनियम, तो–

दोष सिद्ध हो जाने पर कारावास की संजा जो एक वर्ष या जुर्माना जो 10 हजार रुपये से कम न होगा और जो एक लाख रुपये तक हो सकता है अथवा दोनों से दण्डित होगा और जो एक लाख रुपये तक हो सकता है अथवा दोनों से दण्डित होगा और अपराध जारी रहने की दशा में अतिरिक्त जुर्माना, जो उस अवधि में प्रतिदिन एक हजार रुपये तक हो सकता है, जिस अवधि में पहली बार किये हुये अपराध को सिद्ध हो जाने के पश्चात जारी रहता है।

(4) इस धारा के अधीन किसी अपराध को कोई न्यायालय तब तक संज्ञान में नहीं लेगा जब तक बोर्ड बहुमत से विनिश्चय करने के पश्चात और सक्षम प्राधिकारी का इस रीति से जैसा कि विहित किया जाय, पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात लिखित शिकायत न करे।

कम्पनियों द्वारा अपराध

26–(1) जहां किसी कम्पनी द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपराध किया जाता है तो अपराध किये जाने के समय प्रत्येक व्यक्ति जो कम्पनी के प्रभार में था और जो कम्पनी के व्यवसाय के संचालन के लिये उत्तरदायी था साथ ही साथ कम्पनी को भी अपराध के लिये दोषी माना जायेगा और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है और तद्नुसार दण्डित किया जा सकता है :

परन्तु इस उपधारा में अन्तर्विष्ट किसी बात से कोई व्यक्ति सजा का पात्र नहीं होगा यदि वह इस बात को सिद्ध कर देता है कि वह अपराध जानकारी के अभाव में किया गया था अथवा ऐसे अपराध होने से बचने के लिये उसने पूरा सम्यक् प्रयास किया था।

(2) खण्ड (1) में किसी बात के होते हुये भी जहां पर इस अधिनियम के अधीन किसी कम्पनी द्वारा अपराध किया जाता है और यह सिद्ध हो जाता है कि यह अपराध किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव अथवा कम्पनी के किसी अधिकारी/कर्मचारी की सहमति या उसकी मौनानुमति से किया गया है तो ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव अथवा अन्य अधिकारी/कर्मचारी उस अपराध का दोषी माना जायेगा और उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया जा सकता है और तद्नुसार दण्डित किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजन के लिये–

(क) कम्पनी का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और उसमें कोई फर्म अथवा व्यक्तियों का अन्य संघ सम्मिलित है, और

(ख) किसी फर्म के संबंध में निदेशक का तात्पर्य फर्म के किसी भागीदार से है।

राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण

27–(1) सक्षम प्राधिकारी ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के कुशल प्रशासन के लिये समय–समय पर जारी किये जायं।

(2) यदि इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसकी शक्तियों के प्रयोग और उसके कृत्यों के निर्वहन में या उसके संबंध में सक्षम प्राधिकारी और राज्य सरकार के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसे विवाद पर राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(3) राज्य सरकार किसी भी समय या तो स्वप्रेरणा से या इस निमित्त दिये गये आवेदन–पत्र पर पारित किये गये किसी आदेश या जारी किये गये किसी निर्देश की वैधता या औचित्य के संबंध में अपना समाधान करने के प्रयोजन से सक्षम प्राधिकारी द्वारा निस्तारित किसी मामले या पारित किसी आदेश के अभिलेखों को मंगवा सकती है और उसके संबंध में ऐसे आदेश पारित या ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जैसा वह उचित समझे :

परन्तु यह कि राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिये बिना उसके प्रतिकूल कोई आदेश जारी नहीं करेगी।

(4) इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार को दिया गया प्रत्येक आदेश अन्तिम होगा और उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में अपील नहीं किया जायेगा।

छूट

28–(1) इस अधिनियम की धरा 26 एवं 27 की कोई बात नहीं लागू होगी यदि प्रोमोटर निम्नलिखित है–

(क) भूमि के विकास अथवा आवास के लिये गठित कोई स्थानीय प्राधिकरण या कोई सांविधिक निकाय, अथवा

(ख) भूमि के विकास या आवास या उद्योग के संवर्धन के लिये सृजित सरकार के पूर्णतः स्वामित्व या नियंत्रण की कोई कम्पनी या निकाय।

(2) सरकार अथवा किसी सरकारी अधिकारी अथवा कर्मचारी के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक किये गये अथवा किये जाने हेतु आशयित किसी कार्य के लिये कोई वाद अभियोजन अथवा अन्य विधिक कार्यवाहियां संस्थित नहीं होगी।

शंकाओं का निराकरण

29–शंका के निराकरण के लिये एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि सम्पत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (अधिनियम संख्या 14 सन् 1882) के उपबन्ध, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत नहीं हैं, किसी अपार्टमेन्ट के अंतरण पर उनसे संबंधित साझा क्षेत्रों और सुविधाओं में अविभाजित हित के साथ, जो ऐसे अपार्टमेन्ट स्वामी द्वारा दी गयी हों, लागू होंगे चाहे ऐसा अंतरण, बिक्री, पट्टा, बन्धक, विनिमय, उपहार या अन्यथा किया जाये जैसे वे किसी अचल सम्पत्ति के अंतरण पर लागू होते हैं।

नियम बनाने की शक्ति

30–राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुपालन के लिये नियम बना सकती है।

इस अधिनियम के अध्यारोही प्रभाव

31–(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में निहित किसी बात के असंगत होते हुये भी इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

(2) उपधारा (1) में अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबन्धित के सिवाय इस अधिनियम के उपबन्ध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होकर, अतिरिक्त होंगे।

छूट देने की शक्ति

32–यदि राज्य सरकार की राय हो कि इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का कार्यान्वयन कोई असम्यक् कठिनाई उत्पन्न करता है, तो वह सामान्य या विशेष आदेश से इस अधिनियम के उपबन्धों से व्यक्तियों के किसी वर्ग या क्षेत्रों को मुक्त कर सकती है।

33–(1) राज्य सरकार, किसी कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से अधिसूचित आदेश द्वारा निर्देश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी अवधि के दौरान जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसे अनुकूलन के चाहे उपान्तर, वृद्धि या लोप के रूप मे हो, जैसा वह आवश्यक या समीचीन समझे, अध्यधीन प्रभावी होंगे : कठिनाइयों को दूर करना

परन्तु इस अधिनियम के आरम्भ होने के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के बाद कोई आदेश नहीं किया जायगा।

(2) इस धारा के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि ऐसी कोई कठिनाई नहीं थी या उसे दूर किया जाना अपेक्षित नहीं था।

34–उत्तर प्रदेश फ्लैटों का स्वामित्व अधिनियम, 1975 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 50 सन् 1975 का निरसन

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 34 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) विधेयक, 2010 पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) विधेयक, 2010 पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2010

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2010 पर विचार किया जाये।

*डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल–

मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2010 को इस सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाये, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर इस सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, यह पूरे देश के लिये एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्राविधान किया गया था। भारत सरकार के स्तर से प्राविधान था और भारत सरकार ने इसे 5 जुलाई, 2004 में लागू किया था और भारत सरकार ने जब लागू किया था तो यह तय था कि 5 साल के अन्दर राजस्व घाटा शून्य होगा और राजकोषीय घाटा 2 प्रतिशत हो जायेगा, सकल घरेलू उत्पादों में। 2005 में हम लोगों ने इसे इसी सदन में पारित किया था और उस समय हम लोगों ने इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया था और राजकोषीय घाटा 2 प्रतिशत की जगह पर हम लोगों ने 3 प्रतिशत की मान्यता दी थी। यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्राविधान था और इसका सिर्फ एक उद्देश्य है कि यह जो हम लोग वित्तीय संचालन अपने–अपने राज्य का करते हैं, वह इस प्रकार से निपुणता के साथ कर सकें कि यथासंभव हम उसका अधिकाधिक उपयोग राज्य हित में कर सकें, जनहित में कर सकें और अधिकाधिक उपयोग हम उत्पादक खर्चों में कर सकें, और अनुत्पादक खर्चों को घटा सकें, राजस्व घाटे को कम कर सकें और जो भी राज्य की आय हो, हम उसका सीधा, प्रत्यक्ष जनता के हित में सम्पत्तियों को खड़ा करने या सेवाओं को देने में बजाय इसके कि हम नान प्लान एक्सपेण्डीचर में लगा दें, हम उसमें करना चाहते हैं। भारत सरकार ने इसके लिये एक कमेटी बनायी, पूरे देश में सबके विचार लिये गये सबके विचार लेने के बाद भारत सरकार ने इस पर एक कानून बनाया और उत्तर प्रदेश इस बात के लिये गर्व कर सकता है कि 2005 में संभवतः उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने यह बजट उत्तरदायित्व अधिनियम बना करके पूरे देश के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया और इसका असर भी पड़ा। अध्यक्ष महोदय, आप 2001 के आसपास के, अगर हमारे जो वित्तीय आंकड़े देखिये और 2006–07 तक आइये तो 2006–07 के आते–आते तत्कालीन सरकार ने, कोई सरकार हो इसका कोई मतलब नहीं है, राजस्व घाटे को शून्य कर दिया और वस्तुतः राजस्व सरप्लस जिसे हम कहते हैं, 4900 करोड़ रुपये का सरप्लस आया था, जो सकल घरेलू उत्पादन का 2.4 प्रतिशत था और राजकोषीय घाटा जो 3 प्रतिशत का मानक तय किया गया था, वह 3.1 प्रतिशत हो गया था अर्थात् करीब–करीब हम लोगों ने लक्ष्य प्राप्त कर लिया था, और यह लक्ष्य हम लोगों को 2009 में पाना था, उसके बावजूद हम लोगों ने यह लक्ष्य 2006–07 में ही पा लिया। इतनी आदर्श व्यवस्था में लेकर के हम लोग चल रहे थे। इन 3 सालों में स्थितियां मैं मान सकता हूं कि जो इसके प्राविधान हैं, उसके अनुरूप उतनी अच्छी नहीं रही होंगी लेकिन इतनी भी खराब आज के भी दिन नहीं हैं कि इतने महत्वपूर्ण अधिनियम को इस प्रकार से संशोधित कर दिया जाये कि वह समाप्त हो जाये। संशोधन विधेयक तो इसका नाम भर है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वस्तुतः यह इसका समापन है ,नहीं तो उत्तर प्रदेश उत्तरदायित्व का जो मेन प्राविधान बनाया गया है, उसमें इस बात की व्यवस्था की गयी है कि अगर किन्हीं कारणों से ऐसा होता है कि आप इसके जो मापदण्ड हैं जीरो परसेण्ट राजस्व और तीन परसेण्ट राजकोषीय घाटे को और आपकी सम्पूर्ण सम्पत्तियां 2018 तक होते–होते आपके सकल घरेलू उत्पादन की 25 प्रतिशत से अधिक राशि में न आने पाये, इसके भी प्राविधान थे कि अगर किन्हीं विशेष परिस्थितियों के नाते, आपदा के नाते, आपको लगता है कि आप इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों से थोड़ा हट रहे हैं तो यह संविधान भी आपको छूट देता है कि आप उन आपदा परिस्थितियों का वर्णन करते हुये सदन को यह जानकारी दे दें कि चूंकि इस वर्ष विशेष हमारे सामने ऐसी परिस्थिति रही है, सूखा पड़ गया है, ठण्डक पड़ गई है, उत्पादन घट गया है, पूरे देश में महंगाई आई है, हम उससे अलग नहीं हो सकते, इस कारण हम इसके अन्तर्गत जो हमारा मापदण्ड है, हम उसको लागू नहीं कर पा रहे हैं, यह सदन में रखने का हमें अधिकार है और इस अधिकार के तहत यह माना जायेगा कि हम अधिनियम का पालन कर रहे हैं। अब समस्या क्या है ? सरकार ने जो हम लोगों को अपने आर्थिक आंकड़े दिये हैं अभी बजट में रखते समय, मैं उनको पलट करके अध्यक्ष महोदय देख रहा था, सरकार के अपने आंकड़े बताते हैं कि सरकार की आर्थिक स्थितियां एक बिन्दु को छोड़ करके, माननीय वित्त मंत्री जी, चूंकि आप स्वयं वित्त मंत्री हैं, एक बिन्दु को छोड़ करके कतई यह वारण्ट नहीं करती हैं कि इस अधिनियम को समाप्त कर दिया जाय। मैं समाप्त इसलिये कह रहा हूं कि इसके प्राविधान बहुत स्पष्ट हैं। हमें पांच साल के अन्दर राजस्व घाटा शून्य करना है, पांच साल के अन्दर राजकोषीय घाटा तीन प्रतिशत लाना है। आप जो परिवर्तन लेकर आये हैं, उस परिवर्तन के तहत आपने यह सारे प्राविधान ही हटा दिये हैं। बल्कि वस्तुतः यह जो वित्तीय अनुशासन का कान्सेप्ट है, उसको ही समाप्त कर दिया है, बल्कि यह कह दिया है कि सकल घरेलू उत्पादन के ऐसे प्रतिशत के स्तर तक, ऐसे मायने कैसे भी, और ऐसी अवधि में यानी किसी अवधि में भी राजकोषीय घाटे को कम करना जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित करे अर्थात् यह जो पिछला अधिनियम हम प्रदेश में सबसे पहले ले कर के आये थे, हम प्रदेश में अब सबसे पहले राज्य होंगे जो इस उत्तरदायित्व अधिनियम को करीब–करीब संशोधन के नाम पर समाप्त करने जा रहे हैं। मैं यह कह रहा था माननीय वित्त मंत्री जी से, कि वस्तुतः आपकी स्थिति इतनी खराब भी नहीं थी। यह जो सूचनायें आपके तंत्र देते हैं, हम तो आप लोगों के साहित्य को पढ़ते हैं। यह साहित्य आपके अधिकारी छापते हैं और वह स्वयं नहीं पढ़ते हैं तो बात दूसरी है, अन्यथा जो कुछ, अगर वह आंकड़े सही हैं, उन्हें अगर लगता है कि जो हमने दिया है वह तो विधायकों को पढ़ाने के लिए दिया है, सच्चाई कुछ और है, तो बात दूसरी है। अन्यथा जो आंकड़े दिये हैं, उसके अनुसार तो स्थिति हो सकता है, 2006–07 की न हो, लेकिन इतनी खराब भी नहीं है सारी चीजों के बावजूद, जैसे राजस्व अधिशेष, 2006–07 में 4900 करोड़ रुपया था, 9065 करोड़ रुपया था, आज वह घटा है इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने कहा है कि यह 2.4 प्रतिशत था, वह घट

कर के 0.5 प्रतिशत आया है वह 6535 करोड़ आया है, लेकिन आज भी वह राजस्व घाटा नहीं है, आज भी 554 करोड़ का हमारे पास राजस्व सरप्लस है, जो हम ब्याज की अदायगी करते हैं उसका प्रतिशत लगातार घटता चला जा रहा है। वह पहले 2008–09 में वह साढ़े तेरह प्रतिशत था, 2009--10 में 11.6 प्रतिशत हुआ, 2010–11 में जो आपके आंकड़े हैं उसके हिसाब से 11.2 प्रतिशत हो गया, यानी जो ब्याज की अदायगी का बोझ है वह भी घटता चला जा रहा है। पूंजी प्राप्ति और पूंजी का परिव्यय जिससे हम यह तय करते हैं कि हमने जो कमाया है उसका हम उत्पादक उपयोग कर रहे हैं कि नहीं। आप उसको भी देखिये। मान्यता यह है कि अगर यह अनुपात 100 प्रतिशत से ऊपर है, इसका मतलब है कि हम जितना पूंजीगत व्यय कर रहे हैं, उसका उपयोग सिर्फ पूंजीगत व्यय में कर रहे हैं और इसके अलावा जो राजस्व प्राप्ति कर रहे हैं उसमें से भी एक हिस्सा हम पूंजीगत उसमे काम में लगा रहे हैं। आपने स्वयं अपने आंकड़े में बताया कि पिछले साल यह ठीक है कि वह 188 प्रतिशत था, इस साल भी अध्यक्ष महोदय वह 100 से कम नहीं है, वह 104 प्रतिशत है। अर्थात् पूंजीगत प्राप्ति से अधिक पूंजीगत व्यय हो रहा है। हम उसका अनुत्पादक वह नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वह अलग विषय है, वह न किये होते तो यह 104 भी बहुत अधिक होता। इसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय, जो कर राजस्व और सकल घरेलू का जहां तक अनुपात है आज से दो साल पहले यह 7.3 प्रतिशत था, पिछले साल यह 7.8 प्रतिशत हुआ, आज यह 8.3 प्रतिशत है। यानी आपका कर राजस्व भी सकल घरेलू उत्पादन के मुकाबले में बढ़ रहा है। आपका जो ऋणकोष और सकल घरेलू का अनुपात है अध्यक्ष महोदय, उसमें तो लगातार कमी आ रही है। यह ठीक है 2006–07 में जब आप सत्ता में आये थे तो एक लाख सैंतिस हजार करोड़ रुपये का लक्ष्य था। यह ठीक है कि आज वह ऋण बढ़ करके एक लाख 98 हजार हो गया अर्थात् उस समय प्रति नागरिक पर 8175 रुपये का ऋण हुआ करता था आज वह 11 हजार रुपये है। लेकिन अगर आप सकल घरेलू उत्पादन के अनुपात में देखें तो वह घट रहा है 2006–07 में 44 प्रतिशत होता था आज वह 38 प्रतिशत है। इसी प्रकार से ऋण सेवा और राजस्व प्राप्ति का अनुपात देख लें जो सबसे महत्वपूर्ण है वह भी 23 प्रतिशत से घट करके 19.4 प्रतिशत आ गया। जो एक चीज प्रभावित हुई वह सिर्फ राजस्व घाटे की स्थिति थी जो कम हुई फिर भी वह राजस्व सरप्लस है। अब बहुत सही आधार था कि छठवां वेतन आयोग हमारे ऊपर एक बोझ दे रहा था इसके नाते यह खर्च वहां हुआ होगा और यह स्टैण्ड हम ले सकते थे कि यह परिस्थितियां थीं और इसके नाते यह हुआ अगले साल इसको हम मेकअप कर लेंगे। अध्यक्ष महोदय ऐसा नहीं किया गया। सबसे बड़ी चीज, जो हम राजस्व घाटे में है इसके लिये जिम्मेदार हम हैं। हमने अगर कर की वसूली सही तरीके से की होती तो यह परिस्थितियां हमारे सामने नहीं आई होती। यह अध्यक्ष महोदय, सीएजी ने जो रिपोर्ट दी है उसकी एक प्रति हम लोगों को दी गयी है मैं इस प्रति को पलट रहा था यह प्रति बताती है कि सीएजी सारे मदों की जांच तो करता नहीं व्यापार कर के, माननीय व्यापार कर मंत्री यहां बैठे हुये हैं व्यापार कर की 9 लाख 50 हजार मदे हैं और सीएजी ने उनमें से सिर्फ 1967 मदों की जांच किया और जांच करके 64 करोड़ रुपये के कर प्रवंचन के मामले पकड़े। अगर इस 1967

को 9 लाख 50 हजार मामले में पलट दिया जाय तो यह धन 31 हजार 234 करोड़ होगा। जो आप व्यापार कर जो प्राप्त करते हैं 15–17 करोड़ उसका करीब–करीब दूना है। इसमें आपने स्वयं स्वीकार किया है, आपकी सरकार ने स्वीकार किया है इस सीएजी के ऐक्शन टेकेन रिपोर्ट में स्वयं स्वीकार किया है कि 1967 मामलों में 202 मामलों में यह कर 506 करोड़ का है अर्थात् आप स्वीकार करते हैं कि अगर राजस्व का सही वसूली हुआ होता तो आप 28 हजार 345 करोड़ पा गये होते अर्थात् जो राजस्व की आपकी कमी भी हुई है वह इसलिये हुई है कि आपने राजस्व की कमी की वसूली सही तरीके से नहीं की और इसके लिये स्वाभाविक रूप से जो आपकी प्रशासनिक मशीनरी है वही जिम्मेदार है। माल कर में इसी प्रकार से आपने 64 प्रतिशत कम राजस्व की वसूली की, स्टाम्प कर में आपने 23 प्रतिशत कम कर राजस्व की वसूली की, वाहन राज्य आबकारी कर में आपने साढ़े 6 प्रतिशत की कम राजस्व वसूली की अर्थात् इन वसूलियों को मानक के अनुरूप आप बढ़ा रहे होते तो आपके कतिपय अनुत्पादक खर्चों के बावजूद आप राजस्व घाटे में नहीं गये होते और अध्यक्ष महोदय यह अधिनियम इसीलिये है कि हम राज्य के अनुत्पादक खर्चों को घटाने का प्रयास करें। राजनैतिक रूप से हमको वह उत्पादक लग सकते हैं देश की आर्थिक व्यवस्था के लिये हो सकता है कि वह अनुत्पादक हों इस पर विचार का विषय है। दूसरा हमारी जो योजनाएं देर से हो रही हैं। जैसे हमारे आवास मंत्री जी यहां पर बैठे हुये हैं बहुत बड़ा निगम है सेतु निगम अब 3 साल का पुल 13 साल में बनायेगा तो कास्ट एण्ड टाइम ओवर रन होगा। अगर आप कास्ट एण्ड टाइम ओवर रन को ठीक कर सकें तो स्वाभाविक रूप से यह आज जो समस्या आपके समक्ष आई है नहीं आयेगी। आपकी प्राथमिकता यह होनी चाहिये कि प्रदेश की सारी योजनाओं में कितनी योजनाएं ऐसी हैं जिनमें वस्तुतः कास्ट एण्ड टाइम ओवर रन हुआ इसके लिए जिम्मेदार लोग कौन थे इनके विरुद्ध कड़ाई से कार्यवाही की जाय जिससे कम से कम शासन और प्रशासन में यह मैसेज जाय कि सदन ने जो धन दिया है और जितने समय में कार्य समाप्त करने की अनुमति दी है उतने ही समय में ही कार्य हो। इसी प्रकार से जो पी0एस0यू0 है आपके जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है आप केरल चले जाइये 3 साल के अन्दर अध्यक्ष महोदय, उन्होंने अपने प्रान्त की सारी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को घाटे से उठा करके लाभ में पलट दिया 3 साल के अन्दर। वह काम अगर केरल में हो सकता है तो वह काम यहां क्यों नहीं हो सकता है। लेकिन इसके लिये ईमानदारी चाहिये। योग्यतम लोगों को हम पी0एस0यू0 इकाइयों के चेयरमैन के रूप में बैठा सकें, यह मान चाहिए। हम इन पी0एस0यू0 का राजनैतिक शोषण न करेंगे यह सोच चाहिये हम अगर यह न करेंगे तो हम मजबूर होंगे। लेकिन मान्यवर, इस सबके बावजूद जो सरकार ने अपने आंकड़े दिये उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है सरकार के पास क्योंकि हमारी छवि खराब होगी, पूरे देश में यह संदेश जाने वाला है। भारत सरकार ने जब एक बार अपने सोने के मामले में रिफंड करने में स्थिति है 1991 में जाहिर की तो भारत सरकार की पूरी दुनिया के सामने कैसी स्थिति थी, हम सब जानते हैं। आज हम संदेश देने जा रहे हैं पूरे देश को, कि उत्तर प्रदेश इस उत्तरदायित्व अधिनियम का पालन नहीं कर पा रहा है और इसकी वित्तीय

स्थिति ऐसी है कि यह नियमों के अनुरूप अपने आर्थिक खर्चों का संचालन नहीं कर पा रहा है। वैसे ही हमारे पास धन नहीं आता। हमें जो निजी निवेश चाहिये अगर हमारा सकल घरेलू उत्पादन 5 लाख 54 हजार करोड़ है तो हमें 36 प्रतिशत निजी निवेश चाहिये तकरीबन 2 लाख करोड़। आपने स्वयं बताया कि निजी निवेश 58 हजार करोड़ रुपये का हुआ हैं एक तो वैसे ही निजी निवेश नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और अगर इस प्रकार से पूरे देश में हम यह संदेश दे देंगे तो शायद जो निजी निवेश होने वाला है उन्हें लगेगा कि इस प्रदेश की वित्तीय स्थिति इतनी खराब है कि जो पैसा लग गया है, उसे वापस लेने का प्रयास करो, नये निवेश करने की क्या जरूरत है। इसलिये मैं इस सरकार से आग्रह करूंगा कि आप सत्ता में हैं, ठीक है। हम सब मिलकर सरकार को चलाते हैं यह प्रदेश हम सबका है इसलिये हमें जनहित में निर्णय लेने चाहिये और किसी को इस बात में एतराज नहीं होना चाहिये कि अगर किसी चीज को हमने किया है, अभी इस पर हमें निर्णय लेना है जब यह सदन पारित करेगा तभी यह विधेयक आयेगा। इसलिये मैं आपसे आग्रह करूंगा कि संख्या है आपकी, पास करायेंगे आप, लेकिन आर्थिक इतिहास में प्रदेश के यह बहुत अच्छे अक्षरों में नहीं लिया जायेगा। आप बहुत दिनों बाद इस प्रदेश में एक वित्त मंत्री के रूप में आये हैं अन्यथा अधिकांशतः मुख्यमंत्री ही वित्त मंत्री हुआ करते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस पर पुनर्विचार करें। हम लोग पुनः बैठ सकते हैं आप हमारी बात को न मानें, सत्ता पक्ष से ही कोई संशोधन ले आये आप कहिये तो हम लोग उसको मिलकर पारित करायेंगे। इस अधिनियम को लाकर के प्रदेश की छवि पूरे देश में धूमिल करना, हल्की करना अभी आवश्यक नहीं हैं इसलिये माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस पर पुनर्विचार करें कि क्या इस पर मतदान कराया जाना चाहिये अथवा नहीं ?

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता जिन्हें माननीय अग्रवाल जी ने कहा है और उन्होंने विस्तार से सारी बातें कह दी। यह जो विधेयक बनाया गया था उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि लगातार बढ़ रहे राजकोषीय घाटे को एक निश्चित समय सीमा के अन्दर लाकर उसे सीमा तक करना था और माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार ने इस विधेयक को पारित कराया था। उसमें यह प्राविधानित कर दिया गया था कि 2009 तक हमारा जो घाटा होगा, वह सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत कि हम घाटा रखेंगे और इतना तक हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। विस्तार से अग्रवाल जी ने बता दिया, बजट बता दिया, मैं दोहराना नहीं चाहता कि क्यों कैसे है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं चूंकि आपकी वित्तीय अनुशासनहीनता से इस साल सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2009–10 में 4.4 प्रतिशत, जहां तक मुझे जानकारी है, हो गया हैं जो आपने आंकड़े दिये हैं। इसलिये अपने को उस विधेयक के अन्तर्गत रेगुलराइज करने के लिये आपने यह अधिकार अपने हाथ में ले लिया कि अब हम तय करेंगे कि प्रतिवर्ष

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कितना हमारा राजकोषीय घाटा होगा। इसके उद्देश्य में सीधे लिखा है कि धारा 4 के उपधारा 3 के खंड ग और घ में प्रावधान है कि राज्य सरकार 1 अप्रैल, 2004 से प्रारम्भ होने वाले और 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाली अवधि के भीतर प्राक्कलित सकल राज घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत से अनाधिक तक राजकोषीय घाटा में कमी करेगी। यह है और चूंकि आप इसे नहीं कर पाये, क्यों नहीं कर पाये आपने वित्तीय अनुशासन का जो ढांचा था उसको आपने बिगाड़ा, बड़ी संख्या में धनराशि आपकी अनुत्पादक व्ययों में गयी और जो कुछ इन्होंने बताया उससे आप अवगत हो गये होंगे कि किन परिस्थितियों में आपका घाटा कम नहीं हुआ। पूर्ववर्ती सरकार ने घाटा कम करने का हर संभव प्रयास किया था और उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था। क्या कारण है कि आज आप उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। सकल घरेलू उत्पाद का 4 प्रतिशत घाटा आपका हुआ तो आप यह कर देते कि हम 2009, 2010, 2011 में हम 5 प्रतिशत तक रखेंगे। आपने कह दिया कि नहीं आप जो ला रहे हैं सकल राज घरेलू उत्पाद के ऐसे प्रतिशत के स्तर तक और ऐसे अवधि में राजकोषीय घाटे को कम करना जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया जायेगा तो फिर अनुशासन कैसे रहेगा जो राज्य सरकार तय करेगी कि कितने वर्ष तक, कितना समय तक हम इस घाटे को कम करेंगे तो इस विधेयक का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो गया। विधेयक इसलिये लाया गया था कि हमारा बजटिया प्रबन्धन ठीक से चलेगा और उसको एक अनुशासित ढंग से चलाने के लिये विधेयक लाया गया था, इस सेक्शन दो के खंड ग में जो आपने प्राविधानित किया है इससे जो है इस ऐक्ट का मूल रूप ही उतर जाता है और इससे क्या होगा, जब आपका यह लक्ष्य नहीं रहेगा कि हम इस वर्ष में इतना घाटा कम करेंगे तो आपके अधिकारी और आप सारे के सारे लोग अनुशासनहीनता के दायरे में आ जायेंगे। जो अनुशासन आपको कायम करना है वह आप कायम नहीं कर सकेंगें। जब आपका लक्ष्य ही नहीं रहेगा तो आप क्या उन पर अनुशासन रखेंगे कि इतना करना है जो उनकी इच्छा होगी वह करेंगे। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस सेक्शन में परिवर्तन करके जो भी रखना है संशोधन करके दो प्रतिशत, तीन प्रतिशत, पांच प्रतिशत, एक समय–सीमा निर्धारित कर दें जिससे कि प्रशासन पर यह पकड़ बनी रहे कि इससे ज्यादा घाटा नहीं लाया जा सकता है। इसके साथ ही मैं मा0 अग्रवाल जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

(संसदीय कार्यमंत्री के खड़े होने पर)

* डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल–

मा0 अध्यक्ष जी, एक मिनट मैं और कहना चाह रहा हूं प्लीज। मैं क्यों कहना चाह रहा हूं, हम लोग इसलिए नहीं कहते कि विपक्ष की राजनीति करें। जो हमारी पिछले साल की वित्तीय स्थिति थी मा0 मंत्री जी आज हम उससे बेहतर स्थिति में हैं। अगर आप और खराब हो रहे होते और तब कहते कि हम यह परिवर्तन करेंगे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तब तो बात समझ में आती। वर्ष 2009–10 में आपका राजकोषीय घाटा 13 हजार 869 करोड़ रुपये था और इस वर्ष वह घट करके 22 हजार 742 करोड़ रुपये हुआ है। सकल घरेलू उत्पादन के प्रतिशत के रूप में पिछले वर्ष राजकोषीय घाटा 5.3 प्रतिशत था। मैं तो उसकी बधाई दे सकता था आपको कि इस वर्ष यह घट करके 4.4 प्रतिशत हुआ तो इसके बावजूद इस विधेयक को यहां लाने का क्या मतलब है ?

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मा0 विद्वान सदस्य द्वारा विस्तार से अपनी बातें रखने का प्रयास किया गया है। मान्यवर, जैसा कि 2004 के विधेयक में मूल रूप से है कि 2008–09 की समाप्ति तक राजस्त घाटा शून्य किया जायेगा तथा राजकोषीय घाटा सकल राज घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत से अनधिक स्तर तक कम किया जायेगा। मान्यवर, वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, जो मन्दी का कारण रहा या छठवें वेतन आयोग के कारण प्रदेश सरकार के ऊपर जो भार पड़ा 2008–09 में करीब सालाना जो प्रत्येक वर्ष होना है वह लगभग 5 हजार 6 सौ करोड़ रुपये और एरियर के भुगतान में 2008–09 में 26 सौ करोड़, वर्ष 2009–10 में 52 सौ करोड़ का अतिरिक्त व्यय एरियर के भुगतान के रूप में और 5 हजार 6 सौ करोड़ प्रत्येक वर्ष में बढ़ा। इसके साथ ही साथ केन्द्रीय करों में जो राज्य का अंश है 2008–09 में जो केन्द्र सरकार ने प्रस्तावित किया था अपने मूल बजट में वह 34 हजार 706.10 करोड़ रुपये था। लेकिन जब हमें लास्ट में मिला वह 30 हजार 905.72 करोड़ रुपये था। यानी उन्होंने जो अपने बजट में प्रस्तावित किया था उससे भी कम हमें प्राप्त हुआ। इसी तरह से वर्ष 2009–10 के बजट में हमने अनुमान लगाया था कि केन्द्रीय करों से हमें मिलेगा 39 हजार 656.38 करोड़ रुपये और मिला हमें 31 हजार 711 करोड़ रुपये, तो इस तरह से लगभग 11 हजार करोड़ की कमी इन दो वर्षों में आयी। इसके बावजूद कुशल वित्तीय प्रबन्धन के कारण ही जो हमने राजकोषीय घाटा है मान्यवर जो हमने वर्ष 2010–11 में बजट प्रस्तुत किया है उसमें 4.4 का हमने किया है। मान्यवर, केन्द्र सरकार ने भी जो अपना बजट प्रस्तुत किया है, इस आर्थिक मंदी के चलते उनका भी राजकोषीय घाटा 6.8 प्रतिशत आया यह अनुमानित है। यानी कि केन्द्र सरकार का भी 6.8 प्रतिशत अनुमानित है और इसी के कारण केन्द्र सरकार ने पहले जो है 2009–10 की समाप्ति तक 3.45 प्रतिशत कर दिया जाय राजकोषीय घाटा का यह निर्देश दिया था बाद में उन्होंने कहा कि 4 तक भी कर सकते हैं तो अभी केन्द्र सरकार ही अपना मत स्थिर नहीं कर पायी है और इसलिए चूंकि इन परिस्थितियों के कारण हम राजकोषीय घाटे में जो विधेयक की मूल भावना में था कि हम 2008–09 तक 3 प्रतिशत तक ले आयेंगे, उसकी पूर्ति नहीं हो सकी। ऐसी परिस्थितियों में ही यह विधेयक लाया गया है, जैसे ही हमारी स्थिति अनुकूल हो जायेगी तो निश्चित रूप से उसको उस ढंग से राज्य सरकार उसमें व्यवस्था कर लेगी तो उससे वित्तीय अनुशासन नहीं रहेगा, हमने बजट में किया है कि हमारा जो राजकोषीय घाटा 4.4 प्रतिशत है, यानि उसके आधार पर हमने अपने लिए एक व्यवस्था किया है अपने ऊपर एक बात को रखा है कि उससे ज्यादा हम बढ़ने हम नहीं देंगे और उसके कारण ही उसको रखने का काम किया है। इस विधेयक में संशोधन आने से उसके ऊपर कुछ इस

तरह का असर नहीं पड़ेगा और पूंजी निवेश लगातार हम बढ़ाने की दिशा में प्रयासरत हैं। इस संशोधन से उस पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए मान्यवर, मैं चाहूंगा कि इन परिस्थितियों के कारण चूंकि जो विधेयक में था कि हम 09–10 तक 3 प्रतिशत तक ले आयेंगे हम पूरा नहीं कर पाये हैं और उसके कारण मैंने सदन के सामने उल्लेख किया है ऐसी स्थिति में ये संशोधन किया जाना आवश्यक है इसलिए मैं चाहूंगा कि डाक्टर साहब अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लेकर और इसको पास करने की कृपा करें।

डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने बताया कि केन्द्र सरकार का राजकोषीय घाटा 6.6 प्रतिशत है सत्य है। अगर 6.6 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे में केन्द्र सरकार इस उत्तरदायित्व अधिनियम जो उसने स्वयं बनाया 2004 का, उसको सामप्त नहीं कर रही है, उसमें संशोधन नहीं कर रही हैं तो 4.4 प्रतिशत पर यह सरकार क्यों कर रही है। अर्थात् जो यह 4.4 प्रतिशत दिखा रही है, वास्तव में कहीं कुछ और है या अगले साल चूंकि चुनाव आने वाला है इसलिए कोई बहुत चुनावी खेल होने वाला है। इसलिए ये सारे क्लाज हटाये जा रहे हैं। मान्यवर, आप मतदान करवाइये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (संशोधन) विधेयक, 2010 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय तो अपना प्रतिवेदन एक माह के अंदर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2010 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक, 2010

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2004 का संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियम करे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2004 की धारा 4 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2004 की धारा 4 में उपधारा (3) में, खण्ड (ग) और (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिए जायेंगे, अर्थात् :–

"(ग) सकल राज्य घरेलू उत्पादन के ऐसे प्रतिशत के स्तर तक और ऐसी अवधि में राजकोषीय घाटे को कम करना जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए।

(घ) खण्ड (ग) में निर्दिष्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसी रीति से, जो उस खण्ड में दिए गए लक्ष्य से संगत हो, सकल राज्य घरेलू उत्पादन के प्रतिशत तक राजकोषीय घाटे को कम करना।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2010 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) 2010 पारित किया जाय ?

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख–सुविधा विधि (संशोधन), विधेयक 2010

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख–सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2010 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख–सुविधा विधि (संशोधन) पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–10 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख–सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2010

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ ओर पेंशन) अधिनियम, 1980 और उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 तथा उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख–सुविधा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहा जायेगा।

अध्याय–दो

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 1980 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980 की धारा 3 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 1980 की, जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में, उपधारा (1) में शब्द "तीन हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "आठ हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 4 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 4 में शब्द "पन्द्रह हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "बाइस हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 15–क का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 15–क में शब्द "छः हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "दस हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 18–क का संशोधन

5–मूल अधिनियम की धारा 18–क में खण्ड (क) में शब्द "छः हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "दस हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 24 का संशोधन

6–मूल अधिनियम की धारा 24 में उपधारा (1) में–

(क) शब्द "छः हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "सात हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

(ख) प्रथम परन्तुक में आये शब्द "पाँच सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "सात सौ रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 26-क का संशोधन

7-मूल अधिनियम की धारा 26-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी :-

"26-क (1) यदि सदस्यता की अवधि के दौरान किसी आसीन सदस्य की मृत्यु हो जाय तो मृत्यु के समय उनकी जो पेंशन अनुमन्य होती हो, उसके 50% के बराबर पारिवारिक पेंशन का ऐसा पति/पत्नी आजीवन हकदार हो जायेगा।

पारिवारिक पेंशन

(2) यदि भूतपूर्व सदस्य, जो धारा 24 की उपधारा (1) के अन्तर्गत पेंशन का हकदार हो, की मृत्यु हो जाय, तो मृत्यु के समय उनको मिलने वाली पेंशन के 50% के बराबर पारिवारिक पेंशन का ऐसा पति/पत्नी आजीवन हकदार हो जाएगा :

परन्तु यह कि यदि पति/पत्नी धारा 3 के अन्तर्गत वेतन अथवा धारा 24 की धारा उपधारा (1) के अन्तर्गत किसी पेंशन का हकदार हो, तो वह उपधारा (1) या उपधारा (2) के अन्तर्गत पारिवरिक पेंशन का हकदार नहीं होगा।"

अध्याय-तीन

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1952 की धारा 2 का संशोधन

8-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 की, जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, उपधारा (1) में शब्द "पाँच हजार" के स्थान पर शब्द "बारह हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 4 का संशोधन

9-मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (3) में शब्द "दस हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "पन्द्रह हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

अध्याय-चार

उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1981 की धारा 3 का संशोधन

10-उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 की धारा 3 में-

(क) उपधारा (1) में शब्द "पाँच हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "बारह हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (2) में शब्द "चार हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "दस हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 10 तक खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख–सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख–सुविधा विधेयक (संशोधन) 2010 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 16 फरवरी, 2010 को नियम 300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 09 सूचनायें प्राप्त हुयी। प्राप्त हुयी सूचनायें निम्नवत् हैं–

पहली सूचना श्री प्रदीप माथुर की उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश संख्या 28(1) के अन्तर्गत सत्रावसान के उपरान्त माननीय सदस्यों के अनुत्तरित रह गये प्रश्नों का उत्तर शासन द्वारा दिये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री प्रमोद तिवारी की प्रदेश में पंचायत चुनाव समय से कराये जाने हेतु नई तिथियां घोषित किये जाने का परामर्श राज्य निर्वाचन आयोग को दिये जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री अमरमणि त्रिपाठी की विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मीपुर जनपद महराजगंज स्थित कार्यालय में दिनांक 17 जनवरी, 2010 को अपराधिक तत्वों द्वारा आगजनी किये जाने की एफ0 आई0 आर0 दर्ज न किये जाने के संबंध में है। चौथी सूचना श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर) की जनपद सीतापुर की नगर पालिका परिषद् लहरपुर में नगर पालिका निधि का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में है। पांचवी सूचना श्री अनूप सण्डा की प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद् के निदेशक/सचिव का पद लगभग दो वर्षों से रिक्त रहने एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व उनके आश्रितों के हितों के प्रभावित होने के सम्बन्ध में है। छठी सूचना श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव की प्रदेश में होने वाली अपराधिक घटनाओं के कारण समाज के नैतिक स्तर में गिरावट आने के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्रीमती अरुणा तोमर की रानी लक्ष्मीबाई संयुक्त चिकित्सालय लखनऊ के चर्म रोग विभाग में एन0 एम0 ए0 (नान मेडिकल

असिस्टेंट) का पद सृजित न होने से कुष्ठ रोगियों की जांच, दवा वितरण आदि कार्य न हो पाने के संबंध में है। आठवीं सूचना श्री सर्वेश कुमार सिंह की राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ में छपने वाले बजट साहित्य से सम्बन्धित दस्तावेज की गोपनीयता भंग होने के सम्बन्ध में है। नवीं सूचना श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला की जनपद सिद्धार्थनगर के मुख्यालय पर प्रेस क्लब न बनाये जाने के सम्बन्ध में है। यह सभी सूचनाएं नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती अतः नहीं सुनी जायेंगी।

सत्रावसान के उपरान्त माननीय सदस्यों के अनुत्तरित प्रश्नों का उत्तर शासन द्वारा दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

श्री प्रदीप माथुर जी, अपनी बात रखें।

(श्री प्रदीप माथुर के अनुपस्थित होने पर)

मैं इनकी सूचना अग्राह्य करता हूं।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, उन्होंने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है कि जो सवाल है यह सरकार द्वारा उत्तरित हों। यह तो आपका विवेक है, अगर आप उसे उचित समझें तो इसे कर दें। जिन सवालों का उत्तर नहीं आया है, अभी अनुत्तरित है, वह सरकार द्वारा उत्तरित हो जांय। यह तो आपका सदैव से विवेक रहा है।

श्री अध्यक्ष–

इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि सरकार उत्तर दे लेकिन अगर माननीय सदस्य उत्तर चाहते हैं तो पुनः प्रश्न कर सकते हैं। ऐसे में श्री प्रदीप माथुर जी की सूचना अग्राह्य करता हूं।

प्रदेश में पंचायत चुनाव समय से कराये जाने हेतु नई तिथियां घोषित किये जाने का परामर्श राज्य निर्वाचन आयोग को दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक जो सूचना मेरे पास है उसके आधार पर कह रहा हूं कि जनगणना का कार्य प्रारम्भ होने वाला है। जनगणना अप्रैल-मई में अपने शीर्ष पर होगी। प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है। मान्यवर, जो पंचायत के चुनाव हैं लगभग उसी समय उनका कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है। एक अजीब सी परिस्थिति होगी कि जनगणना पूरी हुए बिना अगर चुनाव होते हैं तो पुरानी जनगणना के आधार पर होंगे और अगर जनगणना पूरी होने के बाद होंगे तो वह एक नया जनादेश होगा। तो मेरा इस पर विनम्र अनुरोध था कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनगणना को पहले पूरा कर लिया जाए जिससे जो जनादेश आये, वह नया जनादेश हो या अगर थोड़ा बहुत विलम्ब हो तो जिस समय राज्य निर्वाचन आयोग को परामर्श दिया जाए। चुनाव कराने की जिम्मेदारी पूरी तरह से राज्य निर्वाचन आयोग की है, उत्तर प्रदेश सरकार की उसमें कहीं तस्वीर में नहीं आती है। लेकिन तिथियां निर्धारित करने के लिए परामर्श होता है, बातचीत होती है और उसके बाद तिथियां निर्धारित होती है तो जिस समय उत्तर प्रदेश सरकार तिथियों के संदर्भ में परामर्श करें, इस बात का ध्यान रखें कि जनगणना से चुनाव प्रभावित न होने पाये। मेरा सिर्फ औचित्य का प्रश्न उठाते हुए आपसे आग्रह है कि उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दें कि वह जनगणना के समय पंचायत के चुनाव को न करायें। संविधान में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव हों और प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होना चाहिए। सिर्फ एक निश्चित अवधि तक चुनाव की तिथि आगे-पीछे की जा सकती है। मेरा सिर्फ आशय और अनुरोध यही है कि जनगणना की समाप्ति के पश्चात् की पंचायत चुनाव की तिथि होनी चाहिए।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)–

मान्यवर, चुनाव तो वोटर लिस्ट से होता है और वोटर लिस्ट में मान्यवर जो वर्तमान में मतदाता सूची में नाम आते हैं जिस समय चुनाव होता है, उस समय उसमें हो सकता हैं इसलिए पुरानी जनगणना पर हो रहा है या नई जनगणना पर हो रहा है उसका इस पर असर नहीं पड़ेगा। जनगणना की रिपोर्ट आने में अभी बहुत समय लगेगा। जैसा कि मा0 तिवारी जी ने कहा कि जनगणना से तात्पर्य अगर उसके क्षेत्र के निर्धारण के संबंध में हो तो 2011 की जनगणना की जो रिपोर्ट आयेगी वह काफी देर से आयेगी, उस समय चुनाव कराने में काफी विलम्ब भी होंगे। इसलिए मान्यवर, उसका कोई औचित्य नहीं है और यह औचित्य का प्रश्न भी नहीं बनता हैं। जैसा कि आप नियमावली में देख रहे हैं, इस प्रश्न को उठाने का कहीं कोई औचित्य नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग और प्रदेश सरकार की सहमति से जो तिथि निर्धारित होता है उस तिथि को निर्वाचन होता है।

श्री अध्यक्ष–

इस पर मैंने प्रमोद तिवारी व मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना यह सूचना नियम 300 में नहीं आती है। मैं इसे अग्राह्य करता हूं। शेष सूचनायें जैसे अमरमणि त्रिपाठी जी, श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा जी, श्री अनूप सण्डा जी, डॉ0 ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती अरुणा तोमर, श्री सर्वेश कुमार सिंह व श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला जी की सूचनायें सुनी नहीं जायेंगी, इसलिए अग्राह्य की जाती हैं।

श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, एक मिनट मुझे सुन लें।

श्री अनूप सण्डा–

मान्यवर, मुझे एक मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा।

श्री अध्यक्ष–

श्री प्रदीप माथुर की सूचना प्रश्नों पर व्यवस्था के सम्बन्ध में थी इसलिए इस पर मैंने एक निर्णय दे दिया श्री प्रमोद तिवारी की सूचना पर भी मैंने उनको सुन लिया लेकिन किसी का कार्यालय जल गया, नगर पालिका निधि का दुरुपयोग हो गया कहीं एन0 एम0 ए0 का पद सृजित नहीं है तो यह कहां से नियम 300 में आ गया। श्रीमती ज्योत्सना जी कानून व्यवस्था पर चर्चा कराना चाहती हैं यह कहां नियम 300 में आ गया। कानून व्यवस्था पर तीन बार चर्चा हो चुकी हैं। आप लोगों को जब दूसरे नियमों में विषय उठाने का मौका नहीं मिलता तो नियम 300 में सूचना दे देते हैं।

शुक्ला जी एक मिनट में अपनी बात रख दें।

जनपद सिद्धार्थ नगर के मुख्यालय पर प्रेस क्लब न बनाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। मान्यवर, मेरा जनपद सिद्धार्थ नगर लगभग 20 वर्ष पहले बना हैं। सबसे पिछड़ा इलाका है। हमारे यहां जब भी कोई वी0 वी0 आई0 पी0, मंत्री लोग जाते हैं तो उन्हें प्रेस कान्फ्रेस में कोई जगह नहीं मिलती है वह कहीं डाक बंगले पर प्रेस कांफ्रेस करते हैं। हम विधायक लोग व सांसद महोदय सारे लोग प्रेस क्लब बनाने के लिए पैसा देने के लिए तैयार हैं सरकार से कहा गया है कि जमीन निर्धारित कर दें जहां प्रेस क्लब का निर्माण हो सके। इस संबंध में आपकी तरफ से सरकार को निर्देश चला जाय कि वहां प्रेस क्लब के लिए जमीन दे दें तो हम सब मिलकर एक प्रेस क्लब का निर्माण करा दें जिससे सारे लोगों को सुविधा प्राप्त होगी। यह जनहित का मामला है इसलिए इस पर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आप सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

इस सूचना पर मैंने पहले ही कहा कि इसे सुना नहीं जाएगा। एक निर्णय लिया हुआ है लेकिन माननीय सदस्य की भावनाओं का आदर करते हुए मैंने इसको सुना जो सदन के संज्ञान में आ गयी। इस सूचना को मैं अग्राह्य करता हूं।

प्रदेश में स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद् के निदेशक/सचिव का पद लगभग दो वर्षों से रिक्त रहने एवं स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों व उनके आश्रितों के हितों के प्रभावित होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री अनूप सण्डा–

अध्यक्ष जी, यह देश अंग्रेजो की गुलामी से 200 साल बाद आजाद हुआ। यह आजादी हमें देश के लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष, उनकी कुर्बानी, उनके त्याग की बदौलत मिली है जिनकी बदौलत आज हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

सदन के संज्ञान में क्या लाना चाहते हैं ?

श्री अनूप सण्डा–

अध्यक्ष जी, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए तमाम सुविधाएं दी गई व प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए कल्याण

परिषद् का गठन हुआ जिसके पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी होते हैं उसके निदेशक या सचिव के पद पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या उनके किसी आश्रित की नियुक्ति होती रही हैं। इसके पीछे आशय यह था कि ऐसे लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों या उनके आश्रितों की समस्याओं को भलीभांति समझ सकेंगे और उनका कल्याण कर सकेंगे। पिछले दो साल से यह पद रिक्त चल रहा है। इसके ऊपर सरकार की तरफ से किसी का मनोनयन नहीं किया गया है। जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों या उनके आश्रितों की बहुत सी समस्याएं लम्बित पड़ी हुई हैं जो अधिकारी आई0 ए0 एस0 या अन्य अधिकारी कार्य देखते हैं वह उनकी समस्याओं के प्रति इतने संवेदनशील नहीं हैं। यह स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान से उनके प्रति राज्य के आदर से जुड़ा हुआ मसला है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपकी पीठ से माननीय मंत्री जी को कोई निर्देश हो जाये कि इस सम्बन्ध में शीघ्र से शीघ्र किसी को मनोनीत करने की कृपा करें। आपने मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

मैंने श्री अनूप सण्डा जी की सूचना को पूर्व में ही न सुनने के लिये निर्णय ले लिया था लेकिन इनकी भावनाओं के अनुरूप इनको सुना। एक विषय की तरफ इन्होंने संकेत किया है कि वहां पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद् के सचिव, निदेशक के पद लम्बे समय से रिक्त हैं जिससे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को कहीं न कहीं कुछ न कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट कर देता हूं। ज्योत्सना जी, आप बतायें क्या कहना चाहती हैं ?

प्रदेश में होने वाली आपराधिक घटनाओं के कारण समाज के नैतिक स्तर में गिरावट आने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*डॉ0 ज्योत्सना श्रीवास्तव–

मान्यवर, हमारे यहां, हमारे समाज में या हमारे प्रदेश में जो अपराधियों की स्थिति हो गयी है वह चिन्तनीय स्तर पर पहुंच गयी है। आज अपराध करना अपराधी का पेशा बन गया है और अपराधी उत्साहित हो रहे हैं और कानून के रक्षक उसके संरक्षक हो गये हैं। मान्यवर, हम केवल कल 15 फरवरी की घटनाओं का उल्लेख करना चाहते हैं जो अभी-अभी घटी है। गाजीपुर के भदौरा गॉव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक महिला प्रसव पीड़ा से कराह रही है और अपराधी उस पर छीना झपटी कर रहे हैं। पति बेचारा उसका विरोध कर रहा है, उसको तुरन्त गोली मार दी गयी। एक तरफ उस बच्चे का जन्म हो रहा है और दूसरी तरफ उसका पिता तुरन्त समाप्त हो गया। क्या कारुणिक दृश्य वहां उपस्थित हुआ होगा। ठीक उसी समय उसी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द पर जहां लूट पाट हो रही थी फिरोज आलम खां अपनी पत्नी को लेकर ऑटो से उतर रहा है। पत्नी उसकी बीमार है वह दिखाना चाहता था। उसी समय हमलावर उसको लूटने लगे। हमलावर से अपनी पत्नी को बचाने की वह कोशिश करता है और उसी हालत में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

फिरोज आलम खॉ को गोली मार दी गई और वह वहीं समाप्त हो गया। यह केवल गाजीपुर के भदौरा गॉव के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक साथ यह दोनों घटना घटी हैं। इलाहाबाद के गुहनिया में बाजार में नशे में धुत चार आदमी सिपाही को गोली मारते हैं। पुलिस चोरों को पकड़ कर ले जाती है। खम्बे या पेड़ से बांध कर इतना मारती है कि दो आदमी वहीं थाने पर समाप्त हो गये।

श्री अध्यक्ष–

माननीया ज्योत्सना जी अभी चर्चा इसके आगे स्वीकार है। उस पर आप बोल लीजिएगा।

डॉ0 ज्योत्सना श्रीवास्तव–

मुजफ्फरनगर में नई मण्डी में कोतवाली क्षेत्र के गॉव पचेण्डा में जनता इण्टरमीडिएट कालेज की बारहवीं कक्षा के छात्र आशीष उर्फ गोल्डी के सीने पर गोली मार दी गयी।

श्री अध्यक्ष–

ज्योत्सना जी, आपकी भावनाओं का आदर करते हुए आपको समय दिया।

डॉ0 ज्योत्सना श्रीवास्तव–

कसपेठी बाजार में 15 साल की एक छात्रा अनुपम का अपहरण किया गया। बाइक पर वो लोग ले जा रहे थे जब बाजार पार कर रहे थे तो वह चिल्लाने लगी। चिल्लाने से लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ। लड़की बाइक से कूद गई तब उसकी जान बची।

श्री अध्यक्ष–

चलिये हो गया, आपको समय दिया। इसका मतलब यह नहीं कि आप प्रदेश का चार्ट रखें।

डॉ0 ज्योत्सना श्रीवास्तव–

वाराणसी के रोहनिया क्षेत्र में एक ढाबा में खाना खाकर पैसा मांगने पर विवाद।

श्री अध्यक्ष–

आपने कहा, मैंने समय दिया। आप दो लाइन में कहतीं। आप यह उल्लेख कर रही हैं। आपके अनुरोध पर कि दो मिनट अपने व्यक्तिगत क्षेत्र के लिये कहा था तो हमने सोचा कि चलो माननीय विधायिका जी के अपने क्षेत्र का कोई होगा। अब आप पूरे प्रदेश का चार्ट दे रही हैं। बोलने का मतलब यह नहीं होता है।

डॉ0 ज्योत्सना श्रीवास्तव–

मेरे कहने का मतलब केवल इतना ही है कि एक दिन में अगर इतनी घटनाएं होती हैं तो शिखा नीति पर, शासन के उद्देश्य पर और साथ ही साथ लोगों पर एक सवाल खड़ा होता है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, बैठ जांय आप। मैं श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव की सूचना को पहले से अग्राह्य कर चुका हूं। माननीय अमरमणि त्रिपाठी जी।

विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मीपुर, जनपद महराजगंज स्थित कार्यालय में दिनांक 17 जनवरी, 2010 को आपराधिक तत्वों द्वारा आगजनी किये जाने की एफ0 आई0 आर0 दर्ज न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अमरमणि त्रिपाठी–

मान्यवर, हम केवल आपका संरक्षण चाहते हैं और चाहते हैं कि सरकार संरक्षण दे और संज्ञान ले। मेरे जनपद में यदि इन्होंने हमारे विषय का संज्ञान लिया होता।

श्री अध्यक्ष–

अच्छा कहिये। इतनी देर में तो आप बात कह चुके होते।

*श्री अमरमणि त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, 17-1-10 को हमारे कार्यालय में कुछ असामाजिक तत्वों ने जाकर आगजनी कर दी। वहां पर हमारे चौकीदार रामलखन पुत्र जोखन उपस्थित थे उन्होंने प्रतिकार किया हल्ला मचाया इसके बाद उन्होंने और लोगों से सहयोग मांग कर उस आगजनी को बुझाने का काम किया। उसके बाद वह थाने गये और वहां तहरीर दी। तहरीर दर्ज नहीं हुई। मान्यवर मेरी स्थिति आपको पता है कि मैं किसी थाने में जाकर अपनी बात नहीं कह सकता। लेकिन मेरे किसी चौकीदार या किसी कार्यकर्ता ने थाने में एक विधायक और उसके कार्यालय से जुड़ा सवाल था। विधायक के कार्यालय का प्रश्न था तो उसमें कम से कम संज्ञान ले लिया गया होता। एफ0 आई0 आर0 दर्ज करते। उसमें किसी का नाम नहीं लिया गया। कोई रंजिशन कारण नहीं बताया गया। केवल यह बताया गया कि कुछ अज्ञात लोगों ने आकर हमारे कार्यालय में आगजनी की। इसमें आज तक, जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं वह जिलाधिकारी से मिले, पुलिस अधीक्षक से मिले, उन्होंने आग्रह किया कि मान्यवर, इसका संज्ञान ले लें, कार्यवाही करें, जो भी उपयुक्त कार्यवाही हो वह करें, जो भी उचित कार्यवाही हो वह करें, हम किसी का नाम नहीं लिखाना चाहते हैं हमारी किसी से रंजिश नहीं है लेकिन आज तक कार्यवाही नहीं की गई, इसमें मान्यवर हम आपका संरक्षण चाहते है कि आप सरकार को निर्देशित करने का काम करें कि हमारी इज्जत और मान-सम्मान की रक्षा करते हुए, हमारे जानमाल की रक्षा करते हुए, आप आदेशित करें ताकि हमारी सुरक्षा हो सके।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस सूचना पर शुरू में ही इस पर निर्णय ले चुका हूँ इसको अग्राह्य कर चुका हूँ लेकिन जहां तक माननीय विधायक जी ने कहा कि हमारे मान-सम्मान की रक्षा करता है आपके मान-सम्मान की भी रक्षा की जाएगी। सभी सूचनायें अग्राह्य की जा चुकी है।

श्री अध्यक्ष–

याचिका प्रस्तुत कर दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र कटरा बाजार में सेल्हरी मण्डप मार्ग से गौरिया चौधरी पुरवा तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री ननकऊ यादव आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री बैजनाथ दूबे–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र कटरा बाजार में सेल्हरी मण्डप मार्ग से गौरिया चौधरीपुरवा तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री ननकऊ यादव तथा पुत्तीलाल यादव, निवासी जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद गोण्डा के कटरा बाजार में अहियाचेत मार्ग से सुखनीपुरवा होते हुये मोहन टेपरा तक खड़ण्जा से लेपन स्तर तक सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री सबर अली आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री बैजनाथ दूबे–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र कटरा बाजार में अहियाचेत मार्ग से सुखनीपुरवा होते हुये मोहन टेपरा तक खड़ण्जा से लेपन स्तर तक सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री सबर अली तथा शमीम निवासी जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद गोण्डा के कटरा बाजार में दुबहा बाजार नारायणपुर मार्ग से उर्दी गोण्डा तक सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री जान मोहम्मद आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री बैजनाथ दूबे–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र कटरा बाजार में दुबहा बाजार नारायणपुर मार्ग से उर्दी गोण्डा तक सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री जान मोहम्मद तथा ताज मोहम्मद, निवासी जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद गोण्डा के कटरा बाजार में सरैंया माफी मार्ग से बेसियाचैन तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री पारस चौहान आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री बैजनाथ दूबे–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र कटरा बाजार में सरैंया माफी मार्ग से बेसियाचैन तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री पारस चौहान तथा संजय यादव, निवासी जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद गोण्डा बहराइच मार्ग से मिश्रौलिया कानूनगो तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री रामहेत वर्मा आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री बैजनाथ दूबे–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र कटरा बाजार में गोण्डा बहराइच मार्ग से मिश्रौलिया कानूनगो तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री रामहेत वर्मा तथा टीकम दत्त, निवासी जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद गोण्डा के कटरा बाजार में गोण्डा लखनऊ मार्ग कमालपुर होते हुए पहाड़पुर तक 4 किमी0 पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री अनिल सिंह आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री बैजनाथ दूबे–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र कटरा बाजार में गोण्डा–लखनऊ मार्ग कमालपुर होते हुए पहाड़पुर तक 4 किमी0 पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री अनिल सिंह तथा श्री भान सिंह, निवासी जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद गोण्डा के कटरा बाजार में गोण्डा लखनऊ मार्ग से नूरपुर तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री शिव नरेश तिवारी आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री बैजनाथ दूबे–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र कटरा बाजार में गोण्डा–लखनऊ मार्ग से नूरपुर तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री शिव नरेश तिवारी तथा राम सरन, निवासी जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद गोण्डा के कटरा बाजार में विकास खण्ड हलधरमऊ के पतिसा गांव से भटनैया होते हुए सोनहरा तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री प्रेमनाथ आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री बैजनाथ दूबे–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र कटरा बाजार में विकास खण्ड हलधरमऊ के पतिसा गांव से भटनैया होते हुये सोनहरा तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री प्रेमनाथ तथा होसिला प्रसाद, निवासी जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद गोण्डा के कटरा बाजार में सेल्हरी मण्डप खेमपुर मार्ग से जयराम जोत तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री मो0 तुफैल आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री बैजनाथ दूबे–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र कटरा बाजार में सेल्हरी मण्डप खेमपुर मार्ग से जयराम जोत तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री मो0 तुफैल तथा हनुमान प्रसाद, निवासी जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद आजमगढ़ के मेहनगर में सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री अरुण पाण्डेय आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्रीमती विद्या चौधरी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र मेहनगर में सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री अरुण पाण्डेय तथा श्री विश्वनाथ, निवासी जनपद आजमगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

जनपद आजमगढ़ के मेहनगर में सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री पंचम राजभर आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्रीमती विद्या चौधरी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र मेहनगर में सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री पंचम राजभर तथा श्री त्रिलोकी राजभर, निवासी जनपद आजमगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करती हूं।

श्री राजेश यादव, सदस्य विधान सभा द्वारा थाना सदर बाजार, शाहजहांपुर के इंस्पेक्टर श्री बेनी सिंह वर्मा व अन्य पुलिस कर्मियों के विरुद्ध दिनांक 13 नवम्बर, 2007 को अभिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री राजेश यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63/64 के अन्तर्गत थाना सदर बजार, शाहजहांपुर के इंस्पेक्टर, श्री बेनी सिंह वर्मा व अन्य पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 13 नवम्बर, 2007 के मामले में मैंने निर्णय ले लिया है और उसमें सदन की अवमानना तथा विशेषाधिकार हनन का प्रश्न अन्तर्गत न पाये जाने के कारण उक्त सूचना अग्राह्य कर दी गयी है।

इस मामले में मेरे द्वारा लिया गया निर्णय सदन के दिनांक 16 फरवरी, 2010 के उपवेशन की कार्यवाही का अंग माना जायेगा। निर्णय निम्नवत् है :–

माननीय श्री राजेश यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63/64 के अन्तर्गत थाना सदर बाजार, शाहजहांपुर के इंस्पेक्टर श्री बेनी सिंह वर्मा व अन्य पुलिस कर्मियों के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 13 नवम्बर, 2007 को अभिसूचित की गयी।

माननीय सदस्य ने अपनी सूचना के माध्यम से अवगत कराया है कि दिनांक 10 नवम्बर, 2007 की रात्रि 11.00 बजे थाना सदर बाजार, शाहजहांपुर के इंस्पेक्टर श्री बेनी सिंह वर्मा अपने चार-पांच सब इंस्पेक्टर के साथ पुलिस गाड़ियों से उनके कटिया टोला स्थित निवास स्थान पर आये एवं घर को घेर लिया तथा जनरेटर चलवाकर तलाशी लेने लगे। उस समय घर पर न तो माननीय सदस्य और न ही उनके घर का कोई पुरुष सदस्य ही वहां उपस्थित था। माननीय सदस्य की पत्नी द्वारा सूचना देने पर माननीय सदस्य तत्काल घर पहुंचे और उन्होंने यह जानना चाहा कि पुलिस द्वारा यह कार्यवाही क्यों की जा रही है तथा एक विधायक को बेवजह परेशान किया जा रहा है। इंस्पेक्टर, श्री वर्मा ने कहा कि "न मैं किसी विधायक को कुछ समझता हूं और न ही सदन को। मैं सुनील नामक व्यक्ति की तलाश में तलाशी ले रहा हूं"। माननीय सदस्य ने श्री वर्मा को बताया कि वह सुनील नामक किसी व्यक्ति को नहीं जानते हैं परन्तु श्री वर्मा ने उनकी बात नहीं सुनी। माननीय सदस्य द्वारा तलाशी वारंट मांगने पर उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि "मैं ही वारण्ट हूं। मैं ही कानून हूं, जो कर पाना कर लेना।"

माननीय सदस्य ने अपनी सूचना में आगे यह भी कहा है कि सदस्य विधान सभा के रूप में इन्स्पेक्टर, श्री वर्मा द्वारा उनके विशेषाधिकारों का हनन किया गया है और स्थानीय पुलिस द्वारा जानबूझकर कर उन्हें प्रताड़ित करते हुए उनकी अवमानना की गयी है। इस घटना से उनको मानसिक आघात पहुंचा है। माननीय सदस्य ने इस प्रकरण को विशेषाधिकार-समिति को निर्दिष्ट करने तथा दोषियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई कराये जाने का अनुरोध किया है।

इस सम्बन्ध में शासन के माध्यम से आरोपित अधिकारियों के अभिकथन प्राप्त किये गये। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने अपने पत्र दिनांक 04 जनवरी, 2010 में यह अवगत कराया है कि माननीय सदस्य, विधान सभा, श्री राजेश यादव द्वारा पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच अपर पुलिस अधीक्षक नगर, शाहजहांपुर से कराई गई। जांच आख्या के अनुसार किसी संभ्रान्त व्यक्ति के यहां देर रात्रि में उनके घर मिलने जाने का औचित्य न पाते हुए प्रकरण में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक सदर बाजार श्री बेनी सिंह वर्मा, उप निरीक्षक श्री जय सिंह एवं उप निरीक्षक श्री अशोक कुमार को दोषी पाते हुए उन्हें भविष्य में सचेत रहने के लिए उनकी व्यक्तिगत पत्रावली में चेतावनी प्रदान की जा रही है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने अपने उक्त पत्र के साथ पुलिस अधीक्षक,

शाहजहांपुर का पत्र संख्या एस0टी0-नगर-33/2000, दिनांक 06 अगस्त, 2009 एवं उसके साथ प्राप्त जांच आख्या एवं आरोपित कर्मियों के बयान की प्रतिलिपि (संलग्नकों सहित) मेरे अवलोकनार्थ प्रेषित की हैं।

प्रश्नगत मामले में माननीय संसदीय कार्य मंत्री के माध्यम से प्राप्त आख्या एवं पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर के उक्त पत्र दिनांक 06 अगस्त, 2009 के साथ उक्त मामले में करवाई गई जांच सम्बन्धी पत्रादि के अवलोकन के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि प्रश्नगत प्रकरण में विशेषाधिकार हनन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है। जहां तक माननीय सदस्य श्री राजेश यादव के प्रति पुलिस कर्मियों द्वारा किये गये अमर्यादित व्यवहार का प्रश्न है, उसके लिए दोषी कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा चुकी है।

अतः मैं प्रश्नगत सूचना को अग्राह्य करता हूं।

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 16-02-2010 को नियम 311 में प्राप्त 8 सूचनाओं को नियम 56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम-56 के अन्तर्गत कुल 34 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गई। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है–

पहली सूचना–श्री ओम प्रकाश सिंह तथा डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल की प्रदेश में खराब स्वास्थ्य व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,

दूसरी सूचना–श्री प्रमोद तिवारी, श्री प्रदीप माथुर,, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री संजीव दरियाबादी, श्री रामसेवक, श्री शिवबालक पासी, श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला, श्री श्याम किशोर शुक्ला, श्री पंकज कुमार,, श्री संजय कपूर,, श्री राजाराम त्यागी, श्री अशोक सिंह तथा श्री विशम्भर प्रसाद निषाद की इलाहाबाद के थाना घूरपुर में पुलिस बर्बरतापूर्वक पिटाई के कारण अशोक निषाद एव संजय की मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,

तीसरी सूचना–श्री श्यामदेव राय चौधरी की प्रदेश में विद्युत संकट को देखते हुये 2 हजार मेगावाट क्षमता का न्यूक्लियर पावर प्लान्ट लगाये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री उदयराज यादव, श्री दीपक कुमार, श्री सुधीर कुमार, श्री कुलदीप सिंह सेंगर तथा श्री सुन्दर लाल लोधी की उन्नाव के ग्राम आटा एवं अन्य ग्रामों की भूमि टेनरी हेतु अधिगृहीत किये जाने से उत्पन्न प्रदूषण एवं भुखमरी के सम्बन्ध में है,

पांचवी सूचना–श्री दुर्गा प्रसाद यादव की आजमगढ़ में बिजली की सप्लाई कम होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,

छठी सूचना श्री विनोद चतुर्वेदी की जनपद जालौन में भयंकर सूखे एवं ओलावृष्टि से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री प्रदीप माथुर, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री संजीव दरियाबादी, श्री रामसेवक, श्री शिवबालक पासी, श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला, श्री श्याम किशोर शुक्ला, श्री पंकज कुमार, श्री संजय कपूर, श्री राजाराम त्यागी तथा श्री अशोक सिंह की प्रदेश से पलायन कर रहे उद्योग एवं बन्द हो चुके उद्योगों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री अब्दुल वारिस खां की मुजफ्फरनगर स्थित एल्लम से जलालाबाद तक क्षतिग्रस्त सड़क से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, नवीं सूचना श्री सर्वेश कुमार सिंह की हरदोई के ग्राम दन्नाखेड़ा निवासी कमलेश को प्रताड़ित करने वाले मुल्जिमानों को गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री माधव पासवान की गोरखपुर के फरैन नाले के दोनों किनारों पर बने बन्धों को ऊंचा किये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री अवधेश प्रसाद की नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा अनिश्चकालीन अनशन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्र के ग्रामों में स्वीकृत पूर्वांचल विकास निधि जिलांश के अन्तर्गत विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है,

विशेष उल्लेख के अन्तर्गत पहली सूचना श्री जोखूलाल यादव की प्रदेश के किसान मित्रों के मानदेय का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,

दूसरी सूचना श्री ओमप्रकाश सिंह, श्री प्रमोद तिवारी, श्री कौकब हमीद, डॉ0 अजय तोमर, डॉ0 अनिल चौधरी, चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी तथा श्री वकार अहमद शाह की प्रदेश में विभिन्न औद्योगिक विकास प्राधिकरण आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री अमरमणि त्रिपाठी की महराजगंज स्थित सोहगीबरवा अन्तर्गत जंगली पशुओं द्वारा फसलों को नुकसान किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्रीमती मिथिलेश पाल की प्रदेश में धनगर जाति को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, पांचवी सूचना श्री अनूप सण्डा की अतिक्रमण हटाओं अभियान के अन्तर्गत प्रदेश के लाखों पटरी दुकानदारों पर हो रहे अत्याचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, छठी सूचना श्री महेन्द्र कुमार सिंह तथा श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर) की बिसवां, महमूदाबाद एवं लहरपुर तहसील में हुये अग्नि काण्ड से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री धर्मेन्द्र कुमार कश्यप की बरेली के थाना कैण्ट अन्तर्गत महन्त गोकरनगिरी का अपहरण एवं हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री सतीश महाना की कानपुर नगर में भू-गर्भ जल प्रदूषित होने से उत्पन्न स्थिति के

सम्बन्ध में है, नवीं सूचना श्री माताप्रसाद पाण्डेय की प्रदेश में स्ववित्त पोषित विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को अनुदानित विद्यालयों के अनुरूप वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में है।

जिन मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुई है, उनके नाम निम्नलिखित है–

1 डॉ0 आर0 ए0 उस्मानी,

2 श्री मदन भैया,

3 श्री अब्दुल वारिस खां,

4 श्री सुरेश्वर सिंह,

5 श्री प्रदीप माथुर,

6 श्री पूरन प्रकाश,

7 श्री विश्वनाथ,

8 श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव,

9 श्री अवधेश प्रसाद,

10 श्री लालजी यादव,

11 श्री सर्वेश कुमार सिंह तथा

12 श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह (धुन्नी भइया)

*डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि जनस्वास्थ्य के इतने महत्वपूर्ण विषय पर जिसकी आकस्मिकता भी गोरखपुर में है और पूरे प्रदेश की स्थिति तो खराब है ही, आपने मुझे कार्य स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया। मा0 अध्यक्ष जी, अभी प्रश्नकाल में मा0 मंत्री जी जननी सुरक्षा योजना का जिक कर रहे थे और बहुत गर्व के साथ कह रहे थे कि जननी सुरक्षा योजना में 30 लाख गर्भवती माताओं की जांच हुई। मा0 मंत्री जी इस समय यहां हैं नहीं, कार्य स्थगन की सूचना में उनको यहां होना चाहिए था, मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी बैठे है, वैसे ही उनका बोझा इतना है, मेडिकल कालेज में ढोते रहते हैं, यहां भी ढोयेंगे, बड़ा अजीब सा लगता है लेकिन उन्होंने कहा कि जननी सुरक्षा योजना में 20 लाख गर्भवती महिलाओं ने प्रसव कराये। उस समय ही मैं कहना चाहता था, 2008 में जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत 23 लाख 23 हजार गर्भवती महिलाओं का प्रसव हुआ और 2009 में यह घट करके 18 लाख 18 हजार हो गया अर्थात् मा0 मंत्री जी के रहते रहते इनकी आंखों के सामने जिस योजना के बारे में वह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

ऊर्जावान हो करके किसी भी विषय से कूद कर चले आते हैं, इस योजना की ओर, उस योजना की वास्तविक स्थिति मैं नहीं कह रहा हूं, भारत सरकार की योजना आयोग की रिपोर्ट कह रही है, इसलिए अथेंटिक होगी, 5 लाख 7 हजार महिलाओं ने पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष सरकारी सेवाओं में मिलने वाली प्रसव सुविधा का उपयोग नहीं किया। यह बताता है कि जननी सुरक्षा योजना कितनी सफलता के साथ माननीय मंत्री जी की देखरेख में चल रही है और तात्कालिकता यह थी कि पिछले 4 महीनों से गोरखपुर में जननी सुरक्षा योजना में कोई धन ही नहीं गया। जो चेक दिये गये, सरकारी चेक थे बाउंस होने लगे। बाद में वहां के अधिकारियों ने आर0सी0एच0-2 से पैसा निकालकर जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को 1400 रुपये देने का प्रयास किया। आर0सी0एच0–2 का भी पैसा खत्म हो गया और पिछले दो महीने से जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत गोरखपुर में किसी भी लाभार्थी को कोई भी चेक नहीं दिया जा रहा है और स्वाभाविक रूप से लेने की प्रकिया बदस्तूर जारी है। 1400 कहते हैं लेकिन लाभार्थी को वह चेक तभी मिलता है जब उसके डेढ़ दो सौ रुपये का आना जाना हो जाता है। जो आशा लेकर आती है उसको 600 रुपये प्रति केस और डेढ़ सौ रुपये का वाहन का भी तभी मिलता है जब लेनदेन हो जाता है। तो वह प्रक्रिया जारी है और जिस हिस्से में से दिया जाता है वह दो महीने से बंद है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि देश की एक मानी हुयी संस्था ने देश के 20 बड़े प्रांतों की स्वास्थ्य व्यवस्था की जांच करायी और उन्हें नंबरिंग दिया। 10 नम्बर के मार्क्स दिये। उत्तर प्रदेश को प्राथमिक स्वास्थ्य में 10 मे से 0.75 नम्बर मिला। आप स्वीकार कर सकते हैं कि आप पासिंग मार्क्स में से कहां है। ग्रेडेशन सिस्टम अगर समाप्त कर दिया जाये तो भी यह बच्चा पास नहीं होगा। वहीं हिमांचल प्रदेश को 3.19 नम्बर मिले, जम्मू कश्मीर को 3.054 नम्बर मिले, जम्मू कश्मीर जो आतंकवाद को झेलता है वहां की स्वास्थ्य सेवाएं पूरे भारत में दूसरे नम्बर पर आयी है। केरल को दुनिया जानती है एच0डी0आई0, ह्यूमन डेवलप इंडेक्स से बहुत अच्छा है वह पिछड़कर तीसरे पर चला गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना के हम लोगों ने लक्ष्य तय किये। इंफेन्ट मोरटेलिटी एक साल के अंदर मरने वाले बच्चों की संख्या है। हम इसको घटाकर प्रति हजार 12वीं पंचवर्षीय योजना के खत्म होते समय 35 कर देंगे। अभी 57 है। और अध्यक्ष महोदय, यह 57 औसत है। बदायूं में 146 बच्चे एक हजार में से मर जाते हैं, प्रदेश का औसत 57 है। बदायूं के जो भी माननीय विधायक होंगे वह जानेंगे कि 146 बच्चे एक हजार में से मरते है। बहराइच मे एक हजार में 138 बच्चे मरते हैं, बस्ती में एक हजार में से 135 बच्चे मरते है, एटा, हरदोई, एक हजार में 131 बच्चे मरते है। यह इंफेन्ट मोरटेलिटी का हमारा अनुपात है जिससे यह पता चलता है कि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं किस प्रकार से चल रही है।

अध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि टीकाकरण हमारा सबसे बड़ा अभियान है। हमको धन भी नहीं देना पड़ता है और हमारे प्रदेश में आज भी सिर्फ 30 प्रतिशत बच्चों को ही टीका लगता है। बिहार जैसा पिछड़ा प्रांत 41 प्रतिशत बच्चों को

टीका लगाता है। मध्य प्रदेश 48 प्रतिशत बच्चों को टीका लगाता है। उड़ीसा जो विकास में बहुत पीछे है 62 प्रतिशत बच्चों को टीका लगाता है। हम सिर्फ 30 प्रतिशत को लगाते हैं। पोलियों के बारे में सब जानते हैं। हम लोगों ने बार बार विषय लाना छोड़ दिया। कही है तो यही है। स्थिति यह है कि एंटीनेटल केयर जो गर्भवती महिलाओं के देखरेख के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, आज देश का औसत 52 प्रतिशत है लेकिन उत्तर प्रदेश में सिर्फ औसतन 27 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं की जांच होती है। गोवा, केरल के आंकड़े मैं दूं तो यह 96-97 और 98 प्रतिशत है। अध्यक्ष महोदय, जो जांच होती है वह भी अजीब तरीके से होती है। जिनकी जांच होती है उनमें से सिर्फ एक चौथाई गर्भवती महिलाओं के खून की, ब्लड प्रेशर की, पिशाब की जांच होती है। यह महिलाएं अपना पेट दिखाने जाती है और 100 में से सिर्फ 44 चिकित्सक एंटीनेटल केयर के लिए गयी हुयी महिलाओं का पेट छूते है। और 56 महिलायें पेट ही दिखाने जाती है और बिना पेट छुआए हुये ही वापस चली आती हैं। स्थिति यह है कि विटामिन ए इस प्रदेश में

(इस समय 1 बजकर 59 मिनट पर अधिष्ठाता डॉ0 पी0 के0 राय पीठासीन हुए)

सिर्फ 14 परसेन्ट बच्चों को मिलता है और जहां से मैं आता हूं, पूर्वी उत्तर प्रदेश से, वहां ये सिर्फ 6 प्रतिशत ही है। आयरन और फोलिक एसिड की टेबलेट, खून की कमी की महिलायें 52 परसेन्ट खून की शिकार हैं, इस प्रदेश में और अध्यक्ष महोदय, गर्भवती महिलाओं में सिर्फ 53 प्रतिशत महिलाओं को ही आयरन और फोलिक एसिड मिलता है। इसमें भी इन्हें 90 दिन तक, अधिष्ठाता महोदय, आप स्वयं एक चिकित्सक हैं, 90 दिन तक आयरन और फोलिक एसिड मिलना चाहिए। सिर्फ 9 परसेन्ट महिलायें ऐसी हैं जो 90 दिन आयरन और फोलिक ऐसिड का प्रयोग करती है। इन्स्टीट्युशनल केयर जो संस्थागत डिलवरी है, इस प्रदेश में कुल मिलाकर के 20 से 22 परसेन्ट है। केरल, गोवा आदि में यह 99 परसेन्ट की सीमाओं के परे जा रहा है। अधिष्ठाता महोदय, इन्हीं आधारों पर जननी सुरक्षा योजना की बात मैंने आपसे की । हम जो कहते हैं कि सुरक्षित प्रसव के लिये डिसपोजिबल किट दिया जाता है, जिससे की उन्हें इन्फेक्शन न होने पाये, बच्चे टिटेनस के शिकार न होने पायें। इस प्रदेश में सिर्फ 8 परसेन्ट प्रसव में डिसपोजिबल किट्स का प्रयोग हो रहा है।

अधिष्ठाता महोदय, इस स्थिति के नाते क्या हुआ है ? आज जो बच्चे हमारे पैदा हो रहे हैं, उनमें से पैदा होने वाले बच्चों में भी 19 इन्सटण्टेड पैदा हो रहे हैं, जो कुपोषण की दर है, मैंने 3 दिन पहले एक स्थगन पर कहा 47.5 प्रतिशत है। जो बच्चों में खून की कमी की दर है 74 परसेन्ट है। गर्भवती महिलाओं की बात मैंने की 52 परसेन्ट में खून की कमी है और यह तब है अधिष्ठाता महोदय, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में पूरे देश में 14,435 करोड़ रुपया दिया गया है जिसमें से अकेले उत्तर प्रदेश को 16 परसेन्ट की जनसंख्या पर 4829 करोड़ यानी 33 प्रतिशत धन दिया गया है। इतने धन के बावजूद जो प्लानिंग कमीशन ने आंकड़े दिये हैं, उसके हिसाब से 07-08 में 29 प्रतिशत धन अप्रयुक्त रह गया, 08-09 में 31 प्रतिशत धन अप्रयुक्त रह गया। आज की स्थिति यह है, आप भी जानते हैं

अधिष्ठाता महोदय, कि जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के गाइड लाइंस हैं, हमें सब सेन्टर स्थापित करने हैं, उनकी संख्या 36344 होनी चाहिए और सिर्फ 20521 है, 4930 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होने चाहिए, 3660 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, 1095 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र होने चाहिए, सिर्फ 515 हैं और उन 515 में भी सिर्फ 131 में स्त्री रोग विशेषज्ञ, सिर्फ 135 में पैड्रीटीशियन हैं और सिर्फ 138 में रेडियोलांजिस्ट और सिर्फ 186 में फिजीशियन हैं। अधिष्ठाता महोदय, हमारे जितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं 3690, उनमें सिर्फ 2001 में चिकित्सक पोस्टेड हैं, 1689 पद खाली पड़े हुये है। नर्सेज की आवश्यकता इस प्रदेश में 7295 है,

श्री अधिष्ठाता–

कृपया स्वास्थ्य व्यवस्था ही कहें।

डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल–

अधिष्ठाता महोदय, स्वास्थ्य व्यवस्था पर ही यह बहस है और मैं सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर रहा हूं। कही दायें, बायें हो तो रोक दीजियेगा मुझको। मान्यवर, ग्राहयता पर ही बोल रहा हूं, इतना बोलने पर तो उसे अग्राह्य कर देते हैं, कम बोला जाये तो कान में नहीं जायेगा। कम से कम इतना किया जाये कि अग्राहय करने के बावजूद, मैं जान रहा हूं कि स्वास्थ्य मंत्री नहीं है, आपका विभाग नहीं है, हम तो इस मंच पर कहते हैं कि आपने मेडिकल कालेज की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का बहुत प्रयास किया है। आपने एक बहुत अच्छे डी0 जी0 एम0 बी0 की नियुक्ति की है, गोरखपुर में वह दो महीना रहे हैं। अधिष्ठाता महोदय, जो मूल बात है, अधिष्ठाता महोदय मैं समाप्त कर रहा हूं कि जो स्थिति है वह क्यों है ? आज स्थिति मैंने आपको शुरूआत में अधिष्ठाता महोदय बताया, हम 18वें स्थान पर हैं, पहले पर हिमांचल, दूसरे पर जम्मू-कश्मीर, तीसरे पर केरल और इसका कारण क्या है, मैं किसी माननीय मंत्री को भी जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहता हूं, इसका कारण यह है, प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर होने वाला सरकारी व्यय, उत्तर प्रदेश में सिर्फ 94 रुपये 94 पैसे स्वास्थ्य पर व्यय किये जा रहे हैं प्रति व्यक्ति हिमांचल प्रदेश में यह व्यय अध्यक्ष महोदय, 690 रुपये प्रति व्यक्ति है और इसीलिए हिमांचल प्रदेश नम्बर एक पर है, दूसरे नम्बर पर व्यय अध्यक्ष महोदय, जम्मू कश्मीर में है 543 रुपये प्रति व्यक्ति और इसलिए जम्मू कश्मीर जब इनाम लेने का समय आया है तो पूरे देश में दूसरा स्थान है, केरल में प्रति व्यक्ति व्यय 280 रुपये है और केरल का तीसरा स्थान है। हमने इतना कम व्यय बच्चों के स्वास्थ्य की देख रेख में, महिलाओं और नागरिकों के स्वास्थ्य की देख रेख में दिया है कि हम चाह कर भी उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं अतः माननीय अधिष्ठाता महोदय, सिर्फ दो आग्रह हैं। एक हमारी स्वास्थ्य सेवाओं की अनिपुणता, दोहराव, अक्षमता, उनमें व्याप्त भ्रष्टाचार यह तो कहने की जरूरत नहीं है, यह तो मान्यता प्राप्त सिद्धान्त हो गये हैं, इसलिए मैं इनको दोहराना भी नहीं चाहता हूं, नहीं तो आप कहेंगे कि हर सदन में आरोप लगता है, लेकिन कम से कम जो बजटरी प्राविधान हैं, इस प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ यह बजटरी प्राविधान में अन्याय नहीं होना चाहिए। और दो जननी सुरक्षा योजना

गोरखपुर में पिछले चार महीने से धन नहीं जा रहा, दो महीनों से धन मिल ही नहीं रहा, आर0 पी0 एच0 का धन भी समाप्त हो गया, इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने माननीय डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल जी को सुना, यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है, इसलिए मैं इसे अग्राहय करता हूं।

डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल--

मान्यवर, मा0 मंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे, आप अग्राह्य कर देंगे तब तो फिर तो उनका काम हो गया, मा0 अधिष्ठाता जी, कह लेने दीजिए उनको, उनकी भी बात आ जाय। मान्यवर, मैंने उनकी इतनी प्रशंसा की है।

श्री अधिष्ठाता--

जैसी प्रशंसा आपने की है, उसी हिसाब से चूंकि यह गोरखपुर का मामला है, थोडा बहुत ताल्लुक मेरा भी गोरखपुर से है तो कृपया इसको संज्ञान लेते हुए, इस पर कार्यवाही करने का कार्य करेंगे, इसी के साथ में इसको अग्राहय करता हूं। माननीय श्री प्रमोद तिवारी जी, आप अपनी बात कहें।

श्री प्रमोद तिवारी--

मान्यवर, मैं अभी नहीं बोल सकता, पहले आप श्री अनुग्रह नारायण सिंह जी को बोलवा लें, इनके तुरन्त बाद आप हमारा दूसरा वाला ले लें जो चयनित है, वह पूंजीनिवेश वाला।

श्री अधिष्ठाता--

ठीक है।

*श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

मान्यवर, 14 फरवरी की रात और 15 फरवरी को इलाहाबाद की घूरपुर पुलिस थाने ने ऐसा अमानवीय बरबर काम किया है जिससे मानवता शर्मसार हो रही है। मान्यवर, 14 फरवरी की शाम तोहनिया बाजार में वहां पर बीयर की एक दुकान पर दो पुलिस कर्मी पहुंचते हैं और कुछ लोगों को जबरदस्ती मारने पीटने लगते हैं। और उसी में किसी एक ने तमन्चे से फायर कर दिया, जिससे वहां का एक सिपाही कमलेश पाण्डेय, उसको गोली लग गई। इसके बाद वह दोनों अपराधी भाग गये। बाद में घूरपुर थानाध्यक्ष अपनी पुलिस सहित वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर जो तमाशा देख रहे लोग, उसमें से चार लोगों को अशोक निषाद उम्र 23 वर्ष, संजय निषाद, उम्र 25 वर्ष, मुकेश उम्र 30 वर्ष और देवानन्द गोस्वामी उम्र 21 वर्ष को पकड़ कर थाने ले आते हैं और मान्यवर, पूरी रात भर उन लोगों को खम्भे में बांध कर, पेड़ में बांध कर डण्डों, घूंसों लातों से उनकी पिटाई करते रहे, मान्यवर, यह सब चलता रहा, किसी तरह लोगों को पता चला और भी लोग थाने गये। तो जो लोग, उनके परिवारीजन और सब थाने गये, उन लोगों को लाठी डण्डों से मार मार कर भगाते रहे। वह लड़के लगातार चीखते रहे, चिल्लाते रहे,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रहम की भीख मांगते रहे, लेकिन इन लोगों ने कोई रहम नहीं किया और उनको मारते रहे, पूछते रहे कि बताओ वह अपराधी कौन थे। मान्यवर, यह लड़के वहां पर बालू मजदूर हैं। घूरपुर थाने के अन्तर्गत गिट्टी, सिल्कासेन्ट और बालू का काम होता है और तमाम गरीब मजदूर लोग उसमें काम करते हैं। स्थानीय जो थाना पुलिस है, इसकी इन बालू माफियाओं से, गिट्टी माफियाओं से, शराब माफियाओं से सांठ गांठ रहती है। अक्सर यह लड़के जब आवाज उठाते हैं कभी मजदूरी के लिए या किसी और काम के लिए जब उनके ऊपर अन्याय, शोषण होता है, तो यह उनको मार पीट कर बन्द करते रहते हैं, उनको एक अच्छा मौका मिला और इस पर वह मारते रहे। सुबह हुई, सुबह भी तमाम लोग आये, उनके परिवारीजन आये और थाने पर खड़ें रहे सब लोग रहम मांगते रहे और गिड़गिड़ाते रहे लेकिन उन लोगों को दया नही आई और दिन में भी मारते रहे। अन्त में लगभग 12.00-1.00 बजे करीब उसमें से अशोक निषाद की हालत खराब होने लगी, संजय निषाद की हालत खराब होने लगी तो उनको 1.40 बजे वहां पर स्वरूप रानी चिकित्सालय ले जाया गया। वहां पर डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया संजय निषाद को लगभग साढ़े 3 बजे ले गये उनको भी डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया और पोस्टमार्टम हाउस में बाडी को भेज दिया गया। इस बीच मुकेश और दूसरा जो देवानन्द गोस्वामी है उसकी भी हालत खराब होने लगी तो उसको भी अस्पताल ले गये और वहां पर देवानन्द गोस्वामी और मुकेश चिल्ला चिल्लाकर कह रहे थे कि हम लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं यह कौन संजय है, कौन अशोक है, कौन किसने गोली चलाई। इस प्रकार झूठ यह अमानवीय कृत्य हुआ है। घरवाले, पोस्टमार्टम कराने की बात आई, आप जानते हैं कि अंधेरे में पोस्टमार्टम नहीं होता लेकिन अंधेरे में ही जबरदस्ती पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम कराने के बाद उन लोगों पर यह दवाब डाला गया कि तुम लोग इनको अरैल और अपने गांव जो लवाइनकला है वहां मत ले जाओ और दारागंज घाट पर इनका दाह संस्कार करो, पुलिस की कस्टडी में खैर वह नहीं माने और लगातार यह द्वन्द चलता रहा। इतना अवैध अमानवीय कार्य हुआ, थाने के अन्दर मौत हुई और यह कानून का राज, कानून का राज मान्यवर, कानून से स्थापित होता है। सजाये मौत देने का अधिकार किसी थानेदार या पुलिस को नहीं दिया गया है यह काम केवल अदालत का है। अदालत ही किसी को सजाये मौत दे सकती है लेकिन मान्यवर, यहां पर उन निर्दोष मजदूरों को, बालू मजदूरों को सजाये मौत की सजा दे दी गयी। यह अपने आपमें अमानवीय घटना है, बर्बर और जालिमाना है और साथ ही साथ कानून को मुंह चिढ़ाने वाला भी है। हम लोग सदन में बराबर कानून की बात करते हैं लेकिन यह कानून के राज का मखौल उड़ाया गया है। इस अति संवेदनशील और अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय को सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं। हम लोगों ने अखबार में पढ़ा है कि उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है अब तक तो अगर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है तो उन लोगों को गिरफ्तार किया जाय। अगर वास्तव में वहां की पुलिस संवेदनशील है, अधिकारी संवेदनशील है तो जितने हत्यारोपी पुलिस जन है उनको गिरफ्तार किया जाय और जो मृतक के परिवारजन हैं गरीब

परिवार है उनको यह सरकार खुद ही मानवीय आधार पर ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दे।

मान्यवर, हमारे इलाहाबाद मे इस तरह की तमाम घटनाएं हुई हैं एक दुबे जी थे सिविल लाइन थाने के अन्तर्गत उनको आज से कुछ वर्षो पहले मार दिया गया था मारने के बाद खैर दवाब हुआ जनता इकट्ठा हुई और मुकदमा पुलिस वालों के खिलाफ लिखा गया। आज लगभग 3 साल हो गया वहां का जो हत्यारोपी दारोगा है लगातार फरार चल रहा है। जो पुलिसकर्मी उसमें निलम्बित हुए थे जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ उन्होंने आज तक जमानत नहीं कराई और वह लगातार नौकरी कर रहे हैं। मान्यवर, इस मामले में भी ऐसा न हो, लीपापोती न कर पाये। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस पर स्पष्ट निर्देश देने की कृपा करें।

*श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमने आपके माध्यम से कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से एक सूचना दी है जो जनपद इलाहाबाद के थाना घूरपूर से संबंधित है। मान्यवर, यह पहले अंग्रेजों के जमाने में हुआ करता था कि अंग्रेज लोग चौराहे पर फांसी दे दिया करते थे, थाने में फांसी दे दी जाया करती थी। अंग्रेजों के बाद यह पहली घटना इलाहाबाद में घूरपुर थाना में दिनांक 15 फरवरी, 2010 को हुई है वहां पर संजय निषाद, मुकेश, अशोक और देवानन्द गोस्वामी को पकड़ कर ले आया गया इसलिए पकड़कर ले आया गया कि उनका किसी से झगड़ा हो गया था। किसी तीसरे आदमी ने एक सिपाही को गोली मार दी थी और भाग गया था। इनको खम्भे में बांधकर पेड़ में बांधकर बेरहमी से मारा जा रहा था जैसे सूचना मिली उनके घर वालों को मान्यवर, प्रदीप, सुनीता, सोनी देवी, राजेश, धर्मपाल, राजकुमार निषाद और तमाम लोग मौके पर थाने में आ गये उन्होंने कहा कि यह हमारे बच्चे हैं बालू का काम करते हैं इनको क्यों मार रहे हैं। मान्यवर, जितना यह चिल्ला रहे थे उतना ही उनकी लाठी डन्डों से पिटाई की जा रही थी इतना ही नहीं मान्यवर, जो रोक रहे थे पुलिस वाले उनको कई राउन्ड थाने में लाठी डन्डे मारकर भगाने का काम किये है। इस तरह की शर्मनाक घटना है जोकि पुलिस के लिए बहुत बड़ी मिसाल है। जनता पुलिस के पास जाती है जब रक्षक ही भक्षक बन जाय तो कौन रक्षा करेगा इस तरह की घटना से केवल इलाहाबाद ही नहीं पूरे प्रदेश में दहशत व्याप्त हो गयी है कि थाने कैसे जायेंगे सूचना लेकर। लोग जब पीड़ित होते थे तो थाने जाते थे सूचना लेकर अब पता चला कि थाने में ही फांसी चढ़ा दी जाय तो कौन जायेगा सूचना लेकर। मान्यवर, इतना ही नहीं पहले इन्होंने उनको थाने में मार दिया फिर उनको नाटकीय ढंग से एक टैक्सी में बैठालकर इस तरह से ले जाया गया जैसे वह जिन्दा हो, टैक्सी में जैसे आम आदमी बैठता है उस तरह से उनको बैठालकर थाने से अस्पताल ले जाया गया। यह पुलिस का बहुत निन्दनीय कार्य हैं। इतना ही नहीं इधर तीन वर्ष में कहीं किसान मारे जा रहे हैं कहीं छात्र मारे जा रहे हैं, कही व्यापारी मारे जा रहे हैं। एक इंजीनियर की हत्या हो गयी, एक पीसीएस अधिकारी की हत्या हो गयी, एक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आई0ए0एस0 अधिकारी की हत्या हो गयी, अभी बरेली में घोपेश्वर नाथ मंदिर के महन्त गोकरन गिरि की अपहरण कर हत्या कर दी गयी। इसमें मान्यवर, कहीं न कहीं सत्ता के लोगों का हाथ है और यह हमेशा बचाने का काम करते हैं। अगर मान्यवर, इसी तरह का हाल रहेगा तो प्रदेश की जनता किसके भरोसे रहेगी। अगर रक्षक ही भक्षक बन जायें तो हम आपसे यह निवेदन करना चाहते हैं कि इसमें जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है इसमें थानाध्यक्ष घूरपुर और जितने सिपाही हैं, उसमें थानाध्यक्ष विनोद दुबे, दरोगा विवेकानन्द तिवारी और 9 पुलिसकर्मी हैं, इनको गिरफ्तार किया जाये। मान्यवर, जिस तरह से आम आदमी को जुर्म करने पर सजा मिलती है उसी तरह से इनको सजा दी जाय। वहां की पुलिस लीपापोती करने के लिये सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 से जांच कराकर इनको बचाने का काम कर रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इसमें सरकार को निर्देश दें। जिस प्रकार से प्रदेश में इस तरह की घटनायें बढ़ी हैं, उससे जनता भयभीत हो रही है इस पर अंकुश लगाया जाय। पूरे प्रदेश में गरीब, मजदूर, व्यापारी सब परेशान हैं और मान्यवर, इतना ही नहीं, इलाहाबाद में लोग आज धरना दे रहे हैं, आन्दोलन कर रहे हैं और वहां पर ला एंड आर्डर ठीक करने के लिये पुलिस लगानी पड़ रही है। तो हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रस्ताव पर चर्चा करा ली जाय, जिस तरह से यह घटनायें थानों में हो रही हैं इसी पर मान्यवर, हमने एक सवाल भी लगाया था कि लगातार थानों में लोगों की पिटाई करके हत्यायें हो रही है, उसमें सरकार को संज्ञान लेना चाहिये था। जो माननीय मुख्यमंत्री जी या गृह मंत्री जी समीक्षा करते हैं तो उसमें इस पर अंकुश लगाना चाहिये। मानवाधिकार के आदेशों का उल्लंघन नहीं होना चाहिये लेकिन आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस रक्षक के बजाय भक्षक बन गयी है। आम आदमी जैसे कोई जुर्म करता है, हत्या करता है, उसको जैसे सजा मिलती है, उसी तरह से इनको भी सजा दी जानी चाहिये। मान्यवर, मैं अपने कार्यस्थगन प्रस्ताव पर बल देते हुये चर्चा कराये जाने की मांग करता हूँ। धन्यवाद।

(श्री प्रमोद तिवारी के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय तिवारी जी, अभी आपको आगे दूसरे में भी बोलना है।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, अगर मैं इसमें बोल लेता तो दोनों का जवाब आ जाता और मुझे सुविधा हो जाती।

श्री सुन्दर लाल लोधी–

मान्यवर, और लोग भी हैं बोलने के लिए।

श्री अधिष्ठाता–

आज आखिरी दिन है, तो हर एक व्यक्ति को दो-दो मिनट बोलने के लिये मौका मिल जाय। तो इसमें आपके स्थान पर अनुग्रह नारायण सिंह जी ने बोल

लिया है और आपने आग्रह किया है। आपकी अगली सूचना है, उस अगली सूचना को ले लेते हैं और इस पर माननीय मंत्री जी का, सरकार का पक्ष जान लेते हैं।

श्री प्रमोद तिवारी–

ठीक है मान्यवर, इनके बाद फिर हमें बुला लीजियेगा।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है।

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सरकार की वचनबद्धता है कानून व्यवस्था का राज स्थापित करने की और कानून तोड़ने वाला व्यक्ति चाहे वह कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। जो माननीय अनुग्रह नारायण सिंह जी और विशम्भर प्रसाद निषाद जी ने जो प्रकरण उठाया है, उसके संबंध में अवगत कराना चाहता हूँ कि इस घटना में नामजद थानाध्यक्ष घूरपुर, उपनिरीक्षक विनोद कुमार दुबे तथा 8 अन्य पुलिसकर्मी क्रमशः उपनिरीक्षक विवेकानन्द तिवारी, आरक्षी अनिल सिंह, आरक्षी हरि प्रसाद राय, आरक्षी सुरेन्द्र दुबे, आरक्षी देवेन्द्र सिंह, आरक्षी, हरेन्द्र नाथ सिंह, आरक्षी शैलेन्द्र बहादुर सिंह तथा आरक्षी अशोक कुमार यादव को निलम्बित कर दिया गया है। घटना के बारे में थाना कोतवाली, इलाहाबाद में धारा 302, 323, 506 आई0 पी0 सी0 बनाम थानाध्यक्ष घूरपुर एवं ड्यूटी पर मौजूद सभी दरोगा एवं पुलिसकर्मियों थाना घूरपुर के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। घटना की मजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश निर्गत कर दिये गये हैं। इस घटना की सी0बी0सी0आई0डी0 द्वारा जांच कराने का भी निर्णय लिया गया है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मा0 अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मा0 मंत्री श्री जगदीश नारायण राय द्वारा बताया गया है कि उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मान्यवर, 302 का मुकदमा दर्ज होने के बाद अगर वह हमारे आदमी के खिलाफ हो तो तत्काल जेल भेज दिया जाता है। मा0 मंत्री जमुना प्रसाद निषाद जी एक थाने में गये थे क्यांकि उनके क्षेत्र में किसी बालिका के साथ बलात्कार हो गया था और रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी। वह वहां गये और एक दुर्घटना हो गई और उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भेज दिया गया और वह जेल में पड़े हैं।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने मा0 अनुग्रह नारायण सिंह जी, मा0 विशम्भर प्रसाद निषाद जी को सुना, यह सूचना नियम 56 के अन्तर्गत नहीं आती है, इसलिए इसे अग्राह्य किया जाता है और इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रमोद तिवारी जी आपने आग्रह किया है तो मैं आपका लिये ले रहा हूँ इसके बाद तो आपकी कोई सूचना नहीं है।

श्री प्रमोद तिवारी–

नहीं, इसके बाद मा0 कौकब जी हमारी जगह पर बोलेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

आपका तो नहीं है ना। मैं आश्वस्त हो जाऊँ।

*श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, नहीं। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया है। मान्यवर, मेरी चिन्ता, मेरी परेशानी पूरे प्रदेश की है। मान्यवर, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है और उसका मूल कारण यह है कि आबादी बढ़ रही है, शिक्षा में विकास हो रहा है, टेक्नोक्रेट्स बढ़ रहे हैं लेकिन उल्टा हो रहा है क्योंकि जो उद्योग लगे हैं वह या तो बन्द हो रहे हैं या जिनके साथ हमारा समझौता, हमारा करार हुआ है वह उत्तर प्रदेश में हटकर पड़ोसी प्रदेश हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखण्ड में जा रहे हैं। मैं इस महत्वपूर्ण विषय को उठाते हुए कुछ तथ्य मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। मान्यवर, एक सर्वे हुआ है जिसमें 2100 उद्योगपतियों से बारहवें वित्त आयोग ने वार्ता की और उसमें जो 19 प्रदेशों के विकल्प दिये गये, चिन्ता की बात है कि उसमें उत्तर प्रदेश को तेरहवें नम्बर के रूप में स्वीकार किया गया। इसका मुख्य कारण बिजली और कानून व्यवस्था की गिरावट है। मान्यवर, मैं आपको एक चिन्ताजनक फीगर देना चाहता हूं जिस पर सभी की चिन्ता होनी चाहिए, अगर सरकार चिन्तित नहीं है तो मुझे दुःख है। मान्यवर, 2001 से लेकर 2005 तक 3467 कारखानें बन्द हो गये और आज 2010 तक यह संख्या बढ़कर लगभग 5000 कारखानों तक पहुंच गयी है। यानी नये कारखाने खुल नहीं रहे हैं और पुराने कारखाने बन्द हो रहे हैं। तो मान्यवर, यह जो कारखाने बन्द हो रहे हैं तो इनके बेरोजगार कहां जा रहे हैं, यह बेरोजगारों की ही तो संख्या बढ़ा रहे हैं।

मान्यवर, इसी तरह से अगर आप देखें तो औद्योगिक विकास दर उत्तर प्रदेश की क्या रह गयी है। जो एक जमाने में पांच, छः और सात प्रतिशत हुआ करती थी, वह आज 2.5 प्रतिशत रह गयी है, यह चिन्ता की बात है। आज बैंक का जो डिपाजिट और केडिट का रेशियो है वह बहुत ही निराशाजनक स्थिति में पहुंच गया है। यानी कि उत्तर प्रदेश का 100 रुपया बैंकों में जमा हो रहा है और मात्र 20 रुपया यहां पर निवेश के रूप में आ रहा है। यानी कि 80 रुपए जो हम जमा कर रहे है उसका लाभ गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तराखण्ड उठा रहे हैं। मान्यवर, हम जो बैंक में जमा कर रहे हैं उसका लाभ भी हमें नहीं मिल रहा है। मैं यह बताना चाहता हूं कि कितना बेराजगारी को बढ़ावा, इस सरकार में मिल रहा है। मान्यवर, कानपुर की बहुत सी दाल मिलें बन्द हो रही हैं, पीलीभीत का बांसुरी उद्योग समाप्त हो रहा है, पूर्वांचल का हस्तकौशल लगभग पूरी तरह से समाप्त हो रहा है और नतीजे के तौर पर 5 लाख बुनकर वाराणसी, गाजीपुर, मिर्जापुर, भदोही में बेराजगार हो रहे हैं। मान्यवर, इसी तरह से यदि देखें तो सहारनपुर मात्र जिले में 9015 इकाइयां थी और 5303 इकाइयां उसमें से बन्द हो गयी हैं। यानी कि 50 प्रतिशत से ज्यादा लगे उद्योग बन्द हुए हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैं नाम लेकर आपसे कहना चाहता हूं कि यहां से जो उद्योगपति चले गये अशोक छाबड़ा, प्रमोद मिगलानी, एम0के0 तलवार और मान्यवर, ये बहुत बड़ी संख्या में दे रहा हूं चिंता करने की बात है। 4.70 लाख उद्योग बंद हुये हैं। छोटे, बड़े, मझोले मिलाकर मान्यवर, इससे ज्यादा दुखःद वजह और क्या नहीं हो सकती और वह कांग्रेस के जमाने की नीति कि हर जिले में एक उद्योग होगा, वह कहां गया मान्यवर, सारे उद्योग बंद हो चुके हैं मान्यवर, मैं एक आश्चर्यजनक बात और आपको कहना चाहता हूं कि नोयडा, ग्रेटर नोयडा में एम0ओ0यू0 तो किया उत्तर प्रदेश से और एम0ओ0यू0 साइन करने के पश्चात उनको जमीन नोयडा, ग्रेटर नोयडा में मिल गयी, और जमीन तो ले ली उद्योगपतियों ने और वही उद्योग जो नोयडा ग्रेटर नोयडा में जमीन ली उसे ले जाकर उत्तराखण्ड में, हिमाचल में, राजस्थान में और हरियाणा में लगा दिया। मान्यवर, इसका मूल कारण यही है कि न हमारे पास पर्याप्त बिजली है, कानून व्यवस्था खराब है, उद्योग लगाने में कदम-कदम पर भ्रष्टाचार है और मान्यवर, कुल मिलाकर सच पूछिये मान्यवर, न सरकार की रुचि रह गयी है न मान्यवर, किसी की रुचि रह गयी है, यहां पर उद्योगीकरण हो। मान्यवर, यह सारी स्थितियां स्पष्ट करते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूं मान्यवर, नाम ले रहा हूं, टेल्को चला गया उत्तराखण्ड, सुन्दरम कस्टेड लिमिटेड, उत्तराखण्ड, बजाज लिमिटेड लोपार्ज उत्तराखण्ड, मैक्स हीरो होण्डा, उत्तराखण्ड, बिरला पावर सेलूशन राजस्थान।

मान्यवर, फेहरिस्त है कि आप के पास जमीन तो नोयडा, ग्रेटर नोयडा में ले रहे हैं, लेकिन किसी उद्योगपति की हिम्मत आपकी बिजली की हालत, कानून व्यवस्था की हालत, अपहरण और फिरौती की हालत देखते हुए उद्योग लगाने की नही पड़ रही है। मैं अपनी बात समाप्त करते हुए यह कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में बेराजगारी पहले से है। इसका एक सीधा साधा रास्ता था, लघु उद्योग, मझोले उद्योग और बड़े उद्योग लगाये जायें। यहां तो कहानी उल्टी है, जो लगे थे वो बंद हो रहे हैं। लगाने को कोई तैयार नहीं हैं। इस उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में सिर्फ बेराजगारों की फौज रह जायेगी। जहां पर घटकर 2.5 औद्योगिक विकास आ गया है मान्यवर, उस उत्तर प्रदेश की स्थिति, कितनी दयनीय, चिंतनीय और सोचनीय इसकी तस्वीर मैं प्रस्तुत करते हुए इस अविलंबनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मैं चाहता हूं आपके माध्यम से सारी कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाये।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने मा0 प्रमोद तिवारी जी को सुना, यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है। इसलिए इसको अग्राह्य करते हैं।

*श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रदेश के जन-जन से जुड़ी हुयी मेरी सूचना को मा0 अध्यक्ष जी ने स्वीकार किया और आपकी उपस्थिति में मुझे इसकी ग्राह्यता पर बोलने का अवसर मिला इसके लिए मैं आप दोनों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मा0 अधिष्ठाता महोदय किसी भी प्रदेश की विकास का पहिया तभी घूम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सकता है, जब वहां उद्योग धंधे लगें, आम जन को सुविधा मिले और उस प्रदेश का विकास तभी संभव है जब वहां अवस्थापना सुविधाओं की भी उपलब्धता हो और इन सारे उद्योग धंधों के पनपने में विकास का पहिया तेजी से घूमने में आम जनमानस को व्यापार कारोबार करने में आज के समय में विद्युत सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह अलग बात है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश की विद्युत की मांग है और जो उपलब्ध है बिजली उसमें करीब दो-ढ़ाई हजार मेगावाट की कमी है। यह भी सही है कि पिछली सरकारों ने भी कुछ घोषणाएं की थी। उसको कहीं जमीन पर देखा नहीं गया, पूरा कार्यकाल समाप्त हो गया। वर्तमान में मा0 विद्युत मंत्री उपाध्याय जी हार्दिक रूप से इस प्रयास में लगे हैं कि उनकी सरकार में उनके द्वारा कुछ नये विद्युत प्लांट लगे। कुछ नई परियोजनाएं जमीन पर दिखायी दें और वह प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन जिस दर से विद्युत की मांग बढ़ रही है और जिस अनुपात में इसके दर बढ़ रहे हैं और बिजली के न रहने से और अन्य अवस्थापना सुविधाओं के अभाव में यहां से सभी उद्योगों का पलायन हो रहा है। प्रदेश का विकास तभी संभव है जब यहां नये-नये उद्योग लगें, उनको बिजली मिले, अन्याय अवस्थापना सुविधाओं का लाभ मिले। यहां का आम जनमानस तभी विकास कर सकता है जब उसको अपने छोटे मोटे कारोबार के लिए भी बिजली मिले, अन्य सुविधायें मिलें। लेकिन विद्युत का महत्वपूर्ण स्थान और उसकी उपलब्धता और उसकी मांग में इतना बड़ा गैप है कि उससे प्रदेश वंचित हो रहा है और जहां एक तरफ उद्योग धन्धे नहीं लग रहे हैं, नये लगाने की लोग हिम्मत कर पा रहे हैं उसमें कहीं कानून व्यवस्था आ जाती है। मैं सिर्फ अपने को विद्युत तक ही सीमित रखता हूं क्योंकि मेरी सूचना विद्युत पर ही है।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, जब तक मा0 विद्युत मंत्री जी की जो परियोजनायें हैं। हालांकि मुझे विश्वास है कि वह दिल से लगे हुये हैं। शायद आगामी 4-5 वर्ष में वह प्लान्ट क्रियाशील हो जाए तब शायद उत्तर प्रदेश की विद्युत की मांग पूरी हो सके लेकिन जिस दर से विद्युत की मांग बढ़ रही है और यहां जो उद्योग धन्धों का पलायन हो रहा है उसके लिए यह बहुत आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में एक न्यूक्लीयर पावर प्लान्ट लगे जिसकी कम से कम उत्पादन क्षमता 2000 मेगावाट की हो। लेकिन साथ ही यह भी है कि इसकी स्थापना करने में जो लागत आने वाली है वह जो इसके विशेषज्ञ हैं, जो जानकारी रखते हैं उनके अनुसार इसमें 27 से 28 हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही साथ इसमें यूरेनियम आदि की भी आवश्यकता पड़ेगी, वह भी केन्द्र सरकार से संबंधित है और यूरेनियम प्लान्ट लगाने का जो अधिकार है, वह भी केन्द्र सरकार को है। तो मैं उत्तर प्रदेश की जो विद्युत की हालत है और मांग और उपलब्धता में जो गैप है, यहां से जो उद्योग धन्धों का पलायन हो रहा है, नये उद्योग धन्धे नहीं लग रहे हैं। आम जनमानस और छोटा कारोबारी भी विद्युत की कमी के कारण परेशान है, उसका विकास नहीं हो रहा है, आर्थिक विकास नहीं हो रहा है, उसको असुविधायें झेलनी पड़ रही है इसलिए इस कार्यस्थगन की सूचना के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि वह जो प्रयास कर रही है उसके अतिरिक्त

भी एक न्यूक्लीयर प्लान्ट जिसकी क्षमता 2000 मेगावाट की हो, उस दिशा में केन्द्र सरकार से गम्भीरता से उत्तर प्रदेश की सरकार और मा0 उर्जा मंत्री जी प्रयास करें ताकि इसके लिए केन्द्र सरकार अपनी स्वीकृति दे और जो इसके लिए खर्च आने वाला है 27-28 हजार करोड़ रुपया, वह भी वह अवमुक्त करे और अन्य जो यूरेनियम आदि की आवश्यकता पड़ेगी उसकी व्यवस्था करे। इसलिए मैं अपने आम जनता से जुड़े हुए इस सवाल पर, विद्युत के सवाल पर नियम-56 के अन्तर्गत कार्यस्थगन का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए सदन का सभी कार्य रोककर चर्चा कराने की और सरकार से कुछ इस दिशा में आश्वासन मिले जिससे जनता में यह संदेश जाय कि सरकार चिन्तित है और यह 2000 मेगावाट विद्युत प्लान्ट लगाने की दिशा में वह पहल करेगी, ऐसी कोई आश्वासन जाए तो जनता के लिए यह अच्छा होगा।

ऊर्जा मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)–

मान्यवर, मा0 चौधरी साहब ने जो बातें रखी है, यह बात सही है कि करीब 2000 मेगावाट से लेकर 2500 मेगावाट का डिमाण्ड और सप्लाई में अंतर है। इस समय जो हमारी क्षमता है, जो हमारा अपना उत्पादन और सेन्ट्रल सेक्टर से जो बिजली मिलती है वह सब मिलाकर 6500-6600 मेगावाट हो पाती है जबकि डिमाण्ड 9000 से 9500 व कभी कभी 10,000 मेगावाट तक के करीब पहुंच जाती है। 1989 में अनपरा-बी लगा था, 1000 मेगावाट का, जिसका कमीशन 1992 मे 500 मेगावाट की मशीन का हुआ, दूसरा 1994 में हुआ, इस बीच में कई सरकारें रहीं। मैं सदन में कभी इधर रहा कभी उधर बैठकर सुनता चला आ रहा हूं। तमाम चर्चा इस पर हुई कि प्रदेश में बिजली का उत्पादन बढ़ना चाहिए। आदरणीय बहन कुमारी मायावती वर्ष 1995 में पहली बार चार महीने के लिए, उसके बाद वर्ष 1997 में मात्र 6 महीने के लिए, वर्ष 2002 में 15 महीनों के लिए रहीं, हमारी सरकार रही उस समय 30-10-02 को हमने पारीक्षा जनपद झांसी में 210-210 मेगावाट की दो यूनिटें लगाईं, जिससे वर्ष 2007 के बाद 400 मेगावाट बिजली मिलना शुरू हो गयी और जब बहन कुमारी मायावती चौथी बार मुख्य मंत्री बनी तो बहन जी ने 10 हजार मेगावाट के पावर हाउस लगाने का लक्ष्य रखा। अभी 6 महीने पहले बहन जी ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना दोनों को मिलाकर 25 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसके लिए कार्य योजना बना दी गयी है। आप लोग कहें तो हम इसको पढ़कर सुना दूं।

श्री अधिष्ठाता–

श्री श्याम देव राय चौधरी ने जो विषय उठाया उसी सीमा तक बता दें।

श्री रामवीर उपाध्याय–

मैं सम्मानित सदस्य को अवगत करा दूं कि मार्च 2012 तक करीब 6 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन बढ़ जाएगा आज करीब 6500-6600 मेगावाट के करीब है। वर्ष 2017 तक कार्य योजना बना दी है श्री तिवारी जी वरिष्ठ सदस्य हैं यह ऊर्जा मंत्री भी रहे हैं उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनको मालूम है कि कागजी कार्यवाही करने में दो साल के करीब लग जाते हैं जमीन अधिग्रहण के

लिए, कोयले के लिए पानी के लिए इनकी परमीशन लेने के लिए करीब दो वर्ष लग जाते हैं और थर्मल पावर स्टेशन बनाने के लिए 36 माह से लेकर चार साल का समय लगा जाता है, हाइड्रो पावर स्टेशन बनाने के लिए 6 वर्ष लग जाते हैं लेकिन काम युद्धस्तर पर जारी है। पारीक्षा में 600 मेगावाट का पावर हाउस लगाया जा रहा है, यह 2010 में बन जाएगा पांच सौ मेगावाट का हरदुआगंज में काम तेजी से चल रहा है यह भी 2010 में आ जाएगा। अनपरा-डी में एक हजार मेगावाट के लिए काम तेजी से चल रहा है। निजी क्षेत्र अनपरा-सी में 1200 मेगावाट की परियोजना पर काम तेजी से चल रहा है। एन0टी0पी0सी0 के साथ ज्वाइंट वेंचर में 1320 मेगावाट का पावर हाउस मेजा जनपद इलाहाबाद में काम तेजी से चल रहा है। निजी क्षेत्र की बारा, करछना पावर हाउस के लिए समस्त औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी हैं विकासकर्ता ने 3300 मेगावाट के लिए मशीनों के आर्डर दे दिए हैं। इस तरह से 2017 तक के लिए कार्य योजना बना रखी है। मैं आपको बता दूं कि मार्च 2012 तक हमारे प्रदेश में बिजली की जो उपलब्धता है वह 12 हजार मेगावाट के करीब हो जाएगी जबकि डिमाण्ड औसतन 10 प्रतिशत के करीब हर साल बढ़ती है। अतः वर्ष 2012 तक किसानों, उद्योगपतियों व प्रत्येक नागरिक को अच्छी बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। सवाल इस बात का है कि पावर हाउस लगाए किसने हैं धरातल लेबिल पर काम किसने शुरू किया। बात चाहे पारीक्षा की हो, हरदुआगंज, अनपरा सी0, डी0 मेजा, करछना, बारा की हो रोजा में 300 मेगावाट 6 महीने में आ जाएगी, निश्चित रूप से ऊर्जा के क्षेत्र में जितना प्रयास हमारी सरकार ने किया उतना प्रयास पिछली सरकारों ने नहीं किया, मैं बता रहा हूं कि 2 साल के अंदर मार्च, 2012 तक 6 हजार मेगावाट हमारा बिजली का उत्पादन बढ़ेगा। मान्यवर, जहां तक बात है न्यूक्लीयर की, तो वह तो भारत सरकार की योजना है। भारत सरकार से हम भी अनुरोध करेंगे और माननीय तिवारी जी से भी कहेंगे कि ये भी प्रयास करें, हम भी प्रयास करेंगे। उधर से हमको परमीशन मिल जाए तो हम लगा देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने श्री श्यामदेव राय चौधरी जी को सुना।

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)–

मान्यवर, मेरा तो आग्रह इतना था कि मैंने खुद कहा कि यह न्यूक्लीयर प्लान्ट बैठाने का जो अधिकार है, कार्य क्षेत्र है वह केन्द्र सरकार का है क्योंकि इतना रुपया भी उनको इन्वेस्ट करना है। 27-28 हजार करोड़ रुपया और बाकी जो यूरेनियम वगैरह है वह सब उनको देना है। दूसरी एक बात, इसकी विशेषता यह भी है माननीय अधिष्ठाता महोदय, कि विशेषज्ञ यह कहते हैं कि जैसे-जैसे यह पुराना होता जाता है इसका प्रोडक्शन, वैसे-वैसे इसकी लागत कम आती है। तो यह भी प्रदेश की जनता के लिये एक अच्छी बात होगी कि लगातार जो विद्युत दरों में इजाफा करने की आवश्यकता होती है उस पर भी ब्रेक लगेगा और जो इसकी कास्टिंग है, लागत मूल्य वह भी कम आयेगा। इस पर आप कुछ कह दें कि प्रयास करेंगे कि नहीं करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि भारत सरकार की योजना है और भारत सरकार द्वारा ही यह संभव है। मैंने माननीय श्यामदेव राय चौधरी जी को सुना। यह नियम-56 में नहीं आती है इसलिये अग्राह्य करता हूं। यह एक सूचना है उन्नाव के ग्राम आटा एवं अन्य ग्रामों की भूमि टेनरी।

नियम 103 के प्रस्ताव तथा नियम 52 की चर्चाओं को स्थगित किए जाने तथा नियम 51 के वक्तव्य को उत्तरित मानते हुए कार्यस्थगन की सभी सूचनाओं को सुने जाने का अनुरोध।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। अगर संसदीय कार्य मंत्री सहमत हो जाएं तो आज इस सत्र का आखिरी दिन है, नियम-56 और 311 जो लोगों के आये हैं वो लिये जा सकते हैं। आप अगर कार्य सूची देखें तो इस समय मद संख्या 17 चल रही है। मान्यवर, इसके बाद या तो जो चलने वाले प्रस्ताव हैं वो हैं या नियम-51 के वक्तव्य हैं। नियम-51 के वक्तव्य आप उत्तरित मान लें और जो चर्चाएं हैं उनको अगले सत्र के लिये चालू मान लें। (माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर कि कभी चर्चाओं के लिए मौका ही नहीं मिलेगा) मान्यवर, मेरा एक सुझाव है बाकी तो व्यवस्था आप दें।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, तिवारी जी ने जो सुझाव दिया है वह ठीक है।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, नियम 56 और 311 की सब ले लें आज। दो-दो मिनट बोल लें लोग।

नियम 311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

डॉ0 अनिल चौधरी–

मान्यवर, मेरी सूचना है।

श्री कौकब हमीद खां–

डॉ0 अनिल चौधरी जी की सुन लीजियेगा।

श्री अधिष्ठाता–

नियम 56 पहले लेते हैं। माननीय अनिल चौधरी जी, अभी मैंने नाम पुकार लिया है दूसरा यह उन्नाव वाली सूचना का। इसमें नाम है माननीय उदयराज यादव जी का, श्री दीपक कुमार जी का, श्री सुधीर कुमार जी का, श्री कुलदीप सेंगर और श्री सुन्दर लाल लोधी जी का। इसमें विषय एक है, आप लोग आपस में तय कर लें कोई एक व्यक्ति विषय को रख दे क्योंकि समय का अभाव है। (सदस्यों के एक साथ बोलने से शोर) अनिल चौधरी जी आपकी नोटिस इसके बाद लूँगा। माननीय कौकब साहब ने बात कही है और आपको इसके बाद प्राथमिकता पर ले लेते हैं।

श्री उदयराज–

माननीय अधिष्ठाता जी, तीन लोगों को सुन लीजिये। एक-एक मिनट में अपनी बात कहेंगे। इससे ज्यादा समय नहीं लेंगें।

श्री अधिष्ठाता–

एक मिनट का मतलब एक मिनट मानिये तब तो ठीक है।

*श्री उदयराज–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान उन्नाव जनपद की इतनी गम्भीर समस्या की तरफ ले जाना चाहता हूँ जिसके कारण शहरवासी तथा आसपास के लोग प्रदूषण से भयंकर रूप से प्रभावित हैं। मान्यवर, अभी हाल ही में जहां अभी एक दो फैक्ट्री के कारण पूरा जनपद, पूरा शहर जहां हम उन्नाव सीमा में प्रवेश करते थे, उन्नाव शहर के 3 किलोमीटर पहले से लेकर के जाजमऊ पुल तक जाने से एहसास हो जाता था कि हम लोग उन्नाव शहर के अंदर प्रवेश कर गये हैं। वहीं वर्तमान सरकार ने हाल के दो चार दिनों के अंदर एक और बहुत बड़ा फरमान जारी करने का काम किया है। और वह फरमान यह है कि कानपुर की जितनी भी टैनरियां हैं उनको लाकर हम उन्नाव जनपद में जमीन अधिगृहीत करके शिफ्ट करने का काम करेंगे। वहां से हटाकर उन्नाव में स्थापित करने का काम करेंगे। मान्यवर, मैं केवल एक दो फैक्ट्रियों का जिक्र करना चाहता हूँ। बंथर गांव में जे0 एस0 इन्टरप्राइजेज नाम की एक फैक्ट्री है जहां पर प्रतिदिन कम से कम एक हजार जानवरों को काटने का काम किया जाता है। इतना ही नहीं यह टेनरी मालिकान इतने सशक्त हैं कि प्रदेश सरकार के एक मंत्री, काबीना मंत्री, फैक्ट्री पर छापा मारने के लिए गए। मान्यवर, दो घंटे तक फैक्ट्री के अन्दर, माननीय दुग्ध विकास मंत्री जी प्रवेश नहीं कर पाए। मान्यवर, इतना ही नहीं किस तरीके से उन्नाव जनपद के किसानों का शोषण हो रहा है। मान्यवर, आज से दो वर्ष पहले यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 ने वहां पर एक जमीन अधिग्रहण करने का काम किया था। सरकार ने वहां पर किसानों को, जिन लोगों की जमीन अधिग्रहण की गई मान्यवर, उन गांव के नाम है शंकरपुर, पिपरी, सनी, मनभावना आदि एक दर्जन गांव की जमीन को अधिग्रहण करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने कराने का किया है। मान्यवर, उस जमीन के आज हालात यह है कि वह जमीन कागजों पर किसानों से स्थानान्तरित करके यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 के नाम कर दी गई, यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 ने उस जमीन पर कब्जा करने का भी काम कर लिया। लेकिन मान्यवर, यह दुर्भाग्य है कि दो साल से अधिक का समय बीत जाने के बाद, और इतना ही नहीं हमारे जनपद के पूर्व सांसद और वर्तमान में जो राज्य सभा के सदस्य हैं, जब उन्नाव के किसानों ने आन्दोलन किया, तब वहां जाकर के घोषणा की कि साढ़े पाँच लाख रुपये प्रति बीघा हम किसानों को दिलाने का काम करेंगे। लेकिन यह दुर्भाग्य है उन्नाव के किसानों के साथ अन्याय हो रहा है आज कागजों पर यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 का नाम दर्ज हो गया, यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 ने जमीन पर कब्जा ले

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिया। आज तक किसानों को एक पैसा देने का काम नहीं किया गया। आज मान्यवर, वह एक दर्जन गांव के लोग जिनकी जमीन कब्जा कर ली गई, जमीन किसानों से ले ली गई, मान्यवर, वहां पर कम से कम दर्जन लोग बीमारी का इलाज उनके घर के लोग नहीं करा सके। क्योंकि न तो उनके पास खेती से कुछ उत्पादन करने का साधन था और न ही सरकार ने उनको मुआवजा दिया था।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

श्री उदय राज–

मान्यवर, पुनः सरकार ने निर्णय लिया है कि उन्नाव जनपद में सात सौ एकड़ जमीन लेकर के हम कानपुर की जो टेनरियां हैं उनको हम कानपुर से स्थानान्तरित करके उन्नाव में स्थापित करने का काम करेंगे। मान्यवर, कुछ अभी भी ऐसी फैक्ट्रियां हैं जिनके प्रदूषण से उन्नाव जनपद के लोग इस कदर परेशान है कि अक्सर लोग बीमार रहते हैं। अनेकों प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। तमाम लोग उस कानपुर रोड से जाते होंगे, कैसे उस जगह से जाते होंगे मान्यवर, गाड़ियों का शीशा बन्द करके तमाम मंत्री भी जाते होंगे मुँह पर रूमाल रखकर वहां से जाने का काम करते होंगे।

श्री अधिष्ठाता–

एक मिनट की जगह तीन मिनट हो गया है।

श्री उदय राज–

मान्यवर मैं कहना चाहता हूँ सरकार ने जो निर्णय लिया है वहां सात सौ एकड़ जमीन अधिग्रहीत करने का जो निर्णय लिया है उस निर्णय को वापस लेने का काम किया जाय। और आज से दो वर्ष पहले जो यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 ने जमीन अधिग्रहीत की है वहां के किसानों को भी मुआवजा दिलाने का काम किया जाय। धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता–

सुन्दरलाल जी संक्षेप में अपनी बात रखें। आपके जनपद का प्रकरण है लेकिन आप उसको दोहराये नहीं। एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

*श्री सुन्दर लाल लोधी–

मान्यवर, जनपद उन्नाव में पहले से यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 ने चार सौ एकड़ जमीन अधिग्रहीत की और उस अधिग्रहण में मात्र 6 फैक्ट्रियां खोली। बीच-बीच में जब सदन में यह बात आई तो उन्होंने एक पाल्यूशन बोर्ड बनाया और पाल्यूशन बोर्ड में जो 6 फैक्ट्रियां यह थी इनको समायोजित करके एक पाल्यूशन बोर्ड बनाया उन्हीं की मनमानी कर दी। यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 ने लेदर पार्क के नाम पर जमीन तो अधिग्रहीत की, परन्तु उसने इतनी बड़ी फैक्ट्रियों को दे दी कि उसमें हजारों जानवर काटे जा रहे हैं। यह परमीशन भले राष्ट्र सरकार द्वारा जो उस समय भारतीय जनता पार्टी की थी उसने इसको सनातन हाउस खोलने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की अनुमति दे दी आज स्थिति यह है कि जो हजारों जानवर काटे जाते हैं तो उनके पेट में जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को निकालकर के जे0 सी0 वी0 मशीन से खोदकर वहीं पर गाड़ देते है पूरा क्षेत्र तबाह है। दूसरी ओर उच्च न्यायालय ने यह आदेश कर दिया कि कानपुर में जाजमऊ की टेनरियां यहां से हटाई जाएं। जाजमऊ में उन्नाव के बीच में गंगा नदी नहीं है गंगा नदी के उस पार जाजमऊ है और इस पार उन्नाव है। हमारे शासन ने उस आदेश को पालन करने के लिए वहां की टेनरियां हटाने का मन बनाया और अभी तीन दिन हुआ हमारे सरकार के प्रमुख सचिव ने एक आदेश निकाल दिया कि 700 एकड़ जमीन और अधिग्रहीत कर ली जाए, उस 700 एकड़ जमीन को अधिग्रहीत करने के ऊपर वहां एक आन्दोलन सा छिड़ गया है, बड़ी समस्याएं पैदा हो गई है और आज से कुछ वर्ष पहले 400 एकड़ जो जमीन परचेज की गई थी, उसमें 50 एकड़ ग्राम समाज की जमीन थी, उस जमीन के लिए भी यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 ने वायदा किया था कि हम इसका मुआवाजा देंगे। जब जिलाधिकारी, उन्नाव ने उस मुआवजे को मांगा कि जो मुआवजा बनता हो, 10, 20, 50 करोड़, जितना भी बनता हो, वह दिया जाए तो यहां से जिलाधिकारी, उन्नाव के नाम पत्र लिखकर गया कि लेदर काम्प्लेक्स की स्थापना हेतु ग्राम बंथर ग्राम सभा की जमीन का बजारू मूल्य देने के सम्बन्ध में उपरोक्त विषयक प्रकरण, विकास खण्ड सिकन्दरपुर, जिला उन्नाव के पत्र दिनांक 8-5-02 की छाया प्रति संलग्न करते हुए कहा गया कि कृपया इसका अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके अन्तर्गत यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0, कानपुर द्वारा ग्राम बंथर पुनर्ग्रहीत कराई जा रही जमीन, कई एकड़ में जो बजारू मूल्य पर पूंजीकृत मूल्य जो शासनादेश संख्या 258-16 (1)-19/रा-1, दिनांक 16-6-81 के प्रस्तर 3 (9) निर्धारित होकर, लेखा शीर्षक 029-भूराजस्व-5-अन्य प्राप्तियां 8 मालखाना राजस्व–च–प्रकीर्ण में उन्होंने कहा कि हम गांव की सड़कों का डामरीकरण कराने में विद्युतीकरण में, पेयजल की सुविधा में, सामुदायिक केन्द्र आदि में गांव को सुविधा देंगे, यह सुविधाएं दिलाने का काम करेंगे। लेकिन मान्यवर, एक ढेला भर काम नहीं हुआ, उन्होंने जमीन छोड़ रखी थी कि इसमें हम ग्रीन बेल्ट लगायेंगे, उस ग्रीन बेल्ट को भी यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 लाखों, करोड़ों रूपये में बेंचे दे रही है। मान्यवर, हम आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार से निवेदन करेंगे कि इस अनियमितता को रोकने का काम करे। मै इस पर बल देते हुए, चर्चा कराये जाने की मांग करता हूँ, धन्यवाद।

*श्री कुलदीप सिंह सेंगर–

मा0 अधिष्ठाता जी, मैं अपने साथी भाई उदयराज यादव जी और सुन्दर लाल जी की बातों पर बल देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के एक महत्वपूर्ण विभाग यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 के उस तुगलकी आदेश को रोकने की मांग करते हैं, आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से जिसके आदेश के तहत् बंजर के अगल-बगल के कम से कम एक दर्जन गांवों की कृषि योग्य भूमि अधिग्रहीत कर ली जायेगी तो वहां के निवासी भुखमरी की ओर अग्रसर होंगे और उसके तहत्

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उन्नाव जनपद में प्रदूषण के तहत् जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण और तमाम गांवों में भुखमरी की स्थिति पैदा हो जायेगी और जिस तरीके की स्थिति पिछली जो टेनरियां स्थापित की गयी थीं, उसमें जिस तरीके से उन्नाव की संस्कृति का, उन्नाव में प्रदूषण युक्त जल को बढ़ाने का काम किया गया है अगर और टेनरियां स्थापित की गयीं, टेनरियां की बाढ़ वहाँ पर पैदा की गई तो और स्थिति भयावह हो जायेगी तो अधिष्ठाता महोदय, हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि इस भूमि को अधिग्रहीत करने वाले आदेश को निरस्त करने की आप सिफारिश करें और सरकार से मांग करते हैं कि इस आदेश को रोकने की कृपा करे।

(श्री इरफान सोलंकी के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

अब आप नए सदस्य हैं, केवल एक मिनट में अपनी बात कह लीजिए, ग्राह्यता पर इतने लोग थोड़े ही बोलते हैं।

*श्री इरफान सोलंकी–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, क्योंकि मामला टेनरी एसोसिएशन का है, मेरी भी एक छोटी सी टेनरी है। जाजमऊ में यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 के जो आदेश आए हैं, सचिवालय द्वारा कि इनको उन्नाव ले जाया जाए। हमारे यहां पर स्माल टेनरी एसोसिएशन, यू0 पी0 लेदर इन्डस्ट्रीज और जाजमऊ टेनर्स वाले कुछ सदस्य पिछले 2-3 महीने पहले यूरोप गए थे, वहां एक कितली जगह है, वहां पर उन्होंने देखा कि पानी को कैसे वापस करके इस्तेमाल किया जा रहा है और इसका गंगा प्लान में 1500 करोड़ का प्लान्ट लगा भी है, जिसके लिए पूरा टेनरी एसोसिएशन पैसा भी देता है, सन् 1995 में यह लगा था, लेकिन अभी तक उसकी सर्विस नहीं हुई है जिसकी वजह से यह हालत बन गई है कि गंगा में गन्दा पानी जा रहा है और गंगा को प्रदूषित किया जा रहा है। यह आसान काम नहीं होगा। एक हरे भरे पेड़ को एक जगह से निकालकर दूसरी जगह लगाया जायें। मान्यवर, यह अभी भी सही हो सकता है बात अभी भी इतनी दूर नहीं गयी है कि टेनरीज एसोसिएशन या टेनरी को सही नहीं किया जा सकता। अगर सरकार चाह ले तो अभी भी प्रदूषण के आदमी मिलकर उसको सही करने का काम कर सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे ? मैंने माननीय मंत्री जी उदयराज यादव जी, श्री कुलदीप सिंह सेंगर जी, श्री सुन्दर लाल लोधी जी, श्री इरफान सोंलकी जी को सुना, यह सूचना नियम 56 में नहीं आती है, इसलिए इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ और इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।

*डॉ0 अनिल चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी, आभारी हूँ कि आपने मुझे ग्राह्यता पर बोलने के लिए वक्त दिया। मान्यवर, एक बहुत गंभीर प्रश्न लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। सामने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की तस्वीर जिसके नीचे आप अवस्थित हैं और इन्हीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

महात्मा गांधी जी का ग्राम स्वराज का एक सपना था कि गांव अपना शासन खुद स्थापित करेंगे। उस सपने को आगे बढ़ाने के लिए आचार्य विनोबा भावे, श्री जय प्रकाश नारायण जी, चौधरी चरण सिंह जी जैसे मनीषियों ने अपने जीवन को पूरी तरह होम कर दिया और आज इस शासनकाल में इस सूबे के लगभग 5 हजार गांवों को इस पंचायती राज व्यवस्था से अलग करने का काम किया जा रहा है। मान्यवर, प्रदेश के अन्दर विभिन्न औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, लीडा, गीडा और सीडा और 4, 6 के नाम मुझे याद नहीं आ रहे हैं। मान्यवर, इसके अलावा आवास और शहरी नियोजन विभाग है वह बहुत सारी अधिसूचनाएं जारी कर रहा है। पिछले दिनों एक अधिसूचना जारी हुयी यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के विस्तारीकरण की, 21 जुलाई, 2009 को, और उसके अंदर यह अधिसूचित किया गया कि 850 गांव जो चार जनपदों की 7 तहसीलों में फैले हुए हैं, पूरी की पूरी तहसील की अधिसूचना से एक औद्योगिक नगरी का गठन कर दिया गया है। सबसे खास बात यह है कि मैंने इसी सदन में 7 अगस्त, 2009 को कार्यस्थगन के माध्यम से जब यह प्रश्न उठाया तो उसके उत्तर में विशेष सचिव, मार्कण्डेय सिंह जी ने मुझे लिखकर अवगत कराया कि नोएडा से आगरा तक प्रस्तावित यमुना एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है प्रायः यह देखने में आता है कि राष्ट्रीय राजमार्गों एवं एक्सप्रेस वे के साथ.साथ जनसामान्य द्वारा अवैध निर्माण व अनियंत्रित विकास करने की प्रवृत्ति रहती है। इसी कारण इस एक्सप्रेस वे के आसपास के क्षेत्र में अनियोजित विकास को नियंत्रित करने हेतु ही जनपद अलीगढ़, महामायानगर, मथुरा, आगरा के साढ़े आठ सौ गांवों को प्राधिकरण के क्षेत्र में अधिसूचित कराया गया है। जिससे कि कालांतर में एक्सप्रेस वे के आसपास के क्षेत्र का सुनियोजित विकास किया जा सके। मान्यवर, मेरा एक प्रश्न यह भी था, तो इसका दूसरा उत्तर दिया गया कि इस अधिसूचना से किसानों के सामने रोजी-रोटी का कोई प्रश्न खड़ा नहीं होगा। प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में उक्त 850 गांवों को केवल अपनी अधिसूचित क्षेत्र में ही सम्मिलित किया गया है यह भी उल्लेखनीय है कि यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा सर्वप्रथम जनपद गौतमबुद्ध नगर व बुलन्दशहर के अपने अधिसूचित 169 गांवों के लगभग 44 हजार हे0 भूभाग पर विकास कार्य किया जा रहा है। जिसमें कई वर्षों का समय लगना संभावित है। मान्यवर, इस पर जरा गौर करियेगा, यानी कई वर्षों का समय तो जहां आप विकास कराने जा रहे है, उन जनपदों में लगेगा, इस भूभाग के विकास के उपरान्त ही वर्तमान में अधिसूचित कराये 850 ग्रामों का भविष्य में सुनियोजित विकास किया जाना संभव होगा। इन 850 गांवों में विकास के लिए संभवतः 4, 6, या 10 साल का वक्त लगेगा, इस बात को शासन स्वीकार करता है और मान्यवर, दूसरा कार्यस्थगन में इसी सत्र में लाया था 1 फरवरी को, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी उत्तर दिया था। यानी इन गांवों के अंदर अभी इनके पंचायत सिस्टम को तो खत्म कर दिया जायेगा और कैसे खत्म कर दिया जायेगा वह भी इस सदन की कार्यवाही का अंश है। मेरा एक अतारांकित प्रश्न सं0 136, 28 जनवरी को लगा हुआ था और उसके उत्तर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहां उत्तर दिया, मेरा सवाल था कि क्या शासन द्वारा उक्त ग्रामों में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के अधिकार उत्तर प्रदेश

औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 12 (ए) के अनुरूप समाप्त कर दिये गये तो मान्यवर, उत्तर था, यमुना एक्सप्रेस वे और औद्योगिक विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास विभाग की अधिसूचना सं0 675-77-4-08 के परंतुक के अधीन औद्योगिक नगरी घोषित की गयी है। उक्त अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट औद्योगिक नगरी किसी पंचायत क्षेत्र से अपवर्जित रहेगी तथा किसी पंचायत का गठन नही किया जा सकेगा और इस क्षेत्र वह उसके भाग के लिए कोई पंचायत जो उनके औद्योगिक नगरी घोषित किये जाने के पूर्व गठित की गयी हो, अस्तित्वहीन हो जायेगी। यानी इन अधिसूचित ग्रामों मे जिसकी संख्या 1991 है और मान्यवर, आगरा महानगर योजना है, उसमें अधिसूचित गांवों की संख्या 102 है और मान्यवर, हेकड़ा, बागपत, बड़ौत विकास प्राधिकरण की अधिसूचना है, उसमें अधिसूचित गांवों की संख्या 69 है। इसी तरह से और योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से मुझे ज्ञान नहीं है लेकिन मेरा मानना है कि सूबे के अंदर कम से कम 5000 ग्राम पंचायतों की, क्षेत्र पंचायतों की और जिला पंचायतों की पीड़ा को इस सदन में रखने का काम मैं कर रहा हूँ।

श्री अधिष्ठाता--

कृपया, संक्षेप में रखने का प्रयास करें।

डॉ0 अनिल चौधरी--

मान्यवर, यह बड़ा गंभीर प्रश्न है, मैं एक शब्द भी इधर उधर नहीं जाऊंगा। केवल और केवल इस सदन की कार्यवाही में रखने योग्य ही बात करूंगा।

श्री अधिष्ठाता--

आप अच्छे वक्ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है।

डॉ0 अनिल चौधरी--

सबसे बड़ी बात यह है कि ग्राम पंचायतें, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों पर ही जिम्मेदारी होती है कि वो विकास कार्यों को संचालित करें। लोक कल्याणकारी योजनायें, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा आवास, महामाया आवास, वनों का आच्छादन, मिड डे मील और अन्य बहुत सारी योजनायें पंचायती राज के द्वारा ही क्रियान्वित गांवों में की जाती है। मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने उत्तर में यह स्वीकार किया है कि इन 850 गावों में तो लंबे समय तक कोई विकास की योजना ही नहीं है। यानी से जहां से विकास हो रहा था, जहां से लोक कल्याणकारी योजनायें चल रही थी, उनको आपने समाप्त कर दिया और दूसरी किसी एजेंसी को जिम्मेदारी भी नहीं दी गयी। ऐसा सौतेला व्यवहार इन गांवों के साथ क्यों हो रहा है ? और मान्यवर, इससे भी गंभीर प्रश्न जो मैं उपस्थित कर रहा हूँ कि यह सरकार अपने कानून को अपने हाथ में लेने का काम कैसे करती है ? मान्यवर, धारा 12 ए यू0 पी0 इण्डस्ट्रियल डेवेपमेण्ट ऐक्ट 1976 की जिसके मुताबिक माननीय मुख्यमंत्री ने यह स्वीकार किया कि 30 जून, 2008 के पश्चात् क्योंकि 30 जून 2008 को अधिसूचित की गयी है, उसके पश्चात् सारी ग्राम सभायें, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत इस क्षेत्र में अस्तित्वहीन हो गयी। मान्यवर, हमने ऐसा नहीं है कि सरकार को चेताया न हो, 12 अक्टूबर को महामहिम राज्यपाल जी

को, हमने अपने राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद जयंत चौधरी जी के साथ राष्ट्रीय लोकदल के सारे विधायकों ने जाकर यह ज्ञापन दिया कि यह समस्यायें है और उस ज्ञापन में इस धारा 12 ए का स्पष्ट उल्लेख किया लेकिन मान्यवर, चूंकि इन्हें अपनी एम0 एल0 सी0 चुनाने थे स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र से 28 जनवरी को तो मुख्य मंत्री इस सदन में खड़े होकर के स्वीकार करती है कि यह तीनों स्तर की पंचायतें इन क्षेत्रों में नहीं है, लेकिन मान्यवर, जब दिसम्बर माह में विधान परिषद् के चुनाव के लिए स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र से विधान परिषद् के चुनाव के लिए जब मतदाता सूचियां बनाई जा रही थी, उस वक्त इस बिन्दु पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया और अगर यह 30 जून, 2008 का मुख्यमंत्री जी द्वारा उत्तरित प्रश्न है कोई अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा हूँ, अगर 30 जून, 2008 को ये ग्राम सभायें, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अगर अस्तित्वहीन हो गई थीं तो फिर इन पाँच जो एम0 एल0 सी0 इन क्षेत्रों से चुन कर आये और कारण कुछ भी हो सकते है, लेकिन पाँचों सत्तारूढ़ दल के है और उन्हीं की नेता सदन यह उत्तरित करती है कि इन क्षेत्रों में रहने वाले ग्राम पंचायतें अस्तित्वहीन थे, तो उनके प्रधानों ने, बी0 डी0 सी0 ने, जिला पंचायत ने वोट देकर जिन एम0 एल0 सी0 को चुना है क्या वह गैर संवैधानिक नहीं चुन कर आ गये, ऊपर के सदन में आकर बैठ गये। मान्यवर, मैं सिर्फ इस प्रश्न की ओर ध्यान दिलाते हुए मैं चाहूँगा कि सरकार आज ही घोषणा करे और यह संवैधानिक संकट भी है कि आपने पाँच-पाँच ऐसे जन. प्रतिनिधियों को ऊँचे सदन में बैठा दिया जो एक गलत मतदाता सूची से चुनकर के आये है। मैं आज इसी सदन में आपसे यह आश्वासन चाहूँगा, संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हुए है, उनसे कहें कि पूरी अधिसूचना को रद्द करने का काम करें और किसान के ऊपर डकैती न डालें। यह जो अधिसूचनाएं जारी हो रही है, इन अधिकारियों द्वारा इनका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं। बस की सीट पर हम जब जाते है तो एक रूमाल या रद्दी अखबार रख देते है कि इसमें कोई दूसरा आकर न बैठ जाए। यह उन इलाकों को घेरने का काम कर रहे है जहां से तीन-तीन फसल एक साल में आती है। किसान की लूट मचा रखी है। मान्यवर, यह सबसे बड़ी अधिसूचना है, 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल इसमें अधिसूचित किया गया है। मान्यवर, मैं अपनी ग्राह्यता पर बल देते हुए चर्चा कराये जाने की मांग करता हूँ और आपसे यह भी संरक्षण चाहूँगा कि पीठ से सरकार को यह निर्देश दें कि इस संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट करें कि क्या यह चुनाव गलत था या जो यह मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया उत्तर है, यह गलत है। इस अधिसूचना को वापस लेने का काम करें, धन्यवाद।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी–

मान्यवर, सिर्फ दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूँगा।

श्री अधिष्ठाता–

नोटिसों में नाम तो सबके है, लेकिन सबको सुन पाना सम्भव नहीं है।

डॉ0 अजय तोमर–

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है।

श्री अधिष्ठाता–

डॉ0 साहब, मैंने आपके कहने पर, आपको जाने की जल्दी भी थी कहीं पर, इसलिए मैंने आपको प्रीवलेज दिया और इसलिए केवल एक व्यक्ति को बोलने के लिए ही इसमें माननीय अध्यक्ष जी का भी निर्देश था।

मा0 सोलंकी जी, आप बहुत ज्यादा बोलते है, मेहरबानी करके केवल दो मिनट में ही अपनी बात खत्म कर दें। ध्यान रहे, केवल ग्राह्यता पर बोल रहे है, इस पर चर्चा नहीं हो रही है।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपको धन्यवाद, आपने मुझे इस ज्वलन्तशील समस्या पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सरकार को सुझाव भी देना चाहता हूँ कि हम लोग भी इस प्रदेश के विकास में बाधा नहीं बनना चाहते हैं। हम भी चाहते है कि प्रदेश का विकास हो और देश में अच्छी सड़कों का निर्माण हो और जब सड़कों का निर्माण होगा, तो जमीन कर अधिग्रहण भी करना पड़ेगा, उसके बिना सड़कें नहीं बनेगीं, लेकिन सड़को का निर्माण करने के लिए सड़कों के एक्सप्रेस हाईवे बनाने के लिए जमीन लेने की बात तो समझ में आती है, लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि उसके आस–पास का कई किलोमीटर, 10 किमी0/40 किमी0 तक का क्षेत्रफल जो लिया गया, जो साढ़े आठ सौ गांवों की सम्पूर्ण भूमि, उसमें लेने का काम सरकार ने किया, जो अधिसूचना जारी की, उसमें क्या डेवलप करना चाहते है और वह भी सरकार खुद डेवलप नहीं करना चाहती, एक किसी प्राईवेट बिल्डर के द्वारा, एक बड़े औद्योगिक घराने के द्वारा उसको जमीन देकर, डेवलप कराने की योजना है। कितने साल में वह डेवलप होगी, इसकी भी कोई व्यवस्था नहीं है। सारा पंचायती सिस्टम जो केन्द्र सरकार की सारी सुविधायें है, माननीय डॉ0 चौधरी जी ने दोहरा दिया मैं नहीं दोहराऊंगा, वह सारी सुविधायें बन्द होने का काम इन गांवों में हो जायेगा। तो मान्यवर, यह जो अधिसूचना है, इसमें माननीय मंत्री जी से मैं चाहूँगा आपके माध्यम से कि सरकार खाली एक्सप्रेस हाईवे के लिए जो जमीन की आवश्यकता है, उसको लेने पर विचार करे, उसे लेने का काम करे, बाकी जमीन को किसानों के हक में छोड़ने का काम करे। उन किसानों की रोजी–रोटी के बारे में भी सोचने का काम करे। उनकी जमीन ले ली जाएगी, किसान कहां जायेगा। सबसे प्यारी चीज जो होती है किसान की वह उसकी जमीन होती है, किसी भी कीमत पर किसान अपनी जमीन छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन आज सरकार जबरदस्ती हजारों, लाखों किसानों की जमीन लेकर एक औद्योगिक घराने को देने का काम कर रही है, जो किसानों के हित की बात नहीं है, किसान विरोधी यह काम हो रहा है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

क्या अब भी जमीन ली जा रही है ?

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी–

सारी जमीन ली जा रही है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी कह रहे है कि जमीन नहीं ली जा रही है इतना ही कहलवा दें कि सरकार जमीन देने का काम नहीं कर रही है। जब आपने कहां है माननीय मुख्य मंत्री जी ने जवाब में कि जमीन के अधिग्रहण करने की अधिसूचना जारी हो गयी कि जितने जिला पंचायत सदस्य है, जितने क्षेत्र पंचायत सदस्य है, जितने ग्राम प्रधान है सबके पद अस्तित्वहीन हो चुके है, अब वहां कोई अस्तित्व में है नहीं यह मुख्य मंत्री जी का जवाब है विधान सभा में। वहां जिला पंचायत नहीं है, क्षेत्र पंचायत नहीं है, ग्राम पंचायत नहीं है और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे है कि हम जमीन नहीं ले रहे है। जमीन नहीं ले रहे है तो अधिसूचना को रद्द कर दें। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत–बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे अपनी बात को रखने का मौका दिया।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, माननीय तोमर जी ने भी जमीन अधिग्रहण का प्रश्न नहीं उठाया इन्होंने कहा कि उसको यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित किये जाने से वहां विकास की योजनायें प्रभावित हो रही है गांव, पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो गया है। मान्यवर, इस सम्बन्ध में मुझे अवगत कराना है कि ग्रामों में वर्तमान में संचालित ऐसी सभी कल्याणकारी योजनाएं यथावत चलती रहेंगी जिनमें शहर व गांव का अन्तर नहीं है। उक्त अधिसूचित क्षेत्र का मास्टर प्लान तैयार करके त्वरित व सुनियोजित विकास किया जायेगा। इसके अतिरिक्त सभी विभाग अपनी-अपनी कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करेंगे। इस प्रकार मान्यवर, अधिसूचना प्रभावित ग्रामवासियों के सामने किसी प्रकार की समस्या नहीं है। और जहां तक कार्य–स्थगन का सवाल है यह कार्य–स्थगन का प्रश्न नहीं पैदा होता इसलिए इसको अग्राह्य कर दें।

डॉ0 अनिल चौधरी–

मान्यवर, 20 जून, 2008 से यह पंचायतें अस्तित्वहीन हो गयी है तो उसके बाद जब वहां पर पंचायतों का अस्तित्व नहीं है तो उन्हीं को मतदाता सूची में दिसम्बर, 2009 में मतदाता सूची में सम्मिलित करके चुनाव कैसे करा दिया गया, प्रश्न यह उपस्थित होता है। इस पर आपका संरक्षण चाहेगें, इसका स्पष्ट उत्तर दिलवा दें।

श्री कौकब हमीद खाँ–

मान्यवर, एम0 एल0 सी0 बनायें है वह बैठे हुए है कौंसिल के अन्दर।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, चुनाव कराना और मतदाता सूची बनाना यह भारत निर्वाचन आयोग का काम है और उन्होंने उस स्थिति में जो निर्वाचित लोग होंगे, सूची बनाई होगी, इस माध्यम से उसका उत्तर तो दिया नहीं जा सकता वह कोई प्रदेश सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है निर्वाचन सूची, मतदाता सूची।

श्री अधिष्ठाता–

डॉ0 अनिल चौधरी जी का और कौकब हमीद खाँ जी का कहना है कि उन गांवों का अस्तित्व ही समाप्त हो चुका है और उन गांवों से पंचायत प्रतिनिधि मतदाता रहे हैं जिन्होंने अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव भी किया है उस संदर्भ में आपसे जानकारी चाहते हैं।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, यह हमारे अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं है मतदाता सूची में नाम सम्मिलित कराना भारत के निर्वाचन आयोग का काम है और भारत के निर्वाचन आयोग ने अपने अधिकारियों के माध्यम से यह सूची बनवाई होगी उसमें आपत्ति करने का भी समय था और जब सूची बन गयी तो उसमें आपत्ति इस समय तो नहीं किया जा सकता।

डॉ0 अनिल चौधरी–

लेकिन मान्यवर, यह तो औद्योगिक विकास प्राधिकरण और शासन की जिम्मेदारी थी कि अधिसूचना हो गयी और उन ग्राम पंचायतों में यह अस्तित्वहीन हो गयी ...

श्री अधिष्ठाता–

मैंने इस सूचना पर माननीय डॉ0 अनिल चौधरी तथा चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी जी को सुना, यह सूचना नियम 56 में नहीं आती, इसलिए इसे अग्राह्य करते हैं।

श्री कौकब हमीद खाँ–

मान्यवर, यह सरकार सही जवाब देने में सफल नहीं हुयी है। यह सरकार किसान विरोधी है और किसानों की हत्या कर रही है, जमीनें खत्म कर रही है तो इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन से बर्हिगमन करते हैं।

(श्री कौकब हमीद खाँ अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया)

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, यह सरकार किसान की हितैषी है, इससे तो वहां का विकास ही किया जायेगा।

(श्री दुर्गा प्रसाद यादव का नाम पुकारे जाने पर)

लखनऊ के शहीद स्मारक स्थल पर महिला कांग्रेस पर बर्बर लाठी चार्ज तथा नेताओं की गिरफ्तारी किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था, उस समय उन्होंने मुझे उठने नहीं दिया था। सिर्फ मुझे यह कहना है कि मुझे अभी एक सूचना मिली है, कुछ विधायकों ने मुझे बताया है, मैं इस पर शासन से व्यवस्था चाहता हूँ कि शहीद स्मारक पर महिला कांग्रेस पर बर्बर लाठीचार्ज हुआ है और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभा ठाकुर तथा प्रदेश अध्यक्ष, डॉ0 रीता बहुगुणा जोशी जी गिरफ्तार की गयी है। मान्यवर, मैं शासन से बस इतना जानना चाहता हूँ कि वह इस घटना के बारे में शासन से जानकारी मंगा लें और सदन उठने से पहले यह बता दें कि क्या वहां कोई बर्बर लाठीचार्ज हुआ है या नहीं हुआ है। मान्यवर, अगर महिलाओं पर बर्बर लाठीचार्ज हुआ है तो यह निन्दनीय है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, क्या ऐसी कोई जानकारी आपके पास है ?

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)–

अभी तक तो कोई जानकारी नहीं है मान्यवर।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मंगवा लें जानकारी और सदन उठने से पहले बता दें।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, क्या इस संदर्भ में जानकारी प्राप्त हो पायेगी सदन उठने तक।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, फोन करके एस0 एस0 पी0 से पूछ सकते है, डी0 आई0 जी0 से पूछ सकते है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय प्रमोद जी, आप तो सीधे तौर पर, स्टेट नहीं तो क्रास भी होता है। तो अगर कुछ मेहरबानी माननीय मंत्री जी की हो जाय। आपने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसके संदर्भ में माननीय मंत्री जी आप मुझे क्यों बीच में डाल रहे हैं। आप माननीय प्रमोद तिवारी जी को आश्वस्त कर दें कि सदन उठने से पहले यह जानकारी उपलब्ध हो पायेगी कि नहीं हो पायेगी।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, चाहेगें तो दो मिनट में हो जायेगी। यह तो लखनऊ का प्रकरण है। हमारे विधायक देखकर आये हैं।

श्री अधिष्ठाता–

आज के समय में तो यह पूरे प्रदेश के किसी भी कोने से दो मिनट में जानकारी हासिल कर सकते है। मैंने आपकी बात को माननीय मंत्री जी तक पहुंचा दिया। अब माननीय मंत्री जी उस पर आवश्यक कार्यवाही करना चाहेगें तो।

नियम–311 की नियम–56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

(श्री दुर्गा प्रसाद यादव का नाम पुकारे जाने पर)

श्री विनोद चतुर्वेदी–

मान्यवर, मेरा भी एक विषय था।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय चतुर्वेदी साहब, इसके बाद आपका नम्बर है।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के गंभीर विषय पर बोलने का मौका दिया। मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, मैं अपने

आजमगढ़ जिले की बात कहना चाहता हूँ। आजमगढ़ जिला बहुत बड़ा जिला है। वहां आज बिजली की भारी कटौती हो रही है। इसलिए मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे विधान सभा क्षेत्र के अंदर एक सब–स्टेशन राजकीय पालीटेक्निक है उसमें [illegible] कम 5-7 मोहल्ले है। जिसमें मोहल्ला हर्रा की चुंगी, मोहल्ला गुलामी का पुरा, [illegible]हल्ला कोट, मोहल्ला बाग बहादुर, मोहल्ला जलांधरी, मोहल्ला पहाड़पुर, मोहल्ला आराजीबाग, सभी उससे जुड़े हुए है। मगर वहां दिन में भी बिजली की कटौती होती है और रात को भी कटौती होती है जिससे बच्चों को पढ़ाई में भी परेशानी हो रही है और जनता को भी परेशानी हो रही है। मैंने कई बार फोन पर और स्वंय जाकर अधिकारियों से बात की मगर उनके कान पर जूं नहीं रेंग रहा है और वह केवल आश्वासन देते है। वहां की जनता ने रोड जाम कर चक्का जाम किया था जिस पर पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज करके, मार कर भगाने का काम किया। आज तक इस सरकार के कान में भी जूँ नहीं रेंग रहा है, न अधिकारियों के कान में जूँ रेंग रहा है। इसी तरह से बनकट फीडर है जो देहात में पड़ता है। वहां का किसान त्रस्त है। वहां अगर बिजली आती भी है तो केवल दो-चार घन्टे बिजली आयेगी और उसके बाद एक–एक हफ्ता तक बिजली गायब रहती है। इसी तरह से सोफीपुर सब–स्टेशन है वहां की हालत भी बहुत खराब है अगर वहां दो चार घंटा बिजली आयी तो हफ्ता 15 दिन तक बिजली गायब रहती है। इस समय सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 16 घन्टे बिजली किसानों को माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने दिया और 20 घन्टा शहरों को देने का काम किया था। लेकिन न कभी रोड जाम हुआ और न चक्का जाम हुआ। मगर यह सरकार जब से आई है तब से बिजली के नाम पर भारी कटौती हो रही है। माननीय ऊर्जा मंत्री जी बैठे थे वह चले गये उठकर, उनके यहां 24 घण्टा बिजली है। मा0 मुख्य मंत्री जी के क्षेत्र में 24 घन्टा बिजली है। मगर हमारे आजमगढ़ में बिजली की हालत सबसे बदतर हो चुकी है। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि वहां जो बिजली की व्यवस्था खराब है उसको सुधारने का काम करें और कम से कम 16 घन्टा बिजली देहातों को देने का काम करें और 20 घन्टा शहरों को देने का काम करें। राजकीय पालीटेक्निक का जो सब–स्टेशन है, अधिकारी कहते हैं कि यहां पर लोड बढ़ गया है। मान्यवर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि लोड बढ़ गया है तो उसकी क्षमता बढ़ाने का काम करें। अगर सरकार इस पर नहीं सोचेगी तो हम लोग समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता रोड जाम करने का काम करेंगे, जेल भरने का काम करेंगे। मैं इस गम्भीर विषय की ओर सरकार का ध्यान दिलाते हुए इस पर चर्चा कराने की मांग करता हूँ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने मा0 श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी को सुना, यह सूचना नियम 56 में नहीं आती है लेकिन यह समस्या है इस पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ, कृपया इसको दिखवा लेंगे।

श्री विनोद चतुर्वेदी–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे बुन्देलखण्ड के किसानों के बारे में बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, वैसे भी बुन्देलखण्ड की हालत बद् से बद्तर होती चली जा रही है है। पहले पांच वर्षों तक सूखा बुन्देलखण्ड के किसानों ने देखा और आज मान्यवर, इसी 15 दिन के अन्दर बुन्देलखण्ड के सातों जिलों में ओलावृष्टि हुई है। मान्यवर, जनपद जालौन में कालपी, कदौरा, माधौगढ़, नदीगांव में भयंकर ओलावृष्टि हुई। ललितपुर में मैहरोनी और बार क्षेत्र पूर्णतः नष्ट हो गये। मान्यवर, इसी तरह से चित्रकूट में ओलावृष्टि हुई, महोबा में भी ओलावृष्टि हुई। इन क्षेत्रों में किसानों की बहुत बुरी हालत हो गयी है। मान्यवर, किसानों ने पहले भी पांच वर्ष तक सूखा की मार खायी, केवल एक वर्ष 2008 में उनको कुछ फसल मिली, जिनमें उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप शादी-ब्याह से ले करके बच्चों की पढ़ाई-लिखाई की व्यवस्था हो पायी। जैसे–तैसे इस वर्ष लगता था कि फसल अच्छी आयेगी लेकिन फिर से प्राकृतिक आपदा ने ऐसा मारा है कि बाजरा, मसूर, मटर, सरसों सभी नष्ट हो गये। हमारा आपसे मान्यवर, अनुरोध है कि सरकार से ऐसी स्थिति में किसानों के लिए सहायतार्थ मा0 वित्त मंत्री जी से कहा जाय क्योंकि हमारे यहां के किसानों ने सरकारी ऋण लिया है। भारत सरकार ने तो नैशनलाइज बैंकों का जो 72 हजार करोड़ रुपया माफ किया था उसमें बुन्देलखण्ड के किसानों को बहुत राहत मिली थी। हमारा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जो सरकारी संस्थाओं से ऋण किसानों ने लिया है, अभी इसी साल उन लागों ने जो ऋण ले करके बुवाई की है, खाद लिया, उसमें जो नुकसान हुआ है उसमें हम चाहते हैं कि सरकार सहकारी बैंकों का ऋण बुन्देलखण्ड के किसानों का माफ करने की घोषणा करें। मान्यवर, वैसे भी बुन्देलखण्ड की हालत देख करके यह लगता है कि दैवीय आपदाओं से हम लोग जूझ रहे हैं। एक–आध साल अच्छा रहता है और फिर उसके बाद निश्चित रूप से प्रकृति कुछ न कुछ करती है। हमारा अनुरोध है कि बुन्देलखण्ड के किसानों ने जो ऋण लिया है उसे माफ किया जाय तथा जो अभी एक घोषणा मा0 मुख्य मंत्री जी ने की है 300 रुपए वाली की है। हम अनुरोध करते है आपके माध्यम से कि बुन्देलखण्ड में यह 01 मार्च से ही लागू कर दी जाय। एक अनुरोध हम आपके माध्यम से करना चाहते हैं कि उच्च जातियों के जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, अभी हमारे यहां दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के लिए ठेकों में आरक्षण किया गया। हम भी चाहते है कि उच्च वर्ग के जो बच्चे डिग्री लिये घूम रहे हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि सरकार घोषणा करे कि उन लोगों का भी ठेकों में आरक्षण हो, जिससे वह रोजी–रोटी कमा सकें। एक हमारा और निवेदन है कि जिस तरह से बुन्देलखण्ड के लिए पैसा दिया जा रहा है, सरकार घोषणाएं कर रही है लेकिन देखा जाये तो मूल रूप से वहां कुछ विकास नहीं हो रहा है। हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि सरकार बुन्देलखण्ड के लिए एक मंत्री गठन कर दे। बुन्देलखण्ड के विकास के लिए सरकार से जो पैसा जाता है। विभाग बना दिया जाये मान्यवर, जिस तरह जब उत्तराखण्ड जब अलग नहीं हुआ था उत्तर प्रदेश से तब उत्तराखण्ड के विकास के लिए एक विभाग बनाया गया था। हमारा अनुरोध है कि यह सरकार

भी एक विभाग बनाये बुन्देलखण्ड के विकास के लिए और एक मंत्री बैठाया जाये। मैं धन्यवाद देता हूँ आपको और सदन की कार्यवाही रोकर आपसे निवेदन करता हूँ।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने विनोद चतुर्वेदी जी को सुना, यह सूचना नियम 56 में नहीं आती है। इसलिए इसको अग्राह्य करते है।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा श्री अब्दुल वारिस खाँ साहब के नाम बुलाये जाने और न उपस्थित होने पर)।

श्री विनोद चतुर्वेदी--

सरकार से कुछ कहला तो दें मान्यवर।

श्री अधिष्ठाता--

सरकार को कहने के लिए इस पीट से बाध्य नहीं किया जा सकता।

श्री विनोद चतुर्वेदी--

बाध्य नहीं, हमारा निवेदन तो स्वीकार कर लें माननीय मंत्री जी।

श्री लालजी वर्मा-

सूचना आयी थी और उस पर मैंने कहा था कि उसका जिलाधिकारी से आकंलन कराया जा रहा है और जो उसकी गाइडलाइन है, अगर 50 प्रतिशत से ऊपर रहता है तो उसमें कार्यवाही की जाये।

श्री विनोद चतुर्वेदी--

यही मान्यवर, रोना है, जिलाधिकारी लिख दें 40 परसेन्ट भेज दें तो एक पैसा नहीं मिलेगा।

श्री अधिष्ठाता--

अब यह प्रश्न तो यहां पर नहीं आ पायेगा कि 50 परसेन्ट भेजेंगे या 40 भेजेंगे, लेकिन मा0 मंत्री जी ने यह कहा कि 50 प्रतिशत जो गाइडलाइन है। 50 प्रतिशत से ज्यादा की रिपोर्ट आयेगी, तब दैवीय आपदा की श्रेणी में उसको मानते हुए और उन्हें सुविधाएं और राहत देने का कार्य सरकार करेगी।

श्री विनोद चतुर्वेदी--

मान्यवर, 5 साल सूखा रहा, किसी ने भेजी कम परसेन्ट अब क्या भेजेंगे ? ये तो जो दिखायी दे रहा है उस पर कार्यवाही करें सरकार, जो देख रही है। बुन्देलखण्ड के यहां बहुत जनप्रतिनिधि बैठे हैं, उनको भी मालुम है और यहां सरकार में मंत्री भी है बुन्देलखण्ड के उनको भी मालुम है कि नुकसान हुआ है।

श्री अधिष्ठाता--

मा0 श्री सर्वेश कुमार सिंह को मैंने बुलाया है वह उपस्थित नहीं है। अब मैं श्री माधव पासवान की सूचना को लेता हूं। आपका प्रकरण जो है इस पर बोलना चाहेंगे कि शासन का ध्यान आकृष्ट करा दें।

श्री माधव पासवान--

मैं बोलना चाहूंगा।

श्री अधिष्ठाता–

एक मिनट में बोल दीजिये।

श्री माधव पासवान–

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, मान्यवर मेरे विधान सभा मुडेरा बाजार, 167 गोरखपुर मान्यवर, मेरे विधान सभा में एक गोरा नदी है। गोरा नदी के सीधे फ्रन्ट पर एक प्रेम नाला बहा है। मान्यवर, जब गोरा नदी में पानी आ जाता है तो वह प्रेम नाला पूरा ओवरफ्लो हो जाता है। मान्यवर, एक तरफ से तो राजधानी विधान सभा है। इधर से तो बंधे बंध गये हैं दूसरी तरफ जनरल रसूलपुर जनसभा है मान्यवर, वहां जो है आधा-अधूरा बंधा बंधा हुआ है, आधा बाकी है। मान्यवर, इसीलिए मैंने नियम 56 में लगाया था कि उसको आधा 1-2 किलोमीटर रह गया है मान्यवर। मैं चाहूंगा सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि उसको 1-2 किलोमीटर रह गया है। उसको बनवा करके जनता को राहत पहुंचाने का कार्य करें। मान्यवर, (इस समय 3 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।) वह एक पूरा ब्लाक है, ब्रह्मपुर ब्लाक यहां तक की मान्यवर, ब्रह्मपुर ब्लाक में पानी घुस जाता है और हम जानते हैं कि 4-7 ग्राम सभा डूब जाता है मान्यवर, मैं चाहूंगा कि मान्यवर, बंधा बंधवा कर के और गरीब जनता को राहत पहुंचाने का विचार करें। मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, जो मुझे बोलने के लिए मौका दिया। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसको अग्राह्य करता हूं।

मा0 अवधेश प्रसाद जी यह तो विषय आपने उठाया था एक बार और इस पर निर्देश भी हुए हैं।

श्री अवधेश प्रसाद–

नहीं मान्यवर, वह तो धरना चल रहा था। मान्यवर, स्थिति बदल गयी है। मान्यवर, 4 फरवरी से मान्यवर कर्मचारी अनशन कर रहे हैं। 24 लोग जो हैं कर्मचारी उनकी हालत खराब है और जिला अस्पताल खैराबाद में एडमिट हैं। श्रीमन्, यूं तो यह आन्दोलन दो महीने से ज्यादा समय से चल रहा है। जिसमें शिक्षक, वैज्ञानिक और कर्मचारी शामिल हैं। जब सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई तो कर्मचारियों ने मजबूरन आमरण-अनशन शुरू कर दिया है। इस सम्बन्ध में एक नया तथ्य सामने आया है कि मा0 उच्च न्यायालय ने आदेश भी दिया था कि कर्मचारियों के वेतन को दिया जाए। आज कहते हुए मुझे अफसोस हो रहा है कि इस सरकार ने मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों की भी अवहेलना किया है, तो मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि यह सिर्फ फैजाबाद का ही मामला नहीं है। इस विश्वविद्यालय में पूरे प्रदेश और देश के कोने-कोने से प्रतिभाशाली छात्र–छात्रायें आती हैं। परीक्षाओं का समय आ गया है और दो महीने से इस

विश्वविद्यालय में तालाबंदी है, चाहे वैज्ञानिक हों, शिक्षक हों, चाहे शोध करने वाले हों या कर्मचारी हों, अनशन पर बैठें हैं। .....

श्री अध्यक्ष–

अब आपकी बात आ गयी।

श्री अवधेश प्रसाद–

छात्रावास खाली हो गये हैं। श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि आप संरक्षण दें। यह कर्मचारियों का मामला है, चाहे इनके जो संबंधित प्रमुख सचिव हों उनको बुलवा लें और सरकार को इस पर एक निर्देश दें कि इस लोक महत्व के सवाल पर कर्मचारियों का ही सवाल नहीं है, छात्र-छात्राओं का सवाल नहीं है, इस पर एक व्यवस्था दें। मैं अपने इस काम रोको प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा की मांग करते हुए चाहता हूं कि सरकार उनके वेतन का भुगतान करें और अपने अड़ियल रुख को छोड़ने का काम करें।

श्री अध्यक्ष–

इस सूचना पर मैंने श्री अवधेश प्रसाद जी को सुना, यह सूचना नियम–56 में नहीं आती है, इसलिए इसे अग्राह्य करता हूं। यह सूचना इस सत्र में पहले भी आ चुकी थी लेकिन पुनः विश्वविद्यालय के हित में, कर्मचारियों के हित को देखते हुए इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं। इस विषय को माननीय मंत्री जी दिखवा लें।

मा0 राजेन्द्र प्रताप उर्फ मोती सिंह मौजूद नहीं हैं, इनकी सूचना अग्राह्य करता हूं। अगली सूचना जोखू लाल यादव जी की है। कृपया आप दो मिनट में अपनी बात कह लें।

डॉ0 पी0 के0 राय–

मान्यवर, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह जी की सूचना पर ध्यानाकर्षण करा दें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, उस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

*श्री जोखू लाल यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, यह पूरे प्रदेश के किसान मित्रों से जुड़ा हुआ प्रश्न है। प्रत्येक गांव में एक किसान मित्र की नियुक्ति होती है। यह नियुक्ति 1995 से की जा रही है और उनकी अर्हतायें भी है कम से कम इण्टर पास हो। पहले तो बी0एस0सी0 (एजी0) या इण्टरमीडिएट (ए0जी0) हो, यह उसकी अर्हतायें भी रखी हैं सरकार ने। 1995 से गांवों में नियुक्ति हुई है, जिस समय नियुक्ति हुई उस समय मानदेय नहीं मिलता था। वर्ष 2007 में इनको मात्र 1220 रुपये सरकार ने देना तय किया। मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी, बेचारे किसान मित्र इण्टर पास हैं। पहले तो यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मांगते हैं कि बी0एस0सी0 (एजी0) हो नहीं तो इण्टरमीडिएट (एजी0) हो। क्योंकि कुल भास्कर आश्रम डिग्री कालेज में मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी एजी0 के छात्र रहें हैं। मान्यवर, किसान मित्र 1220 रुपये प्रतिमाह पर उनका जो काम था वह करते थे लेकिन इधर सरकार 2008 से उनको मानदेय देना बंद कर दिया है। इसलिए यह किसानों, किसान मित्रों और सीधा किसानों से जुड़ा हुआ प्रश्न है। क्योंकि किसान मित्रों का काम होता है कि किसी तरह से जो सरकारी योजनायें हैं किसानों के लिए, किसानों को जानकारी देना और किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार को अवगत कराना। इस तरह से उनके काम थे और मान्यवर, 1220 रुपये मात्र पाते थे वह भी सरकार ने वर्ष 2008 से बंद कर दिया है आज जहां इतनी बड़ी बेरोजगारी की समस्या है वहीं यह बेचारे 1220 रुपये पर किसी तरह से काम कर रहें हैं वह भी सरकार नहीं देना चाहती है। यह हजारों किसान मित्रों से जुड़ा हुआ सवाल है, यह लोक महत्व का भी प्रश्न है, इसकी तात्कालिकता भी है इसलिए इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सारे नियमों को शिथिल करते हुए मैं चर्चा कराने की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

यह सूचना प्रदेश के किसान मित्रों के मानदेय का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। इस पर मैंने श्री जोखूलाल यादव को सुना यह किसान मित्रों से जुड़ा हुआ विषय है, इस पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

(श्री अमरमणि त्रिपाठी का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

श्री अध्यक्ष–

मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

(श्रीमती मिथिलेश पाल का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

श्री अध्यक्ष–

मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

*श्री अनूप सण्डा–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने उत्तर प्रदेश के उन लाखों लोगों से जुड़े हुए इस विषय को सदन में उठाने का अवसर दिया। जिनके घर में वृद्ध हैं, विवाह योग्य कन्याएं हैं, रोगी हैं ऐसे लोगों को पालने की जिन पर जिम्मेदारी हैं ऐसे 90 लाख लोग जो पटरी पर ठेले के द्वारा फुटपाथ पर गुमटी लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। पूरे प्रदेश में आए दिन अतिक्रमण हटाओं के नाम पर इन लोगों को बगैर किसी पूर्व सूचना के अकारण हटाने का काम होता है। पूरा सदन इस बात को जानता है कि पांच साल पूर्व रफीक नाम के पटरी दुकानदार ने इसी विधान सभा से 200 मीटर करीबी आत्मदाह कर लिया था। आज भी पूरे प्रदेश में इन गरीब पटरी, ठेला, दुकानदारों को हटाने का काम किया जा रहा है उनकी रोजी–रोटी छीनने का काम किया जा रहा है। जब

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कभी नगरपालिका, नगरमहापालिका, नगर निगम, पुलिस प्रशासन के मन में आता है मनमाने तरीके से अभियान चलाकर बगैर किसी सूचना के इनकी दुकानें तोड़ दी जाती है, उनके सामानों को लूट लिया जाता है। मैं खासतौर पर अपने क्षेत्र सुल्तानपुर की घटनाओं पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। वहां पर पटरी दुकानदारों खासतौर से अल्पसंख्यक समुदाय के पटरी दुकानदारों के ऊपर अन्याय किया जा रहा है। अब्दुल अहमद उर्फ कल्लू नाम के दुकानदार के ऊपर शहर कोतवाल की विशेष कृपा है। हर तीसरे दिन जाकर वह उनकी दुकान उठा लेते हैं। हजार पांच सौ की पूंजी से यह अपना रोजगार चलाते है। इनके ऊपर 17 आदमियों की जिम्मेदारी है आज यह आत्महत्या करने की स्थिति में पहुंच गया है। सरकार ने राष्ट्रीय फेरी नीति बनाई है लेकिन वह नीति अभी तक प्रभावी ढंग से लागू नहीं हुई है नगर पालिकाओं ने उसे अंगीकार नहीं किया है। उनको व्यवहारिक रूप नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष–

अब आपकी बात आ गई।

श्री अनूप सण्डा–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की लगभग पांच प्रतिशत आबादी 90 लाख की आबादी पटरी दुकानों, ठेलों पर सामान रखकर अपनी रोजी–रोटी कमाती है उनके घरों में वृद्ध, विवाह योग्य कन्याएं, रोगी होते हैं।

श्री अध्यक्ष–

यह बात आ चुकी है।

श्री अनूप सण्डा–

अगर सरकार सचेत नहीं हुई तो बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। यही बेरोजगार लोग कहीं अपराध के रास्ते पर न चले जाएं इसलिए इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मैं चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रस्तुत सूचना पर मैंने श्री अनूप सण्डा को सुना यह सूचना नियम 56 में नहीं आती है इसलिए अग्राह्य करता हूं। किसी का अकारण उत्पीड़न न हो यह दिखवा लें।

श्री अमर मणि त्रिपाठी–

मान्यवर, मेरी भी सूचना है।

श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, सीतापुर जनपद में बिसवां, महमूदाबाद, में स्थायी तौर पर तीन अग्निशमन केन्द्र है। विगत वर्षो में कई बार सीतापुर जनपद के सैकड़ों गांव आग से स्वाहा हो गए हैं। पशु फसल व जन, धन की हानि हुई है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, सिर्फ जनवरी में ही मेरी तहसील महमूदाबाद में करीब 8 गांव में अग्निकांड से सैकड़ों ग्रामीणों का मकान जला है और उनको नुकसान हुआ है। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि सीतापुर जनपद बड़ा जिला है, इसलिये सदरपुर, रामपुर, रउसा, बेहटा आदि जो जनपद से 100–125 किलोमीटर की दूरी पर पड़ते हैं जब आग लगती है सीतापुर से मशीन चलती है वह उन गांवों में तब पहुंच पाती है जब आग पूरी तरह फैल जाती है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि इस प्रकरण पर पूरे सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराई जाय कि सीतापुर के पिछड़े क्षेत्र में विशेषकर गांजर क्षेत्र में अग्निशमन केन्द्रों की स्थापना की जाय। जिन लोगों के मकान आगजनी में जलते हैं उनको जो सरकारी मदद दी जाती है वह बहुत कम है। उनको इंदिरा आवास उपलब्ध कराये जायं और उनको सरकारी मदद बढ़ाई जाय। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

मैंने श्री नरेन्द्र सिंह जी को सुना, यह सूचना नियम 56 में नहीं आती इसलिये अग्राह्य करता हूं तब भी इस तरफ शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

*श्री धर्मेन्द्र कुमार कश्यप–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने लोक महत्व के इस विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया। थाना कैंट जनपद बरेली में एक एफ0आई0आर0. हुई। मुकदमा अपराध संख्या 264/10 रिपोर्ट लिखाने वाली हैं रचना गोस्वामी। इनके बाबा महंत गोकरन गिरि का अपहरण हो जाता है और अपहरण के बाद जब यह थाने में रिपोर्ट लिखाती हैं तो सत्ता पक्ष का एक संतोष, देवेन्द्र पंडित, राजपाल सैनी, एन0डी0 पांडे, प्रेम नारायण, देवकीनंदन, ओम प्रकाश दीक्षित, शिवानंद गिरि। माननीय अध्यक्ष जी, सत्ता पक्ष के विधायक वहां पर मंदिर में ताले डाले हुए हैं और अपना एक पुजारी भी बैठाये हुए हैं और जिस तरह से वहां पर महंत की हत्या हुई है। एक जूता मिला है वहां पर, वहां पर शराब के पौव्वे मिले हैं, वहां पर खाली गिलास मिले हैं और पुलिस प्रशासन सत्ता पक्ष के दबाव में अपराधी को बचाना चाहती है। मैं आपसे लोक महत्व के विषय पर चर्चा कराना चाहता हूं कि इसमें कुछ माफिया लोग भी मिले हुए हैं। मंदिर की आड़ में लाखों रुपये की कमाई होती है। मंदिर की आड़ में पत्थर लाने का काम करते हैं। बालू, मौरंग लाने का काम करते हैं। अवैध कालोनियां बनाने का काम करते हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि जिस तरह से यह घटना हुई है, इनके परिवार के लोगों को घटना की जो स्थिति थी, 12 तारीख को शिवरात्रि थी और शिवरात्रि पर कुंवर पाल ने पुलिस को तहरीर दी कि पुलिस बल उपलब्ध कराया जाय लेकिन पुलिस बल उपलब्ध नहीं कराया गया। मात्र 15 वर्ष के बच्चे के साथ हरीश गंगवार ने वहां मारपीट की और 13 तारीख को विधायक और अपने साथियों के साथ जाकर महंत का अपहरण कर ले जाते हैं और ठीक उसके बाद लाश मिलती है मान्यवर। इसलिये मान्यवर, मैं सदन की सारी कार्यवाही रोक कर इस विषय पर चर्चा कराने की मांग करता हूं और जितने भी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग करता हूं और महंत के परिवार को 5 लाख रुपये की अनुदान राशि स्वीकृत की जाय। बहुत–बहुत धन्यवाद।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)–

मान्यवर, घटना की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस द्वारा मृतक के शव का पोस्टमार्टम दो डाक्टरों के पैनल द्वारा कराया गया एवं पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी करायी गई। पोस्टमार्टम में मृतक के शरीर में कोई एंटीमार्टम चोट नहीं पाई गई। मृतक की मृत्यु पानी में डूबने के फलस्वरूप दम घुटने से होना पाया गया। घटना की सम्वेदनशीलता को देखते हुए विवेचक के सहयोग के लिये पुलिस अधीक्षक अपराध के नेतृत्व में टीम गठित की गई। मान्यवर, इस तरह से पूरी तरह से उसमें किसी तरह से कमी नहीं की गई है। विवेचना के दौरान किये गये घटनास्थल के निरीक्षण, गवाहों के लिये गये कथन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के परीक्षण से उपर्युक्त नामित व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक अपहरण कर हत्या किये जाने के प्रथमदृष्टया साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो पाये हैं। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए गहराई से विवेचना की जा रही है।

श्री अध्यक्ष–

मैंने श्री धर्मेन्द्र कुमार कश्यप को सुना। यह नियम 56 में नहीं आती है। विस्तृत सूचना माननीय मंत्री जी ने दे दी है, मैं इसको अग्राह्य करता हूं। अगली सूचना सतीश महाना जी की है, वे नहीं है इसलिए इसको अग्राह्य करता हूं। अगली सूचना श्री माता प्रसाद पाण्डेय की है, वे भी नहीं है इसलिये इसको भी अग्राह्य करता हूं।

डॉ0 वकार अहमद शाह–

मान्यवर, पाण्डेय जी की सूचना महत्वपूर्ण है। यह शिक्षकों का गम्भीर मामला है। इस पर शासन का ध्यान आकर्षित कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी की सूचना पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

*श्री अमरमणि त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, महराजगंज जनपद में हमारा विधान सभा लक्ष्मीपुर विधान सभा क्षेत्र एक तरफ मान्यवर, नेपाल है और दूसरी तरफ जंगल है। मान्यवर, हमारा जो जनपद ऐसा है जहां 40 प्रतिशत अभी जंगल है 60 प्रतिशत में किसान अपनी खेती बाड़ी करता है। मान्यवर, ऐसे बीहड़ क्षेत्र में सरकार ने सौहगी वरवा वन्य जीव अभ्यरण क्षेत्र घोषित कर दिया है। जहां पर पशुओं का शिकार पूरी तरह से प्रतिबन्धित है। वन विभाग का संरक्षण होना चाहिए, हर प्रकार से हम लोग और क्षेत्र की जनता सहयोग कर रही है। मान्यवर, गत दिनों से जो जंगली पशु हैं अगल–बगल के खेतों में फसल नष्ट कर रहे हैं। जिससे क्षेत्र की जनता में त्राहि–त्राहि मची हुई है कोई फसल बो कर नहीं काट पा रहा है। इतना पशुओं की संख्या वहां बढ़ गई है। मान्यवर वन मंत्री जी का क्षेत्र हमारे बगल में ही है उन्होंने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अपने जंगल के चारों तरफ से वायर फिनिशिंग करा दिया जिसके कारण उनके यहां पशु आबादी में निकलकर खेती का नुकसान नहीं कर पा रहे हैं हम भी चाहते हैं मान्यवर, हमारे क्षेत्र में भी जो सौहगी बरवा वन्य जीव अभ्यरण है जो चारों तरफ से हमारे क्षेत्र को घेरे हुए है वहां पर गाय, नीलगाय, सुअर अन्य तमाम जीव तेंदुआ और दुर्लभ जीव गेंडा भी वहां पर है। गेंडे का भी आतंक है। अभी गत दिनों हमारे क्षेत्र में ग्राम सभा दशरथपुर में शेर के हमले में दो आदमियों की मृत्यु हो गई। महेशपुर मेंहदियागांव में तेंदुए के हमले से चार आदमी घायल हो गए। अभी 6–7 दिन पहले मान्यवर हमारे यहां गेंडे के हमले में मरियम वाइफ आफ साबिर ग्राम चकवा टोला।

श्री अध्यक्ष–

समाप्त करें।

श्री अमरमणि त्रिपाठी–

की मृत्यु हो गई। हमारा आपसे आग्रह है कि सरकार मृतकों को मुआवजा दे दे और चारों तरफ से जंगल की फिनिशिंग करा दिया जाए जिससे पशुओं का जो आतंक व्याप्त है जो पशु हमारे क्षेत्र की जनता की गाढ़ी कमाई फसल चर ले रहे उसको नुसान पहुंचा रहे हैं। उसको रोका जा सके मान्यवर, इससे अधिक कुछ नहीं कहना है आपसे आग्रह है आप हमारा संरक्षण करें और सरकार को निर्देशित करें कि कम से कम इतनी व्यवस्था करा दें कि हमारे क्षेत्र में जो खेती बाड़ी करने वाले किसान हैं अपनी जीविका चला सकें वह अपना जीवन यापन कर सकें, मैं इस लोक महत्व के प्रश्न पर बल देते हुए आपसे आग्रह कर रहा हूं कि समस्त कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष–

मैंने माननीय अमरमणि त्रिपाठी जी को सुना, यह सूचना नियम 56 में नहीं आती है इसे अग्राह्य करता हूं। फिर भी पशुओं द्वारा जो किसानों की फसलों की क्षति हो रही है उस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

(मद संख्या 18 पुकारा गया)

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाए जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रभावी नीति बनाई जाय" विषयक श्री जोखू लाल यादव द्वारा दि0 19 फरवरी, 09 को नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर चर्चा†

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, अभी प्रमोद तिवारी जी ने एक प्रस्ताव किया था कि चर्चा जारी करा दें। सभी चर्चाएं मान्यवर जारी करा दें।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या 18 पर जोखू लाल यादव जी की चर्चा जारी रहेगी।

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के किसानों को उनकी फसलों का लाभ कारी मूल्य दिलाये जाने हेतु सरकार द्वारा कार्य योजना बनाई जाय" विषयक श्री जोखू लाल यादव द्वारा दि0 19 फरवरी, 09 को नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर चर्चा†

---

†दिनांक 19 फरवरी, 2009 की कार्यवाही से।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–19 पर जोखू लाल यादव जी की चर्चा जारी रहेगी।

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि आगरा के फतेहाबाद क्षेत्र में एक पालीटेक्निक की स्थापना की जाय" विषयक द्वारा डॉ0 राजेन्द्र सिंह द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत अभिसूचित प्रस्ताव।

श्री अध्यक्ष–

डॉ0 राजेन्द्र सिंह जी प्रस्ताव प्रस्तुत कर दें।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

राजेन्द्र सिंह जी हैं नहीं मान्यवर, इसको निरस्त कर दें।

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि आगरा के फतेहाबाद क्षेत्र के दोनों विकास खण्डों में माडल स्कूलों के निर्माण तुरन्त कराये जाय" विषयक डॉ0 राजेन्द्र सिंह द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत अभिसूचित प्रस्ताव।

श्री राजेन्द्र सिंह जी नहीं हैं इसको भी व्यपगत किया जाता है।

श्री अध्यक्ष–

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि उत्तर प्रदेश से मांस निर्यात को प्रतिबन्धित करने हेतु पशुवध पर तत्काल रोक लगाई जाय" विषयक श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत अभिसूचित प्रस्ताव पर चर्चा।

श्री अध्यक्ष–

सत्य प्रकाश अग्रवाल जी नहीं हैं। सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी आपको प्राधिकृत किया है उन्होंने, आप प्रस्तुत करे दें।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं–"यह सदन प्रस्ताव करता है कि उत्तर प्रदेश से मांस के निर्यात को प्रतिबन्धित करने हेतु पशु वध पर तत्काल रोक लगाई जाय।"

श्री अध्यक्ष–

प्रस्तुत मान लिया गया चर्चा जारी रहेगी।

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि आगरा शहर की पेयजल समस्या के समाधान हेतु यमुना नदी की डाउन स्ट्रीम पर बैराज बनाया जाय" विषयक डॉ0 राजेन्द्र सिंह द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत अभिसूचित प्रस्ताव।

श्री अध्यक्ष–

राजेन्द्र सिंह जी हैं नहीं, इसको व्यपगत किया जाता है।

स्नातक उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को बी0एड0 में प्रवेश हेतु वर्ष 2009–10 की प्रवेश परीक्षाएं कराये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 आर0 ए0 उस्मानी द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर एक घण्टे की निर्धारित चर्चा ।

डॉ0 आर0ए0 उस्मानी की चर्चा जारी रहेगी।

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण कर्मियों को भारत सरकार की नई गाइड लाइन के परिप्रेक्ष्य में शासनादेश निर्गत न होने से उत्पन्न गम्भीर स्थिति के सम्बन्ध में श्री सुन्दरलाल लोधी द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर एक घण्टे की निर्धारित चर्चा।

श्री अध्यक्ष–

सुन्दर लाल लोधी जी की चर्चा जारी रहेगी।

श्री सुन्दर लाल लोधी–

मेरा बहुत महत्वपूर्ण मामला है ग्राह्यता पर एक मिनट सुन लें। प्रस्तावना के रूप में सुन लें उसके बाद इसको जारी कर दें।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जाएं। आपका प्रस्ताव ला देता हूं फिर जारी नहीं रहेगी।

श्री सुन्दर लाल लोधी–

मान्यवर, 2 मिनट में कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

आपकी चर्चा जारी रहेगी।

उच्च शिक्षा मंत्री (डॉ0 राकेशधर त्रिपाठी)–

मान्यवर, इस पर निवेदन कर दूं क्योंकि कम से कम 15 दिन इस पर उच्च न्यायालय में बहस चली है इसको निरस्त कर दें। अनावश्यक न्यायालय से टकराहट होगी।

श्री सुन्दर लाल लोधी–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव के अनुरूप रख देता हूं, उसके बाद आप चर्चा जारी करा दें।

श्री अध्यक्ष–

अभी माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी ने बताया है कि यह मसला न्यायालय में है, यह सब–जुडिस है। चलिए, इसका आप परीक्षण करा लीजिए, यह चर्चा जारी रहेगी।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 16 फरवरी, 2010 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 82 सूचनायें प्राप्त हुईं, सभी सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

पहली सूचना श्री आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय की–निबैया झील में तालाबों के रकबा को इकट्ठा कराके चेकडैम का निर्माण कराते हुए पक्षी विहार का निर्माण कराने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना डॉ0 आर0ए0 उस्मानी की–जनपद बहराइच की राप्ती नहर परियोजना की अपूर्णता को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री श्याम लाल की–जनपद गोण्डा में ग्राम जयरामपुरवा लक्ष्मनपुरवा के पूरब रामसगरा तालाब का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री सर्वेश कुमार सिंह की–नोमी इनफोटेक प्राइवेट लिमिटेड, 3/138 विवेक खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा कार्य लिये जाने के बावजूद

वेतन आदि का भुगतान कर्मियों को न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। पांचवी सूचना श्री अमरमणि त्रिपाठी की–जनपद महराजगंज के अन्तर्गत विकास खण्ड लक्ष्मीपुर के ग्राम टेढ़ी, दिनांक 3–2–2010 को हुए भीषण अग्निकाण्ड से प्रभावित परिवारों को तत्काल आवश्यक सहायता दिलाये जाने के सम्बन्ध में है। छठवीं सूचना श्री लालजी यादव की–विधान सभा क्षेत्र बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर में विद्युत आपूर्ति सायं 6 बजे से सुबह 6 बजे तक किये जाने के संबंध में है। सातवीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की–कृष्णा महाविद्यालय बागेश्वर नगर रोडवेज, आजमगढ़ में अध्ययन करने वाले छात्रों बी0एस0सी0 द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष एवं बी0ए0 द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष के छात्रों का परीक्षा फार्म पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर में न जमा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। आठवीं सूचना चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी की–जनपद मेरठ में सरधना बिनौली मार्ग पर चौधरी चरण सिंह गेट से कस्बा करनावल तक सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण, उच्चीकरण एवं कतिपय मार्गों का तत्काल निर्माण कराये जाने के संबंध में है। नौवीं सूचना श्री प्रदीप माथुर की–जनपद मथुरा बृज–84 कोस परिक्रमा मार्ग के रख–रखाव हेतु डी0पी0आर0 बनाये जाने के संबंध में है। दसवीं सूचना श्रीमती विमलेश की–बाल विकास पुष्टाहार निदेशालय में किशोरी शक्ति योजना के अन्तर्गत करोड़ों रुपये के गबन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री श्रीपति आजाद की–जनपद गोरखपुर के कतिपय अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लोगों के नाम श्रेणी–1 में दर्ज करने के संबंध में है। बारहवीं सूचना डॉ0 अनिल चौधरी की–जनपद मेरठ के गांव जानी खुर्द निवासी विधवा विकलांग पिछड़ी जाति की वृद्धाजन महिला कमला देवी पत्नी स्व0 वीरबीस सिंह के भूखण्ड परिवर्तन प्रक्रिया में दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में है। तेरहवीं सूचना श्री उदयभान करवरिया की–ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत लेखा संवर्ग में कनिष्ठ लेखा लिपिक (एन0आर0ई0पी0) को वित्त विभाग की स्वीकृति के विपरीत शासकीय एवं आर्थिक लाभ दिये जाने के संबंध में है। चौदहवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की–भातखण्डे संगीत विश्वविद्यालय लखनऊ के महिला हास्टल में कुमारी हितांशु शुक्ला की हास्टल के कमरे में संदेहास्पद परिस्थिति में हुई मौत की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के संबंध में है। पन्द्रहवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा (सीतापुर) की पुरवा ब्रांच नहर एवं शारदा ब्रांच नहर उन्नाव से अवैध बालू खनन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। सोलहवीं सूचना श्रीमती मिथिलेश पाल की–जनपद मुजफ्फरनगर स्थित शुक्रताल को जनमानस की भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए तीर्थनगरी शुक्रताल को पर्यटन नगरी घोषित करने के संबंध में है। सत्रहवीं सूचना डॉ0 अजय तोमर की–प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण विभाग खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की प्रयोगशालाओं के प्रभारी डॉ0 एस0सी0 तिवारी (जनविश्लेषक क्षेत्रीय) द्वारा प्रयोगशालाओं में घोर अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। अठ्ठारहवीं सूचना श्री अब्दुल वारिस खां की–जनपद मुजफ्फरनगर स्थित ऊन शुगर काम्प्लेक्स (सरसादी लाल इण्टर प्राईज) तथा बजाज हिन्दुस्तान लि0 शुगर यूनिट, थाना भवन द्वारा जलवायु को प्रदूषित करने से रोके जाने के संबंध में है। उन्नीसवीं सूचना श्री सुखलाल की–जनपद

पीलीभीत में दिनांक 9–10 फरवरी, 2010 को हुई बरसात एवं ओलों से हुई किसानों की फसलों की क्षति से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। बीसवीं सूचना श्री लल्लू सिंह की–जनपद फैजाबाद नगर में शिवनगर पहाड़गंज की जल निकासी हेतु बनाये जा रहे नाले के निर्माण हेतु धन अवमुक्त किये जाने के संबंध में है। इक्कीसवीं सूचना श्री इमरान मसूद की–श्री ओम साई नाथ कार आन रेंट लि0, फर्जी कम्पनी के संचालकों, ब्रांच हेड, एजेण्टों द्वारा जनता से लगभग 70 करोड़ रुपये बेवकूफ बनाकर लेने वालों को तत्काल गिरफ्तार किये जाने के संबंध में है। बाइसवीं सूचना श्री प्रजापालन वर्मा की–जनपद एटा से कासगंज तक क्षतिग्रस्त मार्ग को शीघ्र बनवाये जाने के संबंध में है। तेइसवीं सूचना श्री यशपाल सिंह चौहान की–जनपद महामायानगर के सिकन्दराराऊ के अन्तर्गत बाराहसेनी बगिया मन्दिर की मूर्तियों के चोरों को गिरफ्तार कर मूर्तियां बरामद करने के संबंध में है। चौबीसवीं सूचना श्री सतीश महाना की–मलेरिया विभाग में किये जा रहे घोटाले के विरुद्ध कर्मचारियों पर कोई कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। पच्चीसवीं सूचना श्री कुबेर सिंह की–सरकारी कस्टोडियम की जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा कर मौखिक रूप से बेचने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। छब्बीसवीं सूचना श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव की–जनपद वाराणसी के कैण्ट विधान सभा क्षेत्र स्थिति शहरी क्षेत्रों में पानी निकासी हेतु कतिपय स्थानों पर कवर्ड नाला बनवाये जाने के संबंध में है। सत्ताइसवीं सूचना श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह की–जनपद फतेहपुर के ब्लाक ऐराया के अन्तर्गत ग्राम इजुराखुर्द में उचित दर विक्रेता श्री जय नारायण सिंह द्वारा 51 लोगों का राशन कार्ड फर्जी बनाने के संबंध में है। अट्ठाइसवीं सूचना श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही की–जनपद बुलन्दशहर के गांव अहमदानगर के जाटव बस्ती में 63 हार्स पावर का बिजली का ट्रान्सफार्मर लगाये जाने के संबंध में है। उन्नीसवीं सूचना श्री अशोक कंसल की–लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0 में कार्यरत अवर अभियन्ताओं द्वारा अपने प्रोन्नत प्राप्त (सहायक अभियन्ता) कनिष्ठों के अधीन कार्य लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। तीसवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की–जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के कतिपय अन्तर जनपदीय मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के संबंध में है। इकतीसवीं सूचना श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल की जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक बेल्खरनाथ धाम तहसील पट्टी मुख्यालय स्थित तमाम पेट्रोल पम्पों पर मिलावट से उत्पन्न स्थिति के संबध में है। बत्तीसवीं सूचना श्रीमती कृष्णाराज की–प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय से देयों एवं पेंशन का भुगतान कराये जाने के संबंध में है। तैंतीसवीं सूचना श्री राधेश्याम गुप्ता की–जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, जिला पंचायत एवं मण्डी समिति द्वारा बनायी गयी सड़कों का नवीनीकरण कराये जाने के संबंध में है। चौंतीसवीं सूचना श्री काशीराम की–इन्जीनियरिंग कालेज, कपूरथला अलीगंज से आलमबाग तक चलने वाली नगर बस का मार्ग परिवर्तन किये जाने के संबंध में है। पैंतीसवीं सूचना श्री रमापति उर्फ रमाकांत की–उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायतीराज व्यवस्था के निर्वाचन में अनुसूचित जाति हेतु 21 प्रतिशत, पिछड़ी जातियों हेतु 27 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में है। छत्तीसवीं

सूचना श्री सुरेश्वर सिंह की–जनपद बहराइच में दैवी आपदा से हुई भीषण तबाही से नष्ट हुई सड़कें, पुलों, प्राथमिक विद्यालयों तथा सरकारी भवनों का अनुरक्षण एवं निर्माण कराये जाने के संबंध में है। सैंतीसवीं सूचना श्री इरफान सोलंकी की–प्रतापगढ़ के ग्राम चेयरगढ़, थाना संग्रामगढ़, तहसील कुण्डा में बद्री पुत्र बैजू के आत्महत्या करने के प्रकरण में श्री छोटू पुत्र बैजू को जबरन दोषी करार देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। अड़तीसवीं सूचना श्री राम सेवक की–लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज के विकास खण्ड गोसाईगंज के ग्राम सभा बक्कास मजरा चिलौला में विद्युतीकरण कराये जाने के संबंध में है। उन्तालीसवीं सूचना डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल की–मनोरंजन कर विभाग द्वारा अयुक्तपूर्ण तरीके से अत्यधिक मनोरंजन कर लगाकर प्रदेश के हजारों केबिल आपरेटरों का शोषण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। चालीसवीं सूचना श्री विश्वनाथ की–जनपद कुशीनगर के प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्रों पर एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर डाक्टरों और औषधियों व उपकरणों के अभाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। इकतालीसवीं सूचना श्री अशोक सिंह चौहान की–बाबू बनारसी दास नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी एण्ड मैनेजमेण्ट, लखनऊ के एयरोनाटिकल इंजीनियरिंग शाखा के वर्ष 2007–08 सत्र में प्रवेश प्राप्त छात्रों का भविष्य अंधकारमय होने में उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। बयालीसवीं सूचना श्री जावेद अंसारी की–जनपद जौनपुर के शाहगंज मार्ग, फैजाबाद, आजमगढ़, गोरखपुर बलिया आदि जनपदों को जाने वाले मार्ग का चौड़ीकरण एवं ग्राम बाराकलां से सोंधी ब्लाक तक लगभग 3.5 कि0मी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के संबंध में है। तैंतालीसवी सूचना श्री सुधीर कुमार की–आई0आई0एम रोड, लखनऊ से ग्राम पल्हरी तक सम्पर्क मार्ग, जिसकी लम्बाई लगभग 1.5 कि0मी0 को शून्य से लेपन स्तर तक बनवाये जाने के संबंध में है। चौवालीसवीं सूचना श्री उदयराज यादव की–पी0सी0एस0 संवर्ग के पात्र अधिकारियों को चयन वेतनमान दिये जाने के संबंध में है। पैंतालीसवीं सूचना श्री आरिफ अनवर हाशमी की–जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र सादुल्लानगर के विकास खण्ड बभनजोत के ग्राम तरैनी, तहियापुर, भिरवा मार्ग पर दस वर्ष पूर्व कराये गये पत्थर सोलिंग को तत्काल लेपन स्तर तक निर्माण कराये जाने के संबंध में है। छियालिसवीं सूचना श्री राम विशुन आजाद की–जनपद गोण्डा एंव बहराइच को पूर्वांचल में न रखकर मध्यांचल (मध्य उ0प्र0) में ही रखे जाने हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भेजने के संबंध में है। सैंतालीसवीं सूचना श्री राधेश्याम जायसवाल की–मेरठ मण्डल के संयुक्त आबकारी आयुक्त द्वारा शासन के आदेशों का पालन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। अड़तालीसवीं सूचना श्री विशम्भर प्रसाद निषाद की–जनपद बांदा के राजस्व ग्राम जलपुरा, गड़रिया में चकबन्दी प्रक्रिया की धारा–6 के प्रकाशन को निरस्त कर पुनः चकबन्दी कराये जाने के संबंध में है। उन्चासवीं सूचना श्री बैजनाथ दुबे की–जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र कटरा बाजार में कतिपय मार्गों पर क्षतिग्रस्त पुलियों की मरम्मत कराये जाने के संबंध में है। पच्चासवीं सूचना श्री आलोक कुमार शाक्य की–डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा में स्पष्ट निर्देश के बाद भी फीस बढ़ाकर वसूली करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में है। इक्यावनवीं सूचना

श्रीमती सीमा द्विवेदी की–डॉ0 कृष्णानन्द मिश्र, चिकित्साधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय कमलापुर लोदी, गाजीपुर के वेतन एवं अन्य देयों का भुगतान कराये जाने के संबंध में है। बावनवीं सूचना श्री श्याम नारायण यादव की–जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में कप्तानगंज से महराजगंज रोड पर नरोत्तमपुर संसारा गांव तक 2.90 कि0मी0 मार्ग निर्माण हेतु धन अवमुक्त कराये जाने के संबंध में है। तिरपनवीं सूचना श्रीमती विद्या चौधरी की–आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मेहनगर में कोटा तितरा मार्ग बेसो नदी पर बने अधूरे पुल निर्माण को पूर्ण कराये जाने के संबंध में है। चौवनवीं सूचना श्री विद्या सागर गुप्ता की–लखनऊ स्थित ऐशबाग के बूचरखाना को शहर से दूर कर आधुनिक बूचरखाना बनाने के संबंध में है। पचपनवीं सूचना श्री राजाराम त्यागी की–जनपद रायबरेली की समस्त कृषि उत्पादन मण्डी समितियों में खरीद किये गये धान की (पाक्षिक) रिपोर्ट मंगवाने तथा सरकार को हो रही क्षति से बचाने के संबंध में है। छप्पनवीं सूचना श्री राजेश यादव की–लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ द्वारा विकसित जानकीपुरम् विस्तार योजना में सीवर के जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में है। सत्तावनवीं सूचना श्री महेश चन्द्र गुप्ता की–माध्यमिक शिक्षा के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत व्यावसायिक शिक्षकों एवं अतिथि विषय विशेषज्ञों के मानदेय दरों में संशोधन किये जाने के संबंध में है। अट्ठावनवीं सूचना श्री माता प्रसाद पाण्डेय की–जनपद सिद्धार्थनगर में बूढ़ी राप्ती के दायें तक अशोकवा, मदरहवा, झगड़िहवा, बन्धे के ऊंचीकरण एवं नवनिर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि का बड़े पैमाने पर गबन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। उनसठवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश की–जनपद मथुरा के गोवर्धन सुरक्षित विधान सभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड मथुरा द्वारा ग्रामीण अंचल में बनाये गये सम्पर्क मार्गों का रख–रखाव न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संम्बन्ध में है। साठवीं सूचना चौ0 फसीहा वशीर गजाला लारी की–जनपद देवरिया के ओ0के0एम0 इंटर कालेज, लार में स्वीकृत 52 पदों के विरुद्ध 63 पदों पर कार्यरत शिक्षक एवं कर्मचारियों को दिये जा रहे वेतन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। इकसठवीं सूचना श्री शिव बालक पासी की–जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सलोन की कतिपय झीलों से निकले बकुलाही नाला के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि का शेष भाग अवमुक्त न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। बासठवीं सूचना श्री जोखू लाल यादव की–इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत ध्वस्त मार्गों/टूटे हुए सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराये जाने के संबंध में है। तिरसठवीं सूचना श्री बजरंग बहादुर सिंह की–जनपद सुल्तानपुर में स्वीकृत मिट्टी के तेल के डिपों द्वारा अवैध ढंग से डीजल/पेट्रोल पम्प मालिकों के हाथ ब्लैक किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। चौसठवीं सूचना श्री विजय बहादुर यादव की–जनपद प्रतापगढ़ में बी0आर0जी0एफ0 योजना के अन्तर्गत स्वीकृत पंचायत भवनों/सामुदायिक भवनों के निर्माण में गैर–कानूनी ढंग से धन अर्जित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। पैंसठवीं सूचना श्री धर्मेन्द्र कुमार कश्यप की–बुन्देलखण्ड के जनपद बांदा में कतिपय सम्पर्क मार्गों का डामरी करण कराये जाने के संबंध में है। छाछठवीं सूचना

श्री राजेश कुमार गौतम की–जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत विकास खण्ड बिजुआ के ग्राम पंचायत भीरा को टाउन एरिया घोषित किये जाने के संबंध में है। सरसठवीं सूचना श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल की–महादेव इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालॉजी मेरठ में छात्रों से अवैध वसूली एवं उत्पीड़न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। अरसठवीं सूचना श्री संजीव दरियाबादी की–उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के हरदोई डिपों में तैनात श्री परमानन्द, यातायात अधीक्षक एवं श्री स्वदेश कुमार निगम के धन उगाही किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। उनहत्तरवीं सूचना श्री मदन चौहान की–जनपद गाजियाबाद में जिला पंचायत परिषद् के द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों की 2009–2010 की घटिया सामग्री व गुणवत्ता की उच्चस्तरीय जांच कराये जाने के संबध में है। सत्तरवीं सूचना श्री सुरेश चन्द्र तिवारी की–जनपद सीतापुर के ग्राम मातापुर, मजरा अशरफपुर में खलिहान हेतु आरक्षित भूमि पर अवैध कब्जा करके निर्माण कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। इकहत्तरवीं सूचना श्री प्रमोद तिवारी की–जनपद प्रतापगढ़ के निर्वाचन क्षेत्र लालगंज में स्थित ग्रामीण पेयजल समूह योजनाओं को कम से कम 16 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने के संबंध में है। बहत्तरहवीं सूचना श्री अनूप सण्डा की–सुल्तानपुर में कुडवार नाका एवं इलाहाबाद रोड रेलवे क्रासिंगों पर ओवर–ब्रिज/अण्डर–वे निर्माण कराये जाने के संबंध में है। तिहत्तरवीं सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की–जनपद इलाहाबाद में बलात्कार, चोरी, अपहरण एवं लूट जैसे गम्भीर अपराधों की रिपोर्ट न लिखने तथा अपराधियों से सांठ–गांठ से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। चौहत्तरवी सूचना श्री संजय कपूर की–जनपद रामपुर की तहसील मिलक विलासपुर में बनाये जा रहे मार्ग पूर्ण होने से पहले ही टूटने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। पचहत्तरवीं सूचना श्री अशोक कुमार सिंह की–जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी की जर्जर एवं जीर्ण–शीर्ण सड़कों की मरम्मत न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। छियत्तरवीं सूचना श्री विनोद चतुर्वेदी की–समाज में पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय तथा अन्य वर्ग की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान न मिल पाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। सतहत्तरवीं सूचना श्री आर0 के0 चौधरी की–जनपद लखनऊ के मोहनलाल गंज क्षेत्र के अन्तर्गत विद्युतीकृत ग्राम तमोरिया से विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा खम्भा व तार उखाड़कर कहीं अन्यत्र लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। अठहत्तरवीं सूचना श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला की–जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड उस्का बाजार एवं नगर पंचायत उस्का बाजार में अभी तक विद्युत सब–स्टेशन न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। उन्यासीवीं सूचना श्री अनूप कुमार गुप्ता की–जनपद सीतापुर के विकास खण्ड पिसावां के अन्तर्गत बीहट गोड़ एवं मेरी में बनाये जा रहे सरकारी इण्टरकालेजों में घटिया निर्माण की उच्चस्तरीय जांच कराये जाने के संबंध में है। अस्सीवीं सूचना श्री कृष्ण गोपाल पटेल की–जनपद लखीमपुर खीरी में विगत दस वर्षों से अधिक समय से जनपद की विभिन्न तहसीलों में लेखपालों की तैनाती एक ही स्थान पर होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। इक्यासीवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव

की–लखनऊ के त्रिवेणीनगर फेज–2, सीतापुर रोड के पास पंडित मिष्ठान भण्डार से लगी गली में व्याप्त गन्दगी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। बयासीवीं सूचना चौ0 रवीन्द्र प्रताप की जनपद सिद्धार्थनगर में नेपाल बार्डर से लगा होने के कारण माओवादी गतिविधियों के बढ़ने के कारण बढ़नी बार्डर को विद्युत कटौती से मुक्त कराने के संबंध में है।

जनपद आजमगढ़ की तहसील सगड़ी के विद्यालयों को काली सूची से हटाने एवं बालिकाओं के हित में परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री दुर्गा प्रसाद यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मा0 सदस्य द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत . . . .

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)–

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा–

[दी गयी सूचना में सगड़ी तहसील, जनपद आजमगढ़ के विद्यालयों को काली सूची से हटाने तथा बालक एवं बालिकाओं को केन्द्र निर्धारण नीति के अनुसार निकटस्थ परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है। इस संबंध में यह अवगत कराना है कि परीक्षाओं के सुचारु एवं शुचितापूर्ण ढंग से संचालित करने का दायित्व माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0, इलाहाबाद का है। केन्द्र निर्धारण की पारदर्शी नीति सरकार द्वारा बनायी गयी है। केन्द्र निर्धारण नीति के अनुसार परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण जनपद/मण्डल स्तरीय समिति द्वारा किया गया है। जहां तक मा0 सदस्य द्वारा जनपद आजमगढ़ की तहसील सगड़ी के अन्तर्गत स्थित आदर्श इ0 का0 बरडीहा, आजमगढ़ सहित अन्य विद्यालयों को काली सूची में डाले जाने का प्रश्न है, इस संबंध में यह उल्लेख करना है कि तहसील सगड़ी के अन्तर्गत आने वाले विद्यालयों में विगत बोर्ड परीक्षा, 2009 में परिषदीय परीक्षा के प्रश्न–पत्र आउट हो जाने के दृष्टिगत इस क्षेत्र के 18 विद्यालयों में परिषद द्वारा पुनः परीक्षा करायी गयी थी। नियमानुसार जिन विद्यालयों में पुनः परीक्षा करायी गयी थी उन विद्यालयों के प्रबन्धकों को नोटिस निर्गत करते हुये जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ की आख्या/संस्तुति के आधार पर 17 विद्यालयों को वर्ष 2010 की परीक्षा से काली सूची में डाल दिया गया। संबंधित विद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराये गये नोटिस के उत्तर परीक्षा समिति के विचारार्थ रखे गये और परीक्षा समिति द्वारा विद्यालयों की अधिक संख्या को देखते हुये प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया।

उक्त के अनुक्रम में शासन के पत्रांक 3016/15-7-09-1(213)/2009, दिनांक 27-01-2010 द्वारा सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस निर्देश के साथ प्रकरण संदर्भित किया गया कि उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् के विनियमों के अध्याय-6 में विहित व्यवस्था के अनुसार विद्यालयों को काली सूची में डालने अथवा निर्धारित अवधि के लिये किसी विद्यालय को परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने का निर्णय परीक्षा समिति द्वारा लिया जायेगा। तद्नुसार उक्त विनियमों के आलोक में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही परीक्षा समिति द्वारा की जायेगी।]

इलाहाबाद स्थित जमुना के पुल से हो रही आत्महत्या को रोकने हेतु ऊंची रेलिंग व जाली लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत . . .

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, वक्तव्य पढा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[दी गयी सूचना दिनांक 11-02-2010 में मुख्य रूप से यह बिन्दु उठाये गये हैं कि इलाहाबाद स्थित जमुना का पुल विगत पांच वर्षों मे हत्या व आत्महत्या करने वालों के लिये मौत का प्लेटफार्म बन गया है। धोखे से हत्या करने वाले यहां पुल पर लोगों को लाकर ढकेल देते हैं, जो लाशें मिल जाती हैं, स्थानीय पुलिस उनका पोस्टमार्टम कराकर छुट्टी पा जाती है। रोकने का कोई अन्य उपाय नहीं किया जा रहा है।

वर्ष 2006 में 17, वर्ष 2007 में 24 व 2008 में 28 तथा वर्ष 2009 में 19 लाशें मिली हैं। बाकी कूदने और न मिल पाने केवल अखबारों के पन्ने में पड़े रह जाते हैं।

अभी 26 जनवरी, 2010, 27 जनवरी, 2010, 31 जनवरी, 2010 व 01 फरवरी, 2010 को क्रमशः एक 25 वर्षीय युवक, 27 वर्षीय युवती एक साठ वर्षीय वृद्ध तथा 45 वर्षीय अधेड़ ने इसी पुल से कूदकर जान दे दी है।

विगत 10 नवम्बर, 2009 को 22 वर्षीय कुमारी अर्पिता सोनकर को शादी के बहाने बुलाकर ढकेल दिया गया। पुलिस और परिवारजन द्वारा काफी ढूंढ़ने के बाद भी लाश नहीं मिली पुल के गार्ड द्वारा देखने व अखबारों में आने के बाद भी अपराधिक धाराओं की खोज में मामला रफा-दफा कर दिया गया। [illegible] के दलित

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

परिवारजन दर–दर भटक रहे हैं। शासन व प्रशासन की उदासीनता, प्रमादता व अकर्मण्यता के कारण इलाहाबाद के शान्ति प्रिय नागरिकगण आतंकित, भयभीत तथा आक्रोशित हैं। मा0 सदस्य द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर नियम 51 के अन्तर्गत सदन में चर्चा की मांग की गयी है।

2–मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उक्त सूचना के अन्तर्गत नगर आयुक्त, नगर निगम, इलाहाबाद से सूचना प्राप्त करने पर यह विदित हुआ है कि पुल/घटना स्थल नगर निगम से संबंधित न होकर सेतु निगम (लोक निर्माण विभाग) से संबंधित है। अतः नगर निगम स्तर से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। जहां तक अपराधिक गतिविधियों का प्रश्न है, यह विषय गृह विभाग से संबंधित है। उक्त दोनों विभागों से प्रश्नगत मामले में तुरन्त आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र दिनांक 15–02–2010 द्वारा अनुरोध किया गया है।]

जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड शुकुल बाजार में नया विद्युत उपकेन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी एवं श्री राम सेवक द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

नियम 51 के अन्तर्गत मा0 सदस्यगण द्वारा दी गयी उपर्युक्त . . . .

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)–

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा–

[सूचना मे यह बिन्दु उठाया गया है कि जनपद सुल्तानपुर का विधान सभा क्षेत्र जगदीशपुर एक औद्योगिक क्षेत्र है, जहां पर कई उद्योग लगे हुये हैं, विद्युत् आपूर्ति सुचारु रूप से न होने के कारण विकास खण्ड बाजार शुकुल मुख्यालय पर 33/11 के0वी0ए0 क्षमता का विद्युत् उपकेन्द्र स्थापित किया गया है। किन्तु एक लम्बा समय बीत जाने के बाद भी इस विद्युत् उपकेन्द्र से अभी तक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हो सकी है। जनहित में उक्त विद्युत् उपकेन्द्र से अतिशीघ्र विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने की मांग की गयी है।

इस संबंध में अवगत कराना है कि 33/11 के0वी0, 5 एम0वी0ए0 नवनिर्मित विद्युत उपकेन्द्र शुकुल बाजार की 33 के0वी0 लाइन को पूर्व में नो--लोड पर चालू किया गया था। परन्तु 33 के0वी0 लाइन में तकनीकी खराबी आने के कारण इस विद्युत् उपकेन्द्र से विद्युत आपूर्ति करना सम्भव नहीं हो सका है। 33 के0वी0 लाइन में आयी तकनीकी कमियों को दूर करके इस लाइन एवं परिवर्तक को चालू कर दिया गया है। इस उपकेन्द्र से निकलने वाले 11 के0वी0 फीडर शुकुल बाजार, सत्थिन एवं हुसैनपुर को शीघ्र चालू कर दिया जायेगा। इस उपकेन्द्र से लाभान्वित होने वाले लगभग 39 ग्राम पंचायतों एवं 70 मलिन बस्तियों की विद्युत आपूर्ति बाधित नहीं है। उक्त ग्राम पंचायतों एवं मलिन बस्तियों को पूर्व निर्मित 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र महोना से निर्धारित रोस्टर के अनुसार सुचारु रूप से विद्युत आपूर्ति की जा रही है।]

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मिर्जापुर के ग्राम मगरहा स्थित नरोत्तम सिंह पदम सिंह राजकीय महाविद्यालय में स्वीकृत अधूरे पड़े विज्ञान भवन को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर उच्च शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मा0 सदस्य द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना . . . .

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)–

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा–

[में यह कहा गया है कि विधान सभा क्षेत्र चुनार में ब्लाक सीखड़ के ग्राम मंगरहा स्थित नरोत्तम सिंह पदम सिंह राजकीय महाविद्यालय मगरहा मिर्जापुर शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केन्द्र होने के कारण यहां आस–पास के हजारों छात्र–छात्राएं अध्ययनरत हैं। इस महाविद्यालय में विज्ञान संकाय की स्थापना हेतु रु0 111.00 लाख वर्ष 2006–07 में स्वीकृत हुआ था जिसकी प्रथम किस्त के रूप में रु0 25.00 लाख प्राप्त हो गया था जिससे निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया। आगे की किस्त प्राप्त न होने से निर्माण कार्य स्थगित है। पुनरीक्षित आगणन/प्रस्ताव रु0 242.87 लाख शासन की स्वीकृति हेतु निर्माण एजेंसी राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा भेजा जा चुका है। निर्माण कार्य पूर्ण न होने के कारण विज्ञान वर्ग के छात्र–छात्राओं की शिक्षा बाधित हो रही है। मा0 सदस्य द्वारा प्रश्नगत विषय पर वक्तव्य दिये जाने की मांग की गयी है।

इस संबंध में अवगत कराना है कि शासनादेश दिनांक 13–10–2006 द्वारा नरोत्तम सिंह पदम सिंह राजकीय महाविद्यालय मंगरहा, मिर्जापुर में विज्ञान संकाय के निर्माण हेतु रु0 111.70 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किस्त के रूप में रु0 25.92 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी तथा शासनादेश दिनांक 16–01–2008 द्वारा अवशेष धनराशि 85.78 लाख अवमुक्त की गयी है। सम्प्रति कार्यदायी संस्था द्वारा रु0 111.70 लाख में से रु0 99.80 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है। शेष निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु रु0 241.87 लाख की धनराशि का पुनरीक्षित आगणन उच्च शिक्षा निदेशालय के पत्र दिनांक 24–08–2009 द्वारा शासन को प्राप्त हुआ था। इस संबंध में विभाग के प्रस्ताव के संबंध में प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा कतिपय पृच्छाएं की गयी थी। उक्त के संबंध में शासन के पत्र दिनांक 08–10–2009 द्वारा निदेशक

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उच्च शिक्षा की स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिये गये थे। मामले में निदेशक उच्च शिक्षा के पत्र दिनांक 29-12-2009 द्वारा प्राप्त आख्या के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पुनः प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग को प्रेषित करते हुये पुनरीक्षित आगणन का मूल्यांकन करने का अनुरोध किया गया था। प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा पुनः कतिपय बिन्दुओं पर जिज्ञासाएं की गयी हैं। इस संबंध में शासन के पत्र दिनांक 22-01-2010 एवं अनुस्मारक पत्र दिनांक 11-02-2010 द्वारा निदेशक उच्च शिक्षा/कार्यदायी संस्था से आख्या मांगी गयी है। आख्या प्राप्त होते ही पुनरीक्षित आगणन को प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग से मूल्यांकित कराकर वित्त विभाग की सहमति से धनराशि निर्गत किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।]

आजमगढ़ के मेंहनगर में स्वीकृत 132 के0वी0 विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती विद्या चौधरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी उपर्युक्त सूचना में यह . . . .

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[बिन्दु उठाया गया है कि विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर विकास खण्ड मेहनगर, जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत स्वीकृत 132 के0वी0 विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कार्य न होने से जनता में काफी आक्रोश है। अतः उक्त सब स्टेशन का निर्माण कार्य अविलम्ब शुरू कराया जाय।

इस संबंध में उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सूचित किया गया है कि विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर, जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत 2x20 एम0वी0ए0 क्षमता के 132 के0वी0 विद्युत् उपकेन्द्र का निर्माण कराये जाने की योजना, जिसकी अनुमानित लागत रु0 16.10 करोड़ है, पारेषण कार्य समिति से अनुमोदित है। योजना का अनुमोदन शासन स्तर से भी कर दिया गया है। उपकेन्द्र के निर्माण हेतु भूमि जिलाधिकारी, आजमगढ़ द्वारा पावर कारपोरेशन लि0 को हस्तान्तरित कर दी गयी है तथा इसका ले आउट प्लान निर्गत हो चुका है। इस उपकेन्द्र का निर्माण जून, 2011 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बलरामपुर स्थित सादुल्लानगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों को तैनात किये जाने के सम्बन्ध में श्री आरिफ अनवर हाशमी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मा0 सदस्य द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दिनांक 10–2–2010 . . . . .

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)–

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा–

[को यह सूचना दी गयी है कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र, सादुल्लानगर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चीकृत करके सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण करा दिया गया है लेकिन विभाग की उदासीनता के कारण अवस्थापना सुविधाएं एवं चिकित्सकों की तैनाती नहीं की गई है जिससे क्षेत्रीय जनता में काफी रोष व्याप्त है। अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुये सरकार से वक्तव्य दिये जाने एवं जनता की सुविधाओं हेतु तत्काल चिकित्सकों की तैनाती की मांग की गई है।

2–इस संबंध में उल्लेखनीय है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सादुल्लानगर, जनपद बलरामपुर के भवन निर्माण की मूल स्वीकृति शासनादेश संख्या 2707/पांच–6–2006–एस0एन0डी0–26/2005, दिनांक 25–01–06 के द्वारा रु0 163.36 लाख की लागत को अनुमोदित करते हुये प्रथम किस्त के रूप में रु0 60.00 लाख अवमुक्त किया गया था तथा निर्माण कार्य सी0डी0एस0 जल निगम को आवंटित किया गया। मूल स्वीकृत लागत रु0 163.36 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रु0 103.36 लाख वित्तीय वर्ष 2006–07 में अवमुक्त किया गया है। निर्माण कार्य के पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति शासनादेश संख्या 712/पांच–6–2007, दिनांक 6–8–07 द्वारा रु0 176.86 लाख एवं पुनः पुनरीक्षित आगणन रु0 186.57 लाख की स्वीकृति शासनादेश संख्या 2507/पांच–6–2008–242/08, दिनांक 28–11–08 के द्वारा प्रदान की गयी है। निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2007–08 में रु0 13.50 लाख एवं 2009–10 में रु0 9.71 लाख, इस प्रकार कुल रु0 186.57 लाख अवमुक्त किया गया है। निर्माण कार्य पूर्ण कराकर केन्द्र चिकित्सा विभाग को माह जुलाई, 2009 में हस्तगत करा दिया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर पद एवं उपकरण हेतु स्थापना मद में जिला योजना वर्ष 2009–10 में परिव्यय अनुमोदित था परन्तु नियोजन विभाग द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। इसकी स्थापना हेतु पुनः वित्तीय वर्ष 2010–11 की जिला योजना में परिव्यय के अनुमोदन हेतु प्रस्तावित है। उल्लेखनीय है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की अवस्थापना सुविधायें एवं चिकित्सकों की तैनाती वित्तीय संसाधनों पर निर्भर होती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की स्वीकृति के उपरान्त चिकित्सालय में अवस्थापना सुविधाएं एवं चिकित्सकों की तैनाती संभव होगा।]

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रतापगढ़ की जिला योजना/नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा किये गये अनुमोदित कार्यों के अनुरूप शासनादेश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

जनपद प्रतापगढ़ की जिला योजना नियोजन एवं अनुश्रवण समिति . . . . .

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)–

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा–

[द्वारा किये गये अनुमोदित कार्यों के अनुरूप शासनादेश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 11–02–10 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना निम्नवत् है–

"जनपद प्रतापगढ़ की जिला योजना/नियोजन एवं अनुश्रवण समिति को कुल रु0 21 करोड़ 39 लाख 45 हजार का परिव्यय लोक निर्माण विभाग, प्रतापगढ़ अनुमोदित था जिसके सापेक्ष सामान्य सड़कें 12 करोड़ जिसमें एस0सी0पी0 मद में 2 करोड़ 83 लाख 31 हजार का प्राविधान तथा ग्रामीण सड़कें/मार्ग पुनःनिर्माण हेतु 01 करोड़ 61 लाख 700 का परिव्यय एवं अम्बेडकर ग्राम/समग्र ग्राम हेतु 08 करोड़ 32 लाख 28 हजार का परिव्यय अनुमोदित था। इस प्रकार कुल अनुमोदित परिव्यय 21 करोड़ 39 लाख 45 हजार के सापेक्ष 11 करोड़ 65 लाख 09 हजार एस0सी0पी0 मद में अनुमन्य था। इस सम्बन्ध में माननीय प्रभारी मंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई और शासन के द्वारा निर्गत नीति के अनुपालन में जिला समिति द्वारा कार्यवार एवं मदवार अना अनुमोदन प्रदान किया गया। समय-समय पर प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण एवं प्रमुख सचिव, लोक निर्माण के द्वारा निर्गत नीतिगत आदेशों को भी अनुमोदन के समय संज्ञान में लिया गया फिर भी आज तक जिला नियोजन समिति के निर्णय के अनुरूप जिला योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों का शासनादेश निर्गत न किये जाने से जहां निर्धारित की गयी शासन की व्यवस्था के प्रति अविश्वास उत्पन्न हो गया है वहीं जनहित भी गम्भीर रूप से प्रभावित है। अनुरोध है कि जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति, प्रतापगढ़ द्वारा लोक निर्माण विभाग के लिये अनुमोदित कार्यों के अनुरूप तत्काल शासनादेश निर्गत किया जाना जनहित में नितान्त आवश्यक है।" प्रकरण में सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये वक्तव्य की मांग की गयी है।

इस संबंध में अवगत कराना है कि जनपद प्रतापगढ़ के जिला योजना समिति से अनुमोदित सामान्य मद के सापेक्ष कुल 54 कार्यों की लागत रु0 10.5247 करोड़ का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जो परीक्षणाधीन है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।]

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सदन संचालन में सहयोग हेतु आभार प्रदर्शन

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, 21 तारीख से सदन की कार्यवाही प्रारम्भ हुई और आज तक कुल 14 उपवेशन हुये हैं, मान्यवर, इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपके दिशा–निर्देशन पर और माननीया मुख्यमंत्री नेता सदन के निर्देश पर, उनकी सलाह पर, हमारे नेता प्रतिपक्ष और सभी दल के नेता प्रमोद तिवारी जी, लोकदल के नेता प्रतिपक्ष और सभी दल के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता मा0 ओम प्रकाश सिंह, कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी जी, लोकदल के नेता कोकब हमीद जी, सभी सम्मानित नेताओं के सहयोग से सदन की कार्यवाही एक लम्बे अन्तराल के बाद बहुत ही व्यवस्थित ढंग से चली और मान्यवर, केवल 21 और 27 तारीख को छोड़कर, 21 को प्रश्न प्रहर नहीं था, 27 को निधन के निदेश थे, निधन पर शोक व्यक्त किया गया। मान्यवर, 28 जनवरी से लेकर आज लगातार 16 फरवरी तक, शायद काफी लम्बे समय के बाद यह पहला सत्र है, जिसमें प्रश्न प्रहर लगभग सभी दिन हुये हैं, इसके लिये मान्यवर, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, साथ–साथ प्रतिपक्ष के सभी मा0 नेताओं का और सदस्यों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि जिनके सहयोग से लम्बे समय के बाद ऐसा सम्भव हो सका। हमारा प्रयास रहा है, शासन के सभी मंत्रीगण और समय--समय पर माननीया नेता सदन भी सदन में उपस्थित होकर उन्होंने अपने विचार रखने का काम किया है। सभी लोगों का मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूंगा आज इस सदन के साथ–साथ इस विधान सभा के प्रमुख सचिव, सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण का भी आभार व्यक्त करूंगा, सुरक्षा कर्मियों और पत्रकार बन्धुओं का भी आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने विधान सभा की कार्यवाही को जनता के बीच में इलेक्ट्रानिक मीडिया के लोग जिन्होंने इस विधान सभा की कार्यवाही को जनता के बीच में ले जाने में मदद करने का काम किया है। विधान सभा के जो कर्मचारी हैं वह भी सुबह से ही काम पर लग जाते हैं, हम लोग जब सुबह प्रातः जगते हैं तो सुबह 6.00 बजे ही विधान सभा का एजेण्डा उस समय ही प्राप्त हो जाता है। यानी सुबह से ही सभी लोग अपने कार्य में लगते हैं। इसलिये मैं विधान सभा के सभी कर्मचारीगणों का भी आभार व्यक्त करता हूं। माननीया नेता सदन जी ने, इस कारण जो विधान सभा के कर्मचारी हैं, जिन्होंने अथक परिश्रम करके विधान सभा के सत्र में संचालन में सहयोग करने का काम किया है, उनको जो मानदेय पिछले वर्ष 3000 रुपये था उसको 3500 रुपये करने का निर्णय लिया है। मैं पुनः सभी सम्मानित नेताओं का, सभी सम्मानित मंत्रीगण का, सत्तापक्ष के सभी माननीय सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, सभी सम्मानित सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुये, सभी सम्मानित सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुये आपका विशेष आभार व्यक्त करते हुये कि यह सब केवल और केवल आपके कुशल संचालन के कारण संभव हो पाया, एक अच्छी स्थिति बनी है जिसमें हम विचार मंथन किये। जो इश्यू था, जनता की जो समस्यायें थीं, सभी सम्मानित सदस्यों ने विधान सभा में उठाने का काम किया है इसके लिये मैं आभार व्यक्त करते हुये अपनी बात को विराम देता हूं।

*डॉ0 वकार अहमद शाह–

माननीय अध्यक्ष जी, पहले तो मै। आपका आभार व्यक्त करूं कि आपके कुशल संचालन में, आपके अधिकारियों के कुशल सहयोग से यह बहुत अच्छा सेशन चला। हम लोगों की आशा थी कि सरकार पूरा मौका देगी और जो निर्धारित समय था उससे बढ़ाकर के सारे सदस्यों के क्षेत्रों की समस्याओं को सुनेगी, किन कारणों से सदन का समय कम कर दिया यह तो मैं नहीं जानता लेकिन मैं बहुत आभारी हूं, आपका, आपके अधिकारियों का, सुरक्षा कर्मियों का, प्रेस के साथियों का, जिन्होंने इस सेशन को पहली बार बहुत सुचारु रूप से चलाया है। मैं विपक्ष के सारे नेताओं का भी आभर व्यक्त करूंगा जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपने भावों को यहां रखा है। सरकार ने जिस तरह से सदन चलाया उससे हम लोगों की तृप्ति तो नहीं हुई लेकिन किसी तरह से काम चलाया है। उसके लिये हम उनके आभारी हैं। खासतौर से आपके और सारे लोगों के आभारी हैं।

*डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय विधायकों की ओर से मैं आपका और नेता सदन का और सम्पूर्ण सदन का, सभी माननीय मंत्रियों का और उनके द्वारा प्रतिबद्धता के साथ हमारी उठायी गयी समस्याओं के जवाब देने के लिये और हम लोगों को गम्भीरता से लेने के लिये मैं हृदय से आभारी हूं। आपके आचरण, आपके व्यवहार और आपकी निष्पक्षता के लिये मैं आपका आभारी हूं। वस्तुतः आपने जिस तरह से सम्पूर्ण विपक्ष को संरक्षण दिया, हम लोकतंत्र में आपके ही सहारे होते हैं सदन में, और आपने जिस प्रकार से सम्पूर्ण विपक्ष को अवसर दिया है, अगर हम इस सदन में इसके प्रति आपका आभार प्रदर्शित न करें तो शायद यह किसी भी निष्पक्ष व्यक्ति के प्रति एक अन्याय होगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का भी मैं आभारी होउंगा कि बहुत से तनाव के क्षण आते हैं, विपक्ष की अपनी भूमिकाएं हैं, आक्रमण करना और जनता की समस्याओं को रखना, लेकिन जिस सहृदयता के साथ आप लोगों ने बातों को सुना है और हम सब जानते हैं कि उनमें से जो उचित होंगे वह काम भी होंगे, किसी भी सरकार के लिये सब काम करना कभी संभव नहीं होता। मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं। हम लोगों ने भी उत्तरदायित्व का परिचय दिया है, आपने महसूस किया होगा। इस वेल में कोई सदस्य इस बार नहीं आया, कोई स्थगन नहीं हुआ और शायद ही कभी आपको किसी अभद्र आचरण का कोई विशेष सामना करना पड़ा हो। यह उत्तर प्रदेश अपनी लोकतांत्रिक गतिविधियों से पूरे देश में अपना स्थान बनायेगा, मुझे विश्वास है। धन्यवाद।

*श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आज 21 जनवरी से चलने वाले इस सत्र का अंतिम दिन है। जैसा कि हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम अनिश्चितकाल के लिये यहां से उठेंगे और अनिश्चितकाल से उठने के पहले मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार चाहेगी तो नियमावली के नियम 14 के अन्तर्गत 2 महीने के अन्दर, हम एक बार फिर बैठेंगे 10 दिनों के लिये, न 10 दिनों के लिये बैठ सकें तो 3–4

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिनों के लिये बैठें, उससे बड़ा फायदा होता है, अगर दूर तक देखें तो सत्ता पक्ष को ही फायदा होता है, तो समस्यायें रहती हैं वो विपक्ष को उठाने का मौका मिल जाता है। आज मैं यहां इस सत्र की समाप्ति पर आग्रह करूंगा कि इसका ध्यान रखा जाये। मान्यवर, इस सत्र को कई रूपों में बहुत अच्छी तरह से याद किया जायेगा मान्यवर, मैं विनम्रतापूर्वक आपसे कहना चाहता हूं कि यह अवसर ऐसा होता है कि जहां दिल से बात की जाये, दिमाग से नहीं। पार्टी की प्रतिबद्धता से ऊपर उठ करके की जाये। मैं नेता सदन के प्रति सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत दिनों से चली आ रही और अव्यावहारिक हो रही कुछ बातों को समाप्त कर उन्होंने जिस तरीके से, सम्मानित विधायक अपने क्षेत्र में ज्यादा बेहतर ढंग से कार्य कर सकें, सेवा कर सकें, जिस तरह उन्होंने कुछ घोषणायें की फिर उनका पालन भी किया, इसके लिये मैं नेता सदन के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं)

मेरा ख्याल है कि कुछ लोगों ने चाहकर भी मेजें नहीं थपथपाई, शायद उन्हें प्रतीक्षा थी कि विधान मण्डल की विकास निधि की वृद्धि होगी और कल जब मुख्य मंत्री जी आईं तो सब एकटक उन्हीं को देख रहे थे कि किसी समय वह खड़ी होंगी और वह घोषणा कर देंगी कि 25 लाख रुपये कम से कम बढ़ाया गया लेकिन मुझे दुख है कि मान्यवर, उनकी अगल-बगल की संगत बड़ी खराब है, अगल-बगल बैठने वाले एक दो लोग ऐसे हैं, जो होने नहीं देते एक दो काम मान्यवर, तो अच्छा काम करना भी चाहें तो मान्यवर, वो होने नहीं देते हैं। मुझे लगता है कि कुछ ऐसा ही कल भी हुआ है वरना जिस समय वो आई थी, उस समय यह तय करके आई थीं लेकिन जब गई तो वर्मा जी को डांटते हुये गईं, क्यों डांट रही थीं, यह तो मैं नहीं जानता, शायद नसीमुद्दीन जी या राय साहब ने सुना होगा और जिन्होंने डांट खाई वो तो कभी बतायेंगे नहीं कि क्यों डांटे गये हम। मैं समझता हूं कि वह घोषणा करना चाह रही थी, इन्होंने घोषणा होने नहीं दी। मैं चाहता हूं कि अगले सत्र में, वह दो महीने बाद होना है और सत्र में न भी करना चाहें तो छठे वेतन आयोग का भार बहुत है, वह इस बार निर्वाहित हो गया है। अब अगला जो वित्तीय वर्ष आ रहा है, उसमें विधान सभा क्षेत्र विकास निधि की घोषणा जरूर करें। हमें रोज इस बात की आशा रहेगी कि आपने देर से सही लेकिन एक सही कदम उठाया। मान्यवर, दूसरा इस सत्र को हम इसलिये भी याद करेंगे कि मैं पिछले 30 साल से इस विधान सभा का सदस्य हूं, पहली बार इसका सारा का सारा श्रेय विपक्ष को जाता है। मान्यवर, मैंने पहली बार देखा कि वे तरसता रह गया . . . .

(हंसी)

किसी के चरण वहां नहीं पड़े, कुवेर जी शायद दिशा भटक कर चले गये होंगे, पार्टी तो नहीं गयी थी, जहां तक मुझे याद है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं गयी थी। यह सत्र इसके लिये भी याद किया जायेगा। मान्यवर, यह सत्र इसके लिये भी याद किया जायेगा जो बात रह गयी थी कि पहली बार मुझे 30 सालों में ऐसा लगा कि व्यवधान ही नहीं हुआ। व्यवधान से मेरा मतलब है एडजर्नमेण्ट नहीं

हुआ। हम चाहते तो बीच में 1 घण्टे, 2 घण्टे, 3 घण्टे, फिर हम उठते हैं, घोषणा होती कि हम 12 बजे मिलेंगे, फिर मार्शल आते और कहते कि 1 बजे तक के लिये सदन स्थगित किया जाता है, फिर 2 बजे तक होता और फिर होता वही मान्यवर, कि फिर सदन चलता लेकिन मुझे जहां तक याद पड़ता है इस बार ऐसी नौबत नहीं आई, इसका सारा का सारा श्रेय यदि किसी को दिया जा सकता है तो वह सम्मानित विपक्ष के सदस्यों को दिया जा सकता है। मान्यवर, मानदेय अभी बढ़ाया, 3000 से 3500 किया। मेरी निश्चित जानकारी है कि मुख्य मंत्री जी चाहती हैं कि मानदेय 5000 बढ़ाया जाये, अब इन्होंने बीच में डांड़ी मार दी पता नहीं कहां से, वित्त मंत्री जी ने, 3000 से 3500 ही किया। मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा कि कुछ चीजें बैलेंस की जाती हैं, जब आपने सबका बढ़ाया है तो उसी अनुपात में इनका भी बढ़ा दें, 500 रुपया आजकल के जमाने में होता क्या है ? और कितना भार आयेगी आप पर। मैं चाहता हूं कि विचार करके जो कर्मचारी सुबह से शाम तक काम करते रहे हैं। इनका अगर तीन हजार से बढ़ाकर तीन हजार पांच सौ किया गया, अगर पांच हजार कर दें तो मैं समझता हूं कि इस पर सभी लोग सहमत होंगे किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, कर दें। मान्यवर, एक बात मैं यह भी कहूंगा कि अबकी सबसे कम वाक आउट भी हुये, सबसे कम मान्यवर वाक आउट हुये हैं तो उसका श्रेय विपक्ष को जाता है तो मान्यवर, मैं माननीय मंत्रि–परिषद् के सदस्यों को भी उसका श्रेय देना चाहता हूं कि इस बार एक भी प्रश्न स्थगित नहीं हुआ है, इसका मतलब मंत्रि–परिषद् के सदस्य तैयारी करके आये थे और उन्होंने उत्तर समुचित रूप से दिया है मान्यवर, इसलिये मैं मंत्रि–परिषद् के सदस्यों की भी इस बात के लिये प्रशंसा करता हूं कि अब की उन्होंने सदन को गम्भीरता से लिया है। मान्यवर, यह तो बारात हो गई। यह हो गये वर पक्ष, वधू पक्ष, लेकिन मान्यवर, आप तो जो हैं, खुद ही जानते हैं, वर पक्ष और वधू पक्ष बेकार हैं जब तक दूल्हा वहां स्पीकर के रूप में न बैठा हो मान्यवर, और आपने दूल्हे के रूप में बहुत अच्छा निर्वाह किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है और बस सौभाग्य है कि आप दूल्हे के रूप में बैठे, दूल्हन के रूप में बैठते तो हम और आप कहीं मुंह दिखाने के लायक न रह जाते। उसका कारण यह था कि आप में एक आदत तो है ही नहीं न करने की और आप न नहीं करते तो फिर क्या होता, यह आप भी जानते हैं मान्यवर, और हम लोगों की तो आदत ही है कि कुछ थोड़ा बहुत मिल जाय तो थोड़ा और आगे हाथ बढ़ाते हैं, थोड़ा और हाथ बढ़ाते हैं, अगर हम पहले से कह दें कि हम दस मिनट बोलेंगे तो आप बोलने देंगे मान्यवर, हम तो शुरुआत ही एक मिनट से करते हैं, दो मिनट पर आते हैं, फिर पांच मिनट पर आते हैं, फिर दस मिनट पर आते हैं और फिर जब आप बहुत नाराज [illegible] लगते हैं तो फिर थोड़ा–थोड़ा ब्रेक हम लोग लगाते हैं, लगते–लगते एक [illegible] मिनट और पार हो ही जाता है। तो मान्यवर, बड़ा अच्छा है, मैं सिर्फ इतना [illegible] सकता हूं कि मैं किसी के प्रति कोई भी धारणा जो हमारे पुराने अध्यक्ष रहे हैं एक को छोड़ कर सबके बारे में मेरी बड़ी अच्छी धारणा है और एक कौन है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मान्यवर, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि बहुत से अध्यक्ष मैंने देखे हैं लेकिन तुम सा नहीं देखा मान्यवर, इसमें कोई

दो राय नहीं है, यू आर ग्रेट। बस आप जैसा नहीं देखा मान्यवर, आप बहुत ही अच्छे ढंग से बहुत ही सम्मानित ढंग से और मैं एक चीज देखता था मान्यवर, मैं अपना अनुभव आप लोगों से बांटना चाहता हूं कि पुराने जमाने में यह होता था कि स्पीकर देखते रहते थे संसदीय कार्य मंत्री जी की तरफ, क्योंकि यह लोकतंत्र है, इसमें होना वही है जिसका बहुमत है। इसमें सुनी जाती है विपक्ष की और की जाती है हमेशा स्पीकर द्वारा सत्ता पक्ष की, यह एक स्थापित नियम है। मैंने पहला अध्यक्ष ऐसा देखा जो संसदीय कार्य मंत्री की तरफ देखता ही नहीं। मान्यवर, आप हमेशा अगर देखते रहे तो विपक्ष की तरफ देखते रहे और विपक्ष की तरफ देखते हुये मान्यवर, आपने हमेशा सही निर्णय लिये। चूंकि हमने देखा जब आपने इधर देखा तो आपका निर्णय सही हुआ, जब आपने उधर देखा तो आपका निर्णय गलत हुआ मान्यवर, तो मैं आपसे भविष्य के लिये भी कहना चाहता हूं कि इसको बनाये रखें। कुछ वरिष्ठ मंत्री भाई नसीमुद्दीन जी, उपाध्याय जी, राकेशधर त्रिपाठी जी , अब यह तो बिचारे विभाग के लिये इतने चिन्तित रहते हैं, हम लोगों के लिये इतने चिन्तित रहते हैं कि ऊपर से पूरा पाला खाली हो गया है मान्यवर एक नहीं बचे चिन्ता के मारे। जो कुछ बचे भी हैं तो साल दो साल जो बचा है उसमें भी खत्म हो जायेंगे। अच्छा मान्यवर, एक साहब और हैं यहां पर, अगर समय हो दो मिनट, तो मैं बोल लूं। इनकी आज तक मैं यही नहीं तय कर पाया कि इनकी ससुराल कहां है। उस दिन सीमा द्विवेदी जी से कह रहे थे कि वहां कहीं ससुराल है, कभी-कभी प्रतापगढ़ की तय कर लेते हैं। ऐसे लोग वह होते हैं जो बाजार में खड़े तो होते हैं, लेकिन गिन नहीं पाते, अपने लिये कुछ ले नहीं पाते हैं। इनकी स्थिति तो मान्यवर, मुझे लगता है कि आपको भेज कर पता लगवाना पड़ेगा कि कुछ है भी यह कि नहीं है, वरना इधर-उधर गड़बड़ी जो कर रहे हैं मान्यवर, और अगर ऐसा हो तो इनको माध्यमिक में तो बिल्कुल न रहने दिया जाय।

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री रंगनाथ मिश्र)-

मान्यवर, यह बहुत बड़ी चुनौती है, मैं चाहूंगा कि आप पीठ से व्यवस्था करें कि यह हमारा परीक्षण करा लें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक एक निवेदन और अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अपना समय उन्हीं कामों के लिये बरबाद करें, जो परीक्षण न हुआ हो। मैं इनका परीक्षण तब कर चुका हूं, जब यह भारतीय जनता पार्टी में थे। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो मैंने कहा था, वही सही है।

श्री रंगनाथ मिश्र-

आज प्रमोद जी को, इनकी बहन को लाठी डन्डे से पीटा गया इन्होंने बताया, यह कहा गया कि आगे चोट लगी कि पीछे, इन्होंने कहा कि टेल में लग गयी तो यह जानें मान्यवर, कहां चोट लगी।

श्री प्रमोद तिवारी-

विधान सभा में बहुत सी बातें इशारतन होती हैं माननीय अध्यक्ष जी, माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी नकल हटाते-हटाते खुद ही नकल करने लगे, दिक्कत यह हो गयी।

मान्यवर, मैं सभी मंत्रि–परिषद् के सदस्यों को, एक जरूर मैं बल देते हुये अपनी बात को समाप्त करूंगा, मैंने यह कहा था एक उदाहरण देना चाहता हूं प्रमुख सचिव जी से रिकार्ड निकलवा लें मान्यवर, जब देश आजाद हुआ तो विधायिका सुप्रीम मानी जाती थी और इसीलिये उत्तर प्रदेश और केन्द्रीय, जो यहां के आपके अधीन कर्मचारी थे उनको हमेशा राजकीय कर्मचारियों से बेहतर वेतन दिया जाता था क्योंकि कार्यपालिका हमेशा विधायिका के अन्तर्गत है विधायिका कार्यपालिका के अन्तर्गत नहीं है। और इसीलिये पार्लियामेन्ट में हमेशा पार्लियामेन्ट के कर्मचारियों को बेहतर वेतनमान और सुविधा दी गयी। मेरी यह सूचना है और मैं आपको दे रहा हूं आप चाहे तो संसदीय कार्य मंत्री जी से दरयाफ्त कर लें। मैं प्रमुख सचिव जी से कहूंगा कि उसको दिखवा लें। मान्यवर, इन सब बातों के साथ अगर रहा है यह परम्परा तो फिर इनको कम क्यों किया जा रहा है, इनको नहीं कम किया जा रहा है आपको कम किया जा रहा है, हमको कम किया जा रहा है, सदन को कम किया जा रहा है। अब होता क्या है पहले मंत्रि–परिषद् सर्वोच्च होती थी मंत्री जो निर्णय लेता था वित्त उसको मानता था अब यहा जो वित्त निर्णय लेता है उसको मंत्री जी यहां बता देते हैं तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जैसे पुरानी परम्परा रही हो, दिखवा लें अगर आपके अधीन कर्मचारी राज्य कर्मचारियों से एक स्टेप बेटर थे तो गिनती के कुछ सुरक्षाकर्मी, कुछ अनुवादक, कुछ समीक्षक क्या मांग रहे हैं टेलीफोन, क्या मांग रहे हैं अखबार यह सब छोटी–छोटी चीजें हैं इन्हें किया जा सकता है, यह मेरा अनुरोध है। प्रमुख सचिव जी से मैं यह जरूर कहना चाहता हूं और उनके साथ संबंधित जितने स्टाफ हैं इन लोगों ने दिन रात काम किया, अनवरत रूप से काम किया। हम लोग तो 11.00 बजे आते हैं चले जाते हैं लेकिन 11.00 से लेकर 5.00–6.00–7.00 बजे तक हम बैठ सकें इसके लिये सामग्री यही उपलब्ध कराते हैं। तो मैं आपके माध्यम से प्रमुख सचिव और उनके सभी कर्मियों के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं और अन्त में एक बात कहते हुये कि जब यह सत्र होता है तो लोकतंत्र में यह होता है कि चुनाव सब लड़ते हैं जिसका बहुमत होता है वह सरकार बना लेता है और जिसका बहुमत नहीं होता है वह विपक्ष में बैठ जाता है। इस समय सरकार बसपा ने बनाई हम सब विपक्ष में बैठे हैं। हर पार्टी की अपनी नीति है समाजवादी पार्टी की समाजवादी है उनका अपना, भाजपा का अपना दृष्टिकोण है, कांग्रेस का अपना दृष्टिकोण है, लोकदल का अपना दृष्टिकोण है, निर्दलियों का भी जीवन की कोई मान्यताएं होती हैं। बसपा का भी निश्चित और निर्धारित सिद्धान्त है इनमें आपस में टकराव है, चुनाव में रहता है और कभी–कभी वह आकर यहां भी परिलक्षित हो जाता है। तो अगर मान्यवर, सिद्धान्तों की अडिगता के कारण अपने अपने सिद्धान्तों के परिपालन के कारण हमारे बीच में कहीं कोई कड़ुवाहट आई हो तो मैं सबकी तरफ से विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर सबसे क्षमा याचना करता हूं, आप सभी से करता हूं कि इसको भूलकर हम सदन से सब जायं तो एक परिवार की तरह यहां से जायं एक ऐसा परिवार जो अन्दर से बहुत जुड़ा हुआ है उस परिवार के साथ विदा लें और इन शब्दों के साथ एक बार मैं अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपको फिर कहना चाहता हूं कि जब तक आप हैं तब तक आल इज वेल कोई दिक्कत की बात होने वाली नहीं है, चिन्ता की कोई बात नहीं है। आप रहेंगे तो ठीक रहेंगे

लेकिन एक बार मुस्करा तो दीजिये आप सीरियस क्यों हो जाते है। मैंने आपकी दो फोटो देखी है मान्यवर, एक में आप मुस्कराते हुये और दूसरे में आप सीरियस, सीरियस वाली बिलकुल कण्डम लग रही थी लेकिन मुस्कराती वाली बहुत अच्छी लग रही थी तो आप इसी तरह से मुस्कराते रहें। मंत्रि-परिषद् के सदस्य एक अच्छा संबंध बनाकर रखें विपक्ष के साथ भी और सत्ता पक्ष के साथ भी। कुछ सदस्यों की मैं बहुत तारीफ करना चाहता हूं जो बहुत जमकर बोले हैं और बहुत विस्तृत तैयारी के साथ बोले हैं डाक्टर साहब यहां पर बैठे ही है। हमारे डॉ0 पी0 के0 राय बहुत पुराने चावल है, बहुत दिनों से आ रहे हैं इनका भी ज्ञान, ध्यान बहुत है। मान्यवर, कुछ लोग बिना बात के बोले हैं लेकिन अच्छा बोले हैं जैसे चौधरी साहब वह बहुत अच्छा बोले हैं, बहुत ज्ञान है, बहुत मेहनत के साथ बोलते हैं और नेता, विरोधी दल का मैं बहुत सम्मान करता हूं आदर के साथ वह जितना भी बोले हैं सालिड बोले है, अच्छा बोले हैं, ठीक बोले है, मै उनके प्रति भी कृतज्ञता अर्पित करना चाहता हूं कि उन्होने अपने दायित्व का निर्वहन पूरी कुशलता के साथ किया है। हमारे कांग्रेस के जो सदस्य रहे हैं, सीमित संख्या है लेकिन मैं इनके प्रति भी अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं, इन्होने बहुत ही सहयोग के साथ, रुचि लेकर सभी कांग्रेस के सदस्यों ने कार्य किया है। सत्ता रूढ दल से सदस्यों को बोलने का अवसर कम मिला है लेकिन जब कभी भी मौका मिला है तो कुछ सदस्यो ने बहुत अच्छा यहां पर आचरण किया है और सभी मत्रि-परिषद् के सदस्यो के साथ भी अच्छा आचरण रहा है। मैं एक बार सबकी प्रशसा करते हुये, आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुये शीघ्र मिलने के वायदे के साथ यहां से विदा लेता हूं।

*श्री इकबाल महमूद-

आदरणीय अध्यक्ष जी, चौथी बार मैं चुनकर आया हूं और पहला अनुभव मेरा हुआ है जब यह सत्र इतनी अच्छी तरीके से चला। कोई ऐसी बात नहीं हुई जिसके ऊपर हम लोग वेल में आ जाते या कुछ कर देते और यहां तक कि आप भी किसी के ऊपर गुस्सा नहीं हुये। सब बातें बताई हमारे तिवारी जी ने। पिछला कुछ अनुभव ऐसा रहा कि जब सत्र खत्म होता था तो कुछ न कुछ घोषणाये भी हुआ करती थीं। अब हम जा रहे हैं, क्षेत्र में जायेंगे तो जनता हमसे पूछेगी कि तुमने तो अपनी तनख्वाह बढ़वा ली, हमारे लिये भी कुछ लाये हो। थोडा सा यही रह गया है, अभी वक्त है, अभी खत्म नहीं हुआ है। पी0डब्ल्यू0डी0 मिनिस्टर बैठे हैं चाहेंगे, तो कुछ मिल जायेगा। ग्राम्य विकास मंत्री जी बैठे हैं, ऊर्जा मत्री जी बैठे हैं कुछ न कुछ तो मिल जाना चाहिये। यह चीज हमारे आपके सभी के लिये है। जनता जरूर पूछेगी क्षेत्र में जाने पर, कि अपनी तनख्वाह जो बढ़वा लाये, पर हमारे लिये क्या लेकर आये। तो हम तो अध्यक्ष जी आपके द्वारा सभी मंत्रियों से यह कहेंगे कि आपको भी अपने क्षेत्र मे जाना है, हमें भी जाना है, तो अपना, हमारा सबका ख्याल रखें और इस सिलसिले में भी कोई घोषणा कर दें, तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत-बहुत धन्यवाद।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

इस बजट सत्र में संचालन हेतु सदन की नेता माननीया मुख्य मंत्री जी ने अपने निर्देशन और सदन को सुसज्जित ढंग से चलाने के लिये, जिस तरह से दलीय नेताओं की बैठक में मुझे भी आश्वस्त किया था और सभी दल के नेताओं से निवेदन भी किया था और सत्ता पक्ष के सदस्यों के प्रति उन्होंने जो विश्वास दिया था कि हमारे सदस्य सदन के संचालन में अच्छा सहयोग करेंगे वह सहयोग हमको भरपूर मिला। मैं नेता सदन के प्रति पूर्णरूप से और दिल से आभार प्रकट करता हूँ। सदन संचालन में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बखूबी जिस तरह से सत्ता पक्ष की बातों को रखना चाहिये और जिस तरह से इस संचालन में उनका सहयोग मिला है और एक महौल को जब भी कहीं बिगड़ी परिस्थिति में आया है तो आपने हमारा पूरा सहयोग किया है। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। नेता प्रतिपक्ष ने, जब भी मैने अनुरोध किया कि नेता प्रतिपक्ष जी सदन को चलने दें आप हमारा सहयोग करें तो नेता प्रतिपक्ष ने भरपूर सहयोग किया मैं तो उनका पूरी तरह से इस बात के लिये आभार प्रकट करता हूँ, कि नेता प्रतिपक्ष ने जिस तरह से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया उन्होंने महसूस किया होगा कि सदन का एक मिनट का समय भी महत्वपूर्ण होता है। संचालन में मैं सहयोग करूँगा, वह उनके द्वारा परिलक्षित हुआ है इसके लिये मैं नेता प्रतिपक्ष के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। माननीय वकार साहब ने आभार प्रकट किया मैं उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ हमारे डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने इस सदन में जिस भी विषय पर अपनी सहभागिता की है उसमें चाहे उनकी प्रस्तावना हो या जो भी रहा हो, उन्होंने बहुत ही सैद्धान्तिक और वैधानिक ढंग से अपनी बात को सदन में रखने का काम किया है, उसे एक नसीहत के रूप में मैंने देखा और जब भी उनसे मैंने अनुरोध किया कि अग्रवाल साहब अब आप अपनी बात को रोक लें, वह तुरन्त रुक जाते थे, मैं उनके प्रति बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आपने इस सदन में अपनी जानकारी का अपनी प्रतिभा का जिस तरह से चित्रण किया है, वह सभी मा0 सदस्यों के लिए अनुकरणीय है, सभी मा0 सदस्यों को इसी तरह से तैयारी करनी चाहिए। मा0 तिवारी जी के प्रति हमारा पूरा आभार तो है ही, उनका हमें बहुत सहयोग मिला, जब भी स्थितियां तनावपूर्ण हुई, मा0 तिवारी जी ने कहीं न कहीं माहौल को बदलने में आपस में अच्छा भाईचारा बनाने में बहुत सहयोग किया है। मैं उनके प्रति सदन में तो आभार प्रकट करता ही हूँ मैं बाहर भी उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि आप जैसे पालिटीशियन हम लोग भी बने, आपसे नसीहत लें। मैंने किसी की बात का इनकार नहीं किया है वैसे भी आप सभी की भावनाओं का आदर करना हमारा स्वभाव रहा है। मैं सभी प्रतिपक्ष के नेताओं, सदस्यों का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने सदन संचालन में हमारा भरपूर सहयोग किया है। नेता, लोकदल और अन्य हमारे नेतागणों ने हमारा सहयोग किया है, हमारा उत्साहवर्धन किया हैं। माननीय तिवारी जी सदन में एक आकर्षण बिन्दु बने रहते हैं उन्होंने भी अपनी विद्वता और जानकारी का जो प्रदर्शन किया है उसे हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए, हम उसे एक नजीर के रूप में स्वीकार करते हैं। हम सभी को इस प्रकार

का वातावरण बनाना चाहिए, गम्भीर परिस्थितियों में भी उनको कभी आक्रोश नहीं आया। आज जो तिवारी जी ने कहा मैं उसे स्वीकार करता हूँ कि 15 फरवरी तक हमारा जो समय रहा, 70 घण्टा 26 मिनट सदन चला है उसमें से केवल 59 मिनट ही स्थगन हुआ है, यह बहुत बड़ी चीज है। इसमें बहुत सहयोग विपक्ष के हमारे नेताओं का रहा है और सत्तापक्ष के भी सभी सदस्यों का बहुत सहयोग रहा है। हमारे सत्तापक्ष के मा0 मंत्रिपरिषद् के मा0 वरिष्ठ सदस्य सामने जो बैठे हैं, सिद्दीकी साहब, मा0 ऊर्जा मंत्री जी हैं, वनमंत्री जी हैं, मा0 जयवीर सिंह जी हैं, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और कृषि मंत्री जी, राय साहब और तमाम हमारे मंत्रीगणों ने तैयारी करके, अपना समय दे करके, सदन संचालन में बहुत महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। मैं अपने नये सदस्यों की सबसे ज्यादा सराहना करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ कि जितनी ज्यादा रुचि उन्होंने दिखायी है, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाओं के तहत् जानकारी करना, लोकतान्त्रिक परम्पराओं को कायम करने के लिए मैं उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ, मैं दिल से सत्तापक्ष और विपक्ष के मा0 सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं, सभी का स्वागत करता हूँ। मैं अपने विधान सभा के प्रमुख सचिव, विशेष सचिव और सभी अधिकारीगणों का स्वागत करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ कि सदन संचालन में आप लोगों का हमको पूरा सहयोग मिला, मैं अपने विधान सभा के अधिकारियों/कर्मचारियों के पति आभार प्रकट करता हूँ कि आपका हमें पूरा सहयोग मिला है। साथ ही मैं अपने सुरक्षा कर्मियों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने आप लोगों का सम्मान रखते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है, मैं उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। मैं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ कि विधान सभा की कार्यवाही में जब भी आप लोगों की जरूरत पड़ी है आप लोगों ने अच्छी तरह से उसका निर्वहन किया हैं। मैं सफाईकर्मी को भी धन्यवाद देता हूँ कि हम लोगों के आने से पहले उन्होंने इस विधान सभा मण्डप को स्वच्छ रखा और हमारा मण्डप स्वच्छ रहा। मैं साउन्ड सिस्टम के अपने सभी कर्मचारियों को यह आभार प्रकट करता हूँ कि आपने एक अच्छी व्यवस्था दिया और अंत में अपने पत्रकार भाइयों का मैं बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप सब लोगों ने इस विधानसभा की कार्यवाही को जनता के बीच में बखूबी निष्पक्षता के साथ पहुँचाने का प्रयास किये है। आप हमारे लोकतंत्र के चौथे अंग है। आपने भी अपनी जिम्मेदारी का पूरा-पूरा निर्वहन किया है। ऐसी परिस्थिति में मैं सभी सदन के सदस्यों का आभार प्रकट करता हूँ। अंत में मैं आज शुभकामना दे रहा हूँ कि आज आप लोग सब अपने एक परिवार, एक मोह लग रहा है एक प्यार था, जो हम लोग इतने दिनों तक एक साथ बैठे हैं। माहौल जो भी रहा हो, लेकिन एक परिवार के सदस्य के रूप में हैं। आज आप सब लोग अपने--अपने क्षेत्रों में जायेंगे। आप लोगों को पूरी हमारी शुभकामना है कि आप लोग की अपने क्षेत्र में लोकप्रियता बढ़े। आप खुशहाल हो, तंदुरूस्त हो यह हमारी पूरी शुभकामना है। जाने-अनजाने में हमसे कोई गलती हो गयी हो, संचालन में तो मैं सबसे अनुरोध करूँगा कि आप हमको क्षमा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी पूरी शुभकामना है कि आप सब लोग अपने क्षेत्र में जायें, खुशहाल रहे, आपकी लोकप्रियता, आपकी कर्मठता को जनता स्वीकार करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबका आभार प्रकट करता हूँ।

सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित किए जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूँ कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

राष्ट्रगान

श्री अध्यक्ष–

अब राष्ट्रगान।

जन-गण-मन-अधिनायक जय हे।
भारत-भाग्य-विधाता।।
पंजाब-सिंधु-गुजरात-मराठा
द्राविड़-उत्कल-बंग।
विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा,
उच्छल-जलधि-तरंग।।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे।।
गाहे तव जय गाथा।।
जन-गण-मंगलदायक जय हे,
भारत-भाग्य विधाता।।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे।।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

अब हम उठते हैं अनिश्चितकाल के लिए।

इसके बाद सदन का उपवेशन 04 बजकर 29 मिनट पर अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो गया।

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक 16 फरवरी, 2010

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "क"

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0 8 का उत्तर पीछे पृष्ठ--40 पर।)

संलग्नक--1

उत्तर प्रदेश में कार्यरत उपक्रमों/निगमों के नाम

क्र0सं0	उपक्रम/निगम का नाम
1	2
1	उ0 प्र0 एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि0
2	उ0 प्र0 अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लि0
3	उ0 प्र0 वक्फ विकास निगम लि0
4	उ0 प्र0 आवास विकास परिषद्
5	उ0 प्र0 राज्य भण्डारण निगम
6	यू0 पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0
7	यू0 पी0 डेवलपमेन्ट सिस्टम कारपोरेशन लि0
8	उ0 प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम
9	उ0 प्र0 सचिवालय खानपान निगम
10	उ0 प्र0 खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0
11	उ0 प्र0 वन निगम
12	उ0 प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0
13	उ0 प्र0 वित्तीय निगम
14	उ0 प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0
15	यू0 पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0
16	उ0 प्र0 महिला कल्याण निगम लि0
17	उ0 प्र0 जल निगम
18	उ0 प्र0 निर्यात निगम लि0
19	उ0 प्र0 लघु उद्योग निगम लि0
20	उ0 प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0
21	उ0 प्र0 पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0
22	उ0 प्र0 अनु0 जनजाति वित्त एवं विकास निगम लि0
23	उ0 प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0
24	उ0 प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0
25	उ0 प्र0 पर्यटन विकास निगम लि0
26	उ0 प्र0 बीज विकास निगम

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2
27	उ0 प्र0 भूमि सुधार निगम
28	उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0
29	यू0 पी0 पावर कारपोरेशन लि0
30	उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
31	उ0 प्र0 पुलिस आवास निगम लि0
32	दि प्रादेशीय इंडस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ यू0पी0 लि0 (पिकप)
33	उ0 प्र0 राज्य सेतु निगम लि0
34	उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0
35	उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम लि0
36	उ0 प्र0 (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लि0
37	उ0 प्र0 (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लि0
38	उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम
39	उ0 प्र0 ड्रग्स एंण्ड फार्मास्यूटिकल्स कम्पनी लि0
40	यू0 पी0 स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लि0
41	दि इन्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लि0 (कार्यकलाप बन्द हैं)
42	उ0 प्र0 राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लि0 (कार्यकलाप बन्द हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

संलग्नक–2

निगम/उपक्रम की सूची जिनके लेखे 2 वर्ष एवं अधिक समय से लम्बित हैं

क्र0सं0	निगम का नाम
1	उ0 प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एव विकास निगम लि0
2	उ0 प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0
3	उ0 प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0
4	उ0 प्र0 वक्फ विकास निगम लि0
5	उ0 प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0
6	उ0 प्र0 चर्म विकास एवं विपणन निगम लि0
7	उ0 प्र0 लघु उद्योग निगम लि0
8	उ0 प्र0 पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0
9	उ0 प्र0 निर्यात निगम लि0
10	उ0 प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0
11	यू0 पी0 स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लि0
12	उ0 प्र0 बीज विकास निगम
13	उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
14	उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0
15	उ0 प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0
16	यू0 पी0 डेवलपमेन्ट सिस्टम्स कारपोरेशन लि0
17	यू0 पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0
18	उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम लि0
19	उ0 प्र0 भूमि सुधार निगम
20	उ0 प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0
21	उ0 प्र0 वन निगम
22	उ0 प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0–21 विधान सभा–23-4-2010–813 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।